राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौवनवां दिवस [संख्या: 20

शुक्रवार,

17 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

ओसियां के पटवार मण्डल

313. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जहां पटवार मण्डल संचालित नहीं हैं? क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मण्डल बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आर.आई. सर्किल सामराऊ को उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में 35 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर पटवार मण्डल मुख्यालय नहीं है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

किसानों एवं काश्तकारों की सुविधा हेतु समस्त 11,307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की भी स्थापना करने की दृष्टि से 1,035 नये पटवार मण्डलों का सृजन किये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र 2023-24 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 177 में की गई है।

(2) वर्तमान में सामराऊ को उप तहसील बनाने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, मेरा बिल्कुल सटीक और सीधा प्रश्न है कि ओसियां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिन मुख्यालयों पर पटवार मण्डल नहीं है, उन जगहों पर क्या आप पटवार मण्डल बनाने का विचार रखते हैं? आपने तो पूरे राजस्थान का आंकड़ा दे दिया है। जिन 35 ग्राम पंचायतों की सूची आपने नहीं दी है, वहां पर आप रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इनके यहां 81 ग्राम पंचायतों में से 35 में पटवार मण्डल नहीं है। यह पूरे राजस्थान की समस्या है। काफी टाइम से पटवार मण्डल खाली हैं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में घोषणा की है। इस वजह से हमने इनको डिटेल में दिया है कि 1,035 नये पटवार मण्डल, जिनके लिए हमने जिलेवार जिला कलेक्टरों को डायरेक्शन दे दिये हैं, उनके लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। उसमें आपके भी जो 35 पटवार मण्डल खाली हैं, उनमें हम कितने बना सकते हैं, उनकी फिजिबिलिटी देखकर, सत्यापन करवाकर जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर हम इनके यहां जो काफी खाली हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और लगभग भर देंगे।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): खाली हैं, उन पर बनने के लिए कौनसी अलग फिजिबिलिटी के आधार पर रिपोर्ट तय होगी और रिजेक्ट किये जायेंगे? उनका क्या मापदंड है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, जिस प्रकार से ग्राम पंचायतें बड़ी हैं और दो पटवार मण्डल की हैं तो हम वहां एक रखकर बाकी पूरे राजस्थान की स्थिति को देखकर, 1,600 के लगभग ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, अभी कुछ नयी बनी हैं, बजट में 1,035 मिले हैं, 200-400 रहेंगे, वे थोड़े पैंडिंग रहेंगे। इस वजह से हम इनका लगभग भर देंगे। जो वर्षों से 35 की जगह खाली है। लगभग 25-30 के आसपास का हम पूरा भरोसा देते हैं, लेकिन हमने जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दे दिये हैं। आप भी वहां मीटिंग में हैं। आप वहां मिलें। आज क्वेश्चन लगा है, उसके आधार पर मैं भी कह दूंगा। इनकी मांग को लगभग पूरा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया।

अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर में डी.एम.एफ.टी. से विकास कार्य

314. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुमित गोदारा)

(1) जिला बीकानेर में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त वर्षों में किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत कितनी राशि जमा है? उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस विकास कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) बीकानेर जिले में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक जमा एवं व्यय हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**जमा राशि (रुपये लाखों में)**	**व्यय राशि (रुपये लाखों में)**
2019-20	981.51	34.63
2020-21	1,210.24	321.15
2021-22	1,448.21	485.85
2022-23 (दिनांक 28.02.2023 तक)	1,940.59	1,340.27
योग	**5,580.55**	**2,181.90**

उक्त वर्षों में विधान सभा क्षेत्र वार व्यय हुई राशि का मदवार एवं कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) बीकानेर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड में दिनांक 28.02.2023 को राशि रुपये 5,035.31 लाख शेष जमा है। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 (दिनांक 28.02.2023) तक की अवधि में 13 विकास कार्यों पर व्यय हुई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि डी.एम.एफ.टी. फंड में पिछले

(श्री सुमित गोदारा)

चार साल में 22 करोड़ की राशि बीकानेर जिले में व्यय की गयी है, जिसमें से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में मात्र 1 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी? क्या मंत्री जी जवाब देंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कांसेप्ट Model State of Rajasthan के अनुसार जिले में सिर्फ कोलायत, खाजूवाला व बीकानेर पश्चिम में जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर ही इस राशि का व्यय किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. सप्लीमेंट्री पूछे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? लूणकरणसर में होगा या नहीं होगा, आप वहां पर कर रहे। आप रिलेवेंट प्रश्न पूछें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): Sir, it is relevant.

श्री अध्यक्ष: रिलेवेंट का फैसला आप करेंगे या मैं करूंगा?

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): साहब, मैं बता रहा हूं। प्लीज साहब, we are newcomers. माननीय मंत्री जी, यह बताएं कि लूणकरणसर में डी.एम.एफ.टी. राशि कम क्यों व्यय की गयी?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, डी.एम.एफ.टी. की स्वीकृति का कार्य गवर्निंग काउंसिल करती है और जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हैं। जहां तक लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की बात है तो प्रशासनिक रूप से स्वीकृत कार्यों की संख्या 37 है, जो कि लगभग 4 करोड़ की लागत के हैं। आपने कहा कि अन्य विधान सभा क्षेत्रों में ज्यादा हुए हैं। यह निर्णय जिला स्तरीय कमेटी करती है। खुद माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं। फिर भी आपकी प्राथमिकता के जो कार्य हों, मैं आपकी भावनाओं से जिला कलेक्टर जी को अवगत कराऊंगा और जनहित के कार्यों को, इनके जितने स्वीकृत हो सकें, उनका मैं निवेदन करूंगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय मंत्री जी, डी.एम.एफ.टी. में वहां वर्तमान में आपके जवाब के अनुसार 50 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि शेष है। लूणकरणसर में 4 करोड़ 80 लाख के स्कूलों के प्रस्ताव और बामनवाड़ी से सोडवाली सड़क के, जो प्रस्ताव मेरे द्वारा दिये गये हैं। हमें डी.एम.एफ.टी. में आज तक किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है तो कहां से हम सोचें कि हमारे प्रस्ताव लिए जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के जो प्रस्ताव दिये गये हैं, साढ़े पांच करोड़ के हैं। एक सड़क का है और बाकी

(श्री सुमित गोदारा)

स्कूलों में कक्षा-कक्ष के हैं। ये करें, कम से कम पैसे तो उपयोग हो, नहीं तो आपकी सरकार चली जायेगी और पैसे वैसे के वैसे ही रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी हो गया।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जो मीटिंग होती है, उसकी सूचना निश्चित रूप से सभी सदस्यों को दी जाती है। आपने जो अपने स्कूलों के महत्वपूर्ण कार्य बताये हैं, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आप उसकी कापी मुझे दे दें। मैं इनकी भावना जिला कलेक्टर जी को अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ (चूरू) में हवाई पट्टी का विस्तार

315. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित पड़िहारा हवाई पट्टी के विकास व विस्तार हेतु कितना बजट स्वीकृत कर क्या-क्या कार्य, किसके माध्यम से एवं किन अधिकारियों की देखरेख में कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त हवाई पट्टी का विस्तार व विकास करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) विगत दो वर्षो में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्थित पड़िहारा हवाई पट्टी हेतु नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कम्पाउंड वाल एवं वर्तमान हवाई पट्टी के नवीनीकरण हेतु दिनांक 23-09-2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राशि 460.00 लाख रुपये का बजट आबंटन किया गया है। उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, खण्ड रतनगढ़ एवं सहायक अभियन्ता सा.नि.वि., उप खण्ड रतनगढ़ की देखरेख में सम्पन्न करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। वर्तमान में हवाई पट्टी के विकास हेतु हवाई पट्टी के नवीनीकरण का कार्य एवं चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य के पूर्ण होने की तिथि 01-08-2023 निर्धारित है। कार्यादेश की प्रति संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, खण्ड 2 में जो जवाब दिया गया है, वह बिलकुल असत्य है। आज एक घंटे पहले तक की स्थिति यह है कि वहां किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है या एक्सप्लेन करना है?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जो अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं, उनके खिलाफ संज्ञान में लाने के लिए भी मैंने कहा है। दूसरी बात यह है कि जिस उद्देश्य के साथ में तालछापर, सालासर और रतनगढ़ के बीच में होने के कारण जिस उद्देश्य के साथ में इस हवाई पट्टी को बनाया गया था, जब तक इसका आगे थोड़ा विस्तार नहीं होगा, तब तक यह काम नहीं आयेगी। राजस्थान सरकार आगे के भविष्य के लिए योजना बनाए, तब तो इसका उपयोग हो सकेगा। मंत्री महोदय, बताने की कृपा करें कि आगे विस्तार करेंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना ही नहीं आता, बराबर पूछते जा रहे हैं। टू द पाइंट पूछें, विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में यह 1,500 मीटर लम्बी है और 30 मीटर चौड़ी है। यहां 15 से 20 फ्लाइट प्रति वर्ष उतरती हैं। जहां से सालासर धाम जाते हैं या तालछापर लोग जाते हैं। यहां पर एक रेस्ट हाउस भी है। पार्किंग भी है, सब कुछ इन्तजाम है। It is fully developed.

श्री अध्यक्ष: ये पूछ रहे हैं कि विस्तार करेंगे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): विस्तार की जरूरत ही नहीं है। जेट आराम से उतर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

बूंदी में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित आवेदक

316. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला बूंदी की पंचायत समितियों में सभी मानदण्ड पूरे करने एवं वरीयता सूची में नाम होने के उपरान्त भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने से उक्त लाभ से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो कितने आवेदक?

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

क्या सरकार उक्त को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत 19,322 पात्र परिवार तकनीकी समस्याओं के कारण आवास प्लस पर अपलोड होने से वंचित रहे।

वंचित पात्र परिवारों को योजना की वरीयता सूची में शामिल/आवास प्लस पर अपलोड कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.03.2022 द्वारा किसी भी राज्य के वंचित परिवारों को आवास प्लस पर अपलोड कराने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् भी अ.शा. पत्र दिनांक 15.04.2022 एवं 22.01.2023 द्वारा केन्द्र सरकार से पुन: आग्रह किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास के वंचित पात्र परिवार, जो कि वरीयता सूची में थे, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा परिवार वंचित रह गये हैं? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? क्योंकि यह अपलोड उनको करना था, उनके आवास पर जाकर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उन्होंने जो गलती की है, क्या उसकी सज़ा देने का आपका विचार है? ताकि आगे भविष्य में ऐसी गलती न हो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। माननीय मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बूंदी जिले का प्रश्न पूछा है और स्टेट लेवल की बात है। इन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, वह भी गलत पूछा है। आवेदन

(श्री रमेश चन्द मीना)

ऑनलाइन नहीं है। ग्राम सभाओं के द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। उसके बाद आगे पंचायत से सीधे जिला परिषद् पर अपलोड होने के बाद, आवास प्लस पर जो वंचित रहे परिवार, इस तरह से टोटल 9 लाख 22 हजार हैं, टोटल रिजेक्टेड बॉय अपलोड, राजस्थान की बात करें तो, ये परिवार वंचित रहे, नेट धीमी गति से चला, बहुत सारे अन्य ऐसे कारण थे। मतलब इकाई की जगह एकड़ हो गया, बीघे की जगह, कहीं मोबाइल नम्बर की जगह लैंडलाइन हो गया, बहुत सारे ऐसे कारण रहे। अधिकारियों की वजह से नहीं, कुछ कारण अन्य भी रहे। समय पर सूचना नहीं मिल सकी। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, मुख्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, सी.एस. लेवल पर चिट्ठी लिखी गयी। उन्होंने एक बार मौका मार्च, 2019 में दिया था हमें। उस समय कुछ परिवार अपलोड हुए, कुछ रिजेक्टेड बॉय सिस्टम, क्योंकि कहीं खानापूर्ति फार्म की रह गयी, इस वजह से वह निरस्त हो गये। फिर भी हम चाहते हैं कि भारत सरकार को आप भी कहें, मंत्री जी को कहें, प्रधान मंत्री जी कहें कि 9,22,000 परिवार वंचित हैं, ये जुड़ जाएं और पात्रता मिल जाए तो आवास मिल सकेगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना-सा निवेदन है कि क्या विभाग इन वंचित पात्र परिवारों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो क्या इनको, जो हमारी 2013 में मुख्य मंत्री आवास योजना चलती थी, उसमें दिये जाते थे, उसी तर्ज पर देने का विचार रखते हैं या जो फ्लड में, अभी जिस तरह से आपने सिस्टम चला रखा है कि हम फ्लड में इनको लाभ देंगे? उन्हीं में इनको जोड़ दिया जाए। इन दोनों में से किसी योजना में जोड़ना चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रधान मंत्री आवास योजना में भारत सरकार का 60 परसेंट है और स्टेट का 40 परसेंट है। आप भारत सरकार से क्यों नहीं दिलाते हैं, वहीं से पैसा दिलाओ। अभी 2023 का जो लक्ष्य है, वही आबंटित नहीं किया है तो उसको आगे बढ़ाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

317. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): (श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू) के स्थान पर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कितनों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वितों का योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित योजनाओं के तहत पांच वर्षों में लाभान्वित लोगों की संख्या 1,352 है।

योजनावार लाभान्वित लोगों की संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगी कि जहां-जहां ये योजनाएं संचालित होती हैं, क्या विभाग द्वारा कभी-कभी इस बात का सर्वे किया जाता है कि उस इलाके में उन लोगों का, जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके शैक्षणिक और सामाजिक स्तर में कुछ सुधार आ रहा है क्या?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे चाकसू के बारे में जानकारी इन्होंने मांगी थी, जो हमने पूरी दी है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जो बेनिफिशियरी लोग हैं या जो उसमें डिमांड करते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका सीधा उद्देश्य यह है कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? यह उनका प्रश्न है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां डी.एम.ओ. स्तर पर सिस्टम बना हुआ है। वहां पर योजनाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है। जो-जो लोग, जिनका बनता है कि गरीब लोग हैं, जैसे प्री-मैट्रिक में, पोस्ट मैट्रिक में, मेरिट कम मीन्स में, जिनके आवेदन आते हैं, उनको लाभ देते हैं।

श्री अध्यक्ष: उनका प्रश्न यह था कि आप जो लाभान्वित कर रहे हैं, उनका वापस मूल्यांकन करके, उसका रिव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि उसका कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यह उनका प्रश्न था।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाकायदा उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि उनको लाभ मिला या नहीं मिला। वास्तव में जो बेनिफिशियरी हैं, उनको किस तरह से लाभ मिले, उनको जानकारी भी देते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पुखराज।

भोपालगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

318. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी विहीन गांवों एवं बस्तियों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में तहसील भोपालगढ़ में 141 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं तहसील पीपाड़ सिटी में 80, कुल 221 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका तहसीलवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग में केन्द्रांश के कारण नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.07.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि आई.सी.डी.एस. सेवा विस्तार हेतु अभी नवीन केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

इसके उपरान्त भी स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने सम्बन्ध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2023-24 के अन्तर्गत प्रदेश में 8 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया, मंत्री जी। प्रश्न पूछिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न के उत्तर में परिशिष्ट-अ पर जो जानकारी दी गयी है, वह अधूरी है। पंचायत समिति बावड़ी और पंचायत समिति मंडोर की मेरी जो 31 ग्राम पंचायतें हैं, उनकी सूची इसमें संलग्न नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र जिन भवनों के अंदर चल रहे हैं, उन भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, जीर्ण-शीर्ण स्थिति के अंदर हैं। क्या सरकार के पास उनके मेंटिनेंस की कोई योजना है?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जीर्ण-शीर्ण भवनों की स्थिति जो माननीय सदस्य ने पूछी है, इसके अंदर 12 लाख रुपये का भवन बनाने का प्रावधान भारत सरकार ने अभी किया है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि नरेगा के माध्यम से जोड़ी जाती है और 2 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग के और बाकी के 2 लाख रुपये, 80 हजार राजस्थान सरकार के और 1 लाख 20 हजार भारत सरकार के होते हैं। जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, हम उन जीर्ण-शीर्ण भवनों की रिपेयर कराने का प्रावधान रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): प्रश्न संख्या...

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंह। नाम मैंने बोला? उसके पहले बोल रहे हैं आप। अब बोलिए आप।

छबड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

319. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की सड़कें क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में क्षतिग्रस्त कुल 39 सड़कों (192.58 किमी) में से वर्तमान में 12 सड़कें (74.88 किमी) विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की 10 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र के तहत 7 क्षतिग्रस्त सड़कें, लम्बाई 17.78 किमी, राशि रु. 529 लाख की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों की स्वीकृति जारी करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 39 सड़कें नॉन पेचेबल हैं। उनमें से मात्र 12 सड़कें ही आपने अभी स्वीकृत की हैं। शेष बची हुई 27 सड़कों को भी सी.आर.एफ., नाबार्ड, एस.आर.एस. के तहत स्वीकृत की जाएं, क्योंकि शेष बची 27 सड़कें भी मोटरेबल नहीं हैं। ये सड़कें कब तक स्वीकृत कर दी जाएंगी?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने मूल प्रश्न में माननीय सदस्य को जवाब दिया कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। उसके उपरांत भी जो आपकी 7 सड़कें हैं, 10 करोड़ के बजट में, जो हमारा 2023-24 का बजट है, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्तावित कर दिया है। आपको धन्यवाद देना चाहिए।

नम्बर दो, मैं यह कह रहा हूं कि यह जो आप सीआर.एफ., नाबार्ड की बात कर रहे हैं, ये सड़कें वे सड़कें हैं कि आप मान कर चलिए, सड़क 13 किलोमीटर लम्बी है, उसमें से 1 किलोमीटर सड़क है या 500 मीटर सड़क है या डेढ़ किलोमीटर की सड़क है, वहां पर वह क्षतिग्रस्त है, पूरी सड़क कोई क्षतिग्रस्त नहीं है। इसलिए मैंने कह दिया कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने कभी छबड़ा को देखा नहीं है। न छबड़ा की भौगोलिक परिस्थिति देखी है, वहां की जमीन किस प्रकार की है, वह नहीं देखा। वहां पर ब्लैक कॉटन सोइल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है। माननीय सांसद से मिलकर सी.आर.एफ. का पैसा अलाट करवाइए, जिससे बाकी सड़कें भी बन जाएंगी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): साहब, मैं यही पूछ रहा हूं कि सीआर.एफ. में, नाबार्ड में, एस.आर.एफ. में...

श्री अध्यक्ष: आप माननीय सांसद महोदय से मिलें। उनसे एप्रोच करें और सी.आर.एफ. का पैसा लेकर आएं। सड़कें और तेज गति से बन जायेंगी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक और पूछ लेता हूं, साहब। वर्तमान में कौन-कौन सी क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किया?

श्री अध्यक्ष: 7 सड़कें लिखी हैं इसमें।

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

दिव्यांग पेंशनर्स को देय सुविधाएं

320. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2020 में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी दिव्यांगों को बी.पी.एल. श्रेणी में सम्मिलित करने की घोषणा की गई थी?

(2) प्रदेश में कितने दिव्यांग पेंशनर्स हैं व अब तक कितने दिव्यांगों को उक्त श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेंशनर्स को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) उक्त घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई, जिसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्राप्त कर रहे विशेष योग्यजन के परिवार को बी.पी.एल. के समकक्ष माना जाने की घोषणा की गई। इस सम्बन्ध में विभागीय आदेश जारी किये जा चुके हैं। परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 6,45,515 दिव्यांग पेंशनर्स हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में क्रमांक 1097 दिनांक 13.04.2022 द्वारा विशेष योग्यजन को बी.पी.एल. श्रेणी के समकक्ष मानने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांग पेंशनर्स को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय संयम जी, ठीक जगह पर बैठे हैं। क्यों प्रोवोक कर रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार बी.पी.एल. की तरह दिव्यांगजनों का कार्ड बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? नहीं, तो क्यों? दूसरा प्रश्न मेरा है, क्या यह भी सही है कि बी.पी.एल. के समान दिव्यांगजनों को सुविधाएं दिये जाने के आदेश तो जारी हो गये, परन्तु गाइड लाइन नहीं बनने के कारण दिव्यांगजनों को अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है? सरकार गाइड लाइन कब तक जारी करने का विचार रखती है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि गाइड लाइन किस चीज की आप चाहते हैं? विभाग आर्डर ही जारी करता है और जो भी चाहे इसमें एप्लाई कर सकता है। हर विभाग के द्वारा आर्डर जारी कर दिये गये हैं। फाइनेंस से अनुमोदित होकर आर्डर जारी हो गये।

दूसरा आपने कहा कि इनके बी.पी.एल. कार्ड बनाएंगे क्या? कार्ड बनाने की बात ही नहीं है। बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधाएं देने की बात है। वे सुविधाएं देने के लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिये गये हैं। कोई विभाग अगर मना करता है, अगर कहीं पर आपत्ति करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह क्या कागज का टुकड़ा लेकर जाए क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। खड़े हैं और आप बार-बार पूछते हैं। आप सीनियर आदमी हैं। मंत्री जी बैठें तब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठ गये, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठे हैं। मैंने कल भी यह देखा। आप सीनियर आदमी हैं। यह गलत बात है। माननीय मंत्री जी। आप पूछिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने यह घोषणा तो कर दी, परन्तु जब उसके पास कार्ड नहीं होगा, जो घोषणा आदेश

(श्री कालीचरण सराफ)

निकाला है, क्या वह इस कागज की कापी लेकर जाएगा क्या? उसका कार्ड क्यों नहीं बनाते हो, जैसे बी.पी.एल. का कार्ड है, जिससे उसको सुरक्षा मिले?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ रहे हैं या धमका रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इतना कमजोर भी नहीं हूं कि इनके धमकाने से धमक जाऊं।

इन सबका कार्ड बना हुआ है। विकलांग को भी कार्ड है। पेंशन मिल रही है, पेंशन का पी.पी.ओ. नम्बर है। इनका एक दस्तावेज यह हो गया। दूसरा भारत सरकार द्वारा इनके यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाये गये हैं, यू.डी.आई.डी. कार्ड देकर भी यह करा सकते हैं। यह अपना जन आधार कार्ड बताएंगे तो वह भी जुड़ा हुआ है। उससे लिंक है उससे भी करा सकते हैं। जन आधार में एप्लाई कर दिया तो उसकी पर्ची से भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में नवीन सब्जी मण्डी का संचालन

321. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रायसिंहनगर शहर में धान मण्डी के सामने फल एवं सब्जी मण्डी प्रारम्भ नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त के प्रारम्भ नहीं होने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नवीन प्रांगण में उक्त को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) रायसिंहनगर शहर में धान मण्डी के सामने फल व सब्जी मण्डी में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाकर चिन्हित भूखण्डों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आबंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त मण्डी में व्यापार प्रारम्भ हो सकेगा।

(2) जी हां। चिन्हित फल सब्जी मण्डी प्रांगण में भूखण्डों के आबंटन के लिए अचल सम्पत्ति आबंटन नीति के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्राप्त कर लिए गये हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर दिनांक 18.01.2023 को अस्थायी वरीयता/पात्रता सूची जारी कर आपत्तियां आमंत्रित कर ली गई हैं। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आबंटन कार्यवाही पूर्ण कर फल सब्जी मण्डी प्रारम्भ कर दी जावेगी।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चिह्नित भूखण्डों के आबंटन की कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी? कृपया समय सीमा बताएं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो वरीयता सूची जारी की गई है, इसमें कितने व्यक्ति पात्र पाये गये हैं एवं भूखण्डों की संख्या कितनी है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, हमने जो वरीयता सूची तय की है, इसके लिए फल-सब्जी मण्डी प्रांगण आबंटन हेतु आबंटन समिति की बैठक दिनांक 27.03.2023 को आयोजित की जा रही है। इसमें जो आवेदन प्राप्त हुए, उन पर निर्णय किया जाएगा। टोटल हमारे 52 भूखण्ड हैं। 170 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कृषक महिला अनारक्षित वर्ग के 121 हैं, कृषक महिला अनुसूचित जाति वर्ग के 9 हैं, जैविक खेती उत्पादक कृषक का एक है, अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारी वर्ग के 38 हैं, अनुज्ञा पत्रधारी वर्ग एक है। इस प्रकार 170 भूखण्ड हैं। दिनांक 27.03.2023 को मीटिंग बुलाई गई है। उसमें निर्णय किया जाएगा। शीघ्र ही सबको आबंटित कर दिये जायेंगे।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या आरक्षित वर्ग के लिए भूखण्ड आरक्षित हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जैसा मैंने बताया कि एस.सी., एस.टी. के लिए इसमें आरक्षित भूखण्ड नहीं हैं। कृषक महिला आरक्षित वर्ग के लिए हैं। इसमें कृषक महिला अनुसूचित जाति वर्ग, केवल महिलाओं के लिए होते हैं। जैविक खेती उत्पादक के लिए भी एक भूखण्ड होता है। व्यापारी वर्ग के लिए 38 भूखण्ड हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चौधरी।

लम्बित छात्रवृत्तियों का भुगतान

322. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक के कितनों के भुगतान वर्षवार लम्बित हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त लम्बित छात्रवृत्तियों का भुगतान किन-किन कारणों से नहीं किया जा सका व अब उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) भवन एवं अन्य

(राज्य मंत्री, श्रम)

संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत हिताधिकारियों को 'निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना' के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक के कुल 4,30,545 आवेदन लम्बित हैं, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 'पहले आओ पहले पाओ' पद्धति से पात्र आवेदकों को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में वर्ष 2017 से लम्बित चल रहे योजना आवेदनों में पात्र श्रमिकों को 'पहले आओ पहले पाओ' पद्धति से भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

(2) मंडल द्वारा लागू योजनाओं में सहायता राशि नियोजकों से प्राप्त उप कर राशि से किया जाता है। राज्य अथवा केन्द्र सरकार से कोई अनुदान/बजट प्राप्त नहीं होता है। कोरोना काल में उप कर संग्रहण प्रभावित होने तथा कोष का प्रयोग अन्य अतिआवश्यक कार्यों में किये जाने के कारण सहायता आवेदनों के भुगतान मे विलम्ब हुआ है।

अपात्र व्यक्तियों द्वारा किये गये आवेदनों की जांच हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर पात्र श्रमिकों को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। नवम्बर, 2022 से अब तक निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के 1,39,695 आवेदनों में रुपये 143.56 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ। हरीश जी, प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सरल सा सवाल था, लम्बित छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? जब मैंने उत्तर पढ़ा तो मुझे उत्तर में प्राप्त नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी यह स्पष्ट बताएं कि क्या अवधि रहेगी? इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, वह सिर्फ उप कर का संग्रह है, उसके माध्यम से मिलती है। न तो केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा है, न राज्य सरकार का कोई हिस्सा है। जो निजी भवन निर्माण होते हैं, न तो शहर से, न ही ग्रामीण इलाक़े से उप कर का संग्रह हो पाता है। उप कर का संग्रह नहीं होने के कारण इन लोगों को, मज़दूरों को यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्या मंत्री महोदय, विभाग द्वारा कोई विशेष ड्राइव चलाकर राजस्थान में उप कर का संग्रह करने की सोच रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल है, कुल 13 योजनाएं हैं। 13 योजनाओं में से नौ योजनाओं के तहत राशि चालू कर दी गई है। पिछले बजट 2022-23 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, जो श्रम विभाग की देनदारियां हैं, हिताधिकारी हैं, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे कर लिया गया है। किसी ज़िले में 20, किसी में 30, किसी ज़िले में 40 परसेंट अपात्र श्रमिक मिले हैं। टोटल लिस्ट बनने के बाद 1,900 करोड़ देनदारी बाकी रही है। जैसे ही लिस्ट आई, हमने पैसे बांटना शुरू कर दिया। करीब 143.36 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। उनमें वे तमाम योजनाएं हैं छात्रवृत्ति के अलावा। दस योजनाओं में से सात में दी जा रही है। बाकी तीन योजनाएं, श्रमिक सुलभ आवास योजना, शुभशक्ति योजना, दुर्घटना, इन तीन की ज्यादा राशि है, इनको रोका गया है। 'पहले आओ पहले पाओ' के हिसाब से ज़िले में दिये जा रहे हैं। कहीं चार करोड़, कहीं पांच करोड़ बांट रहे हैं। करीब 800-900 करोड़ रुपये हमारे डिपार्टमेंट के पास हैं। बाकी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, पात्रता शुरू होने के बाद पूरी राशि राज्य सरकार देगी।

श्री अध्यक्ष: उप कर वसूली करने के लिए कोई कैम्पेन चलाएंगे क्या? माननीय सदस्य का प्रश्न है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): यह बात सही है कि दस लाख से अधिक के भवन पर ही उप कर लगता है। राजस्थान सरकार कोई मदद नहीं करती। राजस्थान सरकार, भारत सरकार का यह है कि आप ही कमाओ, आप ही खर्च करो। मैं आश्वस्त करता हूं, हमने अभियान चलाया है, जितनी भी नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में दस लाख से ज्यादा की लागत से बने हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रयास करेंगे कि उप कर का संग्रह हो। कोरोना काल में होने की वजह से दो साल 2020-21 व 2021-22 में संग्रह नहीं हुआ। सेस नहीं आया। आवेदन बढ़ते गये, इसलिए देनदारी बढ़ी है। विश्वास दिलाता हूं कि अभियान तेज करेंगे, वसूली करेंगे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: हो गई काम की बात, आप बैठो। अगला प्रश्न। सुभाष पूनिया।

झुन्झुनूं में जन अभाव निराकरण समिति में दर्ज शिकायतें

323. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुन्झुनूं में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक जन अभाव निराकरण समिति में कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? उक्त दर्ज शिकायतों का निस्तारण समिति की कौन-कौनसी बैठकों में किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त जिले में जिला, तहसील व उप खण्ड स्तर पर भी चौपालों का आयोजन कर सुनवाई की जा रही है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक कौन-कौनसे अधिकारियों द्वारा किन-किन स्थानों पर कब-कब चौपालों में जन सुनवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, जन अभियोग निराकरण के स्थान पर): (1) प्रश्न में उल्लिखित जन अभाव निराकरण समिति नाम से कोई भी समिति बनी हुई नहीं है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8(2)प्रसु-3/83 दिनांक 20.10.1983 के अनुसार जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति गठित की गई है।

जिला झुन्झुनूं में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में कुल 239 शिकायतें दर्ज हुई हैं। उक्त दर्ज शिकायतों का निस्तारण समिति की विभिन्न बैठकों में किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 5(4)आरपीजी/एएस/2020 दिनांक 09.03.2021 के तहत क्लस्टर्स स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता था।

वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 5(4)आरपीजी/एएस/2020 दिनांक 19.04.2022 के तहत प्रति माह झुन्झुनूं जिले में जिला, उप खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। जिला स्तरीय जनसुनवाई का विवरण परिशिष्ट-ब पर, उप खण्ड स्तरीय जनसुनवाई का विवरण परिशिष्ट-स पर एंव चौपालों में की गई जन सुनवाई का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर मिल गया? प्रश्न पूछिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): उत्तर मिल गया, धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नकर्ता चाहिए।

अगला प्रश्न। धर्मेन्द्र कुमार।

गोलूवाला व डबली उप तहसीलों का तहसीलों में क्रमोन्नयन

324. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नई तहसील तथा उप तहसील बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की उप तहसील गोलूवाला व डबली तहसील की तथा गंधेली उप तहसील बनने के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है? यदि हां, तो सरकार गोलूवाला व डबली को तहसील तथा गंधेली को उप तहसील में कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) प्रदेश में नवीन तहसील/उप तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्धारित नियम व मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की उप तहसील गोलूवाला एवं डबली को तहसील में क्रमोन्नत करना तथा गंधेली को नवीन उप तहसील बनाया जाना निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन, भोपालसागर, तीस-तीस पटवार मण्डलों के नहीं होने पर भी वहां तहसील बना दी गई है? मेरे क्षेत्र गोलूवाला एवं डबली को तहसील बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, गंधेली को उप तहसील क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसके साथ-साथ दूसरा प्रश्न गोलूवाला, पहले एक पूछ लेता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.3.2007 के राजस्व मण्डल के मापदण्ड हैं, उनमें 30 पटवार मण्डल तहसील बनाने के लिए तथा 15 पटवार मण्डल उप तहसील बनाने के लिए

(श्री रामलाल जाट)

होना जरूरी है। रेगिस्तान कोर सेक्टर में थोड़ी छूट दी गई है। जनजाति टी.एस.पी. में भी छूट है। माननीय सदस्य की तहसीलें हैं, दोनों में मापदण्ड पूरे नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रही हैं। दूसरा कपासन, यह हमारा ध्यान उधर आकर्षित कर रहे हैं, राजस्थान में सभी जगह हुआ है, रिलेक्सेशन मुख्य मंत्री जी देते हैं। आपके भी अगर बनानी है तो आप लिखकर दें, आपके भी बन जाएगी, मनाही नहीं है। आपने मापदण्ड के लिए पूछा है, तो मापदण्ड में नहीं आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष: बाकी लिखकर दोगे, हो जाएगा।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): उसमें रिलेक्सेशन करके सरकार बना सकती है, आपकी भी बना देंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मैं तो सदन से निवेदन कर रहा हूं। एक बात और रह गई। उप तहसील गोलूवाला, डबली में दूरी ज्यादा होने के कारण परेशानी होती है। जहां उप तहसीलदार बैठे हैं, उनको मजिस्ट्रेट पावर की शक्तियां दे दो। छोटे-छोटे कामों के लिए 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पहले दी भी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बताएं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया। सभी उप तहसीलदारों को सारी शक्तियां दे दी गई हैं। गजेटेड आफिसर भी बना दिया, एक साथ ही शक्तियां दे दीं। आपके भी, मैं दिखवाकर करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चंदेलिया।

ग्राम पंचायत स्तर पर गोशाला की स्थापना

325. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर) के स्थान पर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गो माता के संरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक गोशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय गोपालन मंत्रीजी।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): जी हां। बजट वर्ष 2022-23 में जिन ग्राम पंचायतों में गोशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम

(गोपालन मंत्री)

एन.जी.ओ. उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपये तक की राशि से गोशाला स्थापित की जाएगी, घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप गोशाला/पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत गोशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना दिनांक 15.01.2023 को अनुमोदित कर दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 200 ग्राम पंचायत गोशाला/गौ-आश्रय स्थल के लिए राशि रुपये 183.60 करोड़ प्रावधित है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

सवाई मानसिंह टाउन हॉल को संग्रहालय बनाने की घोषणा

326. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह टाउन हॉल पुरानी विधान सभा भवन को विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना कुल कितनी राशि की बनी तथा माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के लिए आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को पर्यटन विकास कोष से राशि जारी की गई व उक्त का भुगतान राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त टाउन हॉल को विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाने के लिए की गई बजटीय घोषणानुसार वित्त विभाग ने राशि जारी की है? यदि हां, तो माह दिसम्बर, 2022 तक कुल कितनी राशि जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: स्थगित।

अगला प्रश्न संख्या 327, श्री रूपा राम।

अगला प्रश्न, श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री रूपा राम (मकराना): रूपा राम हूं, साहब, मैं।

श्री अध्यक्ष: सॉरी। कभी आप इधर बैठ जाते हैं।

श्री रूपा राम (मकराना): नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष: सही जगह पर बैठे हैं आप?

श्री रूपा राम (मकराना): जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मकराना पंचायत समिति के विकास अधिकारी से वांछित सूचनाएं

327. श्री रूपा राम (मकराना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मकराना पंचायत समिति के विकास अधिकारी से स्थानीय विधायक द्वारा क्या-क्या सूचनाएं, कब चाही गई थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों को वांछित सूचनाएं देने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या स्थानीय विधायक को दिनांक 17 जनवरी, 2023 तक वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना से विधान सभा क्षेत्र मकराना के स्थानीय विधायक द्वारा निम्न सूचनाएं चाही गई थीं-

1. पत्रांक 22/143, दिनांक 13.12.22 से पंचायत समिति मकराना कार्यालय एवं बैठक हॉल मीटिंग दिनांक 30.11.22, 01.12.22, 02.12.22, 05.12.22, 12.12.22 की उपरोक्त दिवसों की सम्पूर्ण सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं वीडियोग्राफी।

2. पत्रांक 22/144, दिनांक 14.12.22 से पंचायत समिति मकराना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजनान्तर्गत क्लस्टर बुडसू अन्तर्गत ग्राम पंचायत सफेड़बड़ी, बरवाली, कूकड़ोद में ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये सी.सी. ब्लाक व नाली निर्माण, बस स्टैण्ड निर्माण कार्य वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में निर्मित कार्यों की माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियां चाही गईं। विवरण पताका-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जन प्रतिनिधियों को वांछित सूचनाएं दिए जाने का प्रावधान है।

(पंचायती राज मंत्री)

जी हां। स्थानीय विधायक द्वारा चाही गई सूचनाएं 17 जनवरी, 2023 तक उपलब्ध नहीं करवाई गई थीं। स्थानीय विधायक को उनके पत्र क्रमांक एम.एल.एम./म.क./22/144 दिनांक 14.12.2022 द्वारा चाही गई सूचनाएं, विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना द्वारा दिनांक 14.02.2023 को प्रेषित कर दी थीं।

स्थानीय विधायक के पत्र क्रमांक एम.एल.एम./म.क./22/143, दिनांक 13.12.2022 द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2022 को प्रधान, पंचायत समिति मकराना ने फुटेज नहीं दिए जाने का निर्णय लिया, तदनुसार सूचना प्रदान नहीं की गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें। रूपा रामजी।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: संतुष्ट हैं? अगला प्रश्न, श्री गुरमीत सिंह कुनर।

गंगनहर फीडर के कच्चे खालों को पक्का कराने की कार्ययोजना

328. श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगनहर फीडर पर नहरी पानी से सिंचाई हेतु उपयोग में आने वाले कुल खालों की संख्या कितनी है? उक्त में से कितने खाले पक्के हैं एवं कितने खाले कच्चे तथा कितने जर्जर हालत में हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार नहरी पानी से सिंचाई हेतु गंगनहर फीडर के कच्चे व जर्जर खालों को पक्का करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) गंगनहर फीडर पर नहरी पानी से सिंचाई हेतु उपयोग में आने वाले कुल खालों की संख्या 1,224 है एवं कुल कमाण्ड क्षेत्र 3.14 लाख हैक्टेयर है (संलग्न सूची-परिशिष्ट-अ)। भारत सरकार की सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन योजना (CADWM) कार्यक्रम के अन्तर्गत खाला निर्माण की प्रति हैक्टेयर दर रुपये

(कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

25,050/- की सीमा निर्धारित होने के कारण कुछ खालों में अन्तिम छोर की लम्बाई में पक्के नक्कों एवं कच्चे खाले का निर्माण कराया गया है। पूर्ण रूप से कोई भी खाला कच्चा नहीं है तथा 165 खाले जर्जर स्थिति में हैं (संलग्न सूची-परिशिष्ट-ब)।

(2) जी हां। सरकार द्वारा नहरी पानी से सिंचाई हेतु गंगनहर परियोजना के प्रावधानुसार जर्जर खालों को मार्च 2024 तक पक्का कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जर्जर खाले और शेष रहे कच्चे खालों को पक्का करवाने का जो आश्वासन दिया है, उसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन

329. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर) (श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं) के स्थान पर): क्या बाल अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा में अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

बाल अधिकारिता मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): जी हां। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपये से नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा की है। घोषणा में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी, बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा एवं अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

- दिनांक 31.12.2020 को नेहरू बाल संरक्षण कोष संचालन के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। (परिशिष्ट-1)
- कोष अन्तर्गत बाल संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत 03 व्यक्तियों एवं 03 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। (परिशिष्ट-2)

(बाल अधिकारिता मंत्री)

- कोष के माध्यम से लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों को सपोर्ट पर्सन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल मित्र योजना लागू की गई है। (परिशिष्ट-3)
- बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए एवं उचित पुनर्वास हेतु कोष अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 09 जिलों में 09 पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। (परिशिष्ट-4)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 9 जिलों में तो आपने यह किया पर बाकी जिलों में आप कब तक यह गठन करने की मंशा रखते हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां से इस तरह के अपराधों की जिन-जिन जिलों से हमारे पास में परेशानियां आती रहती हैं, डिमांड्स आएंगी तो उस हिसाब से हम अन्य जिलों में भी यह खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

जोधपुर-पचपदरा-बालोतरा मार्ग को 6 लेन बनाने की कार्ययोजना

330. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पचपदरा रिफाइनरी बनने के कारण जोधपुर-पचपदरा-बालोतरा मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है?

(2) क्या सरकार को उक्त मार्ग को 6 लेन बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग को 6 लेन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां।

(2) 1. जोधपुर से पचपदरा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-25) का संधारण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रत्युत्तर निम्न है-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जोधपुर-पचपदरा खण्ड (राष्ट्रीय राजमार्ग-25) के उन्नयन करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर वर्तमान दो लेन पेव्ड शोल्डर से 4-लेन/6-लेन में उन्नयन करने का निर्णय ट्रैफिक गणना के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ही किया जायेगा।

2. पचपदरा से बालोतरा सड़क का संधारण रिडकोर/राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस सड़क को 6 लेन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जोधपुर से पचपदरा सड़क को 6-लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पचपदरा से बालोतरा सड़क को 6-लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार की परस्पर प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-सा निवेदन है कि रिफाइनरी के कारण दबाव बढ़ा है तो सरकार 4 लेन, 6 लेन बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती है?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा बिलकुल जायज है, क्योंकि रिफाइनरी है वहां पर, रिफाइनरी के लिए इसको 4 लेन या 6 लेन, एन.एच.आई.ए. इसकी डी.पी.आर. बना रही है, पर मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 2015 से लेकर 2017 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 50 एन.एच. की घोषणा कर दी गयी, पर उन एन.एच. में से, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी समय-समय पर पत्र लिखे और मैं भी केन्द्रीय मंत्रीजी से मिला कि आपने जो घोषणाएं की हैं, इनकी आप पूर्ण रूप से सहमति प्रदान करें, पर आज तक उनकी सहमति प्रदान नहीं की है। सिर्फ एक एन.एच. की हमारे राजस्थान को घोषणा हुई है तो इससे बड़ा दु:खद काम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सड़क वह चीज है जो जाति-धर्म से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, सड़क पर हर व्यक्ति, हर जाति-धर्म का व्यक्ति चलता है, पर इस तरीके से जो राजस्थान सरकार के साथ भेदभाव हो रहा है वह बहुत निंदनीय है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने पीड़ा को समझा और इनकी भावना हमारे प्रति है, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्रजी मेघवाल।

भीलवाड़ा जिले की जेलों में कैदी क्षमता

331. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में कितनी जेलें हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जेलों में सजायाफ्ता कैदियों को रखने की क्षमता कितनी है व कितने संतरी, अधिकारी व प्रहरी कहां-कहां तैनात हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में जिला स्तर की जेल में कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

जेल मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) भीलवाड़ा जिले में 01 जिला कारागार एवं 05 उप कारागार स्थित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा जिले में स्थित कारागारों की दिनांक 31.01.2023 की स्थिति अनुसार बंदी क्षमता का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त कारागारों पर दिनांक 31.01.2023 को पदस्थापित रहे कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में जिला लेवल पर जिला कारागार, भीलवाड़ा स्थित है। कारागृह पर दिनांक 31.01.2023 की स्थिति अनुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। उक्त रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही उपरान्त भर दिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मेरे को सुझाव देने हैं आपको कि एक तो सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदी, इनको अलग-अलग रखा जाए। दूसरा, जेलों में वैसे ही त्रासदी है, इसलिए टॉयलेट और खान-पान की पर्याप्त समुचित व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न पूछा है या सजेशन दिया है?

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): ये जवाब दे दें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सजायाफ्ता एक ही कैदी है, बाकी सारे विचाराधीन ही हैं और जैसा आपने कहा है, हम शिफ्ट भी कर देंगे। खाने की और सारी व्यवस्थाएं हैं। आप अगर कोई और भी सुझाव देना चाहेंगे तो उनका भी ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर (अलवर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

332. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में कृषि उपज मण्डी खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में किसानों एवं जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): प्रदेश में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना के सम्बन्ध में 40 लाख रुपये एवं गौण मण्डी की स्थापना हेतु 15 लाख रुपये वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित हैं। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। गौण मण्डियों की स्थापना के सम्बन्ध में राजस्थान कृषि उपज (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम 1987 के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा नई मण्डियों की स्थापना इनकी उपादेयता, औचित्यता व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आकलन एवं विश्लेषण उपरान्त की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में गौण मण्डी यार्ड स्थापित किये जाने के प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, इन्होंने यह बताया है कि मुण्डावर के अन्दर गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिस तरीके से पूर्व के अन्दर अलवर जिले के अन्दर इन नियमों में शिथिलता

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

देते हुए अन्य गौण मण्डी और कृषि मण्डियां खोली गयीं, उसी तरह क्या माननीय मंत्री महोदय मुण्डावर के अन्दर भी इन नियमों में शिथिलता देते हुए कृषि मण्डी या गौण मण्डी खोलेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री का उत्तर सुनें या आपकी बात सुनें?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के अण्डर में मुण्डावर क्षेत्र आता है। प्रस्ताव संख्या 417, दिनांक 05.12.2022 से मुण्डावर कस्बे में गौण मण्डी यार्ड स्थापित किये जाने का प्रस्ताव खण्ड कार्यालय के पत्र दिनांक 15.02.2023 को निदेशालय को प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2020-21 में 100 गौण मण्डियों की घोषणा की गयी थी। हम प्रयत्न करेंगे और उसके तहत इसको खोलने का विचार करेंगे।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि खैरथल कृषि मण्डी के अधीन मुण्डावर आता है और मुण्डावर के अधिकतर गांव भी उसी मण्डी के अंतर्गत आते हैं। पिछले वर्ष की आय जो कृषि मण्डी की थी, वह करीब 10 करोड़ रुपये की थी और अधिकतर गांव मुण्डावर की होने की वजह से वह आय ज्यादा थी। उसमें से बहरोड़, किशनगढ़बास, बानसूर और तिजारा अलग कर दिये गये। उसके बाद भी उसकी आय यथास्थिति में है। इस वर्ष की आय भी करीब 10 करोड़ के आसपास की है। आय हित और किसान हित को देखते हुए कि उनका खर्चा बढ़ेगा, आवागमन का समय भी कम होगा, क्या इसको देखते हुए आप मुण्डावर के अन्दर मण्डी खोलेंगे?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): मैंने बताया कि आपकी जो मण्डी के प्रस्ताव हैं, वे परीक्षणाधीन हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट 2020-21 में गौण मण्डी की घोषणा की हुई है। यदि उसमें संभव होगा तो हम खोलने का प्रयत्न करेंगे। वैसे क्या है कि जो भारत सरकार के तीन कृषि कानून आये थे, उसके बाद से हम केवल मण्डी क्षेत्र में ही मण्डी टैक्स वसूल करते हैं तो हमको भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। मुण्डावर क्षेत्र में अभी कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। हम कोशिश करेंगे। प्रस्ताव का परीक्षण करवायेंगे और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। आज धन्यवाद बहुत ज्यादा मिल रहा है हर प्रश्न में।

अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में शुभ शक्ति योजना के लाभार्थी

333. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शुभ शक्ति योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिकों की लड़कियों को कौशल विकास, स्वयं के व्यवसाय, शिक्षा तथा विवाह के लिए 55,000 रुपये की राशि सहायतार्थ प्रदान किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2019 से माह जनवरी, 2023 तक विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में उक्त योजना के तहत कितने श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितनों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में प्राप्त आवेदन को निरस्त भी किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2023 तक विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में शुभ शक्ति योजना के तहत कुल 98 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें लाभान्वितों की संख्या शून्य है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में शुभ शक्ति योजना में 50 आवेदन निरस्त किये गये।

आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण निम्न हैं:-

1. आवेदक द्वारा अंशदान नियमित जमा न होना।
2. संलग्न नियोजन प्रमाण पत्र सही नहीं होना।
3. पुत्री अवयस्क होना अथवा आठवीं कक्षा उत्तीर्ण न होना।
4. पुत्री का विवाहित होना।
5. आवेदकों का गैर निर्माण श्रमिक होना।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(3) निर्माण लागत की एक प्रतिशत उप कर राशि के रूप में एकत्रित मण्डल कोष का आवश्यकतानुसार उपयोग विभिन्न योजनाओं में किया जाता है। मण्डल को राज्य अथवा केंद्र सरकार से बजट आबंटित नहीं होता है। विभाग द्वारा योजना में उल्लिखित शर्तों एवं पात्रता नहीं रखने वाले आवेदकों के आवेदन ही निरस्त किये जाते हैं। योजना आवेदन निरस्त होने पर सभी श्रमिकों को तीन माह की अवधि में पुन: सुनवाई हेतु उच्चाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन अपील करने की सुविधा भी दी गई है। अपील में पात्रता पाई जाने पर नियमानुसार आवेदन स्वीकृत भी किये जाते हैं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र लाडपुर नहीं है, लाडपुरा है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): लाडपुरा ही कहा है मैंने।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि इन्होंने खण्ड (1) के उत्तर में यह बताया है कि 98 आवेदन आने के बावजूद शून्य आवेदक को लाभान्वित किया है।

खण्ड 2 में आपने यह बताया कि उक्त 98 में से 50 आवेदन निरस्त किये गये। ठीक है? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि शेष 48 को लाभान्वित क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार शेष 48 को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: आज आपको फुल छूट है। जितने प्रश्न पूछो, पूछ सकते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजा-महाराजाओं के कारण हमारी शोभा बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष: राजा-महाराजाओं के कारण ही आजादी मिली है। इसलिए इनको प्रश्न पूछने की आजादी है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्षजी, कुल 13 योजनाएं श्रम विभाग द्वारा चलायी जा रही हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में घोषणा की थी। उसके बाद पूरे राजस्थान में सर्वे किया गया। पात्र, अपात्रों की जांच की गयी। मैंने पहले कहा कि लगभग 133 करोड़ रुपये बांटे जा रहे हैं। 10 छोटी जो योजनाएं हैं श्रमिकों के कौशल विकास के लिए,

(श्री सुखराम विश्नोई)

श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, प्रशिक्षण सहायता के लिए, टूल किट के लिए, श्रमिकों के व्यवसाय एवं ब्याज के पुनर्भरण के लिए, सिलिकोसिस से पीड़ितों के लिए, निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को आई.टी.आई. प्रवेश में ट्यूशन फीस के लिए, निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय के लिए, निर्माण श्रमिकों के लिए अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय व राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पोषण। इस प्रकार से 10 योजनाओं के लिए राशि देने का कार्य चालू है। तीन योजनाओं के लिए राशि ज्यादा है। श्रमिक सुलभ आवास योजना, शुभ शक्ति योजना, हिताधिकारी श्रमिकों के सामान्य दुर्घटना की स्थिति में सहायता दी जाती है। उक्त 10 योजनाओं की राशि जब हम दे देंगे। उसके बाद में ये वाली चालू करेंगे। अभी 800-900 करोड़ हमारे पास हैं। करीब पौने दो सौ करोड़ बांटे गये हैं। जैसे ही उन योजनाओं के पूरे हो जायेंगे, उसके बाद इन तीनों के लिए चालू करेंगे। आने वाले साल में यह पूरी राशि दे दी जायेगी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्षजी, मैंने इन सारी योजनाओं के बारे में नहीं पूछा है। मेरा मूल प्रश्न केवल एक योजना के बारे में है, शुभ शक्ति योजना के बारे में। ये मुझे दूसरी योजनाओं के बारे में क्यों बता रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जानकारी देने के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मेरा मूल क्वेश्चन आप देखिए, वही है। फिर क्यों बता रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका प्रश्न यह है कि 98 आवेदन करने वाले थे।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्षजी, ये शुभ शक्ति के बारे में कह रही हैं। हम इनको जानकारी दे रहे हैं कि हम 10 योजनाओं का पैसा दे रहे हैं। जैसे ही इन 10 का पूरा हो जायेगा, उसके बाद शुभ शक्ति के लिए देना शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। इनका लिमिटेड प्रश्न है कि 98 आदमियों ने एप्लिकेशंस दीं। उनमें से एक भी आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है। आपके उत्तर से मैं यह समझ पाया हूं कि 50

(श्री अध्यक्ष)

आदमियों के आपने रिजेक्ट किये तो बाकी 48 जो बचे हुए हैं उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? यह इनका प्रश्न है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): शुभ शक्ति में पूरे राजस्थान में दिये गये हैं। 'पहले आओ, पहले पाओ' का हमारा आधार है। 50 जो आवेदन हैं, वे दूसरे विधान सभा क्षेत्र में आ गये होंगे। प्रायोरिटी के आधार पर बांटे गये हैं। हो सकता है कि 22-23 में दिये गये हों या 20-21 के हों। यह स्कीम तो 2017 से लागू है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, इसका मतलब यह है कि जो प्राथमिकता है, वह विधान सभावाइज नहीं है, वह डिस्ट्रिक्टवाइज है या स्टेटवाइज है, इसलिए यह प्रोब्लम आ रही है? अगर ये आपकी प्राथमिकता में नहीं आ रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता का आधार क्या है? विधान सभा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): स्टेट। स्टेट है तभी तो नहीं आ रहे हैं। स्टेटवाइज है।

श्री अध्यक्ष: फिर आप यह बोलो कि स्टेट की प्रायोरिटी में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको नहीं मिल पा रहे हैं। पूछें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): आपने जो निरस्त किये हैं उनमें से कितने आवेदन अपील में आये हैं? अपील की सुनवाई आपने कब की और अपील की सुनवाई के बाद आपने क्या निर्णय लिया? फिर मेरा एक और क्वेश्चन है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्षजी, तीन महीने के अन्दर अपील करने का अधिकार है। आवेदन खारिज होने का कारण आवेदकों का गृह निर्माण कार्यों में नियोजित नहीं होना है। जिला कलेक्टर्स द्वारा कराये गये सत्यापन में लगभग 25 परसेंट पंजीकरण श्रमिक निर्माण कार्यों में नियोजित नहीं पाये गये हैं। आवेदकों द्वारा अंशदान नियमित जमा नहीं होना, श्रम एवं नियोजन प्रमाण-पत्र सही नहीं होना है। कई बार श्रमिकों द्वारा एक-दूसरे को नियोजन प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है। पुत्री आवश्यक होना अथवा आठवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं होना, पुत्री का विवाहित नहीं होना।

अभी तक कोई भी अपील आपके यहां से नहीं आयी है। सिर्फ 50 आवेदन सही रखे गये हैं, बाकी जो खारिज हैं, उनमें किसी की भी अपील नहीं हैं, पेंडिंग नहीं है और न ही अपील की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत दुखद सिचुएशन है।

श्री अध्यक्ष: दु:खद नहीं है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): है।

श्री अध्यक्ष: प्रथम बार का विधायक और सीनियर मिनिस्टर, दोनों के बीच का संवाद हो रहा है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्षजी, यह योजना किसके लिए बनायी गयी है? आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिक परिवार की बेटियों और महिलाओं के लिए यह योजना है। तीन साल से आप आवेदन लेकर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, आरोप नहीं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): आपने एक को भी लाभान्वित नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि शेष 48 को आप कब लाभान्वित करेंगे और नहीं, तो क्यों?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्षजी, शुभ शक्ति योजना इनके कार्यकाल से बंद की हुई है। हमने बंद नहीं की है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: असत्य।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलो तो ठीक है और ये बोलें तो ठीक नहीं है। सुनने तो दो आप।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): असत्य क्यों? सही है। हम आश्वस्त करते हैं कि ये जो 10 योजनाएं हैं, इनकी पूरी राशि वितरण होने के बाद इन तीनों योजनाओं के लिए राशि देना शुरू कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय गर्ग साहब, उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): है, है। आपका भी सपोर्ट चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरा सपोर्ट है। चौथा प्रश्न अलाउ कर रहा हूं मैं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं पूरे राजस्थान का। मुझे बता दीजिए कि आपने इस प्रदेश के कितने लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित कर दिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लाडपुरा के बारे में ही पूछिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मैंने तो यही पूछा, लेकिन वह जवाब में पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रदेश का अगली बार देंगे। अभी लाडपुरा का पूछिये आप।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): कब तक देंगे? मैं यह पूछ रही हूं। स्पष्ट डैट बता ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वे यह बोल रहे हैं कि 48 आदमी, जिनको निरस्त कर दिया है, उन्होंने अपील नहीं की है। आपने उत्तर नहीं सुना। आप प्रश्न पूछने में लगे हुए हैं। 48 की एप्लिकेशंस दी हुई हैं। वह उनकी जांच करवा लेंगे और उनमें जो इल्लेजिबल होंगे, उनकी भी मदद कर देंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्षजी, जो 50 निरस्त हुए हैं, उनकी अपील के बारे में पूछा था और जो 48 बचे हैं, वह तो अपील में नहीं गये।

श्री अध्यक्ष: अपात्र को तो नहीं मिल पायेगा। अपात्र तो निकल गये। अपात्र के अलावा जो हैं, उनका रिव्यू कर दें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): 50 की नहीं पूछ रही मैं। जो 48 निरस्त नहीं हुए हैं, उनकी पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने अपील नहीं की है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अपील नहीं की है तो स्वीकृत क्यों नहीं कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, दुबारा बोल दें। माननीय गर्ग साहब, उनको उत्तर सुनने नहीं दे रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 48 पात्र बचे हैं, जैसे ही 10 योजनाओं की राशि पूरे राजस्थान में दे दी जायेगी, उसके बाद जो तीन बड़ी योजनाएं हैं, उनकी राशि देनी शुरू करेंगे। 'पहले आओ पहले पाओ' के हिसाब से आपको भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय गोपीचंद मीणा (अनुपस्थित)।

आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर के कार्मिकों का मानदेय

334. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) (श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर) के स्थान पर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भारत मिशन के तहत आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में

(श्री सी.पी. जोशी)

कार्यरत योग प्रशिक्षक एवं अन्य कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, आयुर्वेद के स्थान पर): आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसरण में संचालित किये जा रहे हैं। उक्त सेन्टर्स पर योग प्रशिक्षक महिला एवं पुरुष (पार्ट-टाइम) के मानदेय का निर्धारण आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: कितने आपके आयुष सब-सेंटर्स हैं और कितने पर कार्य कर रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट घोषणा 2 हजार थी, जो भारत सरकार ने दिये थे, उनमें से 01 हजार अभी हमारे चल रहे हैं। इनमें से 914 पर पुरूषों को नियुक्ति दे दी है व 823 पर महिला योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति दे दी है और 1,019 हमने भारत सरकार को आगे और भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा। आपकी वजह से आज देखो, पक्ष तो पहले से खुश था, आज विपक्ष भी खुश हो रहा है मंत्रियों के जवाब से, और आपके डायरेक्शन में सारा कितने सलीके से तय समय से सारा हो रहा है। एक चीज जरूर निकलकर आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार से सब लोग संतुष्ट नजर आये।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लेकिन यह भी नजर आया कि भारत सरकार में हमारे 25 सांसद हैं। भारत सरकार से जो सहायता है, वह कम मिल पा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्लीज।

माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने परिवर्तन किया प्रश्न पूछने का, जो मूल प्रश्नकर्ता है, उसको दो प्रश्न पूछने का और प्रतिपक्ष के नेता को एक प्रश्न पूछने का, प्रतिपक्ष के नेता को

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी ने अपाइंट नहीं किया है, इसलिये वह अपोर्चुनिटी आज मिस हो गयी, नहीं तो पूरा का पूरा प्रश्नकाल हो जाता और पूरे समय में मुझे खड़े होकर बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम इसी तरह से प्रश्नकाल को ज्यादा और इम्पोर्टेंट करें, जिससे सार्थक रूप से सरकार की जो योजना है, जिस आदमी को योजना का लाभ मिलना चाहिये, उसका लाभ मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन आवर पालिसी के सम्बन्ध में नहीं है। क्वेश्चन आवर स्पेसिफिक किसी चीज के रिड्रेसल के लिए है। मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा ने जो यह मापदण्ड स्थापित किये हैं कि जितने क्वेश्चंस हमारे लिस्टेड हो गये, उन लिस्टेड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस कर पा रहे हैं। यह परम्परा हमारी राजस्थान विधान सभा की रही। उसके लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

विनियोग व वित्त विधेयक पर सकारात्मक चर्चा करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

इसी तरह से आज जो डिबेट है, फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल की, मैं चाहता हूं कि वह डिबेट बहुत सार्थक हो। इसलिये, जो समय बचा हुआ है, उसका लाभ लेकर मैं माननीय सदस्यों से दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इसको नये सदस्य समझें, what is the importance of the Finance Bill and the Appropriation Bill? हम बजट पास करते हैं, डिमांड पास करते हैं और डिमांड्स पास करने के बाद हम एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल लाते हैं। इस एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में क्या चीज है, जिसको डिस्कस करना चाहिए, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसकी डिबेट के बारे में बताना चाहता हूं। दो-तीन चीजें हैं मुझे अन्यथा न लें। मैं पहले 154, एप्रोप्रिएशन बिल को कोट कर रहा हूं- "(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration." जो डिमांड हम ग्रांट में डिस्कस करते हैं, most of the time, हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ही ज्यादा डिस्कस करते हैं। उस डिमांड पर, जो पालिसी के सम्बन्ध में हैं, उस पर डिस्कशन कम होता है। इसलिए एप्रोप्रिएशन बिल

(श्री अध्यक्ष)

के समय भी अवसर मिलता है कि किसी भी विभाग की किसी की डिमांड की पालिसी के सम्बन्ध में हम ध्यान आकर्षित करना चाहें, जो अभी तक हम डिमांड में डिस्कस नहीं कर सके, उस पर डिबेट का पार्ट बनाया जा सकता है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि एप्रोप्रिएशन बिल पर ध्यान दिया जाए।

मुझे पूछा जाये तो एक बड़ा सब्जैक्ट है, जिस पर डिस्कस किया जाना चाहिये एजुकेशन को। कोरोना के कारण दो साल तक बच्चों को स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला। पढ़ने के लिए दो तरह से व्यवस्था की गयी। पहला, अध्यापक मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ायेगा। जिनके मां-बाप पढ़े-लिखे थे, उन्होंने अपने बच्चों की मदद की पढ़ाई के लिये, अध्यापक से मोबाइल के माध्यम से, पर जिनके मां-बाप पढ़े-लिखे नहीं थे, वे मां-बाप अपने बच्चे की मदद नहीं कर पाये। दो साल बाद वे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। आठवीं का बच्चा दसवीं में आया तो दसवीं में आज दो तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा वह, जिसके मां-बाप पढ़े-लिखे थे और मोबाइल के माध्यम से उन्होंने पढ़ने में मदद की। दूसरा बच्चा वह, जिसके मां-बाप पढ़े-लिखे नहीं थे, उस बच्चे की वह मदद नहीं कर पाये। वह बच्चा भी पढ़ रहा है तो क्लास में दो तरह के, बिलकुल अभी जितनी भी स्टडी आ रही हैं, उसमें उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसमें बहुत ज्यादा गैप हो गया, जो होना नहीं चाहिये था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना के कारण यह हो गया। दो तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। न एस.टी.सी., न बी.एड. के करिकुलम में हमने परिवर्तन किया। अब दो तरह के बच्चों की जो एजुकेशन है, इनके गैप को यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो वह दसवीं का एग्जाम देगा तो उसके पास होने की संभावना कम होगी। ड्राप आउट ज्यादा होगा। ड्राप आउट ज्यादा होगा तो इन बच्चों की जो पीढ़ी है, जो आज 14-15 साल की है, यह 20-25 साल के बाद यदि स्कूल से ड्राप आउट हो जायेंगे तो समाज के सामने बहुत समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। इसको हमने एजुकेशन की पालिसी में डिस्कस नहीं किया। हमने यह भी डिस्कस नहीं किया कि गांव में आपने देखा होगा, इस मोबाइल के कारण बहुत बड़ी विषमता पैदा हो रही है। जो मां-बाप पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको मालूम नहीं है कि इस मोबाइल में क्या चीजें हैं? कौन-कौनसी चीजें उपलब्ध हैं? गूगल के माध्यम से अच्छी चीजें भी उपलब्ध हैं और गूगल के माध्यम से नेगेटिव चीजें भी उपलब्ध हैं। जो मां-बाप पढ़े लिखे हैं, उस मोबाइल का उपयोग लेकर बच्चे को मदद कर रहे हैं और बच्चा आज ज्यादा वेल-इन्फोर्म्ड है, बनिस्बत कि पुरानी एजुकेशन के। उस गूगल के माध्यम से उस बच्चे के पास ज्यादा जानकारी है।

(श्री अध्यक्ष)

टीचर से भी ज्यादा जानकारी है। पेरेंट्स से भी ज्यादा जानकारी है। जो पहले वाली जनरेशन के पास नहीं थी, वह बच्चे के पास आज की डैट में उपलब्ध है। लेकिन इस मोबाइल में सारी नेगेटिव चीजें भी उपलब्ध हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। खास तौर से गांव का गरीब आदमी, जो वलनरेबल सैक्शन का मां-बाप है, उसे मालूम ही नहीं है कि बच्चा रात को मोबाइल पर क्या देख रहा है? उसके जो फाल आउट समाज के अंदर हो रहे हैं, उसकी अभी हमने कल्पना नहीं की, हमने चर्चा नहीं की है। आज ज्यादा आवश्यक है कि इस मोबाइल के माध्यम से, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसको सदन के अंदर चर्चा करें।

तीसरा एक मुद्दा, जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम पूरी गवर्नेंस को ई-गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन लाना चाहते हैं। आने वाले वर्षों में सारी गवर्नेंस ऑनलाइन से आयेगी। ऑनलाइन में आने के बाद उस ऑनलाइन की एप्लिकेशन गांव के वलनरेबल सैक्शन के आदमी को नहीं मालूम है कि मुझे कैसे ऑनलाइन एप्लिकेशन देनी है, तो हमने एक ऐवेन्यू खड़ा किया ई-मित्र का। ई-मित्र में हमने फीस प्रेस्क्राइब कर दी है, पर गांव के गरीब आदमी को उस फीस से ज्यादा फीस देनी पड़ रही है और ई-मित्र का जो लाभ मिलना चाहिये था, वह लाभ नहीं मिल रहा है। समाज में इतने बड़े तबके के लोग यदि ई-मित्र के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ई-गवर्नेंस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो उनका भी फाइनेंशियल एक्सप्लायटेशन होगा। यह ज्यादा आवश्यक है कि सदन में इन तरह की चीजों के सम्बन्ध में भी चर्चा की जाए। इसलिये अवसर उपलब्ध था, जो समय हमारे पास बचा हुआ है, उस समय में हम इस बात को समझें कि फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल में क्या चीज है, जिसमें डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं जिस तरह से एप्रोप्रिएशन बिल में कहा, ठीक उसी प्रकार फाइनेंस बिल के अंदर भी जो व्यवस्था है, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है कि फाइनेंस बिल के अंदर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं- "On a motion that the Finance Bill be taken into consideration, a member may discuss matters relating to general administration, local grievances within the sphere of the responsibility of Government of Rajasthan or monetary of financial policy of Government." यह फाइनेंस बिल के

(श्री अध्यक्ष)

डिबेट में डिस्कस करने का है। जब से भारत सरकार ने जी.एस.टी. लागू की है, जी.एस.टी. लागू होने के बाद जी.एस.टी. के पैसे के कलेक्शन का डिवोल्यूएशन होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंश में। जब स्टेट के अंदर डिवोल्यूएशन होता है तब फाइनेंस की व्यवस्था करने का जो नया कांसेप्ट भारत सरकार दे रही है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। पहले भारत सरकार स्टेट को पैसा डिवोल्व करती थी 90-10 या 50-50, जो भी करती थी, उसमें स्टेट का एक सेक्रेटरी एन.ओ.सी. दे देता था और उसको वह भारत सरकार ठीक मान लेती थी। अब नहीं है। अब जब तक आप नीचे के लेवल पर बेनिफिशियरीज की एन.ओ.सी. नहीं लाओगे, तब तक जो भारत सरकार का पैसा है, वह पूरा का पूरा डाइवर्ट होकर नीचे नहीं आयेगा। इसलिए जो फाइनेंस पहले अवेलेबल था स्टेट के पास, अब वह लिबर्टी अवेलेबल नहीं है।

एक नया कदम भारत सरकार उठा रही है। भारत सरकार कह रही है कि भारत सरकार की जो स्कीम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना है, उसके लिए एक अलग फण्ड खोला जाए। उस फण्ड को कंसोलिडेटेड फण्ड के अंदर उपयोग नहीं लिया जाए, जो अभी तक यह प्रेक्टिस रही है। यह भी एक आने वाले समय में स्टेट के फाइनेंस के मैनेजमेंट में बड़ी समस्या खड़ी होगी।

तीसरा, भारत सरकार जो सेस लगा रही है वह डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है। एक नई चीज समझने की आवश्यकता है कि डिविजिबल पूल का पार्ट जो भारत सरकार पेट्रोलियम और अन्य चीजों में सेस लगा रही है, उस सेस का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट में डिवोल्व नहीं होता है। उसके डिवोल्व नहीं होने से भारत सरकार का जो पैसा है, उसका पूरा का पूरा पैसा नीचे के लेवल पर नहीं आयेगा। मैं समझता हूं कि इस बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए।

एक बिन्दु जो बचता है 73वां और 74वां अमेंडमेंट, जिसमें हम पंचायत को एम्पावर्ड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज उसके अंदर डिवोल्व की जाएं। राजस्थान सरकार के अंदर सेक्रेटरीज होते हैं सरकार को चलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होता है, उनके नीचे और अधिकारी होते हैं। पंचायत के सरपंच को हमने अधिकार दे दिया, करोड़ों रुपयों का काम करता है, लेकिन पंचायत में काम करने वाला, जिसको ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक कहते हैं, उसके भरोसे हमने पूरा काम कर दिया।

डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा प्रश्न यह हो गया है कि इलेक्टेड आदमी, सरपंच

(श्री अध्यक्ष)

कांट्रेक्टर का काम करता है। यह और कोई स्थिति नहीं है। आप और हम एम.एल.ए. बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार की पालिसियां बनाते हैं। एक्जिक्युटिव का काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है, लेकिन डेमोक्रेसी में यह एक विचित्र स्थिति है कि चुना हुआ सरपंच ही काम करता है, एक्जिक्यूट करने का काम करता है। यह नीचे के लेवल पर जो जनता का प्रतिनिधि है, वह यदि गवर्नेंस के अंदर पेटी कांट्रेक्टर बन जायेगा तो डेमोक्रेसी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जायेगा। इसलिए इसका इम्पेक्ट इलेक्शन के अंदर आ रहा है। इलेक्शन के एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है। इस सम्बन्ध में भी चर्चा की जानी चाहिए।

अंत में, भारत सरकार और राजस्थान सरकार इंडिविजुअल बेनेफिशरीज का काम करती हैं। इंडिविजुअल बेनेफिशरीज को कोई आइडेंटिफाई कर सकता है तो वह कर सकता है वार्ड पंच। वार्ड पंच सबसे छोटी यूनिट का चुना हुआ आदमी है। उस वार्ड में यदि वह ठीक ढंग से इंडिविजुअल बेनेफिशियरीज को आइडेंटिटीफाई करे, बूढ़ा आदमी है या किसी तरह से विकलांग आदमी है या उसके पास मकान नहीं है, any individual scheme whether it is; भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की, उसका सही चयन करने वाला जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड पंच है। न एमएल.ए. है, न एम.पी. है, न मंत्री है, न मुख्य मंत्री है, न प्राइम मिनिस्टर है। यदि वार्ड पंच होशियार है तो ग्राम सभा में उन सब चीजों को रेक्टिफाई कराकर, उनके अधिकार के लिए उनको भारत सरकार से पैसा दिलवाने का काम कर सकता है। यह नहीं हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी में भी गरीब आदमी का नाम नहीं जाता। इंदिरा आवास योजना में भी गरीब आदमी का नाम नहीं जाता।

ये ऐसे बिन्दु हैं जिन बिन्दुओं पर फाइनेन्स बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर यदि हम डिबेट करें तो मैं समझता हूं कि क्वालिटी आफ गवर्नेंस को हम इम्प्रूव करेंगे। यह मेरे मन में कल्पना थी और मुझे आज अवसर मिला, समय मिल गया कि क्वेश्चन आवर समाप्त होने में समय बच गया तो मैंने लिबर्टी ली और आशा करता हूं कि जब आज हमारी डिबेट होगी तो इन बिन्दुओं पर भी ध्यान रखकर हम क्वालिटी आफ डिबेट को बढ़ायेंगे और राजस्थान की गवर्नेंस को अच्छा करेंगे।

माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में टोड़ी माल स्थित खसरा नम्बर 93, 97, 98 की भूमि का सीमा ज्ञान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय खोले जाने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मवडी गांव में हुई घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से उदयपुर में हुई घटना के अपराधियों को पकड़ने वाले नौजवानों को लाइसेंसधारी बंदूक व सरकारी नौकरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री नारायण बेनीवाल एवं श्री पुखराज, सदस्य की ओर से प्रदेश में राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने, बजरी की बढ़ी कीमतें एवं बजरी माफियाओं की मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश में राशन डीलरों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर परिलाभ दिए जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में गांव चक ढाणियों को जल जीवन मिशन योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पुजारियों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के डाकन कोटड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तोड़े गये कमरों की हाई-वे अथोरिटी द्वारा दी गई राशि ब्याज सहित दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वर्णकारों के लिए स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिये ऋण को जमा कराने की अवधि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का निराकरण कर रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(16) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में मीणा समाज की भूमि के राजस्व रिकार्ड में मीणा शब्द के स्थान पर रावत अंकित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की नगरपालिका कापरेन में निर्माणाधीन गोशाला में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(18) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा की शहरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के निजीकरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतनपुर में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से राजस्थान सिख बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य मूल प्रस्तावक श्री नारायण बेनीवाल, श्री रामलाल शर्मा, श्री जोराराम कुमावत, श्री फूल सिंह मीणा एवं श्री चन्द्रभान सिंह आक्या को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, अकाल राहत 20 तारीख को स्टेटमेंट देंगे। जिस तरह राजस्थान में फसलों में अंधड़ के कारण, बरसात के कारण नुकसान हो रहा है, उसके बारे में 20 तारीख को सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आयेगा। मंत्री जी, उस बारे में तैयारी करें जिससे चर्चा हो सके।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के सर्वे में बी.पी.एल.-ए.पी.एल. धारकों को अपात्र घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओलावृष्टि, तेज अंधड़, बेमौसम बरसात से हुए फसल खराबे का किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से राज्य में विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नवीन विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 01 देखें।)

माननीय सदस्य, 5 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेन्स बिल पर जवाब देंगे। 4 बजे प्रतिपक्ष के जो मुख्य वक्ता हैं, वे अपनी बात कहेंगे। उसके पहले प्रतिपक्ष और पक्ष अपने समय का निर्धारण इस तरह से करे कि हम 4 बजे प्रतिपक्ष के मुख्य वक्ता की तरफ से डिबेट को सुन सकें और 5 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दे सकें।

श्री नारायण बेनीवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

(1) राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने (2) बजरी की बढ़ी कीमतें एवं (3) बजरी माफियाओं द्वारा कारित मनमानी

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान पत्रिका में 'राजस्थान में सर्वाधिक टोल कोरोना काल समय, हर साल बढ़ रहा है टोल संग्रह'।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिनको जाना है वे आराम से शांतिपूर्वक जाएं। माननीय सदस्य, बोलें। प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): जब कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले वह रोड टैक्स के रूप में 7-8 परसेंट से लेकर 10 परसेंट तक जमा कराता है। फिर भी उसको टोल टैक्स के रूप में हर दिन कोई न कोई भुगतान करना पड़ता है। राज्य राजमार्गों की सड़कों की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि टोल लें। मैं आपके माध्यम से सरकार का एक तो यह ध्यानाकर्षित करूंगा कि राजस्थान में राज्य राजमार्ग जो हैं, उनको टोल मुक्त घोषित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, प्रदेश में बजरी की दरें और बजरी माफियाओं के जो हालात हैं, उससे आम जन पीड़ित है। आज बजरी की रायल्टी सारे टैक्स मिलाकर सिर्फ 52 रुपये है। उसके बावजूद 500 रुपये प्रति टन लेकर जिस तरह से इस सदन में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जुगलबंदी बजरी माफियाओं को लेकर दिखाई दी, उससे आम जन त्रस्त है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जब आज मुख्य मंत्री जी वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर उत्तर देंगे तो इसके अंदर बजरी की जो दरें राजस्थान के अंदर हैं, वे कम की जाएं। जो माफिया हैं, जो आये दिन अख़बार के अंदर खबरें छपती हैं, कल ही बहुत बड़ी खबर राजस्थान पत्रिका में छपी, देखो माफिया, अवैध खनन का विरोध तो हत्या, ट्रैक्टर चढ़ाकर युवक को मारा। आज सैकड़ों लोगों को इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करूंगा कि बजरी की

(श्री नारायण बेनीवाल)

दरें कम की जाएं और माफिया पर नकेल कसी जाए। प्रदेश का आम जन सत्ता पक्ष के लोगों से उम्मीद लगाये बैठा है। यह अंतिम बजट है, तो मुख्य मंत्री जी जरूर इसमें राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त घोषित करें और बजरी की जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको कम से कम करके जनता को राहत दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

पुजारियों के साथ घटित आपराधिक घटनाएं

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 50 में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि विगत कई वर्षो में चाहे करौली की घटना हो, जयपुर की घटना हो, राजसमन्द की घटना हो, कई पुजारियों को आत्मदाह करना पड़ा, कई पुजारियों को जिंदा जलाया गया। इनका मुख्य कारण यही है कि इन मंदिरों की बेशकीमती जमीनों के ऊपर या तो अतिक्रमण करने या कब्जा करने को लेकर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से कब्रिस्तान की जमीन हो, दरगाह की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, इनके विवादों के निस्तारण के लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसी तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर भी इन मंदिरों की बेशकीमती जमीनों को बचाने के लिए, इनके विवादों के निस्तारण के लिए एक ट्रिब्यूनल बने, ताकि उनके सारे के सारे विवादों का निस्तारण उस ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वास्तविकता में इन जमीनों के विवादों के कारण, कहीं एस.डी.एम. के यहां विवाद विचाराधीन हैं, कहीं आर.ए.ए. के यहां विवाद विचाराधीन हैं, कहीं रेवेन्यु बोर्ड के अंदर विवाद विचाराधीन हैं। इन विवादों का निस्तारण हो नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जब तक यह ट्रिब्यूनल नहीं बने तब तक पुजारी प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर आये, ताकि इस तरीके से मंदिरों की जमीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए पुजारियों के साथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं पर अंकुश लग सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज का निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज निर्माण कार्य की स्वीकृति 31.08.2015 को जारी हुई थी, जिसमें 38.41 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। 27.10.2017 को कार्य प्रारम्भ हुआ, 26.04.2019 को कार्य पूर्ण करने की अवधि थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य स्वीकृत हुए 8 वर्ष हुए, कार्य प्रारम्भ हुए 6 वर्ष हुए, कार्य पूर्ण करने की अवधि खतम हुए भी 4 वर्ष हो गये, लेकिन विभाग की लापरवाही से अभी वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इससे आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओवरब्रिज का कार्य अपूर्ण होने से आम जन को अपने वाहनों को जवाई नदी के पुल के नीचे कपूरियावाला के नीचे होकर निकालना पड़ता है। वहां पर दो-दो फीट पानी भरा रहता है, जिससे वाहनों को आने-जाने में बहुत तकलीफ होती है। कई बार वाहन धंस जाते हैं, कई बार अंदर डूब भी जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंडरब्रिज का तो अभी तक काम भी चालू नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम आठ साल से पूरा नहीं हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने की कार्यवाही करावें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में डाकण कोटड़ा राजकीय उच्च प्रथामिक विद्यालय के तोड़े गये कमरों की मुआवजा राशि

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 50 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय, डाकण कोटड़ा के 4 कक्षा कक्ष नेशनल हाईवे में आ गये थे और उनको सात साल पहले तोड़ दिया गया था। उसकी 17,07,629 रुपये मुआवजा राशि तय की गयी। उन्होंने जिला कलेक्टर को वह राशि अदा कर दी। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग, बीकानेर को दे दिया, मगर 7 साल बाद भी वे पैसे उस विद्यालय को नहीं मिले हैं। इस उच्च प्राथमिक विद्यालय के

(श्री फूल सिंह मीणा)

पास में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें दस कमरे हैं। उन दस कमरों में भी तीन क्षतिगस्त हैं, जिनमें बरसात के दिनों में बैठ नहीं सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चे कैसे बैठते हैं इसको मैं बताना चाहता हूं, वे आज भी बरामदों में और बाहर बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे 17,07,629 रुपये उस विद्यालय को देंगे तो कम से कम कक्षा कक्ष वहां बनेंगे और बच्चों को सुचारु रूप से वहां पर अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राशि को रोकने में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी रही है, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा की विद्युत व्यवस्था का निजीकरण

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चित्तौड़गढ़ जिले में दो विधान सभा क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा। दोनों में ही गुड़गांव की एक प्राइवेट कम्पनी, एस.बी.एल. इलेक्ट्रिक को बिजली के सभी तरह के कार्यों, स्मार्ट मीटर लगाने, बिल बनाने का, नये कनेक्शन देने का, लाइन हटाने का ठेका दे दिया है। वहां पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे वहां के लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से आज बजरी माफिया और दूसरे माफिया हैं, उसी प्रकार के माफिया आने वाले दिनों में बिजली विभाग में भी हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बिजली विभाग को प्राइवेट बिजली कम्पनियों को न दें। वहां गुड़गांव की जिस एस.बी.एल. कम्पनी को ठेका दिया जा रहा है, वो पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। उस कम्पनी को ठेका देने से और प्राइवेट देने से हमारे उपभोक्ताओं से वे अंधाधुंध वसूली होगी, परेशानी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके तहत आप प्राइवेट में न दें इसको सरकारी ही रखें, इसकी टेंडर प्रक्रिया न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सरूपगंज के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनियमितताओं पर कार्यवाही

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी विद्यालय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरूपगंज द्वारा सत्र 2019-20 में उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय विद्यालय द्वारा मानक पूरे किये जाने के आधार पर एवं निदेशक महोदय की अंतिम अनुशंषा के आधार पर उक्त विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता दिनांक 15.10.2019 से जारी की गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्रांक 2257-2265 दिनांक 22.04.2022 के अनुसार उक्त विद्यालय को आदेश दिनांक 29.03.2004 द्वारा भूमि आबंटित की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 22.04.2022 द्वारा निरस्त किया गया। यह निरस्तीकरण आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट याचिका 10356/2020 के अध्यधीन रखा गया। इसके अनुसार 29.03.2004 से 22.04.2022 तक भूमि पर आदर्श शिक्षा समिति का स्वामित्व था एवं भूमि सम्बन्धी वाद भी 2020 में (मान्यता जारी होने के उपरान्त) दर्ज हुआ। वर्तमान में उक्त भूमि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश दिनांक 22.04.2022 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज है। उक्त आदेश की प्रतिलिपि के बिन्दु संख्या 04 में तहसीलदार, पिण्डवाड़ा को भेजकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज करने एवं उक्त भूमि मय उस पर संनिर्मित संरचनाओं आदि सहित कब्जा प्राप्त कर पालना 07 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु कार्यालय द्वारा करवाई गई जांचों के दौरान भूमि पर विद्यालय संचालित होना पाया गया।

मान मानकों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता के अभ्यावेदन के आधार पर जांच क्रमश: पी.ई.ई.ओ., सरूपगंज एवं पी.ई.ई.ओ., आंवल की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई, जिसमें मान्यता के मानदंडों सम्बन्धी अपूर्णता पायी गई। साथ ही विद्यालय को 10.04.2019 को 01 वर्ष हेतु जारी भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का दिनांक 30.12.2022 को निरस्तीकरण किया जाना पाया गया।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

निजी विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर, उ.प्रा.वि., सरूपगंज के मान मानक पूर्ण नहीं होने से मान्यता समाप्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की गई-

1. विद्यालय के मान मानकों के सम्बन्ध में की गई शिकायत की प्रारम्भिक जांच के आधार पर मान्यता समाप्ति नियम 8 (ख) के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक जिशिअ/मु/प्रा/शिक्षा/सि/निजी/2022-23/1289-97 दिनांक 13.01.2023 के द्वारा नोटिस जारी किया गया।

2. संस्था द्वारा उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर पत्रांक 57 दिनांक 31.01.2023 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रत्युत्तर का कार्यालय स्तर पर विवेचन उपरान्त उच्च स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्र व्यवहार किया गया। संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने से संस्था की मान्यता वापस लिए जाने हेतु शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधियों का समाविष्ट करते हुए पांच सदस्यों की एक समिति का गठन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक जिशिअ/मुप्राशि/आरटीई/2023, दिनांक 16.03.2023 को किया गया है।

3. उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. गैर सरकारी विद्यालयों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता वापस लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 8 (ख) की प्रति संलग्न है।

5. बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित स्थिति के विवेचन एवं प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह स्पष्ट है कि आलोच्य प्रस्ताव में उल्लिखित गैर सरकारी विद्यालय आदेश विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर, उ.प्रा.वि., सरूपगंज की उ.प्रा.वि. के रूप में विभाग द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियमों के नियम 8 (ख) में उल्लिखित कार्यवाही प्रक्रिया के अनुसार ही विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। भूमि निरस्तीकरण माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में जिला कलेक्टर के आदेश प्रभावी होंगे।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। यह तरीका नहीं है। I will name You. यह कोई तरीका नहीं है कि आप इम्पोज करें अपना। क्या आपने लिखकर दिया? आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लिखकर भेजें न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 में पी.ई.ई.ओ., सरूपगंज और पी.ई.ई.ओ., आंवल, दो प्रधानाचार्यों की कमेटी ने जांच कर ली। विद्यालय की मान्यता गलत तथ्यों पर ली गयी, यह जांच रिपोर्ट में आ गया। विद्यालय की भूमि की सूचना असत्य पायी गयी, यह जांच रिपोर्ट में आ गया। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, सर्वथा असत्य है, यह रिपोर्ट में आ गया। उसके बाद आपके जिला शिक्षा अधिकारी ने 13 जनवरी को स्कूल को नोटिस दे दिया, 7 दिन में स्पष्टीकरण मांग लिया कि आपकी मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।

जिस संस्था के सचिव ने ये सारे असत्य तथ्य प्रस्तुत किये, उसे भी नोटिस दे दिया कि आपने आई.पी.सी. की धाराओं का उल्लंघन किया है, कपटपूर्ण एवं दुर्व्यपदेशन से आपने यह मान्यता प्राप्त की है। क्यों न आपके खिलाफ आई.पी.सी. का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? न तो आई.पी.सी. का मुकदमा दर्ज किया गया, न उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद, नोटिस देने के बाद, स्पष्टीकरण मांगने के बाद, तीन महीने बाद भी आज तक मान्यता वापस नहीं ली गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि ऐसे स्कूल की मान्यता इसी सदन में निरस्त करें और जिन लोगों ने यह आई.पी.सी. का आफेंस किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर नियम 8(ख) आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, पढ़ लिया मैंने।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): उसमें साफ दिया हुआ है कि पांच आदमियों की एक कमेटी जो गठित कर दी गयी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सीधा प्रश्न है। आपने 16 मार्च को कमेटी को... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अब इसकी रिपोर्ट आते ही जो भी कार्यवाही सजेस्ट की जायेगी, वह तत्काल कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री शंकर सिंह रावत।

कोटड़ी ग्राम (रायपुर-पाली) में फर्म मेहाई ग्रुप एंड एडवेंचर को भूमि आबंटन नहीं किया जाना

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. ग्राम कोटड़ी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 286/273, 74 व 101, कुल अतिक्रमित रकबा 0.1890 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. पहाड़ की भूमि पर श्री राजेन्द्रसिंह चारण पुत्र जयसिंह, जाति चारण, निवासी ब्यावर द्वारा जिप लाइन एडवेंचर लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर उप तहसीलदार, सेन्दड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण संख्या 351/2023 दायर कर दिनांक 13.02.2023 को जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली आदेश जारी किया गया। उक्त अतिक्रमी द्वारा दिनांक 16.02.2023 को उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष उपस्थित होकर 7 दिवस में स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत निवेदन किया गया।

2. प्रोपराइटर, मैसर्स मेहाई ग्रुप एंड एडवेंचर, नीलकण्ठ महादेव, सेन्दड़ा द्वारा जिप लाइन एडवेंचर की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभागों से आवेदित अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जनहित व सुरक्षा के मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए जांच प्रतिवेदन चाहा गया है, जो प्राप्त होने से शेष है। उक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षण किये जाने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रकरण में उल्लिखित भूमि, राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है, विषयक सन्दर्भ में उक्त भूमि आबंटन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय को किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है एवं न ही पूर्व में ऐसा कोई आवेदन पत्र विचाराधीन होना पाया गया है।

4. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र जेठूसिंह, जाति चारण, निवासी ब्यावर द्वारा उक्त भूमि पर जे.सी.बी. लगाकर लोहे के खम्भे, सीमेन्ट का स्ट्रक्चर एवं कैबिन को ध्वस्त कर तोड़फोड़ के सम्बन्ध में दिनांक 06.03.2023 को श्री शंकरसिंह रावत, माननीय विधायक एवं उनके पुत्र बलबीर, सुरक्षा गार्ड राजेन्द्रसिंह, बजलीतसिंह सहित अन्य लोगों के विरुद्ध पुलिस थाना सेन्दड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0059/2023 दर्ज करवायी गयी है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह ग्राम, जहां पर नीलकण्ठ महादेव मन्दिर के आस-पास की भूमि है, यह पांच गांवों की आस्था का केन्द्र है और उन्हीं की जमीन है। मेरा कोई व्यक्तिगत लेना-देना नहीं है। वहां इस मन्दिर में जिस प्रकार से रोप-वे लगाने के बाद अवैध गतिविधियां शुरू हुई उससे आने-जाने वाले लोगों ने उस बी.डी.ओ. को देखा। इस प्रकार से अवैध हथियारों को ऊपर घुमाना और महिलाओं के साथ शराब पीकर इस प्रकार की डांस पार्टियों का वीडियो वायरल होने के बाद में गांव वालों में रोष पैदा हो गया।

उन्होंने कहा, एम.एल.ए. साहब, यह महाराज जब यहां आया, तब आप भी थे। आपने इन्हें 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखकर जो बैठाया, वह एक तो हमें स्टाम्प वापस दिलाएं और महाराज को भगाएं। मैंने कहा, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, आप लोगों की जगह है, आप जाइये। इन्होंने कहा कि आप स्वयं चलेंगे साथ में तो ही हम मानेंगे, अन्यथा आपको भी हम महाराज की तरफ ही मानेंगे। महाराज की गतिविधियों को देखते हुए मेरा इतना निवेदन है कि उनकी अवैध गतिविधियों की जांच करवायी जाए।

इनके द्वारा गांव वालों को 500 रुपये का स्टाम्प जो उन्होंने ले रखा है, उसे वापस दिलाया जाए। जिस प्रकार महाराज के पास अवैध हथियार होने की सूचना है और चार लोग जो संचालन कर रहे हैं, उनके पास भी ऊपर लहराने वाले हथियार जो हैं, उनकी जांच होनी चाहिये। महाराज का असली नाम क्या था, कौन-से गांव से हैं, पहले से कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं राजेन्द्रसिंह और महाराज के खिलाफ, उनकी भी थोड़ी जांच हो जाए। गांव वालों के लिए इतना ही निवेदन है कि इस ग्रुप को किसी प्रकार की भूमि का आबंटन, लीज, परमिशन की अनुमति न दी जाए, क्योंकि वहां पर जनहानि होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपने जवाब में लिखा है कि 16.02.2023 को उप खण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष उपस्थित होकर 7 दिवस में स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटाने का लिखा है। उसके बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हट रहा है तो विभाग क्या कर रहा है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 16.02.2023 को उप खण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर तकनीकी रूप से मशीनें वगैरह उसने हटवा ली थीं, बाद में उसने 7 दिन का टाइम मांगा

(श्री रामलाल जाट)

था। 7 दिन का टाइम मांगने के बाद जिला कलेक्टर, पाली से मैंने खुद ने भी चर्चा की। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी चर्चा करके जो रिपोर्ट दी है, उसमें वह 3 छप्पर हटा नहीं पाया। वीडियो की बात सही है, वीडियो वगैरह जो वायरल हुए हैं, वे मैंने भी देखे। वे थोड़े आपत्तिजनक हैं। छोटे बच्चे के साथ शराब की बोतल वगैरह है, वह आफिशियल जांच में आयेगी। ऐसी चीजें आने से स्वाभाविक है कि लोगों में महाराज के प्रति आक्रोश भड़का। उससे पहले महाराज को स्थापित करने में माननीय विधायक जी की भूमिका रही है। उन्होंने खुद ने भी स्टाम्प लिखा।

श्री अध्यक्ष: उस समय इन्हें ध्यान नहीं था उनके चरित्र के बारे में।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जैतारण वाले विधायक जी ने भी स्टाम्प लिख दिया। उन्होंने भी साइन कर दिये। जनता का जब आक्रोश आया तो आई.पी.सी. में मुकदमे दर्ज हो गये। फिर भी माननीय विधायक जी ने ध्यान दिलाया और आपने जो डायरेक्शंस दिये, जैसी आप गम्भीरता देख रहे हैं इसकी, हम उस जमीन को कोई अलाट नहीं कर रहे हैं और अलाट होगी भी नहीं, जिला कलेक्टर ने भी हमें आश्वस्त किया है। हम उन्हें इस चीज के लिए और कह देंगे।

पहले गुजरात के मोरबी में झूले के गिरने से कई लोग मर गये। अभी सामोद में भी ऐसी घटना हुई। ऐसी कोई गतिविधि हम वहां नहीं होने देंगे। यह आपको आश्वस्त करते हैं। रही बात जांच की, स्टाम्प वगैरह, यह तो पुलिस की कार्यवाही है। आप भी उसमें रिपोर्ट दें। हम जिला कलेक्टर को कहेंगे, उसके आधार पर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री सुभाष पूनिया।

विजयनगर तहसीलदार द्वारा कोरोना काल के समय रसद सामग्री की अनुपलब्धता

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा विषयगत प्रस्ताव में अवगत करवाया गया है कि अति. मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह (मानवाधिकार/ग्रुप14) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक

(श्री रामलाल जाट)

11.02.2022 द्वारा प्रार्थी श्री अनिल जुनेजा, अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण शिकायत विरुद्ध श्रीमती स्वाति झा, तहसीलदार, विजयनगर जिला कलेक्टर, अजमेर कार्यालय को प्राप्त हुई।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि लाकडाउन प्रथम कोविड काल अवधि में रसद की मांग की गई, जिसमें श्रीमती झा द्वारा किराने की दुकान बताई गई एवं प्रार्थी को सम्पन्न बताते हुए भाई के मकान के बाहर खड़ा कर पर्याप्त रसद नहीं मिलने के बाद भी खारीतट नाम का स्थानीय पैम्फ्लेट समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पत्रकार से मिलीभगत कर कि प्रार्थी एवं उसके रिश्तेदार सम्पन्न हैं, यह छपवाया गया। प्रार्थी ने अपने मकान के किरायेनामा की कापी तहसीलदार, विजयनगर को दिखानी चाही तो सोशल डिस्टेंसिंग, असत्य शिकायत एवं बंद करवाने को कहा गया।

प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी, मसूदा को जांच कर जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर, अजमेर को भिजवाये जाने हेतु लिखा गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार लाकडाउन कोविड प्रथम के दौरान परिवादी द्वारा खाद्य सामग्री की मांग करने पर तहसीलदार, विजयनगर द्वारा प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, विजयनगर को परिवादी की जांच कर राहत सामग्री प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये। परिवादी द्वारा दिनांक 30.03.2020 व 01.04.2020 को फूड पैकेट उपलब्ध कराने हेतु पुनः तहसीलदार, विजयनगर को दूरभाष पर निवेदन करने पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका विजयनगर द्वारा परिवादी को राहत सामग्री प्रदान कर दी गई है।

परिवादी द्वारा बार-बार राहत सामग्री हेतु मांग करने पर तहसीलदार, विजयनगर के द्वारा स्वयं के स्तर से जांच करने पर पाया गया कि परिवादी राहत सामग्री हेतु पात्र नहीं हैं, परिवादी की स्वयं की किराने की दुकान है एवं परिवादी के घर में राशन उपलब्ध था व परिवादी के पिता राजकीय कर्मचारी थे तथा भाई राजकीय व्याख्याता है, परिवादी स्वयं ए.पी.एल. राशन कार्डधारी है। इस प्रकार परिवादी द्वारा तत्समय की गई शिकायत सारहीन एवं असत्य पाई गई है।

जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा अवगत करवाया गया है कि निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक 11177 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा श्रीमती स्वाति का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार, सूरजगढ़ के पद पर किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती स्वाति ने दिनांक

(श्री रामलाल जाट)

18.08.2022 को तहसीलदार, सूरजगढ़ के पद पर कार्यग्रहण किया। श्रीमती स्वाति तहसीलदार द्वारा तहसीलदार, सूरजगढ़ के पद पर कार्यग्रहण के बाद उनके विरुद्ध ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उल्लिखित विषयक शिकायत आमजन से प्राप्त नहीं हुई है तथा जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं कार्यालय में भी इस सम्बन्ध में तहसीलदार, सूरजगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि तहसीलदार, विजयनगर द्वारा रसद उपलब्ध नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में उक्त विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई भी काश्तकार फसल खड़ी होती है और जब जाता है तो कहते हैं कि फसल कटने के बाद ही सीमाज्ञान या पत्थरगढ़ी हम करेंगे। फसल के दौरान कभी नहीं करते। यह अख़बार में भी आया है और खुद उन्होंने स्वीकार भी किया है तथा कलेक्टर साहब को मैंने खुद दूरभाष पर बताया और उनको कापी भी भेजी है तथा मैं खुद मिलकर आया हूं। 16 फरवरी को इन्हीं तहसीलदार जी ने 5-5 फीट गेहूं की फसल खेत में खड़ी है उस दस बीघा फसल को रौंदने का काम किया है और रास्ता खोला है जबकि एक महीने बाद ही खोल सकते थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप रसद के बारे में कर रहे हैं। आपने रसद के बारे में लिखा है और आप रेवेन्यु पर आ गये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): रसद नहीं, झुन्झुनूं के लिए भी लिखा है मैंने।

श्री अध्यक्ष: आपके पास लिखा है कि रसद नहीं पहुंचाई, उसके सम्बन्ध में आपका है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, साथ-साथ मैंने यह झुन्झुनूं का भी दिया है। सूरजगढ़ का भी बताया है मैंने।

श्री अध्यक्ष: आप रसद वाले पर बोलें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): इस तरह की उसकी शिकायतें हैं। हो सकता है कि वहां पर खुर्द-बुर्द कर दिया होगा उनकी जांच में, लेकिन मैंने खुद जब कलेक्टर साहब से कहा। जबकि यह सीधा जवाब में आया है कि कलेक्टर साहब ने कोई शिकायत नहीं आयी, उसके लिए निवेदन कर रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने लिखा है रसद लाकडाउन के समय नहीं दी। यह लिखा हुआ है तो जमीन का कहां बोल रहे हैं आप, उस पर पूछें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): हां, यह लिखा है। उसमें जवाब में यह आया है न।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने लिखा है कि सरकारी कर्मचारी था, इसलिए परिवादी की शिकायत को गलत पाया गया। आपके पास तथ्य सही हैं तो बताओ।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मैंने यह कहा है कि उसके बाद भी ये अनियमिताएं बरत रहे हैं और उसी तरह का व्यवहार काश्तकारों से हो रहा है। यह नीचे मैंने लिखा है, साहब, और यह बाकायदा जवाब में आया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं?

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मैं यह चाहता हूं कि जहां-जहां भी वे रही हैं, मैं जो आरोप लगा रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मतलब आप तहसीलदार के व्यवहार से खुश नहीं हैं?

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): तहसीलदार की जांच करवायी जाए इन तथ्यों के ऊपर।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है। माननीय मंत्री जी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने ही कह दिया कि माननीय सदस्य ने रसद का लिखा, लेकिन नया क्वेश्चन आया है तो हम इसकी जांच करवा लेंगे। लिखित में जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि मेरे पास झुन्झुनूं की कोई रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य गम्भीरता से कोई बात कह रहे हैं तो तहसीलदार के सम्बन्ध में आप अपनी जांच करवाकर माननीय सदस्य के साथ मिल लें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): मैं अलग से इनसे मिल लूंगा। आप मेरे पास आफिस में आ जाना, आप लिखित में दे देना, मैं जांच करवा दूंगा।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): कब आऊं, सर?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

समिति के प्रतिवेदन, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 12 से 14)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2022-23 के निम्न तीन प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2016-17 में समाविष्ट राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर समिति का 12वां प्रतिवेदन;

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर समिति का 13वां प्रतिवेदन; एवं

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2016-17 में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर समिति का 14वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 120 से 129, 131 से 143, 145 व 147 से 154)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2022-23 के निम्नांकित 32 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 2.1 से 2.7 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 120वां प्रतिवेदन;

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.6 परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 121वां प्रतिवेदन;

(3) जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 245वें प्रतिवेदन (परिवहन विभाग से सम्बन्धित) में समाविष्ट सिफारिशों की

(श्री संयम लोढ़ा)

परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 122वां प्रतिवेदन;

(4) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.2, 3.3 एवं 3.10 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 123वां प्रतिवेदन;

(5) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.1 पशुपालन विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 124वां प्रतिवेदन;

(6) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.7 जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 125वां प्रतिवेदन;

(7) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.8, 3.9 एवं 3.10 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 126वां प्रतिवेदन;

(8) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन) वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 3.2 सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 127वां प्रतिवेदन;

(9) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.1 कृषि विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 128वां प्रतिवेदन;

(10) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.2 सहकारिता विभाग एवं उद्यान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 129वां प्रतिवेदन;

(11) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.5 भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 131वां प्रतिवेदन;

(12) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व एवं

(श्री संयम लोढ़ा)

आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 के अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.4 भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 132वां प्रतिवेदन;

(13) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अध्याय पंचम में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 5.1 से 5.13 वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क) विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 133वां प्रतिवेदन;

(14) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद संख्या 5.1 से 5.3 वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क) विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 134वां प्रतिवेदन;

(15) जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 249वें प्रतिवेदन (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से सम्बन्धित) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 135वां प्रतिवेदन;

(16) जन लेखा समिति, वर्ष 2018-19 (14वीं विधान सभा) के 296वें प्रतिवेदन (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से सम्बन्धित) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 136वां प्रतिवेदन;

(17) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद संख्या 2.1 से 2.7 बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 137वां प्रतिवेदन;

(18) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन) वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 7.10 एवं 7.11 जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 138वां प्रतिवेदन;

(19) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन) वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 3.1 वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 139वां प्रतिवेदन;

(20) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 1.2.3 वित्त विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 140वां प्रतिवेदन;

(श्री संयम लोढ़ा)

(21) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 141वां प्रतिवेदन;

(22) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 2.1, 3.5 एवं 3.6 सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 142वां प्रतिवेदन;

(23) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 2.3.4.1 स्वायत्त शासन विभाग एवं वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 143वां प्रतिवेदन;

(24) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 2.1 खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 145वां प्रतिवेदन;

(25) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन) वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 7.5 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 147वां प्रतिवेदन;

(26) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखा परीक्षा) वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 7.7, 7.8 एवं 7.9 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 148वां प्रतिवेदन;

(27) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 1.7 आपदा प्रबन्धन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा, तकनीकी शिक्षा, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 149वां प्रतिवेदन;

(28) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.3 वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 150वां प्रतिवेदन;

(29) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 1.10.4 श्रम एवं नियोजन विभाग, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, वित्त विभाग, गोपालन विभाग एवं सार्वनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 151वां प्रतिवेदन;

(श्री संयम लोढ़ा)

(30) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.1 स्वायत्त शासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यातायात विभाग, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, कृषि विभाग एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 152वां प्रतिवेदन;

(31) जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20 (15वीं विधान सभा) के 40वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 153वां प्रतिवेदन; एवं

(32) जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 232वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 154वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री विनोद कुमार।

प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 6)

श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से युवा मामले एवं खेल, खादी एवं ग्रामोद्योग, गृह एवं नागरिक सुरक्षा, जन अभाव अभियोग निराकरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण, नागरिक उड्डयन, देवस्थान, अल्पसंख्यक मामलात, मंत्रिमण्डल सचिवालय, कृषि, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, गोपालन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा (कृषि), सिंचित क्षेत्र विकास, सैनिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, वन, वित्त, कृषि विपणन, चिकित्सा शिक्षा, वक्फ, कारागार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत शिक्षा, इन्दिरा गांधी नहर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जल संसाधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधि एवं विधिक कार्य, परिवहन, ग्रामीण विकास, गृह, सूचना एवं जन सम्पर्क एवं सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: पहली बार आपने खड़े होकर बोला है, बधाई हो आपको।

विधायी कार्य, विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2023.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

व्यवस्था

वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पर एक साथ विचार एवं उठाये जाने वाले विषयों की प्रासंगिकता

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा होगी।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि सदन में राजस्थान वित्त विधेयक व राजस्थान विनियोग विधेयक पर कुछ वर्षों से एक साथ चर्चा की जाती रही है। आज भी इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यों को वित्त विधेयक व विनियोग विधेयक के पारण की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी। जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान वित्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें वित्त विधेयक के विचारार्थ लिए जाने के स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। वे माननीय सदस्य वित्त विधेयक के पारण की स्टेज पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

माननीय सदस्यगण, वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पर सदन में प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद करने का पूरा अधिकार है। अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था है, जिस पर सदन में विचार किया जाएगा। इससे पूर्व बजट की प्रथम अवस्था पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। उसके पश्चात् द्वितीय अवस्था बजट पर अनुदान की मांगों पर सदन में वाद-विवाद के दौरान भी सदस्यों ने अपने

(श्री अध्यक्ष)

विचार प्रकट किये हैं। उसके पश्चात् अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था में सदस्यों को विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का अवसर उपलब्ध रहता है। लेकिन हमें यह देखना है कि सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान तथा अनुदान की मांगों पर विचार के समय जिन विषयों को उठा दिया गया हो, उनकी पुनरावृत्ति न की जाए।

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का क्षेत्र लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अंतर्निहित नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहता है जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों, जबकि संगत अनुदानों की मांगें चर्चाधीन थीं। विभिन्न अनुदान की मांगों से सम्बन्धित वाद-विवाद के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी हो, ये मुद्दे विनियोग विधेयक पर चर्चा की विषय-वस्तु नहीं बन सकते हैं।

वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली शिकायतों या सरकार की वित्तीय नीति से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, सरकार की नीति की समीक्षा कर सकते हैं, जिनके कारण कोई घाटा हुआ हो। संक्षेप में सारे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है, परन्तु उन प्रश्नों को पुनः नहीं उठाया जा सकता, जिन पर पहले वाद-विवाद में चर्चा हो चुकी हो।

यह मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि हम सारगर्भित चर्चा करें तो माननीय सदस्य इन सब बिन्दुओं का ध्यान रखें।

जो अपनी परम्परा रही है उसमें पहले खण्डश: पास कराते हैं और फिर थर्ड स्टेज पर चर्चा कर लेंगे। माननीय मंत्री जी, विचारार्थ लेने का प्रस्ताव रखें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्री जी ने बजट पर भाषण पर जवाब दिया, यदि उसका पूरा सारांश देखें तो इस तरह से केन्द्र सरकार को आरोपित किया, हालांकि इनके चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनोमिक ट्रांसफोर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी हुआ, केन्द्र में वित्त विभाग में दायित्व निभाने वाले भी इसके पार्ट हैं, पूर्व वित्त सचिव भी हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट शायद उन लोगों ने नहीं पढ़ी।

अध्यक्ष महोदय, 13वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तक जो डिवोल्यूशन था, वह साढ़े 32 परसेंट था और सबने खूब शिकायतें कीं, सभी स्टेट्स ने कीं कि सैस और ये जो ड्यूटीज और लेवीज हैं, वे ज्यादा हो रही हैं, इसलिए राज्य सरकार को डिवोल्यूशन बढ़ाया जाए। आपकी ही सरकार रही 2019 में, जब 15वें फाइनेंस कमीशन में भी, आपने जो भी एतराज किये, वे किये और उसके बाद में वह रिपोर्ट आई।

(समय: 12.43 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, डिविजिबल पूल में साढ़े 32 परसेंट से 42 परसेंट डिवोल्यूशन हो गया। उसके बाद में 15वें फाइनेंस कमीशन ने यह किया कि सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, वे लगभग 131 हैं, लेकिन वर्किंग, जो हर स्टेट में लागू हो रही हैं, वे लगभग 15 हैं। उसमें अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग फंड

(श्री नरपत सिंह राजवी)

का अलोकेशन कर रही है, डिमांड कर रही है। उस आधार पर उन्होंने डिविजिबल 50 परसेंट के आसपास रहे, टोटल टैक्स रेवेन्यु और उससे बियॉन्ड नहीं जाए, क्योंकि केन्द्र सरकार को भी चलाना है। उसकी लायबिलिटीज राज्य सरकारों से कहीं ज्यादा हैं। अब उसमें यह बताना कि लगभग 76 हजार 35 करोड़ कम राशि दी है, इन पांच सालों में, जो बढ़ी है, उसके बारे में तो आकलन नहीं बताया। जहां कन्विनिएंट हुआ, वहां पर परसेंटेज के आधार पर बता दिया और इन्कन्विनिएंट हुआ, वहां पर फिगर्स बता दीं।

सभापति महोदय, केन्द्र ने, 15वें फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें यह सारा खुलासा किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार 15वें फाइनेंस कमीशन पर, पैरा 8.10 में a related issue in assessment of vertical imbalance is the issue on non-divisible pool of resources. The share of cess and surcharge in gross tax revenue of Union Government has increased from 7.53 per cent in 2000-2001 to 13.14 per cent in 2013-2014. However, constitutionally it is not possible to include cess and surcharges in divisible pool. As under Article 270, taxes referred to in articles 268 and 269, surcharge on taxes and duties and cess involved for specific purpose should not form part of divisible pool. अब वह डिविजिबल पूल नहीं है तो 32 की जगह 42 परसेंट डिविजिबल पूल कर दिया और डिविजिबल पूल करने के बाद में, जो राशि मिलती है, आप हर को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर अधिक राशि मिली है। वैट रिजीम के बाद, आपको टैक्सेज का ज्यादा मिला है, सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स लगभग 15 रह गई हैं और 15 में जितने भी शोर्टकमिंग्स हैं, स्टेट पहले अपनी खुद की राशि खर्च करे और उसके बाद सेन्ट्रल का जितना डिवोल्यूशन है, वह मिलेगा।

पूरे भारत में सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स 15 रह गई हैं, सभी स्टेट्स के लिए कटौती करके और उतना रखा है कि 50 परसेंट, जितना भी टैक्स रेवेन्यु है, वह स्टेट पर डिवोल्व हो जाए। उसके बियोन्ड कांस्टिट्यूशनली सम्भव नहीं है। इसलिए सम्भव नहीं है कि केन्द्र के भी कमिटेड एक्सपेंडीचर्स हैं, डिफेंस के लिए जो एक्सपेंडीचर्स हैं, उनको करने के लिए जितना भी टैक्स और मिलेगा, अभी मिल ही रहा है, वैट से अब कितना इन्क्रीज हुआ है, जो वैट मिल रहा था, जी.एस.टी. रिजीम से सूटेबल इन्क्रीज हुआ है। Measures for maintaining

(श्री नरपत सिंह राजवी)

a suitable and sustainable fiscal environment. यह आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच डिवोल्यूशन आफ टैक्सेज की सिफारिश करता है, वर्टिकल भी और होरिजेंटल भी, अब ये थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि कम्फर्टेबेल जोन में स्टेट गवर्नमेंट आ चुकी है और इतने कम्फर्ट लेवल पर हो गया कि स्टेट खुद का नॉन-टैक्स रेवेन्यु है, उसमें कोई substantial increase नहीं है, बहुत कम इन्क्रीज है और जितना होना चाहिए वह दिखता भी नहीं है कि एफर्ट किया हो।

बारहवें वित्त आयोग में 29.5 परसेंट ही मिलता था। वह एक प्रतिशत बढ़ाकर 30.5 किया, इसी प्रकार 30.5 से बढ़ाकर 32 किया, जो डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि है।

सभापति महोदय, डिविजिबल पूल में सैस और सरचार्ज को शामिल करना संवैधानिक रूप से पोसिबल नहीं है। आपने स्वयं ने जो 15वें वित्त आयोग के सामने रिकार्ड पेश किया है, अब 16वें में आप कर देना कि ये डिविजिबल पूल घटा दें और continue with CSS as it is. You are free to do it! लेकिन केन्द्र ने पूरे देश को देखते हुए, जो बेस्ट इंटरेस्ट में है, वह किया है। इससे बैटर डिवोल्यूशन कहां पर, हम भी यहां पर 1993 से मैम्बर हैं, देखते आये हैं, 10 हजार करोड, 8 हजार करोड़, 15 हजार करोड़, 28 हजार करोड़। जब पहली बार 1993 में किया तो बहुत बड़ी वृद्धि मानी, लेकिन अब जब रेवेन्यु बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यु भी बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ percolate नीचे भी होता है।

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार को हमेशा आगे आकर राज्यों को अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन किया। आपने खुद ने भी तो ग्लोबल टेंडर कॉल किये थे न, मिल गये क्या? वह सारा केन्द्र ने वहन किया है, वह इसलिए किया है फिस्कल डिफिकल्टीज के समय, ऐसे समय में, जहां पर प्रेशर रहेगा, फाइनेंशियल इकोनोमी पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर, केन्द्र सरकार हमेशा बीच में सहयोग करती रही है।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, उनके वित्त विभाग के अधिकारी और आर्थिक सलाहकार से सम्बन्धित सभी अधिकारीगण 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से अनभिज्ञ हैं या जान बूझकर गलत सूचनाओं के आधार पर जो भी आंकड़े दिये हैं, ये कोआपरेटिव फैडरलिज्म पर एक तरह से चोट है। राज्य सरकार के कमिटेड एक्सपेंडीचर सैलरीज, पेन्शन,

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, सब्सिडी 1,99,55,089 करोड़। कुल राजस्व प्राप्तियां 2,33,988 करोड़, इसमें से कमिटेड एक्सपेंडीचर अगर आप निकाल देंगे तो मुख्य मंत्री जी ने जो आत्ममुग्ध होकर उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य के वर्ष 2023-24 के बजट को आदर्श बजट की संज्ञा दी है, उनको और अन्य राज्यों को फोलो करने के लिए भी कहा है। सत्ताधारी दल, सत्ता पार्टी के लोग इनके पक्ष में तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं। एक कहावत है, मोर अपने पंख को देख कर बहुत सुन्दर नाचता है लेकिन पैरों की तरफ देख कर मन दुःखी होता है। बजट की यही स्थिति है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,90,856 करोड़ का बजट पारित कराया जा रहा है। इसमें 93,700 करोड़ रुपये तो कर्ज की री-पेमेन्ट है। कुल राशि 2,97,090 करोड़ रुपये शेष रहती है। कर्ज भुगतान की राशि घटाने के बजट अनुमान ये और भी बढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान 72,714 करोड़ रुपये का लोन री-पेमेन्ट था, जो संशोधित अनुमान बढ़ कर 1,04,810 करोड़ हो गये। इस प्रकार 32,000 करोड़ के कर्ज का पुनर्भुगतान बढ़ गया है। इस बढ़े हुए पुनर्भुगतान को इसी सत्र में अनुपूरक मांगों से सदन द्वारा पारित करवाया जा रहा है। बजट में कमिटेड एक्सपेंडीचर, जिसमें वेतन, ब्याज, भुगतान, पेन्शन, सब्सिडी जो 1,55,000 करोड़ रुपये होता है, जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 2,33,988 करोड़ का 66 प्रतिशत से ज्यादा है। A large proportion of budget allocated for committed expenditure on salaries, interest payments, subsidy on power; limits the state's flexibility to decide on other expenditure priorities such as capital outlay. Capital outlay की क्या स्थिति है और असेट्स क्रियेट कितने होंगे? बहुत दयनीय स्थिति में पहुंचेंगे।

सभापति महोदय, डिवोल्यूशन, यह एक्सपेंडीचर प्रोफाइल है 2023-24 की - total transfers of resources to states and union territories with legislature. यह devolution showing state wise distribution of Net Proceeds of Union Taxes and Duties for budget estimate 2023-2024, 10,21,000 करोड़। इसमें 18,00,600 करोड़ और जोड़ेंगे, Net Proceeds of Union Taxes and Duties. इससे कुल मिला कर 33,60,000 करोड़ में से 55.4 परसेंट डिविजिबल पूल में आ गया। इससे ज्यादा डिस्ट्रिब्यूट और क्या करना चाहेंगे? गलत तथ्यों के आधार पर इस प्रकार से महसूस

(श्री नरपत सिंह राजवी)

करवाना, जैसे कि केन्द्र सरकार कांग्रेस शासित राजस्थान को एक इस प्रकार की स्थिति में लाकर खड़ा करना चाह रही है और एक सैकण्ड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट कर रही है, यह गलत परम्परा है, गलत तरीके से बता रहे हैं।

सभापति महोदय, सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स में मनरेगा के बारे में भी खूब कहा। 2021-22 में जहां बी.ई. था साठ हजार करोड़ का, उसकी जगह टोटल हो गया 1,18,551 करोड़ का। 2022-23 का यह 73.000 करोड़ का था, वह बढ़ कर 99,214 करोड़ हो गया। अभी 60,000 करोड़ का बी.ई. है, वह रिवाइज्ड एस्टीमेट में बढ़ेगा, इसमें कटौती का या घटने का कोई प्रश्न नहीं है। यह जबरदस्ती सेंसेटाइज करना चाह रहे हैं कि इस इश्यू को कुल मिला कर 4,76,104.59 करोड़ रहेगा इस 2023-24 बजट एस्टीमेट में। यह कम राशि नहीं है।

सभापति महोदय, राज्य की कार्यशैली, मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2021 के बजट में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें चालीस करोड़ रुपये विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा व बढ़ारना क्षेत्र की पेयजल की स्थायी आधारभूत व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर ट्रांसमिशन सिस्टम में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को सरकार भूल गयी। मुख्य मंत्री जी ने इस योजना को लगभग 18 माह बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसमें सी.एजी. ने स्वयं, यह सी.एजी. की रिपोर्ट है, 176 दिन की डिले है कुछ मैटर्स में, और परसेंटेज, 157-release of central assistance by Central Government and State Government. तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है 193 करोड़ वह 157 दिनों की डिले के बाद किया है। ऐसे ही इस वर्ष 5/3 को जो धन डिवोल्व होना था यू.एल.बीज. में, वह 76 दिन का डिले है।

सभापति महोदय, 2019-20 में, position of grants by Central Finance Commission and their utilization. परसेंटेज क्या है राजस्थान का? सी.एजी. रिपोर्ट के हिसाब से 15.50, 2019-20 में और 2020-21 में 15.50, अब यह अगर स्थिति होती है तो कौन-सा अच्छा आपका वित्तीय प्रबन्धन है, जिसकी तारीफ की जाए। It is a disaster! शब्दों को सिर्फ इस तरह से घुमा कर किया है कि केन्द्र सरकार विलेन है, वह राजस्थान के हिस्से का दे नहीं रही है। वास्तविकता यह होनी चाहिये कि आपके हिस्से का अगर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

स्टेट के हिस्से का नहीं दे रहे हैं तो बताएं, प्रूव करें कि स्टेट के डिविजिबल पूल में से या उनके जो भी टैक्सेज में मिलना चाहिये, उसमें कम मिला है। यह चेंज जो किया है, तो उनकी खुद की गवर्नमेंट के समय में जो प्रस्ताव किये हैं उसके आधार पर स्टेट के और सेन्टर के शेयर में डिफरेंस आया है। वह करना इसलिये जरूरी हो गया कि लगभग पचास परसेंट प्लस दो परसेंट, 52 परसेंट टोटल डिवोल्यूशन स्टेट्स में हो गया, उससे ज्यादा राशि संविधान के आधार पर दिया जाना सम्भव नहीं था।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद सभापति महोदय, आज चूंकि यह लास्ट डिबेट है इस सत्र की एप्रोप्रिएशन बिल पर। मैं तो पहली बार एम.एल.ए. बना था तो सबसे पहले मैं कई सीनियर्स का धन्यवाद देता हूं जिनको सुन कर हमने यहां काफी चीजें सीखीं। सबसे पहले मैं धारीवाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं किस तरीके से अपोजिशन में तंज करा सकते हैं और किस तरीके से उन लोगों को हैंडल करना, जो धारीवाल जी ने यहां सिखाया। राठौड़ साहब से हम बहुत कुछ सीखे हैं किस तरह से शब्दों को तोड़-मरोड़ करके पेश किया जाता है, यह कला राठौड़ साहब में ही है, तो वह कला हमारे में भी आनी चाहिये। यह मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, सर, आपकी वजह से हम लोग ये सब चीजें सीख रहे हैं।

इसी तरह से गुलाब जी भाई साहब इस सदन में अभी हमारे मैम्बर नहीं हैं। आज गवर्नर बन कर आसाम चले गये हैं, जो कि राजस्थान के लिए बहुत, उन्होंने मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बोलने की काफी लिबर्टी दी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां काफी सारे सीनियर हैं बोलूंगा तो काफी टाइम लग जायेगा। स्पीकर साहब हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलीं। मैं सबका एक बार धन्यवाद देता हूं।(व्यवधान) वे तो मेरे गुरु हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 'गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय'..., यह पूरी बोलो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज मैं सबसे पहले फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना चाहता हूं। जब से जी.एस.टी. आया है, तब से स्टेट ने अपनी sovereignty खतम कर दी है, सेन्टर ने स्टेट्स की

(श्री रोहित बौहरा)

sovereignty खतम कर दी है। हम सेन्टर के devolution पर, उनके भरोसे पर खड़े हैं कि किस तरह से हमें पैसा मिले, किस तरह से 15वें वित्त आयोग ने हमें पैसा दिया। बोलने को तो हमारे devolution का शेयर 41 परसेंट इन्क्रीज कर दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी तरह से, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वह सब हमारे हाथ से खींच कर ले गये। जो 90:10 की स्कीम का रेश्यो था, वह 60:40 कर दिया। जल जीवन मिशन में जहां 45-45 उनका हमारा शेयर था, वह कर दिया। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो, यह हर कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे बड़े भाई नरपत सिंह जी ने बोला, आप यह भी समझो, एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ से वापस ले रहे हो। यह मत बोलो कि आपने कुछ दिया है। हम तो सैकण्ड ग्रेड सिटीजन हैं, क्योंकि हम कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं आपके लिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...(व्यवधान) फाइनेंस कमीशन में अपनी तरफ से सब्मिट करो ना, कहां दिक्कत है?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): कर रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सितम्बर में आपकी रिपोर्ट सब्मिट हो जायेगी। हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुनें कि जिस तरह से आप ले रहे हो, उसी तरह से आप दे रहे हो। आज सबसे पहले क्या किया आपने, सैस में 4,30,000 करोड़ का जो आपके पास पूल था, जो आप लोगों को बातें आ रही हैं कि 4,30,000 करोड़ से रेवेन्यु आई, वह 4,30,000 करोड़ जो सैस के रूप में आपने पेट्रोल और डीजल पर इकट्ठा किया, वह क्या आपने स्टेट्स को डिवोल्व किया? आपने कहा था न कि 50 परसेंट से ज्यादा नहीं है। The total committed expenditure or total revenue and fiscal expenditure of the Central Government is 40 percent only. And you are collecting taxes worth 60 percent. उसमें आप स्टेट्स को 20 परसेंट भी डिवोल्व नहीं कर रहे हो। कुल जी.डी.पी. का आप 20 परसेंट भी डिवोल्व नहीं कर रहे हो स्टेट्स को। (व्यवधान) हमने आर्टिकल पढ़ लिया, तभी मैं आपको यह बोल रहा हूं। Today, the Central Government is collecting 60 percent of the gross revenue share and spent only 40 percent of the expenditure. आज हमारे बीच में जो बात चली कि किस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो हालत है, आज हमारी, total liability of the Central Government is to the tune of 1,55,000 crores. जब से ये पावर में आये हैं, तब से 100 लाख करोड़ का ये बाजार से ऋण ले चुके हैं। इस तरह केन्द्र सरकार का fiscal manage-

(श्री रोहित बौहरा)

ment or the finance management, बहुत शानदार है। आज आपने आगे आने वाली सरकारों के लिए इतनी बड़ी लायबिलिटी क्रिएट कर दी, बहुत ही शानदार चीज की है।

1990-91 में जो टोटल टैक्स कलेक्शन था, 15.2 percent of the GDP to 17.5 percent of the GDP. And as per the 15th Finance Commission, it is below the estimated tax collected as compared to any other, यह 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में से मैं आपको बोल रहा हूं, आपने पढ़ी हो तो। It says, from the developing countries; one of the worst country on tax collection bases is India. This is what the 15th Finance Commission report says! इसी तरह से जो आप खर्चा कर रहे हो, as per the Finance Commission, आप जो खर्चा कर रहे हो, वह खर्चा भी साढ़े पांच परसेंट कम कर रहे हो, as per compare to all the developing countries of the World. उधर रेवेन्यु भी कम कर रहे हो, that means your fiscal management is one of the most poor fiscal management that any country has seen in the last nine years. Same is with GST. जब आप जी.एस.टी. लेकर आये, आपका एस्टीमेशन था कि आप जी.डी.पी. का 6.7 परसेंट टैक्स कलेक्ट करोगे, वह आज तक नहीं हुआ, उस फिगर पर आज तक नहीं पहुंचे। यह सब मैं आपको फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में से बोल रहा हूं। 6.7 percent of GDP लेना था, but it is still lower. जब वैट का रिजीम था, different states were collecting VAT, तब हमारा 6.7 परसेंट आफ द जी.डी.पी. से ज्यादा रेवेन्यु का कलेक्शन था in all the states together. जी.एस.टी. आने के बाद आप यह मत सोचो कि आपका रेवेन्यु बढ़ा है, आज दिन तक आपका रेवेन्यु घटा है। In 2023-2024, 69 percent of the revenue receipts spent on the Central expenditure; it was 65 percent when we left the Government. आपने 69 परसेंट बढ़ा दिया, जबकि 2013-14 में यह 65 परसेंट था और 2020-21 में जब कोविड का टाइम था, आपका यह एक्पेंडीचर बढ़ कर 79 परसेंट हो गया था। उस साल में आपकी जी.डी.पी. ग्रोथ माइनस 9 परसेंट थी। यह आप लोगों का फिस्कल मैनेजमेंट है, आप लोग जो दुहाई देते हो स्टेट्स को यह करने के लिए।

आपने 2003 में एफ.आर.बी.एम. एक्ट पास किया and again it was amended in the year 2018. जो हमारे डैट की सीलिंग थी, that was 60

(श्री रोहित बौहरा)

percent for the Central Government of the GDP. In the year 2024-2025 the limit has to comedown to 40 percent of the GDP. जी.डी.पी. की 60 परसेंट से इसको 40 परसेंट आना है, and which is set for the Central Government. There has been a steep rise in general debt for Centre and States from 70 percent in 2018-2019 of the GDP to 85 percent in the year 2022-2023. आप चाहते हो कि एफ.आर.बी.एम. लिमिट स्टेट तो फोलो करे, लेकिन सेन्टर फोलो नहीं करे, यह कैसे हो सकता है? एफ.आर.बी.एम. लिमिट तो दोनों के लिए ही बना रखी है कि स्टेट्स भी फोलो करे और सेन्टर भी फोलो करे। यह तो हो ही नहीं रखा।

The Interest Payment, आज जो इंटरेस्ट पेमेंट है, is budgeted at 41 percent of the revenue receipts. यह मैं सेन्टर की बात कर रहा हूं, अभी स्टेट्स पर आऊंगा, 41 percent of the revenue receipts, जो आप कमिटेड एक्सपेंडीचर की बात कर रहे थे, that is 41 percent in case of Centre. While fiscal deficit is estimated to be 5.9 percent of the GDP और उसमें भी interest payment is 3.6 percent of the GDP. Can you imagine this? Out of 5.9 percent, जो आप बोल रहे थे जी.डी.पी. का 3.6 परसेंट सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट। मेरा यह कहना है, the fiscal deficit target, आपको 2025-26 में 4.5 परसेंट लेकर आना है, इस साल आपका 6.4 परसेंट है। किस तरह आप लोग यह मैनेज करोगे, यह बड़ा सोचने का विचार है कि किस तरह से यह होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोनिंग का पैटर्न सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, उससे लग नहीं रहा कि आपका यह खतम हो सकेगा, आपका फिस्कल डेफिसिट नीचे आ सकेगा। आज की डेट में, the total outstanding till date is 58 percent of the GDP. यह भी एक बहुत गंदा फिगर आ रहा है।

आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत जोर-जोर से चिल्लाते हैं, जे.जे.एम. को ले लें। जे.जे.एम. जब शुरू की थी तो 2019 से 2024 तक हमें टोटल 3.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था। This is as per the figures of the Ministry. As on Feb 2023, I am talking about this year, we have spent only 1.3 lakh crores out of 3.6 crores. हमने सिर्फ इतना सा, जो टोटल हाउसहोल्ड्स टारगेट था कि 19.4 करोड़ लोगों के यहां नल लगवाने थे, आज तक सिर्फ 7.9 करोड़ हाउसहोल्ड्स

(श्री रोहित बौहरा)

पर नल लगे हैं। दैट मिन्स, जे.जे.एम. में सेन्टर और स्टेट ने मिलकर जो स्पेंड किया, only 58 percent of the households. सेन्टर जे.जे.एम. को मैनेज कर रही है न। आप देखें कि क्या हाल है? जब पांच साल बाद एक साल में आपकी स्कीम खतम होने वाली है, तब टोटल टारगेट का आपने 58 परसेंट खतम किया है।

साहब, आप इसी तरह से उज्जवला योजना ले लें। 2022-23 में एल.पी.जी. सब्सिडी 9 हजार 171 करोड़ रुपये की थी। This year, it has come down to 2,257 crores and which is 75 percent less than the last year. एक फिगर इसमें बड़ा जबर्दस्त है। इस 2,257 करोड़ में से 2,200 करोड़ रुपये आप सिर्फ कम्पनीज को दे रहे हैं, because of the price stabilization और इस साल एल.पी.जी. सब्सिडी है, जो कि बेनिफिट ट्रांसफर है, उसमें आपने बजट का बहुत बड़ा गोला कर दिया, 'जीरो', there is no direct benefit transfer. इस साल डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर एक भी नहीं करेंगे। एक भी कन्ज्यूमर के अकाउंट में जो दो सौ रुपये सब्सिडी आते थे, एक रुपया भी नहीं आयेगा। मतलब कोहनी पर गुड़ लगाया, फ्री में दो साल सिलेंडर दिया और फिर बंद कर दिया। पहले तो लोगों को, हमारी औरतों को, हमारी बहनों को चूल्हा जलाने में आंसू आते थे, अब सिलेंडर 1,100 रुपये खरीदने में आंसू आना शुरू हो गये हैं। ये आंसू बंद करने का काम कौन करेगा? अशोक गहलोत की सरकार करेगी, जब हम 500 रुपये में 76 लाख परिवारों को सिलेंडर देंगे। यह आप लोगों का हाल है। कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है? जब आप पेपर पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि उज्जवला योजना में डायरेक्ट बेनेफिट जीरो कर दिया है, जिस पर आपने पिछली बार यू.पी. में चुनाव जीता था। दिया और बंद कर दिया। साहब, यह तो बहुत गलत है। यह गरीब आदमी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं।

इसी तरह से रूरल डवलपमेंट में ले लीजिये। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016 में आपने लांच की, with an aim to provide houses in 2022 to everyone. यह जो टोटल स्कीम थी, 2 लाख 15 हजार करोड़ हाउस की थी, in which 2.15 crore houses were built as against the target of 2.94 crore. यानी फरवरी, 2023 में टोटली 2.15 करोड़ बने, जबकि 2022 में यह स्कीम खतम होनी थी, जिसका टारगेट 2.94 करोड़ का था।

(श्री रोहित बौहरा)

इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) है, जिसमें आपको 1,20,000 घर बनाने थे। सेंक्शंड हाउसेज 1,20,000 में से आपने 68,000 हाउसेज बनाये हैं। परसेंटेज के टर्म्स में मैं निकालूं तो टोटल 56 परसेंट है। यह आपकी फ्लैगशिप योजना है, जहां आप 50 और 60 परसेंट के बीच में हैं। आप एडवर्टाइजमेंट से ऐसे दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करके और गोदी मीडिया को संभाल कर इसी तरह से आप प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे कि आपने पता नहीं क्या कर दिया? ये तो आपकी फ्लैगशिप योजनाओं के हाल हैं, जहां पर 55 और 58 परसेंट से ऊपर का टारगेट कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अपन क्या मजाक कर रहे हैं? सिर्फ दो आदमियों के लिए मजाक है? अडानी और अम्बानी के लिए। जो कुछ देना है, उन्हीं को देना है। इन गरीबों का तो कुछ संभाल करो। इन गरीबों को तो कुछ दें, जिससे कि ये गरीब कुछ कर सकें। इसमें 2024 के दिसम्बर तक का एक्सटेंशन और दे दिया, लेकिन फिर भी जो बातें चल रही हैं। टारगेट में आप 65 परसेंट से ऊपर नहीं जा पायेंगे, this is as per your figures.

इसी तरह से आपकी किसान सम्मान स्कीम चली। चल भी रही है। आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। आपको पूरे भारतवर्ष में 14 करोड़ किसानों को पैसा देना था। आपने कितना दिया? आपने सिर्फ 10.4 करोड़ लोगों को दिया, that means your target is only completed by 70 percent. Where has 30 percent gone? हवा में उड़ गया और बड़ी-बड़ी बात की कि हम किसानों को ये दे रहे हैं, हम किसानों के लिए यह कर रहे हैं। क्या? छह हजार रुपये पट्टी दे रहे हैं। 500 रुपये महीना। दिन का यदि हिसाब लगाएं और डिवाइड-बाई-30 करें तो 16 रुपये रोज आयेगा। आप क्या मजाक कर रहे हैं?

इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान धन योजना आयी, which was launched in 2019 as a Central Scheme to provide pension to small and medium farmers, जिसमें आपने तीन हजार रुपये का प्रोमिस किया था कि हम फार्मर्स को 3 हजार रुपये की पेंशन देंगे। ये सब आपकी स्कीम्स हैं। 3 हजार की पेंशन देने वाले थे, जिनके 2 हैक्टेयर से कम के खेत थे। इसमें साढ़े 18 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। डोटासरा साहब, आप तो किसान परिवार से हैं। आपको यह जानकर दु:ख होगा कि इन्होंने कितनों को दिया? इन्होंने सिर्फ 15 हजार किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया। आप देखें कि क्या मजाक लगा रखा है?

(श्री रोहित बौहरा)

ये किसानों के लिए तीन काले कानून लेकर आये, जिसमें हमारे बहुत से किसानों ने शहादत दी। डेढ़ साल तक वे बोर्डरों पर बैठे रहे, लेकिन सरकार के जूं नहीं रेंगी। 2015-16 में एक किसान एवरेज 8 हजार रुपये महीना कमा रहा था, जो कि 2018-19 में 10,218 हो गये। फिर इन्होंने फिगर्स गायब कर दिये, क्योंकि इनको पता चला कि ये फिगर्स देंगे तो लोग-बाग़ फिगर्स उठा लेंगे। फिगर्स आज तक नहीं आये, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ से वे फिगर्स फिर निकल जाते हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2022-23 में सिर्फ 3 परसेंट हुई, 2021-22 में 4 परसेंट हुई। यदि हम यह फिगर जोड़ लें तो आज भी किसान की इन्कम डबल नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे किसान की इन्कम डबल हो।

इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आयी। 2016 में लांच हुई, जिसका 2 परसेंट प्रीमियम हम खरीफ में देते थे, डेढ़ परसेंट प्रीमियम हम रबी की क्राप्स में देते थे। किसान ने इंश्योरेंस कराना बिल्कुल बंद कर दिया। वह क्यों किया? प्रीमियम देने के बाद भी जो क्लैम थे, were not being settled by the insurance company. इसमें क्या हुआ? आप पूरा बजट इस्तेमाल नहीं कर पाये। आपने लास्ट ईयर 20 परसेंट कम बजट इस्तेमाल किया। उसकी प्रीमियम का जो सम था, area under cultivation था, उसका, insurance has been reduced by 7 percent and 5 percent respectively. आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें किसानों की आमदनी दुगुनी करनी थी, वह तो भूल ही गये। वह तो पहले ही बोल चुका हूं।

नेक्स्ट रेलवेज आता है। जिस पर, हम रेलवेज के ऊपर बात कर रहे हैं। When NDA left, लालू जी ने एज ए रेलवे मिनिस्टर छोड़ा, उस टाइम करीब 17,000 करोड़ रुपये का प्रोफिट था। 16,858 करोड़ था, उसको राउंडआफ करके 17,000 करोड़ कर दिया। Whereas, 2021-22 में आपका लोस 15,000 करोड़ रुपये का था। इस साल आपका प्रोफिट 2,400 करोड़ रुपये है। प्रोफिट क्यों आया? प्रोफिट आया, क्योंकि पेंशन का एप्रोप्रिएशन फंड था, गैप फिलअप करने के लिए, 79 thousand crore has been given by the Central Government. जो अर्नड प्रोफिट है, यदि हम उसको लगाएं तो वह, 01 percent of the total expenditure का इंटरेस्ट भी नहीं दे पायेगा। यह तो रेलवेज का हाल है, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। लोग-बाग़ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। यह तो रेलवेज का हाल है।

(श्री रोहित बौहरा)

अब मैं राजस्थान पर आऊंगा। इस साल सी.एम. साहब ने जो बजट दिया, उसमें नारा आया, बचत, बढ़त और राहत। सी.एम. साहब ने तीन मुद्दों पर यह बजट हमारे सामने पेश किया। बचत के अन्दर जो इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को फ्री की, 2 हजार यूनिट पर-मंथ, उससे एक भी किसान का, मेरे हिसाब से ईस्टर्न राजस्थान और सेन्ट्रल राजस्थान में तो एक भी किसान का बिल नहीं आयेगा। उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वह करीब-करीब फ्री हो जायेगा। इसी तरह से जो 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली आपने फ्री की, करीब-करीब 80 परसेंट हाउस होल्ड्स का बिल is free of cost. इन दो अमाउंट्स पर आपकी बचत बड़ी जबरदस्त हुई। प्लस इसमें सब्सिडी भी है 300 से 50 रुपये पर डिफरेंट स्लैब्स में।

एक जो बहुत जबरदस्त काम सरकार ने किया, एक कोम्बो पैक की सोची सरकार ने कि किस तरह से आम आदमी को राहत दी जाए। एक किलो चीनी, एक किलो चाय, एक लीटर तेल, मसाले और नमक। एक कोम्बो पैक बनाकर हम एक करोड़ परिवारों को हर महीने अप्रैल महीने से ये बांटना शुरू करेंगे। इंदिरा रसोई में हम खाना खिला रहे हैं। बहुत सारी राहतें दी हैं। बहुत सारी जगह हम लोगों ने किया है। ये आज कर क्यों रहे हैं? जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, हम क्यों कर रहे हैं? इसका एक बेसिक कारण तो होगा कि क्यों कर रहे हैं? राठौड़ साहब, जी.डी.पी. की ग्रोथ, in the first quarter was 13.5 percent. सेन्ट्रल गवर्नमेंट की। In the second quarter the growth was 6.5 percent. In the third quarter the growth was 4.5 percent. फोर्थ क्वार्टर, जो अभी खतम होने वाला है, we are envisaging a growth of 4.2 percent. जो आपकी जी.डी.पी. की ग्रोथ है, that is coming down from the first quarter till the last quarter. It is descending every quarter. What is the reason? हमने आम आदमी के हाथ में पैसा ही नहीं दिया। जब तक आप आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं देंगे, तब तक उसकी स्पेंडिंग पावर नहीं बनेगी। आज फैक्ट्रीज का टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, it is only 70 to 80 percent. Factories are not even running 100 percent except a few sectors like car, electric scooter and motor-cycle sector. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, which is running on 100 percent. जो आपकी जी.एस.टी. की ग्रोथ आ रही है, that is because of inflation. If you take inflation into account,

(श्री रोहित बौहरा)

अपने आप आपको जी.एस.टी. की ग्रोथ का पता पड़ जायेगा कि जी.एस.टी. की ग्रोथ क्या है।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सरकार ने सोचसमझकर यह राहत दी है। कोई बिना सोचे समझे राहत नहीं दी है। आज, we are second highest in GDP after Andhra Pradesh. हमारी जी.डी.पी. 11.2 परसेंट और 11.4 परसेंट के बीच में आयेगी। इस साल, that is highest in the Country. Why have we achieved this? क्योंकि हमने हमारे गरीब आदमियों के हाथ में पैसा देने की बात की, इन सब स्कीम्स से गरीब आदमियों के हाथ में पैसा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाई। उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे तो हमारे यहां आदमी ज्यादा खर्च करेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी।

आज जी.एस.टी. राजस्थान में ग्रोथ 24 परसेंट क्यों हो रही है? GST is a consumption based tax. कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यदि आपको मिलता है तो आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। ये मूल मंत्र है इस बजट का, जो मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है कि हम गरीब आदमी को राहत देंगे, राहत देंगे तो हमारे यहां वह ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा खर्चा करेगा तो हमारे यहां ज्यादा रेवेन्यु कलेक्शन होगा।

सभापति महोदय, अब मैं हमारे दूसरे पाइंट पर आता हूं। राहत, पहली स्टेट, कंट्री के अंदर जो राहत दे रही है। हमारे सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में, हमारे बूढ़े हों, हमारी विडोज हों, सबको हमने एक हजार रुपये की पेंशन कर दी, with an automatic increase of 15 percent every year. हमने इन्फ्लेशन को सिस्टम में डाल दिया, 15 परसेंट इन्क्रीज एवरी ईयर होगा। हमने उनको एम्पावर्ड किया। हमारे बूढ़ों को एम्पावर्ड किया, जिनको हमारे यंगस्टर्स देखते नहीं थे। उनको हमने ऐसा कर दिया कि भाई, आप अपना खर्चा अपने आप चला सकते हैं। आप तो 6 हजार रुपये देते हैं। हम तो यहां 12 हजार रुपये दे रहे हैं। किसान सम्मान में आप तो 6 हजार दे रहे हैं। हम तो हजार रुपया महीना दे रहे हैं, जो अगले साल से 1,150 हो जायेगा। आटोमेटिक बढ़ जायेगा। आपके यहां तो कोई इन्क्रीज ही नहीं हो रहा है। किसान सम्मान निधि में 60 हजार करोड़ का पिछले साल का बजट था। 60 हजार करोड़ का इस साल का बजट है, and there is no increase. जो 14 हजार करोड़ आपको देना था, उसमें भी आपने इन्क्रीज नहीं किया। यह मैं कहना चाहूंगा।

(श्री रोहित बौहरा)

इसी तरह से पालनहार योजना में 0-6 ईअर के बच्चों का आपने वजीफा बढ़ा दिया। 6 से 18 साल के बच्चों का आपने वजीफा बढ़ा दिया। जो विडो हो जाती हैं, उनके बच्चों को हम पालनहार योजना देते हैं कि किसी तरह से वह अपना जीवन यापन कर सके। एक विडो को, जिसके दो बच्चे हैं और 6 साल से ऊपर हैं, उसको करीब-करीब 5 हजार रुपया महीना मिलता है। कौनसे प्रदेश में मिल रहा है? आप लोग यह बताइए। किसी भी प्रदेश ने यह राहत दी है क्या? मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों के बीच में यह राहत की बात की है।

इसी तरह से चिरंजीवी योजना, राहत में चिरंजीवी योजना भी कवर होती है कि आज 25 लाख रुपये तक हम अपना इलाज फ्री करा सकते हैं। हमारे अंग प्रत्यारोपण हम आउटसाइड स्टेट कर सकते हैं। हमारा दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख रुपया हो गया। इसमें एक फोली है, मैं मानता हूं। मैं खुद कहता हूं और मैं कई बार कह चुका हूं। इनका जो पैकेज है वह पैकेज हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। उस पैकेज को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कई अच्छे हास्पिटल इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं बिकाज पैकेज बहुत कम है। उनकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, उस पैकेज को तो हम मैच नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सोच यह है और हैल्थ मिनिस्टर से भी मेरा कहना यह है कि हमारा जो पैकेज है, कम से कम सेन्ट्रल गवर्नमेंट जितना हमारा पैकेज हो जाए, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हम 10 परसेंट, 20 परसेंट कम हैं। वह पैकेज उनके बराबर हो जाए तो मेरे हिसाब से चिरंजीवी योजना जैसी कोई स्कीम पूरे भारत में एक भी स्टेट में नहीं चल रही। क्यों, पारख साहब, मैं सही कह रहा हूं? आप तो काफी सोशल सर्विस करते हैं और आप मेरे ख्याल से चिरंजीवी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा यह सोच है कि इसका यदि हम पैकेज सुधार देंगे तो यह शानदार स्कीम हो जायेगी।

अब हम राइट टू हैल्थ का बिल भी लेकर आ रहे हैं। राइट टू हैल्थ के बिल में, पहली स्टेट होगी राजस्थान जो राइट टू हैल्थ का बिल लेकर आ रही है। किसी भी आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी इमर्जेंसी आये तो, at least he is covered under the Right To Health Bill. उसकी हम जान बचा सकें। यह जो करुणा का मुख्य मंत्री जी में समावेश है, किस तरह से उनमें दयाभाव है, किस तरह से गरीब लोगों के लिए सोच है, वह एक अलग-सी सोच है। पहली बार हो रहा है इस भारत देश में, चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम कोई भी अदर स्टेट में कहीं पर भी लागू नहीं है। यह सिर्फ

(श्री रोहित बौहरा)

राजस्थान में ही लागू है। जब पिछली बार दवाइयां फ्री की थीं तो भी राजस्थान ने ही की थीं। उसके बाद आपका टेस्टिंग में जो खर्चा हो रहा था, वह फ्री आफ कोस्ट राजस्थान ने किया। कहीं और नहीं हुआ, सिर्फ राजस्थान में ही हुआ।

पहली बार राजस्थान में ही हो रहा है कि 5 हजार स्कूटी आप विकलांगों को दे रहे हैं। विकलांगों को मैन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हो। एक-एक विकलांग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है। 5 हजार पिछले साल दीं। 5 हजार इस साल दीं। करीब-करीब 80 टू 90 परसेंट विकलांग would be covered by Scooty. वह कम से कम अपने जीवन यापन का, धंधा करने का, आने-जाने का, जो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता था, वह आने-जाने का सिस्टम उनका तय हो गया कि किस तरह से वे आ-जा सकेंगे। वह अपना जीवन यापन कर सकेंगे। बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने की।

इसी तरह से यूनिफार्म वाली स्कीम, जो मुख्य मंत्री जी ने लांच की, यह तो बहुत स्टेट्स में है लेकिन एक समानता बच्चों में लाने का प्रयास किया गया। दो-दो यूनिफार्म्स उनको दी गयीं। 560 करोड़ रुपया हम इन यूनिफार्म्स पर कर रहे हैं। एक समानता का विचार, among the students. जो इन्इक्विलिटी, इस देश में बढ़ती जा रही है कि, rich are going richer and poorer are going poor. उसको खतम करने की चेष्टा हमने काफी सोच-समझकर की है कि किस तरीके से हम गरीब लोगों को एम्पावर्ड करें, जिससे वह अपना जीवन-यापन अच्छी तरह से कर सकें।

दूसरी चीज, जो वुमन एम्पावरमेंट में की है, वह सबसे बड़ी चीज यह है कि जो आपके सेल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, उनको एक लाख रुपये तक का ऋण आप दे रहे हैं। उनका 8 परसेंट पर ईअर इंटरेस्ट माफ कर रहे हैं। The Government is going to bear that interest. सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को आप एम्पावर करेंगे। वह अपना धंधा करें। सरकार उसके इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रही है। उनका फ्री आफ कोस्ट इंटरेस्ट होगा। वुमन एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। किसी तरीके से वे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट कोस्ट करीब-करीब जीरो आ जाएगी। आज आठ परसेंट, नौ परसेंट पर आपको लोन मिल ही जाता है, वह जीरो हो जाएगा। जब इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो बिजनस आराम से चलेगा, क्योंकि मेन चीज है कि वह आपका इंटरेस्ट ही खा सकता है।

इसी तरह से मनरेगा स्कीम चालू की। जो 100 दिन का रोजगार था,

(श्री रोहित बौहरा)

वह 125 दिन हो गया। शहरों में रोजगार, करीब-करीब 743 करोड़ रुपये इस साल हम खर्च कर पाएंगे नरेगा के ऊपर, शहरी नरेगा के ऊपर। मेरी कांस्टीट्यूएंसी राजाखेड़ा है। एवरेज में 450 लोग सिटी के अन्दर नरेगा में लगे रहते हैं, हर दिन। बहुत बड़ी बात है। मैंने तो उस दिन सुझाव भी दिया था कि नरेगा को हम डवटेल करें, सरकारी बिल्डिंग्स के रख रखाव के लिए। सफाई तो हो ही रही है। कुछ समाज के आदमी सिटी के अन्दर नरेगा में सफाई तो कर ही रहे हैं बट, स्कूलों की सफाई, स्कूलों में पेंट, पालिश वगैरह, जो भी चीज है, वह नरेगा से डवटेल कर दें तो कम से कम आपको नरेगा का पैसा, लेबर का तो बच जाएगा, सिर्फ सामान का पैसा लगेगा। इससे आपकी बिल्डिंग्स का रख -रखाव, स्कूल की बिल्डिंग्स के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकते हो। मेरा एक यह सुझाव सरकार को था, वह मानना चाहे तो माने।

अब मैं बढ़त की बात करता हूं। बढ़त पर आप बात करो, पहली बार यूथ बेस हमारा बजट है। पहली बार हुआ कि आपका मार्जिन मनी है, पांच लाख रुपये तक आप यूथ को, for setting-up any kind of an industry or any kind of trading unit, मार्जिन मनी दे रहे हो, पहली बार हुआ है। मेरे ख्याल से भारत प्रदेश में ही पहली बार हुआ है, the 'seed money' is being given by the Government. मुद्रा लोन की इन्होंने बात की थी कि हम एक करोड़ रुपये तक मुद्रा लोन देंगे। साहब, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, मुद्रा लोन का परसेंटेज, 85 percent of the Mudra Loan which has given to the people is only below 50 thousand rupees. मुद्रा लोन आपको कामर्शियल बैंक दे ही नहीं रही है, 50 हजार से ऊपर। It has to be backed by a collateral security. बिना कोलैटरल सिक्योरिटी, आपको मुद्रा लोन में पैसा ही नहीं मिल रहा है। कामर्शियल बैंक इतने हैं, मैं कह रहा हूं, हमारे यहां पचास-पचास हजार रुपये के राजीव गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम, वेंडर्स के लिए निकाली थी, जिसमें पांच लाख वेंडर्स ने रजिस्ट्रेशन किया, कुल 1,81,000 लोगों को उसमें से सिर्फ पचास-पचास हजार रुपये मिले। 60 परसेंट लोगों को तो कामर्शियल बैंक पैसा ही नहीं दे रहे। Because they want it has to be backed by a collateral security. जो वेंडर है, 50 हजार रुपये आप दे रहे हो, मुद्रा लोन में तो आप दे रहे हो, बट राजीव गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम में आप वेंडर्स को नहीं दे रहे, क्योंकि राजस्थान प्रदेश है। यह दोहरा चरित्र, अपने स्टेट में तो कुछ है। आप उत्तराखण्ड में देखिए। आर.बी.आई. की

(श्री रोहित बौहरा)

रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आर.बी.आई. की रिपोर्ट कह रही है। इलेक्शन से पहले उनको उन्होंने पैसे से भर दिया, क्योंकि उत्तराखण्ड में इलेक्शन था। अलग-अलग स्कीम में यह एडवांस देते गये। आपके पास पैसा नहीं है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट आपको एडवांस देगी। हमारे तो ओरिजनल पैसे, हमारे ही नहीं आते हैं। जो हमारे पैसे हैं, हमें डिवाल्व होने हैं, वह ही नहीं आते। उधर, क्योंकि आप बे.जी.पी. रूल स्टेट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार केन्द्र सरकार को नहीं करना चाहिए।

इसी तरह से अपग्रेडिंग स्किल। पहली बार ऐसा हुआ कि अपने स्टूडेण्ट्स को बाहर विदेश तक भेज रहे थे। लास्ट ईयर बजट में 200 स्टूडेंट्स का कैप था, इस बार वह बढ़ाकर 500 स्टूडेंट्स का कर दिया। प्रदेश के 500 बच्चे कहीं पर भी पढ़ेंगे, उनके पैसे का वहन राजस्थान सरकार करेगी। एक गरीब का बच्चा भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकता है। उसका पैसा राजस्थान सरकार देगी।

इसी तरह हमारे रिसर्च स्कालर्स हैं, वे कालेज में पढ़ाते हैं, हमारे यहां सरकार ने खूब कालेजेज खोल दिये हैं। गर्ल्स कालेज खोल दिये, अलग-अलग तहसीलों में काफी सारे बाय्ज कालेज खोल दिये, कहीं कृषि कालेज खोल दिया। जहां रिसर्च स्कोलर्स हैं, पीएच.डी. कर रहे हैं, वे कर सकते हैं, वहां 20 हजार रुपये का एन्टाइटलमेंट है, वे नौकरी कर सकते हैं। अपनी रिसर्च भी चालू कर सकते हैं और दो-दो, तीन-तीन क्लास ले सकते हैं, उसके लिए उनको सरकार 20 हजार रुपये देगी।

इसी तरह से स्कालरशिप में आर.टी.एस.ई. स्कालरशिप आपने लगा दी। एन.टी.एस.ई. के बेस पर आर.टी.एस.ई. स्कालरिशप दे दी। आप दस हजार बच्चों को आर.टी.एस.ई. स्कालरशिप दे रहे हो। इस बार बजट में एक लाख न्यू गवर्नमेंट जॉब और अनाउंस हो गयीं, प्लस उसमें तीन हजार सफाई कर्मचारियों को आप स्पेसिफिक जॉब दे रहे हो। पिछली बार इन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, उसमें सब समाजों के लोग आ गये, अब वह सफाई करने ही नहीं जा रहे। पिछली सरकार, ऐसा अव्यवस्था का माहौल बनाकर गई कि वे सफाई के लिए ही नहीं जा रहे। सफाई कर्मचारी पर्टिकुलर एक समाज से आते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि और कोई सफाई करता ही

(श्री रोहित बौहरा)

नहीं है। मेरी इस सरकार से विनती है कि जब आप यह भर्ती करें तो भर्ती सिर्फ उसी समाज से करें, जो सफाई करता हो। ऐसे लोगों की भर्ती नहीं करें जो आफिस में बैठे रहते हैं और काम नहीं करते। वे सफाई करते ही नहीं हैं।

अब आप इंडस्ट्री पर आएं। लास्ट ईयर अक्टूबर, 2022 में हमारे मुख्य मंत्री जी ने इंडस्ट्री फेयर बुलाया, उसमें सरकार व एन्टरप्रिन्योर ने 4,195 एम.ओ.यू. साइन किये। उसमें 12.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था। उसमें 9.76 lakh jobs were supposed to be created. एम.ओ.यू. सेरेमनी थी उसके अन्दर, इंडस्ट्री फेयर था, जिसमें 9.76 lakh jobs were supposed to be created. आपको जानकर खुशी होगी, इसमें से 50 परसेंट अक्टूबर से अभी मार्च तक, 50 percent MoUs are on the ground. 2,038 units have come up with an investment of two lakh crores. दो लाख करोड़ के 2,038 यूनिट्स आलरेडी जमीन पर आ चुके हैं। करीब-करीब 2,75,000 जॉब आलरेडी सरकार व एन्टरप्रिन्योर ने मिलकर हमारे यूथ को दी। यह एक बड़ा सराहनीय कदम है। जब इनके टाइम इन्होंने यह सेरेमनी की थी, उसमें से कुछ नीचे ही नहीं आया था, वहीं फ्लाप शो हो गया था। उसमें से कुछ नीचे नहीं आया। मैं इसके लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम 6 महीने के अन्दर 50 परसेंट यूनिट्स आन ग्राउण्ड आ गये। उसमें एम्प्लायमेंट बढ़ना शुरू हुआ।

इसी तरह माइन्स और पेट्रोलियम में पिछली बार का टारगेट था हम उससे ज्यादा रेवेन्यु अर्न कर चुके हैं, 6,416 करोड़ रुपये हमारे पास मार्च फर्स्ट वीक तक आ चुका है। हमने इसमें एक एमनेस्टी स्कीम भी निकाली, जो पुराने केसेज थे, राहत देने की वजह से जो लोग बाग फंसे हुए थे, एमनेस्टी निकाली, जिसमें 72 करोड़ रुपये हमारे पास आये और 1,161 केसेज को हमने खतम कर दिया, नहीं तो यह आउटस्टेडिंग ही बोलता रहता, हमारी स्टेट की बेलेंस शीट को खराब करता रहता। वह खतम करके, 1,161 केसेज में 72 करोड़ रुपये हमारे पास आये।

इसी तरह से पहली बार हुआ कि आठ ब्लाक्स, लास्ट ईयर सेवन ब्लाक्स आक्शन हुए थे, इस बार आठ ब्लाक्स आक्शन हुए, जिसमें से लाइम स्टोन के तीन, आयरन के तीन और मैगनीज के तीन। जिस दिन ये धरातल पर आ जाएंगे, इन आठों ब्लाक्स में कम से कम 50 हजार लोगों को नया

(श्री रोहित बौहरा)

एम्प्लायमेंट मिलेगा। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि 7 ब्लाक हमने पिछली बार दिये थे, उन पर भी काम शुरू हो गया। 8 ब्लाक ये हैं, क्योंकि एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये आते हैं, तब तक एक से डेढ़ साल लग जाता है, पर सरकार की मंशा यही है कि कम से कम हम लोगों को, हमारे यूथ को एम्प्लायमेंट कर सके तो वह किससे आयेगा? वह इंडस्ट्री से ही आयेगा। वह कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आजकल जो यह केन्द्र सरकार कर रही है, वह तो मशीनों से हो जाता है, उसमें मैन पावर बहुत कम लगती है। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं आयेगा, तब तक एम्प्लायमेंट आपको मिलना ही नहीं होगा। यह मिलेगा तब ही, जब आपका इन्वेस्टमेंट आ जाए, जब आपका प्रोडक्शन आ जाए। तब ही आप अपने लोगों को एम्प्लायमेंट दे सकेंगे और एम्प्लायमेंट राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है।

पैट्रोलियम में भी हमने बहुत काम करा, पैट्रोलियम में भी हमारे को इस बार 4,595 करोड़ रुपया फरवरी तक मिला है, जो लास्ट ईयर से हम कर चुके हैं। कम से कम हमारी ग्रोथ इस साल 10 परसेंट की रेवेन्यु की होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में लें, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पीडब्ल्यू.डी. की। 14,000 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं 773 किलोमीटर लोंग रोड्स के ऊपर। उसमें से 2,000 करोड़ रुपये तो हम सब एम.एल.एज. को ही दे रहे हैं और हमारे री-डामरीकरण और जो हमारी नॉन-पेचेबल रोड्स हैं, मिसिंग लिंक रोड्स हैं, उनके लिए इन सब एम.एल.एज. को ही दिया है सरकार ने। सरकार ने एम.एल.एज. को एम्पावर्ड कर दिया। 6,500 करोड़ रुपये, जो पांच रोड्स हैं, सब हमारे जिलों में मिली हैं, उसमें 6,500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इस तरह से करीब-करीब, मैं रिपीटिशन नहीं करूंगा, करीब-करीब 14,000 हजार करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं।

इर्रिगेशन पर आप आओ। हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम, प्रदेश के जिस पार्ट से मैं आता हूं, वह ईस्टर्न राजस्थान है, ईस्टर्न राजस्थान के लिए 13 जिलों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम है, हमारे यहां पर वाटर टेबल, पानी का टेबल नीचे गिरता जा रहा है और हमारे लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी पीने के लिए भी हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है, पर केन्द्र सरकार उसको लिए बैठी है। 2017 में ई.आर.सी.पी. की रिपोर्ट जा चुकी है, पर कोई न कोई

(श्री रोहित बौहरा)

पार्ट करके, क्योंकि पोलिटिकल अड़ंगा लगाना है, पोलिटिकल स्कोर करना है कि कांग्रेस के रिजीम में हम कैसे ई.आर.सी.पी. को कर दें, जबकि प्रधान मंत्री यह खुद अनाउंस कर चुके कि ई.आर.सी.पी. को हम कर सकेंगे, पर नहीं करा।

यह सिर्फ पोलिटिकल मोटिव है और मैं यह बताना चाहूंगा कि जो सरकार केन्द्र में बैठी है, यदि पोलिटिकल मोटिव से चलेगी तो आगे आने वाले चुनावों में जनता उनको माफ नहीं करेगी, यदि हमारे पीने के पानी की स्कीम्स भी रोक रही है और उधर मध्यप्रदेश को, क्योंकि वहां पर आप ही की सरकार है, वहां पर चार बांध बन गये बड़े-बड़े इर्रिगेशन परपज के लिए, तो हम तो पानी पीने के लिए मांग रहे हैं। इर्रिगेशन की बात तो बाद में है। ई.आर.सी.पी. से हम तो पानी पीने के लिए कह रहे हैं, फिर भी ये लोग पास नहीं कर रहे हैं। मेरी आपसे यह विनती है, 25 सांसदों से विनती है, उस साइड में बैठे हमारे सब विधायकों से यह विनती है कि ई.आर.सी.पी. में दलगत राजनीति से ऊपर उठें। हम साथ मिलकर प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखें कि इसको नेशनल स्कीम डिक्लेयर करें, जिससे कम से कम राजस्थान को, ईस्टर्न राजस्थान को पीने के पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। हम सब लोग मिलकर यह चिट्ठी लिखें, जिससे कि यह, क्योंकि 9,600 करोड़ रुपये के जो ई.आर.सी.पी. के प्रोजेक्ट्स हैं, अलग-अलग बैराजेज हैं, जो सी.एम. साहब ने अनाउंस करे हैं उनकी क्लियरेंस ही ये नहीं देंगे। अनाउंस तो हो गये, बट क्लियरेंस, एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस रोक कर बैठ जायेंगे तो वह एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस ही नहीं मिलेगी। एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो सब प्रोजेक्ट्स ऐसे के ऐसे रखे रह जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मतलब तो इतना-सा ही है कि हम सब मिलकर यह करें, यह दोहरा चरित्र जो बी.जे.पी. का है, उसको पब्लिक में उजागर करें और यदि आप नहीं चाहते कि आपका दोहरा चरित्र हम पब्लिक में उजागर करें तो कृपा करके ई.आर.सी.पी. पर एकमत होकर इसको पास करवाकर सेन्टर से लेकर आएं, जिससे ईस्टर्न राजस्थान का भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राम-राम साहब, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री अशोक लाहोटी।

सूचना

सूरतगढ़ के कालूसर और एटा में ओलावृष्टि

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, गांव कालूसर और एटा में कल ही शाम के वक्त, तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले तो शीतलहर से फसल नष्ट हुई और अब ओलावृष्टि से जो फसल नष्ट हुई है, यह कोढ़ में खाज वाली कहावत है तो सरकार गिरदावरी करवाकर जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने का काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू।

विद्यार्थी मित्रों पर लाठीचार्ज

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं इस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विद्यार्थी मित्र, साढ़े छह हजार के करीब जो वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, माननीय सभापति महोदय, पिछले चार सालों से पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। कल शाम को लगभग दो से ढाई हजार की संख्या में बाईस गोदाम पुलिया पर राजस्थान के वंचित विद्यार्थी मित्र आये। पुलिस ने उन शांतिपूर्ण हड़ताल, धरना, मांग करने वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया और अफसोस इस बात का है कि इस सरकार ने, पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको घसीटा और उनको बाहर निकाला। मैं जन विरोधी, महिला विरोधी इस सरकार से यह मांग करता हूं कि वंचित विद्यार्थी मित्र जो कि साढ़े छह हजार के करीब हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाली जिले के हैं, उनको पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति दें और जो ऐसी कार्यवाही करते हैं, महिलाओं के खिलाफ में जो अत्याचार करते हैं, ये वीरांगनाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, ये महिलाएं जो मांग करती हैं, उनके खिलाफ में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसकी जांच करने की मांग करता हूं और विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति देने की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

श्री सभापति: अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। अभी सत्ता पक्ष से उन्होंने अपने एक ओपनिंग बैट्समैन, चैम्पियन को उतरा था और वे चले गये। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि वे राज्य के बजट पर, कोई एप्रोप्रिएशन पर बोलेंगे। वे तो पूरी केन्द्र सरकार की योजनाओं से लेकर भाषण देकर चले गये। यह काम तो मुख्य मंत्रीजी करेंगे शाम को आकर, आप कम से कम एप्रोप्रिएशन पर तो बोलते।

माननीय सभापति महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल आया है। आप इस बिल में देखो कि यह बजट पेश हुए चालीस दिन हुए हैं और चालीस दिन में इस एप्रोप्रिएशन में 13 हजार करोड़ रुपये बढ़कर आ गये। बजट पेश हुआ था 3,90,000 करोड़ रुपये का और आज एप्रोप्रिएशन आया है 4,03,000 करोड़ का तो चालीस दिनों में ही 13 हजार करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बढ़कर आना, क्या यह एप्रोप्रिएशन है या मिस-एप्रोप्रिएशन है?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस बजट से पहले, आज माननीय अध्यक्ष महोदय से भी सुबह चर्चा हुई थी और उन्होंने भी यह कहा था कि बजट से पहले आउटकम बजट आना चाहिए। आउटकम बजट इसलिए जरूरी है कि जो विद्वान, जो फाइनेंस के आफिसर्स बजट बनाकर लाते हैं और हम, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी 200 माननीय सदस्य जो यहां पर बैठते हैं, उनको यह तो पता चले कि जिस मद में वे बजट बनाकर लाये हैं, उस मद में कितना खर्चा हुआ है और नहीं हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले बजट में यह लिखा था कि राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा हुई थी और उसमें यह लिखा था कि 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वह 2,500 करोड़ रुपये कहां एप्रोप्रिएट किया गया, यह आउटकम बजट होता तो पता चलता। घोषणा कर दी, क्या वह केवल घोषणा थी या बजट का प्रावधान था? प्रावधान था तो एप्रोप्रिएशन में यह आना चाहिए था।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए आउटकम बजट पहले जब तक नहीं आयेगा, तब तक इस बजट का महत्व हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल्स तो तीन साल बाद आते हैं। इस पूरी सरकार में अभी तक तीन एक्चुअल्स आये हैं। दो एक्चुअल आएंगे ही नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आप यह देखें कि इतनी सारी घोषणाएं की हैं। बचत, राहत और बढ़त, हजारों करोड़ रुपये के ये विज्ञापन लगे। मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की और मैं शुभकामनाएं देता हूं राजस्थान की आठ करोड़ जनता की तरफ से कि आप इन घोषणाओं को पूरा करें। मैं शुभकामनाओं के साथ यह चैलेंज भी दे रहा हूं कि 2013 में जो आपने घोषणाएं कीं, उनका आकलन भी प्रस्तुत करें कि क्या वे पूरी हो गयीं?

माननीय सभापति महोदय, आज एक्स्ट्रा बजट एप्रोप्रिएशन, सरप्लस जो आप लाये हो, 2013 की जितनी घोषणाएं थीं, उन लोकलुभावन घोषणाओं के बाद मात्र 21 बच गये थे। उन घोषणाओं के बाद अगली सरकार में 21 लोग ही जीतकर आये थे तो जनता-जनार्दन का जो फैसला है, उसमें वह सरकार उस समय पूर्ण रूप से, उस सरकार को जनता ने रिजेक्ट किया था तो फिर इसका मतलब, आपकी घोषणाएं उचित नहीं थीं। वह एप्रोप्रिएशन ठीक नहीं था। इसका मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि जनता ने उस बजट को स्वीकार नहीं किया तो घोषणाओं की कोई वैल्यू नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज आप देखो कि आज सरकार घोषणाएं पूरी करेगी, मैं यह उम्मीद करता हूं। पूरी किससे करेगी? लोन लेकर करेगी और लोन की छूट कितनी है आपको? आप इन्डिपैंडेंट राष्ट्र नहीं हैं। आप एक राज्य हैं। आपको एफ.आर.बी.एम. एक्ट तीन प्रतिशत की छूट देता है और कोविड के कारण फिलहाल एक प्रतिशत एक्स्ट्रा मिली हुई है, लेकिन यदि पूरी चार प्रतिशत की छूट किसी राज्य ने ले ली हो, इसका मतलब, उसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान ने 4.3 प्रतिशत एफ.आर.बी.एम. आपने बुकलेट में लिखकर दिया है। आप आलरेडी यह लिमिट क्रोस कर चुके, नया लोन नहीं ले सकते। रीपेमेंट करना है, ब्याज चुकाना है तो फिर आप ये घोषणाएं पूरी कैसे करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, आप यह देखें। आज चार-पांच स्टेट्स का मैं उदाहरण देता हूं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन्होंने इसी तरह की रेवड़ी बांटने की घोषणाएं की थीं और घोषणाओं को पूरा करने के लिए वे

(श्री अशोक लाहोटी)

आफ बजट में चले गये। आफ-बजटिंग का भी मैं आगे डाक्यूमेंट दूंगा। आफ बजटिंग हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने अपनी स्कूलें, अपने भवन, अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स, इन सम्पत्तियों को गिरवी रख दिया। लास्ट में केन्द्र सरकार को उस पर रोक लगानी पड़ी। आप जब एफ.आर.बी.एम. एक्ट क्रोस कर चुके हो, उसके बाद आप लोन ले नहीं सकते। आफ बजटिंग लोन आप कितने समय तक लोगे? किस-किस डिपार्टमेंट में लोगे?

माननीय सभापति महोदय, आप देखो। जी.डी.पी. की बात आयी। जी.डी.पी. की हालत क्या है? जी.डी.पी. में असत्य उछाल दिखा कर अत्यधिक कर्जा लेना, क्योंकि जी.डी.पी. में आप उछाल दिखा कर लिख लोगे, जी.एस.डी.पी. बढ़ा कर लिख कर लेकर आ जाओगे और उससे आप ज्यादा कर्जा ले लोगे। आज कर्जे की स्थिति क्या है? मैं आपके सामने एक आंकड़ा देना चाहता हूं। आजादी के बाद से लेकर 2018 तक जब वसुन्धराजी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने जब राज छोड़ा, तब राजस्थान पर उदय योजना का मिला कर 3,11,373 करोड़ रुपये का कर्जा था। आज इस सरकार ने अपने डाक्यूमेंट में लिखा है कि हमारा कर्जा 5 लाख 80 हजार करोड़ रुपया है। यह तो लिखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आफ बजटिंग जोड़ लो, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो विद्वान हैं, आप आफ बजटिंग को अच्छी तरह समझते हैं, इस आफ बजटिंग को जोड़ कर ले आओ, यह 6 लाख करोड़ से ऊपर निकलेगा और आज राजस्थान के प्रति व्यक्ति पर 70,400 रुपये का कर्जा है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता पर 70,400 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्जा है। आजादी से लेकर 2018 तक जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा आपने इन साढ़े चार साल में ले लिया। यह सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है।

माननीय सभापति महोदय, आप यह देखो कि राजस्थान की क्या स्थिति है? हम 39 परसेंट तक हमारी जी.डी.पी. का कर्जा ले चुके हैं। हम श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति में जा रहे हैं। हम 39 परसेंट कर्जा ले चुके हैं। राजस्थान में 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। चार वर्षों में हमारी जी.डी.पी. तो बढ़ी है केवल 67 परसेंट और हमारा कर्जा बढ़ा है 100 परसेंट। आज राजस्थान के एक व्यक्ति पर कर्जा 70,400 रुपये है और 15 परसेंट आबादी 5 हजार रुपये महीने से कम कमाती है। राजस्थान की 10 परसेंट आबादी 25 हजार रुपये महीने से कम कमाती है। 50 परसेंट आबादी के पास

(श्री अशोक लाहोटी)

नहीं के बराबर सम्पत्ति है। उस राजस्थान के प्रति व्यक्ति पर इतना बड़ा कर्जा डालने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान स्टेट को फाइनेंशियली पेरेलाइज्ड करके किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहा और राजस्थान के सो-कॉल्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर धारीवालजी ने कहा कि हमने 11.4 परसेंट की जी.एस.डी.पी. पर ग्रोथ ली है। यह बात सही है कि 2021-22 में 11.4 परसेंट की ग्रोथ ली है, पर मैं इनके बुद्धिमान अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि यह परसेंट का आंकड़ा निकाला किस से? कितना परसेंट बढ़ा, यह कौनसे आंकड़े से निकाला आपने? आप देखो, कोविड के दौरान 2020-21 में जब राजस्थान की ग्रोथ जी.डी.पी. पर माइनस 2.86 चली गयी थी, वह कोविड के दौरान सभी स्टेट्स की गयी थी। आपने उससे परसेंटेज की गणना कर ली, तब हम इतना बढ़ गये। आप 2019-20 से निकालो। 5 परसेंट ही बढ़े हो। 2019-20 में 5.70 परसेंट थी। 2020-21 में कोविड के दौरान माइनस 2.86 हुई और जब 2021-22 में नैचुरल है, जब ग्रोथ माइनस में चली गयी और उससे परसेंटेज में फलाओगे तो 11.4 निकलेगी। इसका मतलब आपकी जी.डी.पी. नहीं बढ़ी है। जी.डी.पी. का आंकड़ा निकाल लो, 5 परसेंट से ही बढ़ा है।

माननीय सभापति महोदय, आंखों में काजल लगा कर किताबों में तो लिख सकते हो। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को एक बार के लिए लोक लुभावनी बातें कहकर बेवकूफ बना सकते हो, पर जब घोषणाएं पूरी नहीं होंगी तो उस डिब्बे में 21 विधायक जैसे पहले आये थे न, उससे कम ही आयेंगे इस बार।

माननीय सभापति महोदय, आप यह देखो। मान लिया कि आप पूरा करोगे। चार साल में सरकार के बजट की क्या स्थिति रही है। ईमानदारी से देखो। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी आपको एक आंकड़ा देता हूं कि चार साल में सरकार के बजटों की स्थिति क्या रही है। चार बजट आपने पेश किये। तीन एक्चुअल आ गये और एक आर.ई. आ गया। इस सरकार ने कुल बजट 11,22,405 करोड़ रुपये का पेश किया। इस सरकार के पास आन टैक्स के रूप में रेवेन्यु जो आपके पास आयी है, वह 2,87,000 करोड़ रुपये आयी है। यानी कुल बजट का केवल 25 परसेंट रेवेन्यु आपके पास आयी है।

(श्री अशोक लाहोटी)

केन्द्र सरकार को, जो भी माननीय सदस्य यहां पर खड़ा होता है, वही गाली देता है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से आपको क्या मिला। आप कह दो कि जी.एस.टी. में हमारा अधिकार है। बिलकुल है, लेकिन 14 परसेंट गारंटेड था इसलिए आपको मिला। जी.एस.टी. में आपको सेन्ट्रल शेयर 1,83,160 करोड़ रुपये मिला। ग्रांट में तो आपका शेयर नहीं था। केन्द्र सरकार ने 1,34,166 करोड़ रुपये ग्रांट दी। यानी आपकी इन्कम 2,87,000 करोड़ रुपये थी और केन्द्र से आपको 3,17,000 करोड़ रुपये मिले। आपको 28,700 करोड़ रुपये केन्द्र से ज्यादा मिले। आपकी इन्कम से ज्यादा मिले हैं। आप कहते हो कि केन्द्र ने क्या दिया? सब कुछ केन्द्र ही देगा तो फिर आप क्यों राज्य चला रहे हो? आपका क्या मैनेजमेंट है? आपकी क्या फाइनेंशियल स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है, ठीक है आपने रेवेन्यु एक्सपेंडिचर खर्च किया 8,12,680 करोड़ रुपये। यानी आपके कुल बजट का 72.37 परसेंट आपने सैलेरी में, पेंशन में, इन्ट्रेस्ट में गया। यह राजस्थान की स्थिति है। मैं एक्चुअल बता रहा हूं। यह मैं बजटिंग का नहीं बता रहा हूं। 72.37 परसेंट रेवेन्यु में चला गया। यानी उसमें कोई डवलपमेंट नहीं था। डवलपमेंट में आपने कैपिटल आउट ले में जो डवलपमेंट में खर्चा किया, वह किया मात्र 82,374 करोड़ रुपया। यह खर्चा था 7.3 परसेंट। यानी चार सालों में जितना बजट पेश किया, उसका 7.3 परसेंट खर्चा केवल कैपिटल आउट ले में किया है और आप राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हो। आप कह रहे हो कि हमारी डवलपमेंट की सरकार है। हमने यह किया, हमने वह किया, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। यह फिगर बता रहा है कि आपने क्या किया। यही राजस्थान की जनता हर चौराहे पर, हर पार्क में, हर गांव में, हर चौपाल पर और हर ढाणी में बात करती है कि यह गयी। गयी, यानी सरकार गयी। वह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका कैपिटल आउट ले नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आम जनता को केवल विकास से मतलब होता है और वह इस सरकार का 7.3 परसेंट है। खर्चा क्यों नहीं हुआ? सरकार की आप इन्कम देखो। इन्कम कितनी हुई? जो मैंने बतायी वह तो टोटल इन्कम है। अब आप देखो कि सरकार का जो राजस्व था, आपने 2021-22 में घोषणा की कि हम 90,000 करोड़ लायेंगे और मिला कितना, 74,000 करोड़

(श्री अशोक लाहोटी)

रुपया, 18 परसेंट कम। फिर आपने 2022-23 में कहा कि 98,000 करोड़ रुपये लायेंगे। 6 प्रतिशत कम, 92,000 करोड़ रुपये आया और इस बार बजट की जी.डी.पी. बढ़ा कर रखने के लिए, लोन ज्यादा लेने के लिए आपने लिख दिया कि 1,14,000 करोड़ लायेंगे। यह एप्रोप्रिएशन है या मिस एप्रोप्रिएशन? पहले आप ला नहीं पाये तो फिर आप इस बार 1,14,000 करोड़ कैसे ले आओगे? इसका कोई तो जस्टिफिकेशन होगा? मैं कहता हूं कि उन अधिकारियों की ए.सी.आर. में तय किया जाए कि जो वह लिख कर लाए और यदि वह एचीव नहीं हुआ तो उनकी ए.सी.आर. नेगेटिव भरी जाए। तब यह आउटकम बजट का रिजल्ट आयेगा। मर्जी आए जो लिख कर ले आते हैं। आप पहले कुछ लाये नहीं और आप कह रहे हो कि हम 1,14,000 करोड़ लायेंगे। कैसे लाओगे? इसका कोई प्लान तो होगा? (व्यवधान) ऑफलाइन बजट मैं आपको दूंगा अभी न, कि आपने ऑफलाइन बजट में कितनी बोरोइंग कर ली?

माननीय सभापति महोदय, टोटल लैड रिसीट के लिए कहा कि 2,16,000 करोड़ रुपये लायेंगे। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लायेंगे, चलो मान लिया, लायेंगे तो इसी 2022-23 के दिसम्बर तक आप लाये हो, 1,32,000 करोड़ रुपये यानी 83,000 करोड़ रुपये कम लाये हो। (व्यवधान) रेवेन्यु बढ़ी नहीं, कम हो गयी, माननीय।

श्री सभापति: आपस में नहीं। प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 83,000 करोड़ रुपये कम। आप कह रहे हो कि हम लेकर आयेंगे। कहां से लेकर आओगे? तीन महीने में 83,000 करोड़ ले आओगे? फिर भी मेरी शुभकामना है, आप लाओ। आप देखो कि इस पूरे बजट में पूरी इन्कम 2022-23 में आपने लिखी है कि 92,798 करोड़ और सेन्ट्रल से मिल रहा है इस साल भी आपको। आपने लिखा है कि हम 92,000 करोड रुपया लायेंगे। सेन्टर का आपका ही फिगर बता रहा हूं, बजट एट ए ग्लांस में देखो। आपने लिखा है 1,07,000 करोड़ रुपये हमको सेन्टर देगा। सेन्टर आपकी कुल इन्कम से भी आपको ज्यादा दे रहा है और वह जी.एस.टी. का कम्पन्सेशन खतम होने के बावजूद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इन बुद्धिमान सदस्यों से यह पूछो और आप देखो कि जी.एस.टी. में एक मद इन्होंने लिखी है कि जी.एस.टी. कम्पन्सेशन ग्रांट मिलेगा 2,350 करोड़ रुपये। मैं पूछना चाहता हूं। आप

(श्री अशोक लाहोटी)

रिप्लाई देते समय रिप्लाई दें। जब ग्रांट बंद ही हो गयी, कम्पन्सेशन खतम ही हो गया जून में तो 2,350 करोड़ रुपये आपको कहां से मिलेंगे? उसका हिसाब देओ या ऐसे ही लिख दिया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि रिसीट तो आपने देखी। आप देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने कहा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कितना है और उसका क्या हिसाब है? 2021-22 में सरकार ने कहा था कि हम जनता के विकास पर 26,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और वह बजट आ गया। आपने खर्च किये 24,000 करोड़ रुपये। 7 परसेंट आप कम खर्च कर पाये। खर्चा भी कम कर पाये आप। फिर आप देखो 2022-23 में, इसमें आपको आश्चर्य होगा, माननीय सभापति महोदय, कहा 34,000 करोड़ खर्च करेंगे। आप खर्च कर पाये 29,000 करोड़ रुपये और इस साल के दिसम्बर तक जो खर्चा करना था इस करंट ईयर में, उसमें आपने खर्चा किया केवल 13,802 करोड़ रुपये, यानी आपने कुल ही 38 प्रतिशत खर्चा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और आप इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं। आप खर्चा कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? एप्रोप्रिएशन है कि मिस-एप्रोप्रिएशन है? इसको कहां एप्रोप्रिएट किया? आपने पूरे बजट में दिसम्बर तक 13,802 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए अधिकारियों से कहूंगा इसको नोट कर लो, जवाब देना कि अब तक इन दो महीनों में कितना हो गया है? यह जो 38 प्रतिशत ही खर्चा हुआ है, यह आप कब तक 100 प्रतिशत कर दोगे? यदि यह मिस-एप्रोप्रिएट हुआ है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? आपने मुख्य मंत्रीजी को लिखकर दिया, उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन जब तक इनकी ACR में इस तरह की मिस-एप्रोप्रिएशन की ACR नहीं भरोगे, तब तक इस बजट का कोई महत्व नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब आप आगे का फिगर देखो। 38 प्रतिशत खर्चा किया है इस साल और अगले साल हम लिख रहे हैं, हम बढ़ाकर लिख रहे हैं कि 38,000 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे। इस साल 13,000 करोड़ खर्चा करोगे, अगली बार लिख रहे हो 38,000 करोड़ कर दोगे। आप कैसे कर दोगे? माननीय सभापति महोदय, आपका ट्रेक रिकार्ड तो देखो। चलो मान लिया, आप 38,000 करोड़ कर दोगे तो यह आपके बजट का कितना प्रतिशत है? केवल 9.7 प्रतिशत, आपकी घोषणा के अनुसार।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप

(श्री अशोक लाहोटी)

टेबल में यह देखो, सबसे बड़ी बात कि अभी एसोचैम ने, फिक्की ने यह चिंता जताई है कि हमारे बजट को सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तस्करी और जाली वस्तुओं से। राजस्थान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा नुकसान है। तस्करी के मामले 163 प्रतिशत बढ़े हैं। मोबाइल हो, इलेक्ट्रोनिक घरेलू उत्पाद, खाद्य पदार्थ, तम्बाकू, शराब, अफीम और आजकल तस्करी का एक नया माफिया बना है। वह बना है आयल और क्रूड का। कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित है, किसके संरक्षण में हो रहा है? यह बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है। यदि इसी तरह से तस्करी होती रही तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। माननीय सभापति महोदय, बड़े-बड़े अधिकारी और प्रभावशाली लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह, नेटवर्क बना हुआ है, जिसमें यह तस्करी का जाल राजस्थान में चल रहा है और राजस्थान को हजारों करोड़ रुपये की इन्कम का लोस राजस्थान के बजट में हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक स्टडी के मुताबिक 22,000 करोड़ रुपये का सालाना हमारे यहां पर तम्बाकू का सेवन हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स स्लैब है, उसमें 45 से लेकर 65 प्रतिशत तक का इसमें राजस्व है, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपये राजस्व आना चाहिये। गुटखा, पान पराग, जर्दा, सिगरेट तम्बाकू में आते हैं। 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व आना चाहिये और कितना आ रहा है? मात्र 400 करोड़ रुपये से भी कम राजस्व आ रहा है, यानी साढ़े 9 हजार करोड़ का राजस्व पर किसके इशारे से चूना लग रहा है? ऐसा कौनसा गिरोह है? यह कहां जा रहा है? 80 प्रतिशत इसका व्यापार नकद में हो रहा है। 75 प्रतिशत अवैध कारोबार हो रहा है और मैं सदन में मांग करता हूं कि जिस प्रकार शराब की नीति बनायी, या तो इसको बंद करें या इस तम्बाकू में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करें। यह राजस्थान की जनता को भी खोखला कर रहा है। राजस्थान के युवाओं को खोखला कर रहा है और राजस्थान के बजट को खोखला कर रहा है। यह साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये की लीकेज है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, इस बार के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक फिगर बोला कि हम डीजल और पेट्रोल पर जो छूट दे रहे हैं, उस छूट के कारण 7,000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार राजस्थान इस वर्ष भी वहन करेगा। मुझे भी पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। मैंने

(श्री अशोक लाहोटी)

उसको पढ़ा, फिर जब कम्पेरिजन किया तो चार रुपये की छूट दी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और उससे कितना वित्तीय भार पड़ा 7,000 करोड़ का लिखा है और आप पड़ोस के स्टेट से कई सालों से पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनसे 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये लीटर ज्यादा पैसा ले रहे हो तो उन स्टेट से ज्यादा इन्कम भी, लगभग 35 से 40 हजार करोड़ की एक्स्ट्रा कर रहे हो। इसका तो आपने कभी जिक्र नहीं किया कि इन पड़ोस के राज्यों से 35-40 हजार करोड़ रुपये हम एक्स्ट्रा राजस्थान की जनता से लूट रहे हैं। 7 हजार करोड़ रुपये की छूट का तो आपने लिख दिया और जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, उसको आपने नहीं लिखा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक आरोप और लगा रहा हूं, इसके बावजूद भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा नुकसान है। माननीय सभापति महोदय, आपका खुद का जिला हरियाणा के लगता हुआ, दिल्ली के लगता हुआ है। कितनी वहां पर पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है, यह आपको खुद को आंकड़े पता है। कितना वहां पर नुकसान हो रहा है? कितना राजस्व का नुकसान हो रहा हैं? कितने ही लोग तस्करी में लिप्त हैं? हमारा कितना क्राइम रिकार्ड बढ़ रहा है? कितना क्रिमिनल रिकार्ड बढ़ रहा है? इस प्रकार की पालिसी के कारण यह मिस-एप्रोप्रिएशन है राजस्थान के बजट का।

माननीय सभापति महोदय, टैक्स ज्यादा होने से नुकसान होता है। राजस्थान में लगभग 13,000 कारें बाहर की स्टेट्स से चल रही हैं, क्योंकि हमारे यहां पर कारों पर टैक्स ज्यादा है और उससे 65 करोड़ रुपये का नुकसान राजस्थान को हुआ है। यदि यह मिस-एप्रोप्रिएशन ठीक नहीं करेंगे तो राजस्थान का बजट कभी एक्चुअल बजट पर नहीं आ पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोलकर चले गये, वह कह रहे थे, आफ बजटिंग का बताना। मैं यह आफ बजटिंग का बता रहा हूं। आपने 5,80,000 करोड़ रुपये लोन तो लिखा, लेकिन आपने अभी जल जीवन मिशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये हुडको से लिए और उसमें आपने एक लाइन लिखी है जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम द्वारा स्वयं ही स्रोतों से इसकी री-पेमेंट की जायेगी। यह है आफ बजटिंग, जो आपने 4-4 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार से कितने डिपार्टमेंटों में लिए हैं, वह आप यदि जोड़ोगे तो यह 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जा राजस्थान की सरकार

(श्री अशोक लाहोटी)

कर चुकी, जो आजादी के बाद 2018 तक हुआ था, इन साढ़े चार साल में उसको डबल कर चुके। यह आफ-बजटिंग है और ऐसा हर विभाग में किया है।

माननीय सभापति महोदय, आप सरकार का एक और चरित्र देखो। राजस्थान में एक बैंक है AU Bank, उसमें यह लिखा हुआ है AU Small finance Bank, यह बैंक के उस पर लिखा हुआ है। AU Small finance Bank का आप देखो, इसकी आथोराइज्ड कैपिटल है 1,200 करोड़ रुपये मात्र। इसकी पेड-अप कैपिटल है 666 करोड़ रुपये मात्र, यानी Small finance Bank है, लेकिन इसको सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने टेंडरों में तो लिख रही है कि नेशनलाइज्ड बैंक से ही सारी चीजें सब्मिट करें टेण्डर डाकूमेंट में और सरकार ने अपनी 11 योजनाएं, माननीय सभापति महोदय, 11 योजनाएं- जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अजमेर स्मार्ट सिटी, जयपुर स्मार्ट सिटी, उदयपुर स्मार्ट सिटी, कोटा स्मार्ट सिटी, स्कीम फोर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा एण्ड माइनोरिटीज, राजस्थान सेल्फ एम्प्लायमेंट इंस्टीट्यूट, परवाना मेजर इंस्टीट्यूट, मेजर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट-झालावाड़, परवन और नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट, लगभग-लगभग राजस्थान की 25 हजार करोड़ रुपये की स्कीम्स में इस बैंक से आपकी अकाउंटिंग चल रही है। इस बैंक को क्या फायदा दे रहे हैं? जिस बैंक की पेड-अप कैपिटल 1,200 करोड़ हो, 600 करोड़ हो, उसमें 25 हजार करोड़ रुपये के आपके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। 11,000 करोड़ का जल जीवन मिशन और आप देखो, इस वीक के 1,177 करोड़ रुपये बैंक के अकाउंट में पड़े हैं, जितनी बैंक की पेड-अप कैपिटल नहीं है, उससे ज्यादा तो इसके पास सरप्लस पैसा गवर्नमेंट का पड़ा है। पिछले वीक का 880 करोड़ रुपया पड़ा है। यह इस प्रकार का फायदा देने का काम कर रहे हैं। यह क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि इन छोटी स्माल फाइनेंस बैंक में सरकार की इतनी बड़ी योजनाओं को इन्कार्पोरेट करने की? क्या मंशा है सरकार की?

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, सरकार का फाइनेंस का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में वित्तीय प्रणाली IFMS से सरकार के अधिकारियों को एकदम से ध्यान आया कि हम इसको ओरेकल पर शिफ्ट करेंगे। कहीं से कोई ज्ञान आया होगा कि ओरेकल पर शिफ्ट करेंगे। अब ओरेकल पर शिफ्ट करने का आप देखो कि ओरेकल पर शिफ्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम, जो भारत सरकार की NIC करती थी,

(श्री अशोक लाहोटी)
सरकार की पूरी वित्तीय व्यवस्था, जिसमें ट्रेजरी, राजकोष, ई-ग्रास पेसेंजर, पे-मैनेजर सब शामिल हैं, यह IFMS में चलता था, केन्द्र सरकार की एजेंसी जो NIC है, उसमें राज्य सरकार की मंशा पर यह लिखकर दिया कि ठीक है, आप ओरेकल पर जाना चाहते हैं, हम यह सिस्टम आपको 65 करोड़ रुपये में डवलप करके दे देंगे। कितने में? माननीय सभापति महोदय, 65 करोड़ में। सरकार कह रही है नहीं, हम प्राइवेट लोगों से करायेंगे और सरकार ने 500 करोड़ रुपये का पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बदलने का काम शुरू कर दिया। तीन RMB कॉल कर ली। लगभग 100 करोड़ रुपये की तीन RMB कॉल कर चुके।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि यह सरकार के बजट की होर्डिंग और सरकार के फेस चमकाने की योजनाएं हैं, कहीं वह इस तरह की सॉफ्टवेयर कम्पनियों के माध्यम से तो नहीं हैं। जो काम भारत सरकार की कम्पनी 65 करोड़ में कर रही है, उसके लिए सरकार के अधिकारी कह रहे हैं हम तो 500 करोड़ में करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि छह महीने बचे हैं सरकार के, एक-एक चीज की आडिट होगी, कोई गलतफहमी में नहीं रह जाए, एक-एक चीज की आडिट होगी। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात राजस्थान गवर्नमेंट का एक-एक व्यक्ति का, आठ करोड़ लोगों का जो इसमें डाटा है, क्या वह विदेशों में बैठी कम्पनियों को देना चाहते हैं? हर आदमी की प्राइवेसी लीक करना चाहते हो, हर आदमी के फाइनेंस का डाटा उनको देना चाहते हो?

माननीय सभापति महोदय, एक और आप देखिए, बड़ी बात की कि 3,000 के एक करोड़ पैकेट हम देंगे, हम मिड डे मील देंगे, पोषाहार देंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मिड डे मील और पोषाहार में हो क्या रहा है। राजस्थान में मिड डे मील और पोषाहार में 4,000 करोड़ का सारा जो काम है, वह आपने कॉनफैड के माध्यम से कराने का निश्चय किया कि हम इसको कॉन्फैड से कराएंगे। चलो, यह आपका इंटरनल एडजस्टमेंट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से कराएं, पर कॉन्फैड जिस काम को करेगी उसका टेंडर तो कॉनफैड करे। उसका रेट कांट्रेक्ट ही नहीं है कॉन्फैड के पास। मिड डे मील और पोषाहार में 400 करोड़ रुपये का प्रति माह घोटाला किया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ सदन में आरोप लगा रहा हूं और यह भी कह रहा हूं कि सदन में इस चीज पर एक दिन के लिए पूरी चर्चा रख लें, मैं इसको साबित करने के लिए पूरे डाक्युमेंट सब्मिट करूंगा।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, जो अधिकारी आंख बंद करके इस तरह का काम कर रहे हैं, रेट कांट्रेक्ट प्राइवेट कम्पनियों को दे दिया, 70 प्रतिशत माल आंगनबाड़ियों तक पहुंच ही नहीं रहा है। कैटलफीड का सामान जा रहा है। पशु भी जो सामान नहीं खाते उस तरह का सामान वितरित किया जा रहा है। इसकी आडिट करवा लें आप, इन्डिपिडेंट एजेंसी से करवा लें। माननीय सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आरटी.पी.पी. एक्ट का उल्लंघन जो अधिकारी करवा रहे हैं न, वह मनीष सिसोदियाजी वाला सेम ही केस था दिल्ली में। कोई गलतफहमी में नहीं रहे, छह महीने बाद जैसा मैंने कहा कि सरकार बदलेगी और इन सब चीजों की आडिट होगी, जो अधिकारी गलतफहमी में रहकर इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, वे अभी से सावधान हो जाएं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैंने कहा कि आफ बजटिंग का और देखिए आप कि सरकार किस प्रकार हर साल आफ बजटिंग बढ़ा रही है। आप देखो कि 2021-22 का बजट, सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि 2,50,000 करोड़ रुपये का बजट है और जब आपका एप्रोप्रिएशन आया तो कर दिया 2,90,000 करोड़ रुपये। मैंने सोचा कोई सरकार की योजनाओं पर खर्च हुआ होगा। आप देखो उसमें 2,90,000 करोड़ रुपये में, माननीय सभापति महोदय, आपकी बोरोइंग होनी थी 61,000 करोड़ रुपये, सरकार ने कर ली 1 लाख करोड़ रुपये। 40,000 करोड़ रुपये आपने आफ बजटिंग में बोरोइंग की। यह आपने 2021-22 में किया। 2022-23 में आप देखो, आपने बजट की घोषणा की थी 3,46,000 करोड़ रुपये और जब आप एप्रोप्रिएशन लाये और जब इस बार फाइनल बजट आर.ई. में लेकर आये तो आपका आया 3,82,000 करोड़ रुपये। फिर आप देखो बोरोइंग लिखी थी 1,22,000 करोड़ रुपये, और बोरोइंग कर ली आफ बजटिंग में 1,50,000 करोड़ रुपये, इसमें फिर 28,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस बार आप कह रहे हो कि हम बोरोइंग करेंगे 1,48,000 करोड़ रुपये। पिछले साल आर.ई. में आप 1,50,000 करोड़ रुपये कर चुके पहले ही तो यह राजस्थान को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं कि अगले साल इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं। इतने सारे पैकेज दिये हैं, आपने कहा कि हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे और आप कह रहे हो कि हमारी बोरोइंग 1,50,000 करोड़ रुपये, क्यों? क्योंकि एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संतुलन दिखाने के लिए आपको कोई फिगर लिखना था और वह आप लिखकर ले आये।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, यह एप्रोप्रिएशन नहीं, राजस्थान का मिस एप्रोप्रिएशन है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और जो मैंने कहा कि सरकार की इस साल बजट की 157 घोषणाओं को देखा है, 157 घोषणाएं आपके 1,49,000 करोड़ की कैपिटल आउट ले की हैं, विकास की घोषणाएं हैं। इसमें मैं आपकी नौकरियों का पैसा नहीं जोड़ रहा हूं। उनकी सैलेरी नहीं जोड़ रहा हूं। यह केवल 1,50,000 करोड़ रुपये वे हैं जो इस बजट की किताब में 157 मदों में लिखे हुए हैं। आप बजट कितना रख रहे हो कैपिटल आउट ले में? आप बजट रख रहे हो 38,061 करोड़ रुपये। माननीय सभापति महोदय, 38,061 करोड़ रुपये की आप कैपिटल आउट ले में बजट की घोषणाएं कर रहे हो। आप सदन में 1,50,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा कर रहे हो। कौनसा सही है? या तो ये घोषणाएं सही हैं या यह बजट सही है। यह बजट कैसे पूरा होगा? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह बजट पूरा हो ही नहीं सकता। जब एक-एक साल आपको मिला तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका खर्चा कहीं 15 प्रतिशत कम है, कहीं 25 परसेंट कम है, कहीं 28 परसेंट कम है। पिछले साल तो केवल 38 परसेंट ही खर्चा किया है और आप इस साल कह रहे हो कि हम इतना खर्चा कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप एकएक मद देख लो। कई डिमांड्स पर चर्चा हुई हैल्थ, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, वाटर सैनिटेशन, हाउसिंग, अरबन डवलपमेंट में देख लो। वेलफेयर आफ एस.सी. एंड एस.टी., जिसकी सरकार सबसे ज्यादा बात करती है, भारत में सबसे कम, पूरे भारत का नेशनल एवरेज 3.5 प्रतिशत है और राजस्थान का 0.79 परसेंट, केवल 0.79 परसेंट। यह आपका बजट है और आपने बजट कितना रखा है, आपने 766 करोड़ रुपये केवल, 3,90,000 करोड़ रुपये के बजट में एस.सी. एंड एस.टी. वेलफेयर डवलपमेंट में केवल 766 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह सरकार जो बजट लेकर आई है, वह बजट पूरा नहीं कर पाएगी। यह बजट औंधे मुंह गिरेगा। राजस्थान की जनता के साथ यह बजट छलावा है। यह बजट धोखा है। यह बजट फरेब है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री दानिश अबरार।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र, विधायक साहब का मैं पूरा भाषण, आधे घंटे का सुन रहा था। जिस तरह से सरकार की तारीफ आपने की और कहा कि असत्य है, फरेब है। मेरी बात की शुरुआत मैं एक शेर से करता हूं

"उसने पूछा, उसके होने, नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है?
मैंने कहा, कभी-कभी एक इंसान के नहीं होने से,
पूरी कायनात बदल जाती है, खाली हो जाती है।"

मेरे साथी बार-बार कल्पना करके अधिकारियों को बड़े तरीके से यहां धमका रहे हैं, छह महीने बाद यह होगा, छह महीने बाद यह होगा। पहली बात तो यह कि आप अपने आप को सुधार लो, छह महीने नहीं अभी पूरे आठ महीने पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो तमन्ना और आरजू है, लाहोटी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, उसका जवाब भी मैं उनको दे देता हूं।

"देखना तू तमाशा होगा, बड़े कमाल का होगा,
तेरा कामयाब हो जाना एक बवाल-सा होगा,
जितने भी देख रहे हैं तेरी ओर हारने के लिए,
तेरे जीत जाने पर इनका क्या हाल होगा?"

यह पता चल जाएगा दिसम्बर में। क्या हाल होगा? आज इस सदन के अंदर मैं तो सोचता था कि नेता हैं, मंत्री हैं, मैं तो पहली बार आया हूं। मुझे नहीं पता था कि इस सदन में भविष्यवाणी करने वाले बड़े-बड़े पंडित भी बैठे हैं। यह तो मुझे आज पता चला है क्या होगा, यह राजस्थान की जनता तय करेगी, आपके तय करने से यहां नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जिस तरह से आंकड़ों का जाल बनाने में, बिछाने में, प्रचार करने में एक्सपर्ट हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मेरी आंखें बराबर हैं और चश्मा भी बराबर लगाकर रखता हूं। इसलिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, यह दिखता मुझे बराबर है। इसमें कभी संदेह आप मत करना। आज यहां मेरे सामने बैठने वाले साथी कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: इन्होंने आपको सुना है, अब आप इनको सुनिए।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): सुनना पड़ेगा। ढंग से सुनना पड़ेगा।

(श्री दानिश अबरार)

हमारी सरकार इस बजट के अंदर चिरंजीवी योजना लेकर आई। पहले 10 लाख लेकर आई और अब 25 लाख का कर दिया। जब आपको हमारे आंकड़ों में इतना ही शक था तो चिरंजीवी योजना 10 लाख की चली, सफल हुई और तब जाकर उसको बढ़ा कर हमने 25 लाख रुपये का किया। दुर्घटना में पहले 5 लाख रुपये देते थे, जब चली, सफल हुआ तो उसको बढाकर 10 लाख रुपये का किया।

माननीय सभापति महोदय, यह जो आंकड़ों का जाल बिछाते हैं, मैं इसको ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं आपको मेरे सवाई माधोपुर का एक वाकया सुना देता हूं। सवाई माधोपुर में मेरी आंखों के सामने एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे उससे गिरे, गिरते ही एक गाड़ी रुकी, मैं भी रुका, उतरकर गया। एक साथी ने दूसरे से कहा कि इसको फटाफट बाजू वाले अस्पताल में लेकर जाओ तो दूसरे ने कहा कि वह तो प्राइवेट हास्पिटल है, इसको तो जिला हास्पिटल ले चलो, पर वह दूर है। वहीं एक ने क्या बोला कि चिरंजीवी है, ले जा, हो जाएगा। यह हो रहा है जमीन के ऊपर। वह अस्पताल भी पहुंचा, इलाज भी हुआ, सर्जरी भी हुई, ठीक भी हो गया, घर भी पहुंच गया और जेब का टका पैसा भी नहीं लगा। यह देख रही है मेरी आंखें। यहां आप चाहे कुछ भी कहते रहो, सुनते रहो, पर धरातल की जो सच्चाई है वह यह है। मैं सभी साथियों को, जितने सामने बैठे हैं, उनको एक चैलेंज के साथ बात कहता हूं कि ये करेंगे तो क्या करेंगे। जब इतनी सारी भविष्यवाणियां हो गईं तो मैं भी भविष्यवाणी कर देता हूं कि ये कुछ नहीं करेंगे, और अब कभी भी दस-बीस साल बाद इनका नम्बर आयेगा तो ये सिर्फ योजना का नाम बदल देंगे। इनकी कला ही इसमें है। अब जैसा कि दिलावर साहब कह रहे हैं कि अभी होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है।

इस देश में ग्रामीण महिलाओं की आंखों में चूल्हा जलाते-जलाते आंसू आते थे और हमने आंखों से देखा है। उम्र कम है, लेकिन गांवों में घूमे हैं। उन आंसुओं को पोंछने के लिए सिलेण्डर गांव-गांव में पहुंचाये गये। आज उन्हीं महिलाओं के वे सिलेण्डर खरीदने में फिर से आंसू आ रहे हैं। आंसू पोंछने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी सरकार, गहलोत सरकार कर रही है। उन आंसुओं को पोंछने के लिए पूरे राजस्थान में घोषणा कर दी कि मात्र 500 रुपये में सिलेण्डर गांव-गांव, घर-घर दिये जायेंगे। दावे के साथ चैलेंज करके

(श्री दानिश अबरार)

सदन में कहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं, बल्कि चैलेंज करता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में कहीं पर आप 500 रुपये में सिलेण्डर दे रहे हो तो यहां खड़े होकर आप जवाब दीजिये। आंसू पोंछने का काम आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार आंखों के आंसू पोंछ रही है। चूल्हे के आंसू पोंछने के बाद सिलेण्डर के आंसू ला दिये। जहां तक बची बात घड़ियाली आंसुओं की तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है, आपकी स्मृति ईरानी जी एक्चुअली टी.वी. एक्ट्रेस थीं ...(व्यवधान) आप बैठ जाइये। आपके तो हमेशा से स्प्रिंग लगी हुई है। मैं जब खड़ा होता हूं तो आप खड़े हो जाते हो। आप अपनी स्प्रिंग को अपने पास रखो।

श्री सभापति: बैठिए। प्लीज, सुनिए। दिस इज नोट अलाउड। आपको सुनते हैं, इनको भी सुनिए आप।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): स्मृति ईरानी जी केन्द्रीय मंत्री हैं, मैं उनका आदर-सम्मान करता हूं और मंत्री के साथ-साथ टी.वी. एक्ट्रेस भी रही हैं, क्योंकि 'सास भी कभी बहू थी' में हम सबने देखा है। मैंने भी, बचपन में एट्थ, नाइंथ में पढ़ता था, तब देखा है। जब 410 रुपये का सिलेण्डर था और 411 भी होते थे तो ये बड़े-बड़े घड़ियाली आंसू आते थे। गले के मंगल सूत्र टूटते थे, मांग के सिन्दूर हटते थे, क्या नाटक-तमाशा होता था। आज हजार रुपये के पार, पर फिर भी कोई नाटक-तमाशा नहीं, चुप, सुन्न। क्यों भाई? लेकिन आज अगर कोई जागा तो हमारी सरकार जागी और हिन्दुस्तान के अन्दर घोषणा कर दी कि 500 रुपये में सिलेण्डर देगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अन्दर देगी। आपको क्या पता महंगाई कहां जा रही है। लोगों के घरों में महंगाई के चक्कर में सगाई रुक रही हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि गरीब की आंखों में आंखें डालकर करीब से जाकर पूछना कि महंगाई की मार गरीब को कैसे मारती है। चुनावों में आपने अच्छे दिन के वादे किये, आय बढ़ाने के वादे किये, पर बढ़ाया क्या? सिलेण्डर, डीजल, पेट्रोल, यह बढ़ाया। साथ ही इस बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे ताज्जुब है और शक है कि कुछ दिनों बाद हमारी जेब में आधार कार्ड नहीं होंगे, बल्कि उधार कार्ड लेकर इस देश के अन्दर लेकर घूमना पड़ेगा।

हमारे राठौड़ साहब हैं हाउस में, आप जाते-जाते वापस आ गये। मैं ही था आज से चार साल पहले और इसी हाउस में कोरोना से पहले मैं वहां बैठता था, लेकिन आज यहां बैठने लग गया। तब पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा

(श्री दानिश अबरार)

टीचर और मदरसा पैरा टीचर को लेकर मैंने कहा था कि कोई भी कम नहीं है, न उधर वाले, न इधर वाले। 10-10, 15-15 साल हो गये जूते रगड़ते-रगड़ते, तेल फूंकते-फूंकते, लेकिन उनका भला न उन्होंने किया था, न हमने किया। लेकिन अब मैं पिछले 10 साल नहीं, 9 साल की बात करता हूं। राठौड़ साहब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। वैसे मैं अधिकारपूर्वक अपने आपको उनका भतीजा मानता हूं, लेकिन पिछले पांच साल में जब इनकी सरकार आयी थी, चुनाव था तो घोषणा पत्र के पेज नम्बर 74 के बिन्दु नम्बर 4 पर कर्मचारी कल्याण हैड में आपने वादा किया था कि पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर का नियमितीकरण करोगे। आपका नाम मैंने इसलिए लिया कि आप नियमितीकरण कमेटी के अध्यक्ष थे। आपने उस कमेटी की कम से कम 100 मीटिंगें कीं और पांच साल पूरे होने के बाद भी जो एक मजदूर की कमाई होती थी, उससे भी कम पर लाकर उनको छोड़ दिया। सिवाय बेवकूफ बनाने के आपने पांच साल तक कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आयी, सही को सही कहना चाहिए, मैंने कहा था कि हम भी कम नहीं हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि अगर आज इन सब पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, 1,10,000 संविदाकर्मी हैं, अगर इनको 7,200 रुपये महीने से 16,900 रुपये पर लाये तो हम लेकर आये, जिसके आदेश निकल चुके हैं। यह भी कह दिया है कि 8 साल की नौकरी कर लो, उसके बाद 29,600 रुपये और उसके बाद 8 साल की कर लो तो 51,600 रुपये लो, तो फैसले लेने आने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। हमने निर्णय लेकर दिखाया और लागू कर दिया कि यह हमने किया, जिसकी मुझे खुशी है।

मैंने बात कह दी तो हो सकता है कि बुरी लग जाए, तो एक अच्छी बात भी कह देता हूं। इस सरकार का इस कार्यकाल का यह अन्तिम बजट है। क्योंकि पहली बार का विधायक हूं तो काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ देखने को मिला। मुझे यह कहने में शक नहीं है कि अगर इस सदन की गरिमा रखी गयी, इस सदन में बात रखने के तंज हैं तो हमारी साइड से हमारे धारीवाल जी और सामने से राठौड़ साहब। अगर धारीवाल जी और राठौड़ साहब हमारे इस कार्यकाल में नहीं होते तो शायद हमें कुछ चीजें देखने को कम मिलतीं। धारीवाल साहब से हमने सीखा कि कैसे तंज हो, कैसे शेरो-शायरी हो, कैसे दबाव में नहीं आया जाए। राठौड़ साहब से भी सीखा कि कैसे आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर बोला जाए, कैसे बातों को तोड़-मरोड़कर बताया जाए और कैसे

(श्री दानिश अबरार)

हाथ का इशारा करके सबको खड़ा किया जाए। यह कला हमने सीखी है, और सच को सच बोलना चाहिए। लेकिन इस बात को कन्क्लूड करते हुए यह कहने में कोई शक नहीं है, मेरे जितने भी बी.जे.पी. के साथी बैठे हैं, ये दुर्योधन रूपी जितने भी आपके भान्जे हैं, आपने शकुनि मामा बनकर शतरंज की हर वह चाल चली, जिससे हमारे पर वार हों, लेकिन हमारे धारीवाल जी भी महाभारत के वे अर्जुन हैं, जिनका निशाना चिड़िया पर नहीं, चिड़िया की आंख पर रहा और हमेशा आपको बिठाया। ये चीजें इस कार्यकाल में सीखने को मिलीं।

बजट की बात चल रही थी तो दो बातें हैं, जो मेरे 40 साल का जीवन है, इसमें सीखा हूं। हर चीज का मेन्युपुलेशन, जुगाड़ हो सकता है, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी के दिल से, विश्वास से और आस्था से होती हैं। एक तो है वोट, जिसकी वजह से आप और हम यहां बैठे हैं और एक है जेब का नोट। आज की तारीख में तो बाप भी बेटे को पैसे नहीं देता जब तक कि कोई न कोई समीकरण ठीक नहीं हो। आप महिला आयोग में जाकर देखो कि बीवी आदमी के खिलाफ है, कमिश्नर साहब के आफिस में जाकर देखो तो आदमी बीवी के खिलाफ है, तो नोट और वोट वे चीज हैं, जहां विश्वास होता है, आस्था होती है, वहीं जाकर मिलती हैं तो वोट तो हमें मिल गये थे इसलिए यहां बैठे हैं। जहां तक नोट का सवाल है, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर से आता हूं, मेरे वहां पर जंगलात है, यही जंगल तब भी था और यही जंगल आज है। यही अधिकारी तब थे और यही अधिकारी आज हैं। यही सरकारें पहले थीं और यही सरकार आज है, लेकिन सवाई माधोपुर के जंगल के लिए निजी लोगों ने आपके 2018 तक लाख-दो लाख रुपये दिये होंगे, पर मुझे बताते हुए खुशी है कि आज निजी लोग जंगलों के लिए पैसे दे रहे हैं। मैं नाम लेकर अगर बोलूं तो एस्ट्रल कम्पनी ने 1.3 करोड़, हिन्दुस्तान टाइम्स ने 01 करोड़, आई.सी.आई.सी.आई. ने 25 लाख, अनिल अग्रवाल फाउण्डेशन ने एक करोड़, साढ़े तीन करोड़ रुपये जेब के दिये हैं। ये तो खैर बड़े सेठों के नाम हैं। अब मैं गरीब जनता की बात करता हूं। इस गरीब जनता को हमारी सरकार पर विश्वास है। जिस भी गांव में हम दौरे करते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आज की तारीख में हर ग्रामीण का एक काम केन्द्रित हो जाता है, हमारे गांव का स्कूल। आज मुझे यह बताते हुए खुशी है, मुख्य मंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना है। आप लेकर आये थे 2016 में, लेकिन

(श्री दानिश अबरार)

जनता ने 2018 में आपको मात्र 8 करोड़ रुपये दिये स्कूलों के लिए। वह जो पब्लिक से, गांव-गांव से इकट्ठा किये जाते हैं।

मुझे खुशी है यह बताते हुए यह हमारी सरकार का चेहरा है, हमारे मुख्य मंत्री जी का चेहरा है, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का चेहरा है, आज के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी का चेहरा है, इन चेहरों के ऊपर गांव के किसान, गांव की गरीब जनता ने हमें दिये हैं 18 करोड़ रुपये। जेब से निकालकर जनता ने पैसे दिये हैं आपकी स्कीम के ऊपर। आप स्कीम लेकर आये, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया, क्योंकि विश्वास नहीं था। स्कीम आपकी, लेकिन विश्वास हम पर है। आपको दिये टके, हमें दिये करोड़ों रुपये। हम करके दिखाएंगे।

सर, जैसा मैंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा, यह आंकड़ों का जाल, एप्रोप्रिएशन, मिस-एप्रोप्रिएशन, ये सब मैं ज्यादा समझता नहीं हूं। आई साइट थोड़ी कमजोर है, चश्मा लगाकर बराबर देख लेता हूं। आंखें मुझे पूरा दिखाती हैं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम असत्य हैं, असत्य घोषणाएं, कुछ नहीं करेंगे और न ही कुछ होगा। यह कहा। आज दावे के साथ कहता हूं। मेरे सवाई माधोपुर से आता हूं। हमारी घोषणा थी कि मेडिकल कालेज बनेगा, जाकर देख लें कि बन रहा है। हमारी घोषणा थी कि नर्सिंग कालेज बनेगा, जाकर देख लें कि बन रहा है। हमारी घोषणा थी, एग्रीकल्चर कालेज बनेगा, जाकर देख लें कि बन रहा है। हमारी घोषणा थी कि नया हास्पिटल बनेगा, जाकर देख लें कि बन रहा है। हमारी घोषणा थी कि जी.एस.एस. बनेंगे, जाकर देख लें कि बन गये। परसों फीता काटने जा रहा हूं। हमारी घोषणा थी कि पानी के डैम बनेंगे, जाकर देख लें कि बन गये। उनका भी फीता काटने जा रहा हूं। आंखों ने तो मुझे यह दिखाया है। (व्यवधान) नहीं, साहब, घोषणा भी हमारी थी, टेंडर भी हमने कराये, काम भी हमने करा दिया, पैसे भी हमने दे दिये, कसर नहीं छोड़ी, फीता भी अभी काट देंगे, आप चिन्ता मत करें।

सब कुछ हमारा ही था। ऐसा नहीं था कि पहले घोषणा हुई हो और हमने कर दिया। अगर किसी को शक हो तो मैं निमंत्रण देता हूं, टाइगर भी दिखाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखा दूंगा। आप आइए, पधारें। ... (व्यवधान) उद्घाटन की बात तो बाद में, पहले मुद्दे की बात कर लें, काम की बात कर लें, वह जरूरी है। आपसे ही करनी है, यही जगह है। मुझे काम की

(श्री दानिश अबरार)

बात एक यह करनी है, जो बहुत जरूरी है। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी विराजमान हैं, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हैं। त्रिनेत्र गणेश में हम सबकी आस्था है। मैं तो आपकी भी गारंटी ले रहा हूं। उस त्रिनेत्र गणेश जी के मन्दिर में जवान लोग तो चले जाते हैं, लेकिन बड़े-बुजुर्ग नहीं जा पाते, क्योंकि किला चढ़ना पड़ता है। हमारी सरकार ने उसके रोप-वे की घोषणा कर दी। उसके लिए 20 करोड़ रुपये अलोकेट कर दिये। आप से हाथ जोड़कर निवेदन है, केन्द्र सरकार से मुझे एन.ओ.सी. दिलाने के लिए साथ चल चलें। इसी कार्यकाल में 8-9 महीने से पहले-पहले रोप-वे भी बना देंगे, लेकिन आप लोग मेरी मदद करें। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सर, घण्टी मत बजाएं, मैं वैसे ही कम बोलता हूं। राजस्थान में आज एक ज्वलन्त मुद्दा चल रहा है वीरांगनाओं का। सर, किरोड़ीलाल जी माधोपुर से विधायक भी रहे। उन्हें अपने जीवनकाल में अगर मंत्री बनने का मौका मिला तो वह भी सवाई माधोपुर से बतौर विधायक बनने का मौका मिला। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक पर बोलें।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): सर, उसी पर आऊंगा मैं। मेरी आदत है, मैं तो घूमकर बजट पर आता हूं। कोई भी बात होगी, बजट पर तो आयेगी ही।

किरोड़ीलाल जी का हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं कि सामने बैठे सभी साथी एक तरफ, हमारे किरोड़ीलाल जी एक तरफ। इतने आन्दोलन उन्होंने कर दिये 200-250, और वे सही बातें करते हैं सारी, लेकिन वीरांगनाओं वाले मुद्दे पर यह बात इसलिए कहनी जरूरी है, सड़क पर भी और यहां पर भी हुई। साहब, जो बात वीरांगनाओं की होती है, शहीद की होती है या कोई आकस्मिक मृत्यु भी होती है, यह दर्द वही समझता है, जो रात को फोन उठाकर सुनता है कि आपके पिता जी नहीं रहे। मैंने सुना है। मेरे पिता जी भी राजनीति में थे। कार एक्सीडेंट में डैथ हुई। 3 बजे फोन आया, आपके पिता जी नहीं रहे। वही शहीदों के साथ होता है। सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे होते हैं, घर पर एक फोन पहुंचता है, आपका आदमी नहीं रहा। यह दर्द दिल के अन्दर समझने के लिए, वह तब तक महसूस नहीं होता,

(श्री दानिश अबरार)

जब तक बीतती नहीं है। राठौड़ साहब, यह आप कभी नहीं समझेंगे। आपकी पार्टी नहीं समझेगी। हर तरह से हम हमारी सरकार के फैसले के साथ हैं कि वीरांगनाओं को जो कुछ भी मिले, या तो उन्हें मिलना चाहिये या उनके बच्चों को मिलना चाहिये। बच्चों को मिलना चाहिये, चाहिये, चाहिये। यह दर्द समझना पड़ेगा।

साहब, यह तो आपने घण्टी बजा दी, इसलिए आखिरी बात कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। लाहोटी साहब चले गये। बातों-बातों में कोविड को ले आये थे वे। कोविड के पहले का, कोविड के बाद का बजट। कहने में कोई शक नहीं है, साहब। ये जितने भी हम यहां बैठे हैं, चाहे इधर के या उधर के, उस कोरोना काल में, दोनों ही बातें हैं, मेरा दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य तो इसलिये है कि अपने जीवन में कोरोना काल देखना पड़ा और सौभाग्य इसलिये है कि अपने जीवन में इस कोरोना काल में जनता की सेवा करने का भी मौका मिला।

आज इस कोरोना काल में जो सेवा इस सरकार ने, जो सेवा इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने की, मैं तो समझता हूं और सोचता हूं कि आप सबको, हम सबको मिलकर सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिये। मैं था उस वीडियो कान्फ्रेंस में, मैं स्वयं बैठा था उस वीडियो कान्फ्रेंस में, हम सब बैठे थे, हर एक व्यक्ति से मुख्य मंत्री जी ने उसका हाल-चाल पूछा। जो कोविड पॉजीटिव होता था, मुख्य मंत्री जी स्वयं उसे मॉनिटर करते थे। यहां चाहे कुछ भी बोलें, सच्चाई यह है, जितने भी बैठे हैं, सबने मिलकर एक-एक ने धन्यवाद दिया था। मैं उसका गवाह हूं। यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को काट दीजियेगा।

आखिर में अपनी बात को एक शेर के रूप में अर्ज करूंगा-

"मन्नतें तो सब मांगते हैं, आसमान में टूटा हुआ तारा देखकर,

टूटा ख्वाब लेकर मुस्कुराना सीखो, ऐसा एक जज्बा साथ में लेकर चलो।।"

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, हमारा सपना है, आत्म निर्भर भारत, स्वावलम्बी भारत, मेक इन इंडिया और मेक फोर वर्ल्ड। मात्र हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी काम करेंगे और दुनिया के लिए भी काम

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करेंगे। उसी दिशा में हमारी केन्द्र सरकार है, पर हमारी राजस्थान सरकार की उसमें कितनी सहभागिता होनी चाहिये, अगर दूसरे राज्यों के आप आंकड़े देखेंगे तो लगेगा कि हम अन्य राज्यों की तुलना में कहीं न कहीं पीछे हैं।

काम क्या है हमारा, देश की देश में बुराई करना और देश के बाहर जाकर भी विदेश में देश की बुराई करना। इससे यह सपना साकार नहीं होगा। आज खुशी होती है हमें, सुकून मिलता है, गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे देश की पहले विश्व में कैसी छवि थी, भारत एक गरीब देश, भारत में पिछड़ापन है, भुखमरी है, सपेरों का देश, पर इन 9 वर्षों में हमने जो यह लम्बी छलांग लगायी है, कितनी लम्बी छलांग, कभी किसी युग में वीर हनुमान ने लगायी थी लंका की, सीता की तलाश के लिए, आज हमने लगायी। आज वह लंका तो दरिद्र हो गयी, पर हम सोने की चिड़िया बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

600 साल की गुलामी या 600 साल का संघर्ष, उसके बाद भी हमें जितना आगे बढ़ना था आजादी के बाद, अगर 75 सालों का आकलन करेंगे तो 9 सालों के काम गवाही दे देंगे आपको कि जो काम 9 सालों में हुआ है, वह कभी नहीं हुआ।

पहले क्या हुआ? हमको मुगलों ने लूटा, बाद में अंग्रेजों ने लूटा, पीड़ा इस बात की है कि आजादी के बाद में अपनों ने भी लूटने में कोई कमी नहीं रखी। आज लूट बंद हुई न। ब्रिटेन, जिसके हम 200 साल तक लगातार गुलाम रहे, उसकी अर्थव्यवस्था को धकेलकर, उसको पछाड़कर, हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। जिस गति से हम चल रहे हैं, 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होंगे।

हमारा कितना बड़ा आकार हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में 150 लाख करोड़, हम 2020 में बढ़कर 232 लाख करोड़ तक पहुंच गये, 82 लाख करोड़ से भी ज्यादा और मात्र 8 वर्षों में।

स्टार्ट-अप इंडिया में विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। हम कितनी तेजी से औद्योगिक दिशा में बढ़ रहे हैं। परिणाम कैसा कि शुरू होने के तीन वर्षों में 104 यूनिकार्न, कोई मामूली बात नहीं है, एक यूनिकार्न 8 हजार करोड़ का। माननीय सभापति महोदय, इस बात का भी दु:ख होता है कि हमको भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

देश के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, इन 104 यूनिकार्न में राजस्थान में कहीं एक भी यूनिकार्न नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस दिशा में प्रयास करने के बारे में भी चिन्ता करनी चाहिए, यह मेरा उनसे आग्रह रहेगा।

यह मोदी का जादू है, जो चला तो पूरा विश्व मान रहा है। आप हमारी जी.एस.टी. का कलेक्शन देखें। ये बार-बार मोदी की बुराई, देश की बुराई...। उन्होंने जो अच्छे काम किये हैं, उसे देखकर हम यहां जो अच्छा कर सकते हैं उस दिशा में बढ़ेंगे तो देश के लिए भी हमारे राजस्थान का योगदान हो जायेगा।

हमारा जी.एस.टी. का इस साल का कलेक्शन 17 लाख करोड़ और वह भी कैसे, टैक्स में जो भी विसंगतियां थीं, हमने उनको कम किया, हमने टैक्स भी कम किया। हमने टैक्सदाता का शोषण भी बंद किया, भ्रष्टाचार भी बंद किया, उसके बाद में हमने कलेक्शन बढ़ाया। इन्कम टैक्स 2013-14 में था, 6,39,000 करोड़ रुपया और मात्र टैक्स पेयर थे, 1,30,000 लाख। अब 2023 में आप देखें, 2 महीने बाकी हैं, हमारा इन्कम टैक्स के रूप में टैक्स कलेक्शन हो गया, 14,71,000 करोड़ रुपया, मतलब दुगुने से भी ज्यादा। हमने स्लैब घटाई, टैक्स घटाया, हमने सारी झंझटें मिटाई हैं। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कहीं जाकर जांच कर ले या रिफण्ड के नाम से, स्क्रूटनी के नाम से, पैसा लूट ले। समय पर रिफंड भी दिया, भ्रष्टाचार भी कम किया और स्वेच्छा से टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ाई।

माननीय सभापति महोदय, हमारी विदेशी मुद्रा, एक काल में ऐसी शर्मनाक स्थिति आई थी कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, हमने सोना तक विदेशों में गिरवी रखा था। आज हमारी विदेशी मुद्रा 10 मार्च, 2023 को 562.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कोई मामूली नहीं होती है, यह एक अमीर देश की पहचान है। जबकि मार्च, 2014 में थी, 304.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 9 वर्षों में हमने 87 परसेंट की बढ़ोतरी की है, 298 बिलियन अमरिकी डॉलर की। उसके बाद भी देश की बुराई करें, उसके बाद भी पेट में दर्द, हमने खुद को अमीर ही नहीं बनाया, जो हमारे दुश्मन देश हैं, हमने उनको कंगाल बनाने का काम भी किया है। हमने दुश्मन देश पाकिस्तान को कैसा कंगाल बनाया?

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(समय: 14.44 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

लोग टीवी पर देखते हैं और अब हमने चाईना का नम्बर भी लगा दिया है। 'मेक इन इंडिया', 'मेड फोर वर्ल्ड'...। चाईना व अन्य देशों से हम खिलौनों का आयात करते थे, 2018-19 में, 2,960 करोड़ का, जो 2021-22 में घटकर मात्र 877.08 करोड़, 2083 करोड़ के खिलौने, मैं एक आइटम की बात कर रहा हूं, हमने अपने आपको इतना आत्मनिर्भर बना दिया, बेहतर क्वालिटी और 2,083 करोड़ का आयात कम।

माननीय सभापति महोदय, आप हमारा निर्यात देखें, 2018-19 में हमारा खिलौनों का निर्यात 1,612 करोड़ रुपये का था और 2021 में बढ़कर 2,601.5 करोड़ के खिलौनों का हमने निर्यात किया, लगभग 1,000 करोड़ ज्यादा और 2013 से तुलना करें तो 636 परसेंट की असीम वृद्धि, मैं एक आइटम की बात कर रहा हूं। चाईना अन्दर तक हिल गया।

हम दवाइयों के रॉ मैटेरियल के लिए चाईना के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें हमारा आयात था, जो कुल रॉ मैटेरियल था, उसका 70 से 80 परसेंट तक, कोविड के बाद के दो वर्षों में, हमने 25 परसेंट आयात कम किया, हमारा खुद का रॉ मैटेरियल, हिन्दुस्तान की धरती में कहीं मिल सकता है, उसको निकाला और उससे दवाइयां बनाईं। हमने 25 परसेंट आयात कम किया है और आने वाले कल में धीरे-धीरे यह भी कम हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, हालांकि चाईना से हमारा आयात कुल मिलाकर देखेंगे, सब मुद्दों में तो बढ़ा है, 2019 में हमारा आयात चाईना से 70 बिलियन डॉलर, 3 साल में बढ़कर 94 बिलियन डॉलर हुआ है। यह सही है, पर कारण क्या? हमने कच्चा माल ज्यादा लिया और उससे पक्का माल लेना बंद कर दिया और कच्चा माल इसलिए लिया कि 'मेक इन इंडिया' के जरिये हिन्दुस्तान की धरती पर उसका निर्माण करके, 'मेक फोर वर्ल्ड' के जरिये पूरे विदेशों में उसको बेच सकें। हमने किया भी, चाईना के पक्के माल का निर्यात अन्य देशों को था, उस मार्केट पर भारत ने कब्जा कर लिया। इसमें इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रिक्स, प्लास्टिक, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, कैमिकल्स, फर्टिलाजर्स, ये हमारी मजबूरी है कि इतने सालों तक देश की सरकारों ने प्रयास ही नहीं किया कि हिन्दुस्तान की धरती से इसको कैसे उत्पन्न किया जा सके। हमने प्रयास किया तो धीरे-धीरे परिणाम आ रहे हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आज हम विश्व के मार्केट में जिस प्रकार से अपना कब्जा धीरे-धीरे करते जा रहे हैं और चाईना को पीछे पछाड़ रहे हैं, तो आने वाले कल में, जिस प्रकार पाकिस्तान कंगाल हुआ है, यह चाईना भी कंगाल हो जायेगा। जिसने हम पर बुरी नजर डाली, चाहे पाकिस्तान ने डाली, ये नरेन्द्र मोदी हैं, जिसने नजर डाली, पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। चाहे चाईना भी हो, आप कितने ही उनसे नैन लड़ा लो, प्रेम की बात कर लो, आप और मैं आने वाले कल में देखेंगे, हमने कभी सोचा कि पाकिस्तान का ऐसा हश्र होगा? हमने नहीं सोचा था, वैसा ही हश्र चाईना का होगा, यह आने वाले कल में हम खुद देखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सभी आइटमों में, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, 2013-14 में माइनस 0.8 और 2021-22 में हमारी ग्रोथ 11.8 परसेंट हो गई, कहीं न कहीं नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना होगा, जिसने 'मेक इन इंडिया' के जरिये हिन्दुस्तान में यह काम किया है।

आप हमारा आयात देखें, हमारा निर्यात देखें, हमने 2013-14 में दवाइयों का निर्यात 90,415 करोड़ किया, हमने दवाइयां विदेशों को दीं। हमने आठ सालों में इसको बढ़ाकर 1,83,422 करोड़ की दवाइयां विश्व को दी हैं। हमने कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा हासिल की है। यह हम जानते हैं। 2022-23 में यही आंकड़ा 2,25,000 करोड़ होने की सम्भावना है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कैमिकल हो, चाहे प्लास्टिक हो, विश्व के बाजार में हम तेजी से चाईना के मुकाबले अपना काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह हमारे नरेन्द्र मोदी का जादू, यह हमारे नरेन्द्र मोदी का जलवा, पूरा विश्व इसको मान रहा है। आज चाईना की हालत क्या हो गई है? सैकड़ों मिलें बंद, हजारों फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारों की लम्बी बढ़ती फौज, भुखमरी की नौबत, यह हमने चाईना की हालत कर दी। माननीय सभापति महोदय, अब हमें दुश्मन देशों से किसी युद्ध की जरूरत ही नहीं है। हम आर्थिक रूप से इतने शक्तिशाली हो गये कि कोई हमारा दुश्मन देश हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए सोचेगा नहीं। हम तो वैसे ही उसको आर्थिक रूप से कंगाल करके उसको बर्बाद कर देंगे। न सेना की जरूरत, न हथियारों की जरूरत, एक वह गाना है, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए। ये नरेन्द्र मोदी की नजरें हैं, जरूरत क्या है हमें तलवार की, तीरों की, खंजर की, नजर भर देख लें तो वह तो खुद ही मर जाए। जिस पर नरेन्द्र मोदी की

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तीसरी आंख की नजर पड़ गयी न तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ, हमारे दुश्मन देश चाईना का भी हो जायेगा। इसलिए मोदी से बच कर रहें। इसी में भला होगा आपका।

सभापति महोदय, रक्षा बजट में हमारी क्या पोजिशन हो गयी? हम सारे के सारे विदेशों पर निर्भर, हमने चार वर्षों में जो आयात का रक्षा बजट है 21 परसेंट घटा दिया। सेना तो...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): ...(व्यवधान) यह धमकी ...(व्यवधान) देश में नहीं रहेंगे क्या?

श्री सभापति: बैठिए। बैठिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, चाईना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की बात कर रहा हूं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं चाईना और पाकिस्तान के ऊपर बोल रहा हूं। माननीय सदस्य, हम सब भारत के हैं, हम सब एक हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर। प्लीज। डिस्टर्ब नहीं करें आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह एप्रोप्रिएशन बिल है। देश की अर्थव्यवस्था में हम राजस्थान वाले कहां टिकते हैं, उसका संतुलन बता रहा हूं आपको मैं और माननीय सभापति महोदय, हमने रक्षा के आयात का जो बजट था न, रक्षा के क्षेत्र में भी 21 परसेंट हमने आयात कम किया, सेना को उपकरण ज्यादा दिये। अति आधुनिक उपकरण दिये, पर आयात हमने कम किया। हमने यहां भी सेना के जितने उपकरण बन सकते हैं उनको बनाने की दिशा में काम किया और आज हमारी सेना को शक्तिशाली बनाया। 2020-21 में रक्षा उपकरण के निर्माण हेतु पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री की कितनी गहरी सोच कि हमारे रक्षा के उपकरण हमारे देश में ही निर्मित हो जाएं। डेढ़ लाख करोड़ की राशि का प्रावधान किया और आज क्या हो गया उसका परिणाम? हम 75 देशों को रक्षा के उपकरण निर्यात कर रहे हैं और, माननीय सभापति महोदय, हमने तेजस जैसा लड़ाकू विमान बना दिया और विश्व के मार्केट में इसका परीक्षण हो गया। मलेशिया ने दस विमानों का आर्डर भी दे दिया। अर्जेन्टिना, इजिप्ट, बोत्सवाना, ये भी कतार में खड़े हैं हमारे

(श्री ज्ञानचंद पारख)

विमानों को खरीदने के लिए लाइन लगाये खड़े हैं। हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी एक ताकतवर है और आज विश्व के मार्केट में उसकी पहली मांग कि यह हमको लेना है, ज्यों ही बने। बिना राकेट लांचर, यह भी हमने बना दिया। एडवांस्ड लाइट हेलिकोप्टर, तो उसके लिए भी खरीददार लाइन लगा कर खड़े हैं। हाई स्पीड गार्ड बोट, वेपन लोकेटिंग राडार, कितने सारे उपकरण हमने देश की धरती पर बनाने चालू कर दिये। हम राजस्थान की धरती पर भी किस प्रकार इन उपकरणों को बना सकें उस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी को सोचना होगा, मैं इसलिये बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, 2013-14 में हमारा रक्षा क्षेत्र में निर्यात था 900 से 1,300 करोड़ और 2021-22 में यह निर्यात हो गया 12,000 करोड़। अभी तो ये इकाइयां लगी ही हैं, जब ये पूरी होंगी न, और आने वाले वर्ष में अनुमान है, 25 हजार करोड़ का, आप देखोगे कि भारत किस प्रकार से कितना जल्दी सोने की चिड़िया बनता है।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार, चाहे यहां भी और चाहे हमारे केन्द्र के नेता भी हों, पता नहीं अडानी के पीछे हम क्यों पड़े हैं? मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको 7 अक्टूबर, 2022 जयपुर की धरती, कैसा सजाया था जयपुर को, जैसे कोई भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस अयोध्या आ रहे हैं न, ऐसे पलक पावड़े बिछाये थे। कौन आ रहा था पता है न आपको? इन्वेस्टमेंट समिट में श्री गौतम जी अडानी आने वाले थे, उनके स्वागत की तैयारी। खुश हो जायेंगे तो राजस्थान को बहुत कुछ देकर जायेंगे। काम हुआ? खुश भी हो गये वे आपके स्वागत से, और खुशी भी माननीय मुख्य मंत्री जी की, बिलकुल कितनी खुशी, 65 हजार करोड़ की परियोजनाओं के एम.ओ.यू. पर वे दस्तखत करके गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार भाषण में, मैंने कल उनका भाषण सुना पुराना, गौतम भाई, गौतम भाई की रट लगाये हुए थे वे और वहां केन्द्र में आपके नेता दिन भर कोसते हैं पानी पी-पी कर उनको। जिस उद्योगपति ने राजस्थान की धरती पर 65 हजार करोड़ के निवेश का एम.ओ.यू. किया है, हमें उसको धन्यवाद देना होगा, वरना आपके यहां कोई भी निवेशकर्ता आयेगा नहीं। ऐसे लोगों को यदि हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इनको संसाधन नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे न तो राजस्थान पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा। उन्होंने तो उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम की भी स्वीकृति दी है। राज्य में दो मेडिकल कालेज की भी वे हां भर कर गये थे।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ याराना और वहां उनके साथ कैसा बर्ताव? आज भी दिल्ली में आपके केन्द्र के नेता उनके विरोध में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा टीवी खोल कर देख लेना। उस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था में, देश के आर्थिक उत्थान में जिस प्रकार का योगदान दिया है न, हम देशवासियों का फर्ज बनता है कि ऐसे उद्यमियों को हम प्रोत्साहित करें। माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं न कि 'यह पब्लिक है, सब जानती है, यह पब्लिक है, अन्दर क्या है, बाहर क्या है, यह सब पहचानती है, यह पब्लिक है।' इस भरोसे में मत रहना कि पब्लिक जानती नहीं है। इस पब्लिक को सब पता है कि आपके अन्दर क्या है, बाहर क्या है और वक्त आयेगा न तो जैसे पहले किया न, उससे भी बदतर हालत करके रख देगी।

माननीय सभापति महोदय, अब राजस्थान के हालात देखो आप। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 45 उपक्रम और हमारी सरकार की पूंजी लगी है उसमें 52,172 करोड़ रुपया, और इनका कुल घाटा कितना है अभी? यह हालत है राजस्थान की देख लो थोड़ा। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, इनका कुल घाटा है 96,905 करोड़ का इनके खुद के उपक्रम, वे इनसे सम्भलते नहीं, चलते नहीं और बाहर की बातें करते हैं। 13 उपक्रमों में ही 61,810 करोड़ का घाटा। थोड़ा वहां दिमाग लगाओ ताकि इन उपक्रमों का घाटा कैसे कम कर सकें? यह राजस्थान की जनता का पैसा है। आपकी कमी की वजह से घाटा राजस्थान की सरकार को उठाना पड़ रहा है इसको थोड़ा ठीक करो। माननीय सभापति महोदय, यह पचपदरा की रिफाइनरी जो हमारी लाइफ लाइन है कितनी अनदेखी है उसकी? 18 अप्रैल, 2017 को राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के बीच में एम.ओ.यू. हुआ था। हिस्सा था भारत सरकार का 74 परसेंट, राजस्थान सरकार का 26 परसेंट और 2017 में इसकी अनुमानित लागत थी 43,129 करोड़ रुपये। कोरोना की वजह से लगभग डेढ़-दो साल काम बंद रहा। स्टील के भाव भी मार्केट में लगभग 45 परसेंट बढ़ गये। इसकी लागत बढ़ गयी। हमको भारत सरकार से जो एमओयू किया न उसके आधार पर 2,500 करोड़ रुपये उनको देने हैं। 2021 से वे लगातार कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का पैसा दो। हम पैसा नहीं दे रहे हैं। हम यहां बंदरबांट कर रहे हैं। केन्द्र ने चेतावनी दे दी कि अगर आपने अपने हिस्से का पिछला बकाया 2,500 करोड़ नहीं दिया न तो आपकी हिस्सेदारी 26 परसेंट से घटा कर 16 परसेंट कर देंगे। कितना बड़ा नुकसान हो जायेगा? आप तो दिसम्बर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

में चले जाओगे अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर और यह खामियाजा हमको उठाना पड़ेगा। मेहरबानी करके जो यह पैसा है न, इसको दे जाओ, ताकि हमारी हिस्सेदारी कम नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, यह काम अगले वर्ष तक पूरा भी होना है। जितना जल्दी यह काम पूरा होगा, उतना ही राजस्थान को इसका लाभ होगा और लाभ कितना बड़ा? एक लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। प्रतिवर्ष 9 मिलियन टन क्रूड आयल रिफाइन इसके माध्यम से होगा। 2 मिलियन टन पेट्रो केमिकल्स इससे निर्मित होगा। इसलिये इस काम को जितना जल्दी हो जाए, राजस्थान सरकार को पहले प्रयास करके इसको पूरा करवाना चाहिये, ताकि हमारे प्रदेश को इसका लाभ हो।

सभापति महोदय, अब जल जीवन मिशन, हम बातें करते हैं लम्बी-लम्बी। थोड़ा भारत सरकार का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट है, वह देख लो आप। 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में हम 31वें स्थान पर हैं। माननीय मंत्री महोदय, देश में बयान देते हैं कि हम तीसरे स्थान पर हैं। किसको भ्रमित कर रहे हो आप? हम 31वें स्थान पर हैं। केन्द्र ने हमको 27,000 करोड़ रुपये दिये और हम खर्च कर पाये मात्र पांच हजार करोड़। पानी को तरसते हैं हमारे गांव, हमारी ढाणियां। उसके बाद भी हमें कोई चिन्ता नहीं है कि केन्द्र का दिया हुआ पैसा किस प्रकार जितना जल्दी उपयोग में लाकर जनता को पानी पिला सकें। हम टेन्डर पर टेन्डर कैंसिल किये जा रहे हैं। उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ रहा है।

यही हालत हमारे विद्युतीकरण की है। केन्द्र ने 26 जुलाई, 2021 को 1,022 करोड़ की राशि पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सौभाग्य के नाम दी थी कि आपको ढाई लाख घरों का अंधेरा मिटाना है। माननीय सभापति महोदय, इसमें केन्द्र का 60 परसेंट और 40 परसेंट हिस्सा राज्य सरकार का था। दिसम्बर, 2021 तक हमको यह काम पूरा करना था, लेकिन हमको कोई परवाह नहीं, कोई अंधेरे में रहे तो रहे, हमें कोई चिंता नहीं। आपके ही आग्रह पर सरकार ने तीन महीने अवधि बढ़ाई भी, कि हमको मार्च, 2022 तक की अवधि दे दो। फिर भी हमने काम नहीं किया और खामियाजा यह हुआ कि यह राशि लैप्स हो गई और जिन ढाई लाख घरों को हम अंधेरे से मुक्ति दिला सकते थे, वे अंधेरे में रह गये।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, यदि राज्य सरकार सही तरीके से, सही समय पर सारा काम कर देती तो यह डी.एम.आई.सी. हमारे लिए वरदान साबित होती। केन्द्र की बार-बार की फटकार का भी राज्य सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। माननीय उप नेता महोदय, आपको पता होगा कि माननीय मंत्री महोदय खुद ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर खड़े होकर कहा था कि वाकई में हम बहुत पीछे हैं। हमारे अधिकारियों को दिल्ली जाते हुए शर्म महसूस होती है कि हम क्या जवाब देंगे। तीन बार मैंने यह मुद्दा उठाया है, तीन बार सरकार ने कहा कि हम पीछे हैं, लेकिन आज भी वही कछुआ चाल। एक बार तो ऐसी स्थिति हो गई कि केन्द्र सरकार ने निर्णय लेकर राजस्थान को बाहर करने का मानस बना लिया। जैसे ही पता चला कि राजस्थान को बाहर कर रहे हैं, हमारे अधिकारी, हमारे नेता भागे। वहां जाकर माफी मांगी, कमिटमेंट किया कि हमको और वक्त दे दो और केन्द्र ने उदारता दिखाते हुए राजस्थान को और वक्त दिया, पर उसके बाद भी कोई असर नहीं। आज भी वह काम बहुत कम गति से चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, अब उस काम में कुछ गति आई है, तो उसमें भी सरकार कोई गंभीर नहीं है। अब आपको भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करनी है। मेरे खुद के क्षेत्र के किसान प्रभावित हैं। नियम है कि वर्तमान बाजार दर से मुआवजा देना पड़ेगा। 2013 में जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था, तब से 9 गांवों की भूमि के रूपांतरण और भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। इस कारण डी.एल.सी. ज्यादा बढ़ी नहीं। पिछले एक-दो सालों से डी.एल.सी. बढ़ाई भी नहीं गई। मैंने सरकार को आगाह भी किया है, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में भी लाया कि वहां की आज की डी.एल.सी. वहां के वास्तविक बाजार मूल्य का कहीं मात्र 10 परसेंट ही है, कहीं 20 और कहीं 40 परसेंट ही है। सैक्शन 11 का नोटिस जारी हो, उससे पहले मेहरबानी करके आप वहां का बाजार मूल्य तय हो जाए, इस बात के निर्देश आप वहां के जिला कलेक्टर को दे दो, ताकि किसानों का अहित न हो और जो उनकी जमीन की कीमत है, उतनी कीमत उनको मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार पता नहीं किसानों के पीछे क्यों पड़ी हुई है कि लोन माफ नहीं किया। इसमें नियम यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई काम के लिए सरकार भूमि अधिग्रहित करेगी तो बाजार दर का चार गुना मुआवजे के रूप में उस व्यक्ति को देगी, जिसकी भूमि है। यहां

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आपने चालाकी कर दी, आपने इस क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित कर दिया। पूरा का पूरा ग्रामीण बेल्ट, जो कि जोधपुर की सीमा पर स्थित है, जोधपुर की सीमा के अंदर नहीं, उसमें प्रावधान किया है कि बाजार दर का मात्र ढाई गुना ही मिलेगा। वह भी आपके किसान को कितना नुकसान पहुंचायेगा? इसलिए आग्रह रहेगा माननीय मुख्य मंत्री जी जब आज एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें, इतनी सारी घोषणाएं की हैं, किसानों के हित में भी घोषणा कर दें कि इनको पूरा मूल्य देंगे।

माननीय सभापति महोदय, पता नहीं सरकार की परम्परा क्या हो गई, जब बजट पेश करते हैं तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया, हमने रियायतें दी हैं। यह जो पूरे प्रदेश में 10 हजार वर्ग मीटर के बड़े औद्योगिक भूखण्ड हैं, आपने अंदर ही अंदर आदेश निकालकर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष भूमि कर लगा दिया। इसकी कहां जरूरत थी? वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक भूखण्डों पर पहले भी कई प्रकार के कर वसूले जा रहे हैं और उसके बाद आपका यह नया टैक्स। भूमि रूपांतरण की भारी राशि आप वसूल करते हो, आप उसका खाया-पीया निकाल देते हो। प्रतिवर्ष इकोनोमिक रेन्ट वसूला जाता है और रीको भी हर वर्ष सेवा शुल्क और इकोनोमिक रेन्ट वसूलता है। उसके बाद आपने एक नया कर और थोप दिया और उसमें एक प्रावधान और कर दिया, अगर किसी व्यक्ति के एक साथ 10 हजार वर्ग का भूखण्ड एक जगह पर नहीं है, पर अन्य जगहों पर कुछ और भूखण्ड हैं, तो उनको जोड़कर 10 हजार वर्ग मीटर अगर वह बनता है, तो उससे भी हम टैक्स लेंगे और टैक्स यदि समय पर नहीं जमा करायेगा तो भारी शास्ति और ब्याज का प्रावधान भी आपने इसमें कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, पाली से जुड़ी हुई माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि पाली के टैक्सटाइल इकाई के प्रदूषित पानी के उपचार के लिए यदि कोई इकाई वाला ई.टी.पी. लगायेगा तो राज्य सरकार उसको अनुदान देगी। कुछ को अनुदान मिला। माननीय सभापति महोदय, कुछ प्रकरण इस कारण से पेंडिंग है, चूंकि वहां औद्योगिक क्षेत्र में बड़े भूखण्ड नहीं हैं, तो एक ही मालिक की दो-तीन अलग-अलग जगहों पर, उसके आजू-बाजू में ही औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं और उसने बाकायदा रीको से परमिशन लेकर, उसने बाकायदा पोल्यूशन बोर्ड से कन्सेंट टू स्टेब्लिश, कन्सेंट टू आपरेट, दोनों प्राप्त कीं और उनके कहने के बाद ही उसने ई.टी.पी. लगाया

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कि मैं इन दो इकाइयों का, तीन इकाइयों का पानी एक साथ ट्रीट करूंगा। बाद में जब उसने सब्सिडी के लिए आवेदन पेश किया तो यह कह कर रोक दिया कि यह आपका ई.टी.पी. नहीं, यह आपका सी.ई.टी.पी. है, यह कामन है। यह मैटर पेंडिंग है।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जो व्यक्ति अपना पैसा खर्च करके अगर प्रदूषित पानी का उपचार कर रहा है तो हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिये और ऐसी इकाइयों की जो सब्सिडी रुकी हुई है, उनको यह पूरी सब्सिडी देनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं सदन को बधाई दूंगा, पूरे देश को भी बधाई दूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नोमिनेट हुआ है। यह हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। किस लिए हुआ? विश्व में शांति सद्भाव के लिए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा। विराजिए, विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): और हमारी हालत क्या है, वह विश्व में शांति सद्भाव के लिए सम्मानित हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। आप काफी वरिष्ठ हैं, आपको पता है आज समय की अपनी सीमा है। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि जिस नेता की दादी ने इस देश की खातिर अपनी छातियों पर इतनी गोलियां खाईं, जिसके पिता ने इस एशिया की शांति के लिए अपने शरीर के परखच्चे उड़वा दिये, ऐसे नौजवान नेता, जिसको चार बार

(श्री संयम लोढ़ा)

अलग-अलग क्षेत्रों की जनता ने भारत की संसद में भेजा है, उसे टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य बनाना एक कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। आपको किसी ने बीच में नहीं टोका है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपको निवेदन करूंगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता 'मेक इन इंडिया' कह रहे थे। आपका 'मेक इन इंडिया' किस तरह का है, वह देश देख रहा है। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के नाम पर देश के गांव-गांव से लोहा एकत्रित करते हो और जिस चाईना की आलोचना करते हो, उसी चाईना के पास जाकर वह प्रतिमा बनाकर लाते हो। आपका यह दोगला चरित्र पूरा देश देख रहा है। ये किस के बारे में कह रहे थे कि विदेश में जाकर क्या कह रहे थे? पूरा देश जानता है कि नरेन्द्र मोदी ने दुनिया भर में जाकर कहा कि पहले भारत के बारे में लोग ऐसा कहते थे, कहां पैदा हो गये? कहां पैदा कर दिये? उनके बारे में बोल रहे थे या वह नेता जिसको कैम्ब्रिज की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने एक सांसद के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया।

माननीय सभापति महोदय, देश में कौन नहीं चाहता कि भारत सोने की चिड़िया बने, लेकिन अडानी के हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। नरेन्द्र मोदी को सत्ता में आये हुए 10 साल हो गये हैं, आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हमको देना पड़ रहा है। कौनसी सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं? देश सोने की चिड़िया तब बनेगा, जब इस देश के हर घर के अन्दर खुशहाली होगी, दो वक्त का भरपेट खाना होगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तब देश यह देश सोने की चिड़िया बनेगा। खाली नरेन्द्र मोदी के विदेश भ्रमण करने से यह देश सोने की चिड़िया नहीं बनने वाला है।

मैं निवेदन करूंगा कि अभी आप कह रहे थे कि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि किसी के यहां जाकर इन्कम टैक्स की जांच कर ले। भाई, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है, यह तो हम भी जानते हैं। वे तो इतने डरे हुए हैं कि वहीं जाकर जांच करेंगे, जहां पर नरेन्द्र मोदी कहेंगे। उन सब में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। पूरा देश देख रहा है, लालू यादव जी किस समस्या से गुजरे हैं? किस कठिनाई से जूझ रहे हैं, पर आपका

(श्री संयम लोढ़ा)

इशारा है। बिहार में राजनीति अशान्त करनी है, उपद्रव कराना है तो उनके परिवार को किस तरीके..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह फाइनेंस बिल है न?

श्री सभापति: यह फाइनेंस बिल है। आपके माननीय सदस्य ने ये सारी बातें कही हैं। आप बीच में इंटरवीन नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, ये सारी बातें सदन में इसलिए हुई हैं कि ये नेता विहीन विपक्ष है। इसलिए एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने की बजाय, आपने जो बातें की हैं, उसका जवाब दूंगा और फिर फाइनेंस बिल पर आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा। सांगानेर से आने वाले भा.ज.पा. के विधायक किस रूप में राजस्थान की जनता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे। अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दें कि वे जब-जब राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे, उन्होंने हमेशा वित्तीय अनुशासन को कायम रखा। कर्ज को लेकर, राजस्थान की जनता पर कर्जा है, उसको लेकर राजस्थान की जनता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब तक राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं, राजस्थान की जनता को अपना मनोबल कमजोर की जरूरत नहीं है। उनके हाथों के अन्दर इस प्रदेश का और राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है।

मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2019-20 में कर्जा 3,52,701 करोड़ था, 2020-21 में बढ़कर 4,10,499.46 करोड़ हुआ। 2021-22 में 4,62,845.07 करोड़ हुआ, 2022-23 में 5,16,815.31 करोड़ हुआ, 2023-24 में 5,79,781.22 करोड़ हुआ। माननीय सभापति महोदय, यह जी.एस.डी.पी. का कितना परसेंट है? 2019-20 में 35 परसेंट, 2020-21 में 40 परसेंट, फिर देखिए, किस रूप में अशोक गहलोत जी का वित्तीय प्रबंधन और कुशल प्रबंधन इसको नीचे लाया है, 2021-22 में 37.99 परसेंट, 2022-23 में 36.56 परसेंट, 2023-24 में 36.78 परसेंट। प्रतिपक्ष के उप नेता, आपका यह वार्तालाप तो चलता रहेगा। आप इस सदन में कभी सुनने का भी काम करिए। आप ही की सरकार थी। 2005 में आप ही सरकार के मंत्री थे, आप ही एफ.आर.बी.एम. एक्ट लाये थे। उसमें क्या कहा था? 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए? कर्जा कितना होना चाहिए? डेट? आप

(श्री संयम लोढ़ा)

कितने परसेंट तक कर्जा लायेंगे? आपका लक्ष्य 38.2 परसेंट 2025-26 तक का था, लेकिन राजस्थान के वित्त विभाग के अधिकारियों और राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दीजिए कि 2023-24 के अन्दर ही 36.78 परसेंट पर ले आये। आपने यह जो टारगेट दिया, उसको 2021-22 में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने अचीव कर लिया। अभी कह रहे थे कि 3,90,000 करोड़ का बजट और एप्रोप्रिएशन एक्ट में 4,03,000 करोड़।

माननीय सभापति महोदय, आप भी एक्साइज के मंत्री रहे हैं। फाइनेंस के अन्दर ग्रोस और नेट, दोनों ही अलग-अलग टर्म हैं। जो 3,90,000 करोड़ है, वह नेट है। 4,03,000 करोड़ है, वह ग्रोस है। कभी राजस्थान सरकार के बजट में ऐसा नहीं हुआ कि एप्रोप्रिएशन बिल में और बजट के अन्दर फर्क नहीं आया हो। यह हमेशा ही आता है। इसलिए इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि 10-15 दिन में कोई बड़ा फर्क पड़ गया। एप्रोप्रिएशन बिल पहले ही पेश हो चुका है। यह अलग बात है कि हम इसको आज पारित कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा। विद्याधर नगर के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 2001 की स्थिति, 2012 की स्थिति, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन रेट 6.95 परसेंट है। 2007 से 2023 तक की आप गणना करेंगे तो कम्युलेटिव इन्फ्लेशन रेट 193.19 परसेंट हो गयी।। 2007 में जो दो सौ रुपये थे, वे आज 2023 में 586.38 हो गये। इसलिए 2001 या 12वां वित्त आयोग या 13वां वित्त आयोग, उससे तुलना करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आलोचना का कोई आधार नहीं है। मैंने इनकी नेता वसुन्धरा जी को, जब उन्होंने अपने पांच साल के काम और इस सरकार के चार साल के काम को लेकर ट्विट किया था, उनको चुनौती दी थी कि राजस्थान के किसी शहर में, किसी जगह, किसी तिथि, किसी समय पर आपकी सरकार के कामकाज और इस सरकार के कामकाज पर चर्चा के लिए बहस रख लेना। सामने आकर बतायेंगे कि आपने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2021-22 के रेवेन्यु रिसीट। रिवाइज एस्टीमेट 1,79,431.49 करोड़ और एक्चुअल 1,83,920.05 करोड़, यह कितना परसेंट हुआ? यह आर.ई. का 97.09 परसेंट

(श्री संयम लोढ़ा)

हुआ। 2021-22 की टोटल रिसीट आर.ई. में 3,19,128.69 करोड़ और एक्चुअल 2,91,438.44 करोड़, यह 91.32 परसेंट हुआ। 2021-22 का टोटल एक्सपेंडिचर 3,19,094.25 करोड़ आर.ई. था और एक्चुअल 2,91,191.02 करोड़, 91.26 परसेंट। माननीय सभापति महोदय, अगर 90 परसेंट से ऊपर किसी भी स्टेट का, किसी भी हुकूमत का अचीवमेंट हो तो कौन ऐसा होगा, जो उसकी आलोचना करेगा। आप देश के तमाम राज्यों से तुलना कर लें। राजस्थान के बजट की पवित्रता है, जो कि जनता को समर्पित की गयी, वह पूरे भारत के राज्यों से श्रेष्ठ जगह पर आपको मिलेगी।

अब मैं 2022-23 का निवेदन करूंगा, वह तो एक्चुअल है। इसका भी एक्चुअल्स के साथ बताऊंगा। आर.ई. 2,15,786 करोड़ था, एक्चुअल 1,80,741.05 करोड़, जबकि अभी मार्च महीना पूरा होना बाकी है। 83.76 परसेंट पर तो रेवेन्यु रिसीट में पहले ही आ चुके हैं। टोटल रिसीट, आर.ई. 3,82,366.89 करोड़, एक्चुअल 3,36,867.63, यानी 88.10 परसेंट जबकि अभी महीना पूरा होना है। 2022-23 पूरा होना बाकी है। टोटल एक्सपेंडीचर, आर.ई. था 3,82,246.54 करोड़ और एक्चुअल क्या है? 3,38,792 करोड़ कितना परसेंट 88.63 परसेंट।

सभापति महोदय, और क्या चाहते हो? इससे बेहतर तो राजस्थान की हिस्ट्री में किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये वित्त विभाग के आंकड़े इस बात का अपने आप में प्रमाण हैं। हमारे जो माननीय मंत्री, मुख्य मंत्री राजस्थान के कोने-कोने में जब जाते हैं, अभी तीन दिन पहले ही जैसे कटारिया जी कह रहे थे कि उन्होंने अपने यहां बुलाया, कोई तैयारी नहीं की, परन्तु कितने लोग थे? 50 हजार लोग। ये 50 हजार लोग किसलिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनको राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व पर भरोसा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आलोचना तो बहुत की जा सकती है। विपक्ष के लोगों का काम पार्टली यह है भी, लेकिन The Hindu, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित अख़बार है, उसने अपने एडिटोरियल में लिखा, दो सरकारों के बजट की तुलना की। भारत सरकार के बजट की और राजस्थान सरकार के बजट की और वह भी सामाजिक सुरक्षा पर। The Hindu ने क्या हैडिंग दिया, Social security and the story of two budgets, जिसमें भारत सरकार जो चलाती है नेशनल सोशल असिस्टेंस

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रोग्राम, क्या लिखा उसने कि भारत सरकार ने एन.एस.ए.पी. में जो पिछले साल प्रोविजन था, 9,652.31 करोड़, उसको डिक्रीज किया। कहां लाये? 9,636.32 करोड़ और जब नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी 2014-15 के अंदर, बजट एस्टीमेट में 2014-15 में, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए कितना परसेंट प्रोविजन था टोटल बजट का, 0.58 परसेंट और माननीय सभापति महोदय, अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए जो बजट प्रोविजन है, वह है 0.21 परसेंट। किस रूप में, कौनसे अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं? आपको शर्मिन्दा होना चाहिए। दिल्ली की संसद में औरतें बैठी थीं, आपके खिलाफ में। देश के सांसदों से कहा कि ये भारत सरकार 200 रुपया देती है, एक दिन का 7 रुपया, एक दिन आप 7 रुपये में गुजार कर देखो। राजस्थान की सरकार, माननीय सभापति महोदय, एन.एस.ए.पी. का पूरे भारत का, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का पूरे भारत का जो बजट भारत सरकार का है, उससे ज्यादा राजस्थान का पेंशन बजट अशोक गहलोत का 11,500 करोड़ रुपये है, जो एन.एस.ए.पी. के टोटल अमाउंट से 30 परसेंट ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत व्यथित हो जाता हूं जब भारत सरकार के राइडर देखता हूं। ये जो एनएस.ए.पी. है उसमें बेनिफिशियरी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? समाज कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं। वह विकलांग जिसकी 80 परसेंट से ज्यादा विकलांगता है, वह ही उसका पात्र होगा। बी.जे.पी. के मेरे दोस्तों, कम से कम ये तो ठीक करवा दीजिए। इस हिन्दुस्तान की भोली-भाली जनता ने आपके बहकावे में आकर आपको भारत की पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा सीटें दी हैं। 80 परसेंट से कम का विकलांग आपकी पेंशन का पात्र नहीं है। वे विधवाएं तुम्हारे खाली 200 रुपये की ही पात्र हैं। बड़ा रौब गालिब करते हैं किसान सम्मान निधि के नाम पर। क्या है किसान सम्मान निधि? दिन के 16 रुपये, 500 रुपये महीने के। दिन के 16 रुपये किसान सम्मान निधि। यह सम्मान है किसान का? तुमने तो वादा किया था किसानों से कि 2022 तक तुम्हारी आय दुगुनी होगी। क्या हुआ उस वायदे का? बीच में बुलडोजर लेकर खड़े हो गये। तीन नाकारा किस्म के कानून लेकर खड़े हो गये। 700 किसानों को तुम्हारी गलत नीतियों की बलिवेदी पर चढ़ना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में क्या कहा? ओ.पी.एस. देना पाप है और यह चिंता का विषय

(श्री संयम लोढ़ा)

है। यह शब्द है प्रधान मंत्री के और इन्हीं की पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, जब न्यू पेंशन स्कीम लेकर आये, इन्हीं की पार्टी की सरकार थी, जब राजस्थान के अंदर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लेकर आये। आज एक मुख्य मंत्री ने हिम्मत की है। पूरे देश को दिशा दी है कि जो कर्मचारी 30-35 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा करता है, उसको रिटायरमेंट के बाद हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते।

माननीय सभापति महोदय, भा.ज.पा. के लिए यह पाप हो सकता है। वह निर्मला सीतारमण आयी थीं जयपुर में, बजट पेश करने के बाद। क्या कहकर गयीं, पैसा रोक लेंगी, लेकिन अशोक गहलोत कमिटेड हैं। कर्मचारियों के साथ न्याय के लिए कमिटेड हैं, अब अशोक गहलोत अकेले नहीं हैं। देश के अनेक राज्य इस कतार में उनके साथ जुड़ चुके हैं और वह वक्त आयेगा जब पूरे हिन्दुस्तान का एक-एक कर्मचारी खड़ा होकर कहेगा, पिछली बार आपको कहा था, चुनाव थे जब, 'मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं'। अबकी बार मोदी की खैर करेंगे। याद रखना। ज्यादा सत्ता के घमंड में मत रहो। आप तो वे लोग हैं, इस बेलगाम महंगाई के दौर में अभी-अभी एक मार्च को आपने 50 रुपये सिलेण्डर के बढ़ाये हैं और पिछले चार साल के अंदर गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, दाल हो, खाने का तेल हो, दुगुना महंगा किया। जौ और गेहूं 50 रुपये किलो तक पहुंचा दिया। 2014 में गैस का सिलेण्डर 410 रुपये में मिलता था। आज 2023 में 1,106 में क्यों मिल रहा है? आपने सब्सिडी खतम कर दी। आपने खाद की सब्सिडी खतम कर दी। आपने इसकी सब्सिडी खतम कर दी। जिस कमजोर आदमी की भावनाओं पर चढ़कर राज में आये, सबसे ज्यादा उसी को नुकसान पहुंचाया।

अशोक गहलोत कौन हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा जब वे साधारण कार्यकर्ता होते थे एन.एस.यू.आई. के, रेलगाड़ी के थर्ड क्लास के डिब्बे के अंदर टॉयलेट के पास बैठकर जिस आदमी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, आज राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वे उस गरीब आदमी का दर्द समझते हैं, उसकी पीड़ा समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने फैसला किया कि इस महंगाई के दौर के अंदर मैं उस गरीब परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। एक किलो चीनी, एक किलो तेल, एक किलो नमक, एक किलो दाल का अन्नपूर्णा पैकेट बनाकर एक करोड़ एन.एफ.एस.ए. परिवार को देने का निर्णय किया। पूरे हिन्दुस्तान को सबक

(श्री संयम लोढ़ा)

सीखना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ भी सरकार करती है, आप कहते हो कि रेवड़िया बांट रहे हैं। आपके घर का पैसा है क्या? यह उस जनता का पैसा है और उस जनता का उस पैसे पर हक है। जनता के पैसे में से उनको दे रहे हैं। कौनसी रेवड़ियां हैं? आपके घर का पैसा है क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। अशोक गहलोत ने एक के बाद एक बजट जिस आकार के दिये, बढ़ते ही चले गये। मैं भी बहुत पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि ये इतने काम हो गये, यकीन नहीं होता। सोचा नहीं था, वह हो गया। वर्ष 2018-19 में क्या बजट साइज थी, डिप्टी लीडर साहब, आपकी? 2,12,275 करोड़, कितना, 2,12,275 करोड़, मंत्री होते थे आप, सरकार के प्रभावी मंत्री, और मेरे तो बहुत अजीज, मेरे जिले के प्रभारी थे आप। वर्ष 2023-24 का बजट अशोक गहलोत ने क्या दिया? आपके 2,12,000 करोड़ से बढ़ाकर के 3,90,856 करोड़ रुपये। मैंने जैसा आपको निवेदन किया 2021-22 और 2022-23 के एक्चुअल्स बताकर के कि 90 फीसदी पैसा खर्च हुआ है, 90 फीसदी पैसा। अब ये कहते हैं कि पैसा कहां से आयेगा? तो देख लीजिए कहां से आया। वे तो जादूगर हैं। पैसा कहां से आ रहा है, वह तो देख रहे हैं आप। जनता के बीच में जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट की चारों तरफ प्रशंसा हुई है। भारत सरकार के ये इतने गीत गा रहे थे। भारत सरकार के बजट की तारीफ क्यों नहीं होती? वित्त मंत्री को क्यों जाकर, अनेक राज्यों की राजधानियों में बैठकर कहना पड़ता है, हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं? आपने तो इन्कम टैक्स के नाम पर भी लोगों का धोखा दिया है। मिडिल क्लास को स्लैब का जो फायदा मिलना चाहिए था, उसमें भी आपने बेईमानी की है। आप किसके लिए काम करते हो? इतनी बातें करते हो, अगर आपके अन्दर नैतिक बल है, नैतिक साहस है और हिन्दुस्तान की जनता पर भरोसा करते हो, तो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है, उसको लेकर जो सवाल खड़े किये जा रहे हैं, भारत की संसद में बैठकर, हिन्दुस्तान की जनता को जवाब क्यों नहीं देते, क्यों मुंह छुपा रहे हो, क्यों मंत्रियों को आगे कर रहे हो? क्यों राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उससे पहले सदन स्थगित कर करके चले जाते हो? आपके मन में चोर दिखता है। पूरा देश देख रहा है कि एक आदमी, दुनिया का दूसरे नम्बर का बड़ा उद्योगपति कैसे बन गया। आपने रेल बेच

(श्री संयम लोढ़ा)

दी। आपने पैट्रोल कम्पनियां बेच दीं, हवाई अड्डे बेच दिये, इश्योरेंस कम्पनियां बेच दीं। कोई 50 रुपये का लोन आस्ट्रेलिया के लिए देने के तैयार नहीं था माइनिंग के लिए, आपने स्टेट बैंक आफ इंडिया से 4 हजार करोड़ रुपये निकाल कर दे दिये।

माननीय सभापति महोदय, कई चीज़ें हमारे वित्त विभाग के प्रतिभावान अधिकारियों ने मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में की हैं। पहली बार की हैं। आक्शन ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट आर.बी.आई. ने अलाउ कर रखा है। हमारी सरकार ने आक्शन ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले हमें स्पेशल ड्राइंग लिमिट मिली, जो पैसा बचा उसमें जमा करा दिया। ड्राइंग लिमिट मिलती रही, ब्याज भी मिलता रहा। आर.बी.आई. के द्वारा अनुमोदित है। मैं निवेदन करूंगा, आप कहते हो न कि पैसा कहां से आएगा, जादू है क्या? यह स्पेशल ड्राइंग लिमिट में 2021-22 में 38,542 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने उपयोग किये। सिर्फ किस कारण, आक्शन ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट के कारण। 2022-23 में 81 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल ड्राइंग लिमिट के तहत उपयोग किया। राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने के लिए, हर सम्भव प्रयास जो करना चाहिए, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, यह कुशल प्रबंधन ही था कि रेवेन्यु रिसीट 2021-22 का 97 परसेंट पर गया और खर्चा रिवाइज एस्टीमेट के विपरीत 91 परसेंट पर गया। सभापति महोदय, इससे बड़ा सर्टिफिकेट किसी सरकार को नहीं दिया जा सकता।

सभापति महोदय, भारत सरकार में राजस्थान सरकार के हिस्से को लेकर मैं निवेदन करूंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने तरीके से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन वह गुमराह करने की कोशिश थी। सभापति महोदय, वह सामने लिखा हुआ है, मैं रोज पढ़ता हूं, कि सदन में जो कहो सत्य कहो, गलत मत कहो, नहीं तो पाप के भागी बन जाओगे।

सभापति महोदय, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी कि राज्यों को 41 परसेंट सेन्ट्रल टैक्स में शेयर दिया जाए। राजस्थान का हिस्सा 10.026 परसेंट है। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का ग्रोस टैक्स कितना कलेक्ट हुआ? टोटल ग्रोस टैक्स, 33,92,079 करोड़। राज्यों का शेयर 41

(श्री संयम लोढ़ा)

परसेंट है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक, पूरे भारत के राज्यों का शेयर होता है, 13,74,352 करोड़ होता है, 41 परसेंट के क्राइटेरिया से। राज्यों को कितना मिला, 10,21,448 करोड़ रुपये। आप परसेंटेज निकाल दो, 41 परसेंट है? नहीं। यह 30.50 परसेंट है। इस तरीके से भारत सरकार राज्यों का गला घोट रही है।

मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान का 6.026 परसेंट से हिस्सा 82,818 करोड़ रुपये होता है। राजस्थान का शेयर है। मिला कितना? 61,552 करोड़ रुपये। कितना कम मिला? 21,266 करोड़ रुपये कम मिला। अब बताओ, क्या इन 25 सांसदों को धन्यवाद दें, जिनको राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजा है? केन्द्र में मंत्री बने हुए हैं, कभी तो हमारी सरकार गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हमारे एम.एल.एज. की तोड़-फोड़ के लिए दौड़ पड़ते हैं। पूरा भारत जानता है कि ये सौदेबाजी कर रहे थे। यह भारत सरकार के किस मंत्री की आवाज है? आपके अन्दर नैतिक साहस है, सच्चाई है, आओ और अपना वॉइस सैम्पल दो, तो मालूम पड़े कि आप गुनहगार, आप चोर हो कि नहीं हो? आपने राजस्थान की सरकार को, एम.एल.एज. की खरीद-फरोख्त करके गिराने की कोशिश की या नहीं की? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन चोर है, सैम्पल देना नहीं चाहते। बी.जे.पी. के सारे मित्रों को मालूम है कि यह किसकी आवाज थी?

माननीय सभापति महोदय, बार-बार गिनाते हैं। हम इतना दे रहे हैं, हम राज्य को यह कर रहे हैं, हम राजस्थान को यह कर रहे हैं, हम जे.जे.एम. में यह कर रहे हैं। करोगे कैसे नहीं? यह देश संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाये हुए संविधान से। संविधान के आर्टिकल 270 में शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स का प्रावधान किया हुआ है। हर हुकूमत को राज्य को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। आपने बहुत बेईमानी की है। माननीय सभापति महोदय, डिविजिबल पूल है, उसको छोटा कर दिया आपने। सैस, एडिशनल एक्साइज डयूटी...

श्री सभापति: समाप्त करे माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति: आज समय की सीमा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके इतने पाप हैं, आप मुझे बोलने तो दो।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, यह उनमें सबमें स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे वह पूरा पैसा नरेन्द्र मोदी के पास रहे। राज्यों को नहीं देना पड़े और अपने मनमाने तरीके से उसका उपयोग कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज जब इस सदन में चर्चा है, बी.जे.पी. के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, कि राजस्थान की जनता को केन्द्र की नीतियों के कारण हज़ारों-करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। वह पैसा दिलाने की आप पहल करो। वह देने की आप लड़ाई लड़ो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, आप दो मिनट मेहरबानी रखना। मैं खतम कर रहा हूं।

मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामदानी में आपकी इतनी भूमि पड़ी हुई है ग्राम सभा, इतनी नजूल सम्पत्ति पड़ी हुई है, देवस्थान विभाग की अरबों की सम्पत्ति पड़ी हुई है। आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? रेवेन्यु के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं करते? इण्डस्ट्रियल एरिया में हास्टल्स बन गये, आप कोर्ट से परमिशन लेकर रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा। सरकार को एक बार फिर आगाह कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप नदी के अन्दर बजरी का खनन तीन मीटर से नीचे नहीं करेंगे। सरकार मिलीभगत करके, नदियों के अन्दर खाई बनवा रही है, खाई खुदवा रही है। बड़ी-बड़ी खाई, बरसात का पानी आएगा तो बच्चे डूब जाएंगे। आप पर्यावरण को नष्ट करने में भागीदार बन रहे हो। मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं कि आपके जो लाइसेंसी हैं, आप इस व्यवस्था को सुधार दो, नहीं तो राजस्थान की जनता आपको सुधार देगी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय कैलाश चन्द्र जी मेघवाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय चार बजे पधार जाएंगे। प्लीज, थोड़ा सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): साहब, मैं परसों नहीं बोलूंगा। आज बोलने दो। दो मिनट में खतम करता हूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन करूंगा कि आप पंचायती राज की व्यवस्था को ठीक करो। आपने हर जगह एस.डी.ओ. के आफिस खोल दिये। आप आर.डी.एस. लाये थे बी.डी.ओ. का, वह आर.डी.एस. भी आपका फ्लाप हो गया। अब आप आर.डी.एस. लाते नहीं, पहले लाये, उस समय उनके प्रमोशन का प्रावधान नहीं रखा, वे परमानेंट वहां हो गये। मेहरबानी करके, कोई नई सोच के साथ आओ। एस.डी.ओ. कम बी.डी.ओ. रखो, ताकि इन पंचायत समितियों को भी कोई कन्ट्रोल किया जा सके, इनको ठीक किया जा सके। आप ग्राम पंचायतों में स्टाफ दो। वहां गवर्नेंस आपको करनी है। वहां करनी है आपको। वहां नहीं करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहां स्टाफ बढ़ाओ।

श्री सभापति: विराजिए। श्री कैलाश चन्द्र जी मेघवाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक के ऊपर आज चर्चा हो रही है। मैं कुछ मुख्य धारा से अलग होकर निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संविधान की पुस्तक, यह विधान सभा की ओर से बांटी गयी, अच्छे गेटअप में, इसके आर्टिकल 17 पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

आर्टिकल 17 है- अस्पृश्यता का अन्त, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह है अर्टिकल 17, अंग्रेजी में मैं बोल दूं, माननीय सभापति महोदय, "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden...", यह शब्द मैं जो ध्यान दिला रहा हूं आपके। "...The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law." यह मौलिक अनुच्छेद है, इसी के आगे निर्देशक तत्व हैं हमारे इस संविधान में और निर्देशक तत्वों में जो 'Directive Principles of Government' है उसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 46- "promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections, the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular,

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation." इसकी हिंदी अगर आपके सामने मैं पढ़ूं तो- "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।"

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके सामने यह दो आर्टिकल इसलिए पढ़कर सुनाये हैं कि आज जहां हम खड़े हैं, इस विधान सभा में कोई एक विधायक, ईमानदारी से मैं शब्द प्रयोग न करूं तो भी ठीक है, विधायक सब सच बोलते हैं। क्या यह कह सकते हैं कि उनके विधान सभा क्षेत्र में छुआछूत किसी भी रूप में उपस्थित नहीं है, वह समाप्त हो चुकी है? यह मैं आज इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर कब तक यह जो पीड़ा है, यह जो चुभन है छुआछूत की, यह जो दंश है छुआछूत का, यह कब तक इस देश में खतम होगा? आज 75 साल हो गये, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज देश कहां खड़ा है, किस स्थिति में है अछूत वर्ग? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो शब्दों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो प्रचलित हैं। सवर्ण और अवर्ण, अब मेरे आज तक यह समझ में नहीं आया, मैं भी पढ़ा हुआ हूं, एम.ए., एलएल.बी. तक पढ़ा हुआ कि सवर्ण की परिभाषा कहां से आयी और अवर्ण की परिभाषा कहां से आयी? कौन सवर्ण है एवं कौन अवर्ण है, यह निर्णय गांवों में करने वाले दूसरे लोग हैं और इसलिए जो अपने आपको सवर्ण समझते हैं, वे अवर्ण को बिलकुल आगे नहीं आने देना चाहते। यह सारे देश की परिस्थिति है।

महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने यह कहा था, माननीय सभापति महोदय, अस्पृश्यता धर्म को इसी प्रकार विषैला बनाती है, यह शब्द सुनिए, यह महात्मा गांधी के शब्द हैं कि अस्पृश्यता धर्म को इसी प्रकार विषैला बनाती है, जिस प्रकार जहर की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग नहीं है। महात्मा गांधी ने यह कहा है, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है और उसको दूर करना हरेक हिन्दू का धर्म है, कर्तव्य है। यह महात्मा गांधी ने कहा है। यह देश उनका ऋणी है, उन्होंने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, नेतृत्व दिया और देश

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इस कलंक को मिटाने के लिए, इस जहर को मिटाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये? यह हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बजट भी पास हो रहे हैं और मैं इस मामले में, माननीय सभापति महोदय, सबका स्वागत करता हूं।

देश में आजादी आयी, पार्टियों की सरकारें बनीं, केन्द्र में भी बनीं और प्रदेशों में बनीं और सब पार्टियां किसी न किसी रूप में छुआछूत के खिलाफ किसी न किसी रूप में प्रयत्नशील रही हैं। यह जो एक शिड्यूल्ड कास्ट्स या अनुसूचित जातियों को राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनाया जा रहा है, मैं उससे अपने आपको अलग करना चाहता हूं। सबने प्रयत्न किये हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि समस्या ही ऐसी है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी तरह का कोई व्यक्ति हो, मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका बहुत ही स्वागत करता हूं लेकिन आज की तारीख में अस्पृश्यता इस राजस्थान में कहां पर खड़ी है? क्या आज घोड़ी पर बैठने से नहीं उतारे जा रहे हैं? मतलब, 75 साल के बाद भी किसी गांव में शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी घोड़ी पर बिंदौली नहीं निकाल सकते। सारे राजस्थान की यही स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, आज आप गांवों में चले जाइये, अस्पृश्यता मौजूद है। आज भी मंदिरों में प्रवेश की स्थिति नहीं है। आप इसको क्या कहेंगे? आज भी श्मशान भी अलग-अलग है, श्मशान भी जो है वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के अलग हैं, अनुसूचित जाति के और दूसरों के अलग हैं। आज पानी पीने की व्यवस्था अलग है। आज मोहल्ले अलग हैं तो यह कहां पर खड़े हैं आप आजादी के बाद क्योंकि हम सब दे देंगे, बहुत बढ़िया, आंकड़े भी बहुत बढ़िया लेकिन यह जो एक समस्या है, माननीय सभापति महोदय, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस देश में अब एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है, मैं क्रांति की बात नहीं करता हूं, आंदोलन की जरूरत है, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन की जरूरत है। इन आंदोलनों के माध्यम से शिड्यूल्ड कास्ट्स की जो आज दशा है, इसको सुधारने में हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। यह बहुत पुरानी समस्या है।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत ढूंढा कि यह कुप्रथा छुआछूत की कहां से आयी, कैसे आयी? ज्ञात इतिहास में कोई कारण नहीं मिलता कि यह कुप्रथा कैसे हिन्दू समाज में घुस गयी, कहां से घुस गयी? हमेशा से इसके खिलाफ प्रयत्न भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं हुए और प्रयत्न भी बहुत प्रामाणिकता से हुए हैं। इसी पाखंड और छुआछूत के खिलाफ इस देश में जैन धर्म हुआ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म स्थापित किया और वह आज भी चल रहा है उसके उपदेश भी चल रहे हैं, लेकिन कितनी इस व्यवस्था पर चोट कर सके? इसी व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म उपस्थित हुआ, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापित किया और सबको बौद्ध नाम दे दिया कि अब आप सब बौद्ध हो, कोई छूत-अछूत नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था और यह उपदेश कहां तक चल रहे हैं?

इसी देश में आर्य समाज आया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और महर्षि दयानंद ने सारे हिन्दू शास्त्र, जो प्रामाणिक है, चाहे चार वेद हैं, चाहे 18 पुराण हैं, चाहे 108 उपनिषद् हैं। इन सबके अध्ययन के बाद एक निचोड़ इस देश के सामने रखा कि छुआछूत इस देश की मान्य प्रणाली नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि अछूतों को लगाओ गले से, वरना यह लाल गैरों के हो जायेंगे। यह जो स्थिति बनी, वे गैरों के हुए।

यहां मैं किसी राजनीतिक प्रपंच में उलझना नहीं चाहता और न ही कोई तर्क देना चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो मुस्लिम वर्ग है, उसमें ज्यादातर कौन हैं? किसने धर्म परिवर्तन किया? आपके जो दूसरे धर्म हैं, ईसाई धर्म है, उसमें कौन है? इस देश के ही हैं। यह स्थिति भी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आखिर कहां तक यह बजट, बजट, बजट? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक बार सारे देश का बजट और एक बार सारे राजस्थान का बजट शिड्यूल्ड कास्ट्स के उत्थान में लगाया जाए और यह जो मानसिकता है शिड्यूल्ड कास्ट्स की, यह मानसिकता समाप्त हो। ये संस्थागत जो संस्कार हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के, इन संस्कारों पर विजय पा सकें। यह क्या हो रहा है? कुछ लोग आदर्श भी हैं। दोनों स्ट्रीम हैं हमारे यहां। एक तो बेसिक घृणित प्रथा है, जिसमें व्यक्ति तालाबों पर नहीं जा सकता था, जहां कुत्ते भी जा सकते थे। डाक्टर अम्बेडकर ने आन्दोलन भी किया था। यह ऐसी कुप्रथा है, ऐसी घृणित प्रथा है कि जहां पर चल-फिर भी नहीं सकते बाजारों में। इस प्रथा ने कैसे स्थान पाया, इसके जड़ मूल में जाना चाहिए। उसके बाद उसका हल निकालना चाहिए।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कौनसी स्थिति है, जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स की यह मानसिकता नहीं है? इस मानसिकता को समाप्त करने के लिए संस्कारगत शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रति व्यवहार के अन्दर छुआछूत की मानसिकता आ गयी है, उसको समाप्त करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रयत्न हुए, अब भी हो रहा है और आगे भी रहेंगे। हमारे नेता भी बने हैं।

माननीय सभापति महोदय, महापुरुषों के अश्पृश्यता के सुधार आन्दोलन भी चले हैं। गैर सरकारी प्रयास भी चलते रहे हैं। सिख धर्म भी आया। सिख धर्म में गुरूनानक देव ने सिक्खी चालू की, लेकिन आज सिक्खी का प्रभाव, आज वह भी चल रहा है। सदन से सोसाइटी भी चालू हुई। विवेकानन्द ने चालू किये और दूसरे प्रयत्न भी चालू हुए। ये सब चलने के बावजूद भी उनका कोई असर नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता से इस देश से छुआछूत खतम होने पर विचार होना चाहिए, चाहे कितना ही बजट हो, कैसा ही बजट हो। आज जो शिक्षा दी जा रही है, आज जो मानसिकता है, आज जो हीनभावना है, हीनभावना के एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। एम.पी. बनने के बाद भी, जब एम.पी. गांव के सामाजिक भोज में जाता है तो अपने साथ अपने थैले में लोटा और थाली अलग से लेकर आता है और बैठ कर कहता है कि बापजी, हमें तो इसमें ही दे दो। आज यह स्थिति है एम.पी., एम.एल.एज. की। यह हीनभावना क्यों है? इस हीनभावना को मिटाने के लिए क्या हमको प्रयत्न नहीं करना चाहिए? हीनभावना मिटाने के प्रयत्न के लिए हमको जहां भी, जिस तरह से भी हो, करना चाहिए। क्या समाजशास्त्रियों से राय ली गयी? क्या अर्थशास्त्रियों से राय ली गयी? आज जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, क्या उनसे राय ली गयी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं आर.एस.एस. का प्रोडक्ट हूं, आर.एस.एस. ने जिस प्रामाणिकता से शाखाओं के माध्यम से जातिवादी कुप्रथा के जहर के खिलाफ काम होता है, आज वह सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। आज आर.एस.एस. ने बीड़ा उठाया है कि वह सर्वे करेंगे। गांव-गांव जायेंगे। कहां क्या स्थिति है, उसके बाद अपने कार्यक्रमों को परिवर्तित करके शिड्यूल्ड कास्ट्स को आश्वस्त करके एक समरस समाज की रचना हेतु आगे जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सबसे ज्यादा पाप इस आर.एस.एस. ने ही किया है।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): मैंने शुरू में ही कह दिया। टीका-टिप्पणियां उचित नहीं हैं। आप नहीं जानते हो। मैं आर.एस.एस. का प्रोडक्ट हूं। आर.एस.एस. में जाने से मेरी हीनभावना खतम हुई है। मैं प्रोडक्ट हूं आर्य समाज का। आर्य समाज के सत्संगों में जाने से मेरी हीनभावना खतम हुई है। आज देश कहां जा रहा है? जातिवादी कट्टरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जातिवादी संगठन बढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): आज संगठन बन रहे हैं। ऐसी ही बातों ने जातिवादी कट्टरता और छुआछूत की स्थिति पैदा की है। क्या इस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें इसलिए हैं। अच्छा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी पधार गये। मुख्य मंत्रीजी गांधीवादी हैं। गांधीजी ने अस्पृश्यता के बारे में क्या कहा था, अभी मैंने बताया। एक तो कहा था कि यह कलंक है और दूसरा कहा था कि हिन्दू समाज में यह जहर है। इस कलंक और जहर को मिटाने के लिए आज कितने प्रयत्न हो रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक कान्फ्रेंस बुलाइए। देश के सारे समाजशास्त्री, सारे निर्वसनशास्त्री, सारे समाज वैज्ञानिक, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं को साथ बैठा कर तय कीजिए कि कौनसी नीतियां चालू की जाएं ताकि छुआछूत की मानसिकता, यह जो संस्थागत छुआछूत की संस्कृति चल रही है, इस पर कैसे विजय पायी जाए।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): एक कान्फ्रेंस आप कीजिए। मैं इसको ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं करना चाहता। मैंने यह विषय आपका ध्यान खींचने के लिए आपके सामने रख दिया है। एक विधायक यह कह दे कि उसके क्षेत्र में आज छुआछूत की बात समाप्त हो चुकी है या छुआछूत की मानसिकता खतम हो चुकी है या छुआछूत का संस्कारगत जो चल रहा है, वह प्रवृत्ति समाप्त हो गयी है। एक भी विधायक नहीं कह सकता है। किसी में कहने की हिम्मत हो तो बताएं, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से आता हूं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं विशेष तौर से।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

मानननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के डिपार्टमेंट हैं, चाहे हमारे वक्त की बात हो, नये आने वाले विधायक, मजबूत विधायकों, मजबूत मंत्रियों को लेकर आपके स्तर पर, मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर कार्यक्रम और योजनाएं बनायी जानी चाहिए। उनके लिए पैसे की कमी नहीं रहनी चाहिए। भारी भरकम मिनिस्टर्स को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के कार्य दिये जाएं। यह मेरी मांग है। जय हिन्द। जय भारत। (व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। आसन पैरों पर है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: 10 मिनट में समाप्त करें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं शुरुआत करता हूं। अभी माननीय कैलाशजी बोल रहे थे। हम तो एस.सी., एस.टी. के साथ बैठ कर खाना खाने वाले लोग हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आप ही चुनाव के वक्त उनको हिन्दू बनाते हो और बाद में घोड़ी से उतार देते हो। हम तो उनको साथ रखने वाले लोग हैं।

श्री सभापति: आप सब्जेक्ट पर आइये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हम उनको कभी बाहर नहीं रखते हैं।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाए। मैंने शुरू में ही कह दिया था।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं कतई नहीं बना रहा, मैं तो भावना से अवगत करा रहा हूं कि हम रिलीजियसली एक थाली में खाना खाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह डिबेट का विषय नहीं है। प्लीज। आप अपने सब्जेक्ट पर आइये। धर्म पर चर्चा करने की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, जब हमने बजट दिया तो यह बात सामने आयी कि इस बजट को पूरा कैसे करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने बजट दिया, निरोगी राजस्थान की कल्पना की और सबसे बड़ी शुरुआत हैल्थ के सेक्टर में कभी हुई तो इसी टेन्योर में हुई। निरोगी राजस्थान की मीटिंग हुई और एक बहुत बड़ी पालिसी मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी लेकर आये। जनता क्लिनिक की घोषणा की गई। बहुत सी बातें लोगों ने कीं और यह कहा कि जनता क्लिनिक खोलोगे काहे से? बजट कहां से आयेगा? पैसा कहां से आयेगा? मैं आज जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में 70 सालों में आठ हैल्थ सेन्टर थे। इन चार सालों में हमने नौ और खोल दिये। बजट यहां से आयेगा। नौ सेन्टर एक विधान सभा में। राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं बचा, जिसमें मेडिकल कालेज नहीं खुला। दो हजार से ज्यादा महात्मा गांधी स्कूल्स खोल दीं हमने। इस तरीके का बजट लेकर आये और उस बजट की कैसे क्रियान्विति की जाए। जब हमारी सरकार बनी थी तब हम कर्ज में डूबे हुए थे। इस तरह का कर्ज था कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। इनका इन्ट्रेस्ट चुकाने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ रहा था। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आम आदमी के ऊपर इन्ट्रेस्ट की मार है। ये आपके ही पाप हैं, जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि कुशल प्रतिनिधित्व के बल पर और हमारी आधारभूत स्कीम्स के बल पर यह सारा आधारभूत ढांचा हमने चार साल के अन्दर राजस्थान में खड़ा किया।

जैसे ही सरकार बनी, 2020 में कोविड आ गया। माननीय सभापति महोदय, कोविड के अंदर चारों तरफ बहुत बुरी भयावह स्थिति थी। जब यू.पी. की बात करें तो वहां यू.पी. के अंदर लाशें तैरती नजर आती थीं। मैं माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि न केवल कोविड प्रबन्धन में, बल्कि इकोनोमिक्स सैक्टर में भी, हर क्षेत्र में हमने कामयाबी अदा की और हर आदमी को, कोई भूखा न सोए, इस बात की हमने राजस्थान के अंदर एक स्कीम लांच की और हर आदमी को बेनेफिट दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे डिफिकल्ट समय में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं-

(श्री रफीक खान)

'वह पथ क्या और पथिक क्या,
जिसकी राहों में शूल न हो।
और नाविक की कार्यकुशलता क्या
कि जिसकी लहरें प्रतिकूल न हों।।

एक कुशल नाविक की तरह इन्होंने काम किया और राजस्थान की नैया को पार लगाया। आज राजस्थान का आधारभूत ढांचा हम देख रहे हैं। चाहे वह किसानों का बिल हो, हमने जब सरकार बनी तो यह अनाउंसमेंट किया कि जब तक हमारा राज रहेगा, हम पांच साल तक किसानों की बिजली में एक रुपया नहीं बढ़ायेंगे। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि रुपया नहीं बढ़ाया जो नहीं बढ़ाया, बल्कि इस साल से 2 हजार यूनिट उन्होंने फ्री देने की घोषणा कर दी। इससे बढ़कर काम किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, अगर आप किसानों का कम्पेरिजन करोगे तो केन्द्र सरकार ने बातें कीं। बजट कम कर दिया। एक जगह आदमी को बेनिफिट नहीं दिया। न केवल किसानों का बिल, बल्कि आम आदमी की भी 100 यूनिट फ्री कर दी। पिछले बजट में 50 यूनिट की और मुझे सदन को बताते हुए यह खुशी है कि 38 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिला। फायदा तो जो सदन में बैठे हैं न, इनकी जुबान नहीं निकल रही है, एक आदमी नहीं बोल रहा है, सब लोगों को 50 यूनिट का फायदा मिला है। जब कोविड था तो हम सबने डिमांड मुख्य मंत्रीजी से की कि, साहब, दो महीने का बिल माफ कर दो, तीन महीने का बिल माफ कर दो। मुख्य मंत्रीजी ने एक-दो महीने का बिल माफ नहीं किया, 50 यूनिट राजस्थान के हर वाशिंदे के माफ कर दिये। जितने लोग हाउस में बैठे हैं, इन सबको शुक्रिया अदा करना चाहिये। इन सबका बिल माफ हुआ। इनका माफ हुआ, आम जनता का माफ हुआ और आगे आने वाले समय में इन्होंने 100 यूनिट माफ करने की घोषणा कर दी। इससे बड़ा काम राजस्थान के धरातल पर कुछ नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी की बात करूं, यह अमृतकाल का बजट है, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा और अमृतकाल में जीरो अनाउंसमेंट। युवा के लिए, एक आदमी को रोजगार देने का अनाउंसमेंट नहीं। अमृतकाल का बजट दिया और यह कहा कि मैं युवाओं के साथ हूं। जब

(श्री रफीक खान)

सरकार बनाकर आये तब बोले कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। एक आदमी का अनाउंसमेंट नहीं है अमृतकाल के अंदर। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं के बारे में सोचा। न केवल रोजगार का सृजन किया, बल्कि 500 करोड़ का एक कॉर्पस फण्ड क्रिएट किया कि हम आने वाले समय में युवाओं को नई दिशा देंगे। इस बजट के अंदर 500 करोड़ रुपये लेकर आये।

आज के समय में आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचाएं? हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाएं। 150 नामी यूनिवर्सिटी का सलेक्शन किया गया और वह गरीब आदमी, जिसका बच्चा मेधावी था, जिसका बच्चा बाहर पढ़ सकता था, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं जा सकता। मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किया 2021-22 के बजट के अंदर, कि उन 200 बच्चों को, जो अपने दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर अगर बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो मैं उनके पैसे दूंगा। चाहे वह खर्चा 30 लाख रुपये सालाना हो, चाहे 40 लाख रुपये सालाना हो। मुख्य मंत्रीजी ने यह अनाउंस किया। यहां तक किया कि अगर 8 लाख की नीचे इन्कम वाले 200 स्टूडेंट पूरे नहीं मिलते हैं तो उसके ऊपर की इन्कम ग्रुप वालों को भी देंगे। पहले 200 का दिया और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इस बजट के अंदर यह संख्या बढ़ाकर उन्होंने 500 कर दी। यह होता है आम आदमी और युवा लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना की आप बहुत क्रिटिसिज्म करते हो। जनता सुनेगी नहीं जब गांवों में कांस्टिट्यूएंसी के अंदर जाओगे। चिरंजीवी योजना इस हिन्दुस्तान का रोल मॉडल नहीं है, पूरी दुनिया में चिरंजीवी की चर्चा है। पूरी दुनिया यह पूछती है कि आपके यहां क्या स्कीम है? माननीय सभापति महोदय, मैं 50 से ज्यादा देशों में घूमा हुआ हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही चिरंजीवी योजना की स्कीम राजस्थान में लांच की, वैसी पूरी दुनिया में हैल्थ बेनिफिशियरीज की ऐसी कोई स्कीम नहीं है। न केवल राजस्थान में लोग आते हैं, बाहर के MLA हमसे फोन पर बात करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? जब शुरू में, जैसे अभी बातें कर रहे थे न पैसा कहां से लाओगे, बजट कहां से लाओगे? 38 लाख लोगों का इलाज हुआ है। 38 लाख लोग घर में बैठकर दुआएं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं, जिनकी जमीन बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी, उनके घर में राशन नहीं होता

(श्री रफीक खान)

था। आदमी यह सोचता था कि मैं मेरे परिवार के कलेजे का टुकड़ा, मेरा पति, मेरा भाई, मैं कैसे इलाज कराऊं? चाहे मुझे जमीन बेचनी पड़े, जायदाद बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े, चाहे जेवर बेचने पड़ें, मैं इनका इलाज कराऊंगा। आज वे दुआ देते हैं कि न कोई चीज बेचनी पड़ी और उसका फ्री में इलाज होकर घर पर आ गया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को कि ऐसी स्कीम को धरातल पर लेकर आये, जो न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश और दुनिया का रोल मॉडल बन गया। देश और दुनिया को नई दिशा मिली है। आप लोग भी पैरवी करो और बोलो कि चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम अडॉप्ट करें और पूरे देशवासियों को फायदा दें।

माननीय सभापति महोदय, सोशल वेलफेयर स्कीम में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमाल कर दिया। मैं छोटा-सा कम्पेरिजन का एक चार्ट आपको बताना चाहता हूं। सोशल वेलफेयर स्कीम का बताऊं कि राजस्थान के अंदर साढ़े सात करोड़ की आबादी है और यू.पी. की आबादी है 24 करोड़। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के बेनिफिशरी तो हैं 94 लाख और जिस स्टेट की आबादी है 24 करोड़, उसके बेनिफिशरी हैं 85 लाख। आप देखो, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम एक्टिव नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि केन्द्र सरकार इसमें पैसे नहीं देती है। केन्द्र सरकार ने 11 लाख की कैप लगा दी कि हम 11 लाख से ऊपर पैसे नहीं देंगे। 11 लाख को भी कितने देंगे, 11 लाख को हम देंगे 200 रुपये, 300 रुपये और जो 80 साल का बहुत कम नम्बर होगा, उसको 500 देंगे लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, आपकी यह स्कीम पूरे राजस्थान के बुजुर्गों को सम्बल देती है, विधवाओं को सम्बल देती है, आम आदमी को सम्बल देती है। उसको अपने चाय-पानी के खर्चे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आपने हर आदमी को एक हजार रुपये दे दिये। न केवल एक हजार रुपये दिये बल्कि 15 प्रतिशत इन्क्रीमेंट की गारंटी भी दे दी कि 15 प्रतिशत हर साल इन्क्रीमेंट कर देंगे। इससे मुझे खुशी है। मैं एक फिगर भी देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें जो कंट्रीब्यूशन दे रही है, आप सुनोगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। आप सबको मिलकर राजस्थान की पैरवी करनी चाहिये। राजस्थान का क्रिटिसिज्म करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। आपको 25 सांसद दिये हैं, आप सबको बात करनी चाहिये। आप लोगों ने 11 लाख की कैप लगायी और 11 लाख की कैप के ऊपर भी आप सिर्फ 372 करोड़ रुपये दे रहे हो। बाकी 8 हजार 600

(श्री रफीक खान)

करोड़ रुपये राजस्थान सरकार दे रही है। जब यह बढ़ाकर पैसा देना पड़ेगा तो यह अमाउंट 11 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा। लेकिन केन्द्र का कंट्रीब्यूशन वही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने सांसदों से बात करो। जनता के लिए जाओ। आप यह बार-बार कहते हो कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। रेवड़ी किस बात की बांट रहे हैं? जनता का पैसा है और जनता को दे रहे हैं। आम आदमी का यह जो पैसा है, वह गरीब आदमी का पैसा है और सही हाथों में पहुंचाया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने सांसदों को साथ लो, प्रधान मंत्रीजी से बात करो कि हमें यह कंट्रीब्यूशन दें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा है। राजस्थान की पूरे हिन्दुस्तान के अंदर भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे आगे हैं। जब हम इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो हमें खर्चा भी उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। आज दूसरी स्टेटों का फार्मूला हमारे साथ नहीं लगा सकते। आपको यह चाहिये कि या तो शत-प्रतिशत पैसा दो, नहीं तो 90-10 का कंट्रीब्यूशन आपको करना चाहिये। जनता के बीच में कहना चाहिये। आपको अपने सांसदों को लेकर केन्द्र सरकार के पास गुहार करनी चाहिये कि राजस्थान भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा है। हम अगर लाइन लेकर जाते हैं तो कहां जैसलमेर है, कहां भरतपुर है। हमारे यहां हर चीज में ज्यादा खर्चा आता है, तो आप और हम सबको मिलकर यह जरूर करना चाहिये कि केन्द्र सरकार से गुजारिश की जाए कि राजस्थान को कंट्रीब्यूशन ऐसी स्कीमों में, जो आम आदमी के लिए, जनता के लिए स्पेशली बिजली, पानी की स्कीमों में और खास तौर से सोशल स्कीमों की अपन बात कर रहे हैं, उन जैसी स्कीमों में कंट्रीब्यूशन का रेशो 80-90 प्रतिशत केन्द्र सरकार को देना चाहिये।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राहुल गांधीजी की यात्रा चल रही थी। राहुल गांधीजी आये और क्या पैगाम दे रहे थे? पैगाम यह दे रहे थे कि देश के अंदर नफरत छोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। अभी मेघवाल जी कह रहे थे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। मुझे अफसोस है जब कन्हैया लाल का मामला हुआ तो हम सबने निंदा की और खड़े हुए कि कन्हैया लाल को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जब आपकी स्टेट में, राजस्थान के

(श्री रफीक खान)

आदमी का मर्डर हो जाता है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक आदमी नहीं खड़ा होता है।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं तो उप नेता, प्रतिपक्ष से कहता हूं कि आप तो ऐसे न थे। राहुल गांधी जी की जब यात्रा चल रही थी तो मुख्य मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि मैं उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, मोदी के..

श्री सभापतिः विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापतिः विराजिये। विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापतिः प्लीज विराजिये। विराजिये। आसन पैरों पर, आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। विराजिये। सीख लीजिये कुछ। विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापतिः जब मन चाहा तब खड़े हो गये। कोई अनुशासन नहीं है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर लूं।

श्री सभापतिः क्या कह रहे हैं आप? आप एक मिनट में समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राहुल गांधी जी की सभा के अंदर मुख्य मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि मैं 500 रुपये में सिलेंडर देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि इस बजट में उन्होंने अनाउंसमेंट किया। आप सबसे

(श्री रफीक खान)

गुजारिश है कि केन्द्र सरकार से गुजारिश करें कि न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में उज्ज्वला योजना के बेनेफिशियरीज को 500 रुपये में सिलेंडर दें।

एक शेर के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़। प्लीज विराजें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बस एक शेर के साथ खतम कर रहा हूं। एक शेर के साथ, दुष्यंत कुमार के शेर के साथ, कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, दुष्यंत कुमार की है, प्रधान मंत्री जी को दुष्यंत कुमार से बहुत लगाव है। "कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, बदल दो केन्द्र की सरकार को, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।"

श्री सभापति: विराजें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह दुष्यंत कुमार का ही है।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, अब विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। एक लाइन और है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। बैठिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। विराजिए आप। बेवजह सनसनी पैदा कर रहे हैं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक मिनट, सर।

श्री सभापति: हां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब को बी.जे.पी. वाले नेता तो नहीं बना रहे लेकिन यहां खड़ा करके भाषण दिलवा दो।

श्री सभापति: प्लीज, विराजें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सारा सदन चाहता है कि वह 'झ' वाली सीट पर खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। इतनी अनुमति दे दो आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राठौड़ साहब, यह बताना, राजस्थान सुनना चाहता है राजेन्द्र राठौड़ के मुंह से कि राठौड़ी में कितना दम है और कौन लोग हैं जो राठौड़ों को रोकना चाहते हैं विपक्ष के नेता बनने से। हम आपकी मदद करेंगे। राठौड़ी में दम है राजस्थान में। राठौड़ी इतनी कमजोर नहीं हुई है अभी। सभापति जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यह राजपूताना की धरती है। आपको जो लोग रोक रहे हैं विपक्ष के नेता बनने से, बताना जरूर।

श्री सभापति: आप कहें तो सदन में वोटिंग करा लूं? वोटिंग करा दूं आपके पक्ष में? प्लीज, प्लीज।

राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज सदन 4 साल से लगातार अंतर्द्वंद में फंसी सरकार के अंतिम बजट के पारण के स्टेज पर विचार कर रहा है।

सभापति महोदय, मैंने बजट को पढ़ा। बजट के प्रावधानों को पढ़ा। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यह बजट धरती पर नहीं आयेगा। यह बजट आभासीय बजट है। यह कपोल-कल्पित बजट है। यह चुनाव से भयाक्रांत होकर जनता को भ्रमित करने वाला बजट है।

सभापति महोदय, मैंने अभी सत्ता पक्ष के 4 माननीय सदस्यों को और एक मुख्य मंत्री जी के हेलीकाप्टर से लटके सलाहकार का भाषण सुना। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब 4 साल बाद वे इस बात को सदन में रखते कि इन 4 सालों और हमारे इस अंतिम बजट में हमने अब तक जितने बजट रखे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमने अब तक बजट के माध्यम से इस जन अवाम से जो वादे किये, उनमें इतने वादों पर हम खरे उतरे। मैं दलील सुन रहा था। मैं कहूं कि एक तरन्नुम निकल रहा था। गहलोत साहब का स्तुति गान अलग-अलग अंदाज में माननीय सदस्यों ने किया। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त बिल आर्टिकल 204 (1) के अंदर सरकार की मजबूरी है। सरकार लेकर आयी। संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगी। मुख्य मंत्री जी के उसी तोता रटंत उत्तर के बाद, आंकड़ों में कुछ नहीं रखा। पहले तो प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनको कहते, आप भावुक हो। आप मीडिया के सामने जाते ही भड़क उठते हो। अब भी कोई इसी प्रकार की 2-4 बातें कहकर, हमारे सदन के अंदर जिन माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, उनका हमें उत्तर मिलने वाला नहीं है। यह मैं जानता हूं।

सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि जिस विनियोग विधेयक के माध्यम से आज सदन से सरकार 4,03,547 करोड़ की बड़ी राशि की अनुमति ले रही है, इसकी व्यवस्था होगी तो होगी कैसे? अभी जब सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो राशि सरकार अनुमति ले रही है, वह राशि सरकार के कुल बजट साइज 3,90,856 करोड़ 48 लाख से भी लगभग 13,000 करोड़ ज्यादा है।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के पैरा 267 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि रेवेन्यु रिसीट, सरकार की रेवेन्यु रिसीट जो इन्होंने अनुमान लगाया है 2,33,988 करोड़ और सरकार का रेवेन्यु एक्सपेंडिचर 2,58,883 करोड़ है। यानी यह 24,895 करोड़ के घाटे का बजट है। इस बजट साइज को वित्त पोषित करने के लिए कौनसे एक्स्ट्रा बोरोइंग आप करेंगे? सदन के नेता को जरूर इस बात को बताना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लांस पेज एक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें सरकार का आन स्टेट टैक्स रेवेन्यु, कुल जो रेवेन्यु रिसीट्स हैं, वे 2,33,988 करोड़ हैं और इसमें सरकार का खुद का आन टैक्स रेवेन्यु 1,14,159 करोड़ है। केन्द्रीय करों में हिस्सा, यह आप ही की किताब है, 61,552 करोड़, केन्द्रीय सहायता 33,981 करोड़ और नॉन टैक्स रेवेन्यु 24,284 करोड़ है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, यहां मुझसे पहले बोलते हुए बहुत से सत्तारूढ़ दल के वक्ताओं ने कई बातें केन्द्र के बारे में कहीं। यह तो अर्थशास्त्र को हर जानने वाला जानता है कि हमारे पास अगर पैसा होगा, रेवेन्यु रिसीट्स में हमारे पास पैसा होगा तो हम हमारे विकास के कामों को अंजाम दे पायेंगे। अब इस रेवेन्यु रिसीट में केन्द्रीय करों का हिस्सा और केन्द्रीय अनुदान 61,552 और 33,981, कुल मिलाकर यह राशि 95,533 करोड़ होती है। यानी जिस सरकार के लोग केन्द्रीय सरकार को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, हां, यह बात जरूर है कि मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि हमें फाइनेन्स कमीशन से मिली हुई रिकमंडेशन के आधार पर पैसा आता है, लेकिन केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने वाले लोगों को यह तो सोचना चाहिए कि कुल रेवेन्यु रिसीट्स का लगभग 40 परसेंट से ज्यादा पैसा, केन्द्रीय करों में हिस्सा और केन्द्रीय करों के अनुदान से आ रहा है।

सभापति महोदय, यह सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी के लिए भी चिंता की बात है। मुख्य मंत्री जी, आपकी बजट साइज 3,90,856 करोड़ और आपकी कुल राजस्व प्राप्तियां, जो मैंने पहले बताया, 2,33,988 करोड़ हैं। यानी दोनों में अंतर है जो 1,56,868 करोड़ रुपये, ये 1,56,868 करोड़ रुपये आप कहां से लेंगे? आपके पास दो ही चारे हैं, पब्लिक अकाउंट से आप कर्जा लें, नेट बोरोइंग लें। मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे, यह बात सही है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट आया, राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन की परिधि में बांधने के लिए आया। जी.एस.डी.पी. का 38.5 परसेंट से ज्यादा आप बोरोइंग कर नहीं सकते। यक्ष प्रश्न यह उठता है कि 38.5 परसेंट की इस नेट बोरोइंग की लिमिट को, हो सकता है, I may be wrong, I want to be wrong. मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर जो मैंने देखा, यह 38.5 परसेंट की जगह पर 41 प्रतिशत के आंकड़ों को यह छू रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहली बार, हमें बजट साइज बढ़ानी है, बजट साइज बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार के काम करते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत बुद्धिमान लोगों की टीम मुख्य मंत्रीजी के पास है। मैंने पहली बार एक नई एंट्री देखी है और वो नई एंट्री है, बजट 2023-24 के पैरा 262 में, जहां वेज एवं मीन्स सहित बजट साइज 3,90,000 करोड़ है, उसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वसूलियों की नई है, 12,690 करोड़, मैं यह नहीं कहता कि सरकार के द्वारा अलग-अलग ग्रांट्स में या डिमांड्स की या अलग-अलग सरकार के अंदर वसूलियां होती नहीं हैं।

(समय: 16.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि सिर्फ बजट साइज को बढ़ाना है, बजट साइज को बढ़ाना है, उसमें 12,690 करोड़ की नई एंट्री। मुख्य मंत्रीजी, बजट के आंकड़ों के अंदर कुछ भी बात हो सकती है। यहां एक्चुअल जब आते हैं तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट में, मेरे पास सी.ए.जी. की रिपोर्ट 2021-22 है, इसके पेज 7 पर लिखा है, रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि तमाम आंकड़ों के आधार पर हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने रेवेन्यु रिसीट और रेवेन्यु एक्सपेंडिचर के साथ बजट साइज के अनुसार रेवेन्यु एक्सपेंडिचर की भी बात की। यह मेरा कागज नहीं है, यह कागज है सी.ए.जी. का, और इसमें लिखा है उन्होंने कि 44.32 परसेंट तो टैक्स रेवेन्यु है, 34.87 सिर्फ लोक ऋण और 12.50 केन्द्र से अनुदान। यह पैसा जाता कहां है? 19.50 हम विकास की बात कर रहे हैं, हम ओल्ड पेंशन देने को लेकर कांख बजा रहे हैं, मैं ओल्ड पेंशन का विरोधी नहीं, हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान कहां खड़ा है? सी.ए.जी. की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान के अंदर एक रुपये में से 19.50 पैसे तो वेतन भुगतान में जाते हैं, 19.31 पैसे ऋण के पुनर्भुगतान में, जो ऋण पहले ले लिया, 9.67 पैसे ब्याज की अदायगी में जाते हैं और 8.04 पैसे पेंशन में। यानी जो पैसा आया उसका 56.5 परसेंट पैसा यानी एक रुपये में से इन चार गतिविधियों में चला जाता है। हम विकास की लम्बी-लम्बी बातें करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि आपके नेतृत्व में 15वीं विधान सभा का यह सत्र इस बात के लिए याद किया जाएगा कि आपकी सरपरस्ती के अंदर पक्ष और विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारम्भ होकर इस विनियोग विधेयक तक सकारात्मक दृष्टि से भाग लिया। 15वीं विधान सभा का यह सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में याद किया जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विराजे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि यह आप ही का नेतृत्व था, 83वीं पीठासीन अधिकारियों की कान्फ्रेंस जो यहां हुई, उसमें इस बात को कहा गया कि विधान मंडल की बैठकें निरंतर कम होती जा रही हैं। वर्ष में कम से कम 60 बैठकें हों, आप भी इसके प्रबल समर्थक रहे। निश्चित तौर पर, अध्यक्षजी, जब विधान सभा की बैठकें चलती हैं तो प्रशासन तंत्र पर विधायिका का नियंत्रण भी रहता है पर इस 15वीं विधान सभा के अंदर मुख्य मंत्री जी, एक रिकार्ड आपने भी बना डाला। मैं विधान सभा के पिछले कई बार का सदस्य हूं। सबसे कम विधान सभा के अंदर कोई उपस्थिति रही तो, मुख्य मंत्रीजी, आपकी रही। ये तो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी रह गई या मजबूरी रह गई कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर देने आपको आना पड़ा। आपको बजट पठन के लिए आना पड़ा, बजट रिप्लाई के लिए आना पड़ा और आज आना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नाथद्वारा से आते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथजी के मंगला के दर्शन होते हैं, ग्वाला के होते हैं, राजभोग के होते हैं, मुख्य मंत्रीजी, यह राजभोग के दर्शन भी हमें आज ही हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस 15वीं विधान सभा के कार्यवाही वृत्तान्त को अगर कोई पढ़ेगा तो सबसे कम अगर कार्यवाही वृत्तान्त में भाग होगा तो मुख्य मंत्रीजी का होगा। मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्री के रूप से पहला कमिटमेंट है किसी का तो उस बजट के लिए है, जिसको वित्त मंत्री के रूप में वे सदन में प्रस्तुत करते हैं, पर आपका बजट के प्रति कितना कमिटमेंट है? हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े स्तुति गान किये। मैं समझता हूं कि बजट प्रस्तुत करते समय जब पिछला बजट आपके हाथ में आ गया और कुछ पन्ने आपने पढ़ दिए, मानवीय भूल हो सकती है। यह बात इस बात को इंगित करती है, बजट सदन में प्रस्तुत करना और सदन में प्रस्तुत करने के पश्चात् विस्मृत कर जाना, यह आदत मैं ठीक नहीं समझता। मैं जिम्मेदारी से इसलिए भी कह रहा हूं कि मैंने सदन में इस बार ही मंजर देखा, मुख्य मंत्रीजी, आपको मैं गांधीवादी भी मानता हूं और ईमानदार भी मानता हूं पर सावचेत कर रहा हूं। आप कम विराजे, पर आपके पीछे से आपकी जो टीम है न, इस टीम के ढाई दर्जन विधायक आपके खिलाफ भी बोल गये, सरकार के खिलाफ में।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ये चार बजटों पर यदि कोई श्वेत पत्र जारी होगा और मैं वादा करता हूं कि श्वेत पत्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जारी करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आने वाली है, हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आगाह करके आगे मेरी बात कहूंगा। मुख्य मंत्रीजी, सात-साढ़े सात महीने बाद, आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। आप पूरे राजस्थान में जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, राजस्थान में आपको तख्ती लिये हुए लोग खड़े मिलेंगे हर कांस्टिट्यूएंसी में कि हमसे बजट में जो वादा किया वह पूरा नहीं हुआ। उसके साथ में काला झंडा और नहीं हो जाए, उसकी मुझे बड़ी चिंता है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं एक बात के लिए जरूर बधाई दूंगा, सलाहकार बने, de facto सलाहकार नहीं बन पाये, de jure सलाहकार नहीं बन पाये, वैधानिक रूप आपको नहीं मिला पर अफसोस मुझे इस बात का है कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट निर्माण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में आपको याद नहीं किया। आपके सलाहकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, नौ, नवरत्न मंडल, नवरत्न मंडल, जब आप उद्योगपतियों को बुलाते हो, नौजवानों को बुलाते हो, किसानों को बुलाते हो, आपको नहीं बुलाया। मैं आपको सलाह दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुरानी फिल्में देखी हैं। बड़ा शानदार एक्टर होता है न, वह हेलिकाप्टर पर रस्से से लटके-लटके जब लगता है न कि हेलीकाप्टर क्रैश होगा, आग के दरिया में क्रैश होगा तो वह कूदकर अपनी जान बचा लेता है। आपका मैं शुभ चिंतक हूं, इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपका ध्यान इस बजट 2022-23 के पृष्ठ 119 और पैरा 216 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें 2021-22 के कालम 7 में आपने आर.ई. में मार्गोपाय अग्रिम सहित, वेज और मीन्स सहित कुल बजट व्यय 3,19,094 करोड़ 25 लाख और इसी के अगले कॉलम में मार्गोपाय अग्रिम रहित, वेज और मींस के बिना 2,71,881 करोड़ का आंकड़ा आपने दिया, यानी वेज और मीन्स के लिए 2021-22 में आपने 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मैं सदन का ध्यान 2022-23 की बी.ई. की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके भी कालम 7 के अंदर आपकी बजट साइज है वेज एवं मीन्स सहित 3,46,182 करोड़ और वेज और मीन्स रहित है 2,94,182 करोड़, यानी 2021-22 में आपको वेज और मीन्स के लिए 48 हजार करोड़ रुपये चाहिए। इस 2022-23 में 52 हजार और जब आप आर.ई. में आये, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात से सहमत हूं, आपने कहा, इस बजट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का महत्व खतम हो गया, बजट में बजट की बी.ई. आती है, बजट की आर.ई. आती है। बी.ई. और आर.ई. के आंकड़ों में इतना विशाल अन्तर हो जाता है और उसके बाद सप्लीमेंटरी डिमांड आती है, मुखबंद करके हम पास कर देते हैं।

मुख्य मंत्री जी, जब आप आर.ई. में आये, 2022-23 की आर.ई. में आपका बजट साइज तो 3,82,000 करोड़, था, पर आपका अग्रिम रहित, वेज एंड मीन्स सहित जो 2,98,246 करोड़, यानी 84 हजार करोड़ की बड़ी राशि आपको सिर्फ वेज एंड मीन्स के लिए जरूरत पड़ी। एक वर्ष में 32 हजार करोड़ की वेज एंड मीन्स की यह बढ़ोतरी किस ओर संकेत करती है, इसकी निश्चित तौर पर चिन्ता करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सी.ए.जी. की रिपोर्ट 2021-22 पढ़ी। पेज नं. 5, पैरा नं. 1.4.1, आपके हालात क्या हैं? कितनी ही बातें करें, ओ.डी. में सरकार कब जाती है? कब रिजर्व बैंक के सामने जाकर गिड़गिड़ाती है, ओ.डी. में पैसा दें? अध्यक्ष महोदय, उस समय जाती है, जब सरकार के पास पैसा नहीं होता। यह मैं नहीं, सी.ए.जी. की रिपोर्ट कह रही है। 2021-22 में 143 दिन 67 बार आप 37,630 करोड़ की ओ.डी. में गये और 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपको सिर्फ ब्याज पेटे देनी पड़ी। ओ.डी. में आप कुछ दिन के लिए गये होंगे, पर आपकी अर्थव्यवस्था बीमार होकर आई.सी.यू. की ओर जा रही है। ओ.डी. में जाना इस बात का संकेत करता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मुख्य मंत्री जी के भाषण में सदैव सुनता हूं। उन्होंने इस बार भी बजट में कहा था कि वे सभी कर्मचारी विद्युत उत्पादन प्रसारण निगम, विश्वविद्यालय, ये सब ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। मुख्य मंत्री जी, आपसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्ववर्ती सरकारों को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की।

मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि 2010 में जब पी.एफ.आर.डी.ए. ट्रस्ट बना था ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसमें दस्तखत और किसी ने नहीं, मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में किये थे। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने काबिना की बैठक में इस बात को मंजूर किया और राज्य के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर्मचारियों को कहा कि पी.एफ.आर.डी.ए. फंड में जो 42,000 करोड़ की विशाल राशि जमा है, जिसमें सरकार और कर्मचारियों का 10-10 परसेंट अंशदान है, मैं यह पैसा जी.पी.एफ. के अकाउंट में लेकर आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये छेड़ रहा हूं, न्यू पेंशन स्कीम में इस पी.एफ.आर.डी.ए. फंड से कोई भी कर्मचारी अपनी राशि में से 25 परसेंट राशि किसी भी समय जरूरत पर विड्रॉ कर सकता था। आपने 6 सर्कुलर निकाले, वित्त विभाग ने उस पर बैन लगाया। आपने कहा, जी.पी.एफ. अब चालू हो गया, उसके फंड में मैं पैसा लेकर आऊंगा, आप जी.पी.एफ. के फंड में पैसा नहीं ला पाये। आप चाहे कुछ भी कहें, कुछ सवाल अनुत्तरित होते हैं। वे अनुत्तरित सवाल जब बोलना प्रारम्भ करते हैं तो चीखते हैं। यह चीख कर्मचारियों की निकले नहीं, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रबन्ध करें, इतना विशाल बजट साइज लेकर आये हैं, यह पैसा कर्मचारियों का जी.पी.एफ. फंड में डालें।

अध्यक्ष महोदय, यह जो पेंशन का भार है, वह 2024-25 में कितना आयेगा, यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2023-24, पेज 24, प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व 2024-25 में आयेगा 30,671 करोड़ रुपये। 2025-26 में आयेगा 31,485 करोड़ रुपये। यह चेतावनी है। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी नहीं हूं। ठीक है, आपने लागू की, पर आप आने वाली सरकारों के लिए एक कंटीला मार्ग छोड़कर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब सदन का ध्यान एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2022-23 के पेज 9, जिसमें पूंजीगत व्यय का वर्णन किया गया है और बजट स्टडी 2023-24 के पेज 36, जिसमें कर्जे की बात कही गयी है, मैं ये दोनों बातें एक साथ रखना चाहता हूं। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि यह पहला मौका है राजस्थान की हुकूमत के सामने, आपने बेतहाशा कर्जा लिया। कर्जा हमने भी लिया था। हमने कर्जा लेकर उससे 96 परसेंट असेट्स बनाये थे। आपने कर्जा लेकर असेट्स नहीं बनाये, आपने अपने रोजमर्रा के रेवेन्यु एक्सपेंडिचर के खाते को पूरा करने का काम किया। मैं कोई मन से नहीं कह रहा। यह आंकड़ा कह रहा है, जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट, पेज 9 में पूंजीगत व्यय आपके 2021-22 के एक्चुअल्स हैं 24,151 करोड़ और जो कर्जा लिया, जो अकाउंट्स आये, सी.ए.जी. ने जो इसको आडिट किया, वह है 37,018 करोड़ 55 लाख।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यानी पूंजीगत व्यय, जिससे हम असैट्स बनाते हैं, घोषणा करते हैं, मुख्य मंत्री की पूरी घोषणा जोड़ेंगे तो पता लगेगा, कितने लाख करोड़ की घोषणा कर डाली। सड़कें, पुल, चिकित्सालय, भवन पर इनमें जो आपका एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय उससे कर्जा 12,866 करोड़ ज्यादा है। 2022-23 की आर.ई. में अगर बात करूं तो आपका पूंजीगत व्यय था 29,141 करोड़। कर्जा जो आर.ई. में आपने लिया, क्योंकि उसमें तो रिकार्ड बनाना ही है अपने को, 40,696 करोड़, यानी 11,555 करोड़ रुपये।

अध्यक्ष जी, यह पूंजीगत व्यय से ज्यादा कर्जा, और इस बार आप जो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बी.ई. लेकर आये हैं, यह बी.ई. आपने आज तक पूरी नहीं की, मैं आगे बताऊंगा। यह पहली सरकार होगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कैंची चलाये, विकास के काम को रोके। आर.ई. में 38,061 करोड़ का आपने पूंजीगत व्यय दिखाया और कर्जा ले रहे हैं आप 96,122 करोड़।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, कर्जा लेना सरकार की मजबूरी हो सकती है। विकास के लिए कर्जा लें। स्कूल बनाएं, विद्युत संयंत्र बनाएं, पर आज भी बिना भवन के आपके जो कालेज चल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं, ये जो आपने ताबड़-तोड़ घोषणाएं की थीं कि विद्युत की दृष्टि से हम सरप्लस हो जाएंगे, आपने अलग-अलग समय पर छह विद्युत संयंत्र बनाने की बात कही थी, आज एक भी धरती पर नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो पूंजीगत व्यय है, यह जो 2022-23 में आपने 34,809 करोड़ किया और जब आप आर.ई. में आये, 2022-23 में इसे कम करके कर दिया 29,141 करोड़।

अध्यक्ष महोदय, 3,292 करोड़, यह फिगर कितना भी हो सकता है, पर यह राजस्थान में विकास के सपने दिखाकर उन सपनों को तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें आग लगाने के समान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आर.बी.आई. की रिपोर्ट आयी थी, जिसमें यह कहा गया कि अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक रुपये खर्च करते हैं तो उसी फाइनेंशियल ईयर में 245 रुपये का रिटर्न मिलता है।

केन्द्र सरकार के बारे में बहुत बातें कही गयीं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, केन्द्र सरकार के 2023-24 के बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें 33 परसेंट की बढ़ोतरी की गयी है। पहली बार 10 लाख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, 2023-24 के बजट में केन्द्र सरकार ने एक नायाब योजना लाकर राज्यों को बतायी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए राशि देने का प्रावधान रखा है। अब आप हमेशा अगर जेब में पत्थर ही रखेंगे, कलियुग है, मुख्य मंत्री जी, पत्थर कोई नहीं खाता, हाथ तो आगे करेगा ही, ऐसी योजनाएं, अपन चलते हैं, बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मुख्य मंत्री जी का वित्तीय प्रबन्धन बड़ा शानदार है। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। 2021-22 का बजट पैरा है 7.10, आपने अपने रेवेन्यु रिसीट्स को बढ़ाने के लिए रास्ते बड़े जोरदार चुने। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट कह रही है, 31 मार्च, 2022 तक कुल 2,053 पी.डी. खाते थे। अकेले मार्च में 152 और खोल लिये। आपने उसमें पैसा कितना डाला है, 59,750 करोड़ रुपये 31 मार्च को पी.डी. खाते में हैं। इसमें अकेले मार्च महीने में 7,296, इसका कारण है, सी.ए.जी. ने इसलिये पकड़ा कि जब कभी भी घोषणा की, घोषणा करने के बाद विकास का काम हुआ नहीं, क्योंकि वह तो धरती पर कोई काम आया ही नहीं, तो पैसा पी.डी. अकाउंट में डालो। 31 मार्च निकले तो रेवेन्यु रिसीट में डाल लो और फिर कह दो कि देखो हमारा रेवेन्यु डेफिसिट कम हो गया। इसमें, मुख्य मंत्री जी, 18,221 करोड़ तो पड़े रहे, यह मेरी बात नहीं है, यह रिपोर्ट है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की जो हालत है, सरकार घोषणा करके भूल जाए यह सरकार की आदत है, पर सरकार की हालत क्या है, उसमें मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट 2021-22 के पेज 6 पैरा 1.4.2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें कमिटेड रेवेन्यु एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होना ही होना है, वह कमिटेड रेवेन्यु एक्सपेंडिचर सी.ए.जी. ने अपने अकाउंट्स में लिखा है, जिस फिगर पर आप और हम कोई विवाद भी नहीं कर सकते 1,47,854 है और कुल आपकी राजस्व प्राप्तियां 1,83,290 का 80 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, हम विकास की कितनी ही थोथी बातें कर लें, पर आपकी रेवेन्यु रिसीट का 80 परसेंट तो कमिटेड रेवेन्यु एक्सपेंडिचर है। अगर नॉन कमिटेड रेवेन्यु एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यह 61,936 करोड़ रुपये है, जो रेवेन्यु रिसीट 1,83,290 का 33 परसेंट है। यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अन्तर मैंने पहले ही बता दिया है। मैं समझता हूं कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां, इसमें हमारा आन टैक्स रेवेन्यु भी है, हमारा शेयर इन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेन्ट्रल टैक्सेज भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यु, यूनियन ग्रांट भी है, पर यह जो पैसा है, चिन्ता इस बात की है। सी.ए.जी. क्या कह रही है? सी.ए.जी. कह रही है कि इस पैसे में 56,602 करोड़ वेतन में गये, 28,101 करोड़ ब्याज अदायगी में गये, 23,391 करोड़ पेंशन में गये, 23,364 करोड़ सब्सिडी में गये, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में 9,240 करोड़ गये और अन्य अनुदान में 6,640 गये। कुल मिलाकर यह 70.5 परसेंट पैसा इन चीजों में खर्च हो रहा है। हां, आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट की निश्चित तौर पर बात करते हैं तो मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, पर हमें यह कह देना चाहिए कि हमारा ध्येय अब इस राजस्थान में एक इंच सड़क बनाने का, एक भवन बनाने का नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है। 2021-22 में इनका रेवेन्यु एक्सपेंडिचर पर कमिटेड एक्सपेंडिचर 71.4 परसेंट था, 2021-22 में सी.ए.जी. का है 70.5 परसेंट। मैं आंकड़े बोलकर ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता।

मुख्य मंत्री जी, आपने अपनी बजट रिप्लाई में एक बात कही थी। चिंता की बात भी थी और, अध्यक्ष जी, आज आप भी कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने अब अपनी केन्द्र प्रवर्तित योजना में जो केन्द्रीय हिस्सा है उसको कंसोलिडेट फण्ड में नहीं डालकर उस योजना के पी.डी. अकाउंट में डाल दिया। मैंने सोचा कि इस आंकड़े को देखें कि इस बार क्या हुआ है, तो सी.ए.जी. के अन्दर, हो सकता है कि कोई बच गया हो, सी.ए.जी. की रिपोर्ट पेज 5 में जो लिखा है कि भारत सरकार द्वारा सीधी अभिकरणों को जारी राशि 2021-22 में 7,835 करोड़ रुपये नरेगा में पंचायती राज संस्थाओं को जारी कर दिये थे। मना कर दिया, आपको बुरा लगा होगा। 7,554 करोड़ रुपये, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य, 66 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में उनके खाते में दे दिये। हां, यह जरूर है कि 2,345 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के अन्दर उन्होंने जमा कराये। मैं समझता हूं कि यह एक आभासी वातावरण बनाना कि केन्द्र सरकार ने सारी योजनाओं का पैसा पी.डी. अकाउंट में चालू कर दिया, मैं इसको उचित नहीं मानता। आप क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यह जो संविधान का आर्टिकल 266 (1) है, इसमें सीधा प्रावधान है कि कोई भी पैसा जो रेवेन्यु रिसीट में आयेगा, वह पहले कंसोलिडेट फण्ड में जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 204 (3), 205 और 206 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान की मांगों के पारण के बाद वह डिपार्टमेंट में जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने ई.आर.सी.पी. की 13,000 करोड़ की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह नया काम कहां से चालू कर दिया? यह राजस्थान वाटर सप्लाई सेनिटेशन कारपोरेशन RWSSC, यह पी.एच.ई.डी., जल संसाधन, राजस्थान के उपभोक्ताओं से जो पैसा इनके पास आता है वह सीधा इस ई.आर.सी.पी. के कारपोरेशन में ट्रांसफर कर दिया। यह खेल आप क्यों कर रहे हैं? ए.जी. ने 3 मार्च को अपने पत्र क्रमांक एफ.5/4/कोष/1477 करके आप पर एतराज किया। आप केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं, पर आप खुद तो देखें, यह उल्टे बांस बरेली के, यह पत्र है और आप कहो तो मैं टेबल कर दूं?

अध्यक्ष महोदय, नवाचार के नाम पर सी.ए.जी. से बचने का काम यह सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, वर्षों से स्थापित परम्परा रही, कार्यवाही रही कि ट्रेजरी, सब-ट्रेजरी, लेखा सेवा में जो साढ़े तेरह हजार लोग लगे हैं वे त्रिस्तरीय जांच करने के बाद में बिल पास करते थे। 8 लाख कर्मचारियों का वेतन है, 4,80,000 पेंशनर और 92 लाख हैं सामाजिक सुरक्षा के। अब राज्य सरकार पी. एण्ड ओ. सिस्टम ले आयी। उसमें सी.ए.जी. से बचना है। मतलब आर्टिकल 150 यह कहता है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सी.ए.जी. के निर्धारित प्रारूप के अन्दर विभागों के वित्तीय लेखों का संकलन करके सी.ए.जी. को दे और सी.ए.जी. उस पर अपना परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को देते हैं। आपने पी. एण्ड ओ. के नाम पर, आटो बिल जनरेशन के नाम पर अकाउंट्स के सारे 13,500 कर्मचारियों/अधिकारियों को निठल्ला बनाकर एक नये सिस्टम में चेक एण्ड बैलेंस को समाप्त करके आप सीधा इस प्रकार का काम करने लग गये, तो मैं समझता हूं कि आपको निश्चित तौर पर इसके बारे में मैं सावचेत करता हूं। आपको ए.जी. ने पत्र लिखा, आपको ए.जी. ने आर्टिकल 150 के माध्यम से कहा कि आप नहीं कर सकते। 13.4.2022 को लिखा, 9.2.2023 को लिखा। ए.जी. ने लिखा कि डी.पी.सी. एक्ट, 1971 का सैक्शन 10 बना हुआ है, आर्टिकल 150 बना है। आप सी.ए.जी. के परीक्षण से बचने के लिए यह काम नहीं कर सकते। महामहिम राज्यपाल ने पत्र लिखा। मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक पूल बजट, पहले मांगें पारित होने के बाद विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में पैसा जाता था। पूरे साल भर उसको काम में लेता था, पर अब पूल बजट के नाम पर इन्होंने सीधा ही यह पहले आओ, पहले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पाओ की तर्ज पर एक सिस्टम बना दिया। आज उसका परिणाम यह रहा कि ओ. एण्ड एम. का पैसा कई विभागों ने तो एक साल के पैसे का एक महीने में उपयोग कर लिया, इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

मुख्य मंत्री जी ने बजट 2021-22 में राजस्थान सोशल एण्ड परफोर्मेंस आडिट अथोरिटी...। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सोशल एण्ड परफोर्मेंस आडिट अथोरिटी, वर्षों से जो इन्टरनल आडिट चल रही थी, इस इन्टरनल आडिट से बचने के लिए, इस सोशल परफोर्मेंस आडिट अथोरिटी के नाम पर बाहर से सेवानिवृत्त एक्सपर्ट्स लोगों को काम देकर ये किस प्रकार का खेल रचने में लगे हैं। यह 8 फरवरी, 2022 को राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलिवरी लिमिटेड RFSDL, इसमें तो, अध्यक्ष महोदय, अब इन्टरनल आडिट हो, मॉडल कंसेशनल एग्रीमेंट हो, एम.ओ.यू. हो, यह RFSDL के बहाने से राज्य के बाहर के लोगों को अधिकार दे रहे हैं। ये सेवानिवृत्त लेखाधिकारियों का सूचीकरण एम्पैनलमेंट के लिए 2 मार्च को आपने निकाल दिया और मनमर्जी के लोगों को लोगे तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए।

यहां बहुत बड़ी बात हुई। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां संविदाकर्मियों के लिए मेरी चेयरमैनशिप में बनी कमेटी की चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जन घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा सरकार ने किया, 2019 में कल्ला जी के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी और चार साल बाद राजस्थान कान्ट्रैक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल्स, 2022 बने। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, संविदाकर्मियों को फिर संविदाकर्मी बनाने के लिए एक कान्ट्रेक्चुअल रूल बना लिए और वेतन बढ़ोतरी मामूली। उसमें मुख्य मंत्री जी ने इस बार बजट में क्या कहा? 2023-24 के बजट पैरा 158 में लिखा है कि राजस्थान कान्ट्रैक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल्स, 2022 में संविदाकर्मियों को पहले की गयी सर्विस के अनुभव के लाभ के लिए आई.ए.एस. पैटर्न, अध्यक्ष महोदय, आई.ए.एस. पैटर्न यह है कि तीन साल की नौकरी में एक साल की गणना, 15 साल के सारे के सारे संविदाकर्मी इस पूरे लाभ से बाहर चले गये। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1,10,000 संविदाकर्मियों में 10-12 हजार संविदाकर्मियों का नियमितीकरण हो जाए, तो मुझे पता नहीं, मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी जरूर बताएं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुख्य मंत्री जी, आप तो सरकार के प्रति बड़े जवाबदेह हैं, इसीलिए आपने जन घोषणा पत्र में जवाबदेह कानून लाने की बात कही। पहले बजट के अन्दर, मैं उस इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करूंगा, जिसके अन्दर यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान भ्रष्टतम प्रदेश है।

यह एक एन.जी.ओ. की रिपोर्ट है। इसलिए मैं उसका जिक्र करूं तो बुरा लगेगा। मुझे करना भी नहीं चाहिए, मुझे उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने इस राजस्थान के लिए क्या कहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, 2019-20 के बजट पैरा 180 में जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हरैसमेंट, हम इसके लिए जवाबदेही कानून लेकर आयेंगे और 2022-23 के अन्दर पैरा 118 में, राजस्थान ग्रांटेड सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलीटी एक्ट, इसको हम लेकर आयेंगे। यह अंतिम बजट है, यह एक्ट कहां है? यह तो जनता से जुड़ी बजट घोषणा है।

आपने 2019 में रामलुभाया जी की कमेटी बनाई। फरवरी, 2020 में उसने रिपोर्ट दी। इस जवाबदेही कानून पर आपने 13 अक्टूबर को आपत्तियां मांगीं। हमने आपत्तियां दीं, अब हिम्मत है तो लेकर आओ न। फिर आपको एक अफसरशाह ने गलत राय दे दी। आफिसर गैलेरी में आज वे अफसर साहब बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, नाम लेना भी नहीं चाहिए, यह संसदीय परम्परा नहीं है, पर वे मेरी तरफ आंख निकालकर देख रहे हैं, वे अपने आप इंगित हो जायेंगे तो मैं क्या करूं?

श्री अध्यक्ष: आपकी आंखें इतनी शार्प हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां। अध्यक्ष महोदय, अभी मुझसे पहले सदन में रिफाइनरी की बात हुई। रिफाइनरी पसंदीदा सब्जेक्ट है, रिफाइनरी को लेकर मुख्य मंत्री जी के पश्चिमी राजस्थान में इतने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे, जैसे कभी नहीं लगे। 2013 में, आचार संहिता से 13 दिन पहले, आपने सोनियाजी को बुलाकर उसका उद्घाटन करवाया, शिलान्यास करवाया। उस दिन न तो पर्यावरण की एन.ओ.सी. थी, न जमीन का रूपान्तरण था, पर सैंया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का। आपने मुख्य मंत्री जी, ठीक किया, हम उसको बुरा भी नहीं मानते। फिर 2013 में आपके भाषण, सब भाषणों में आपने कहा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि जोधपुर की धरती राजस्थान में काला सोना उगलेगी। मुख्य मंत्री जी, भाषण का परिणाम क्या निकला? यहां ये गोविन्द जी बैठे थे और ये 22-23, मिनी बस की सवारी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं हूं, पर आपसे डर लगता है, नहीं तो मैं कह देता।

अध्यक्ष महोदय, यह 2019-20 का बजट पैरा 89 है। मुख्य मंत्री जी, आपने इसमें कहा कि रिफाइनरी परियोजना को अक्टूबर, 2022 तक पूरा करेंगे। अक्टूबर का महीना, मैंने पता किया, बोले, अक्टूबर के महीने में मुख्य मंत्री जी शुभ काम करते हैं। यह अक्टूबर, 2022 का महीना है, मुहूर्त निकल गया, 18 महीने हो गये। आपने उस समय सवाल किया था, 37,229 करोड़ की रिफाइनरी, बी.जे.पी. के लोगों ने निर्णय नहीं लिया, यह आज 47,000 करोड़ की हो गई, हमारे ऊपर आरोप लगाया। मुख्य मंत्री जी, मुझे बताओ, यह आपकी रिफाइनरी 76,000 करोड़ रुपये को पार कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने आपका मुहूर्त क्यों निकाल दिया?

आपने कहा था 2020-21 में रिफाइनरी परियोजना में रोजगार बढ़ाने के लिए हाइड्रो कार्बन सेक्टर में डेडिकैटेड कौशल के अन्दर, वह कहां है? और आपने कहा था 2022-23 में पचपदरा, बाड़मेर में 383 किलोमीटर का, आज बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या तालियां पीटी हैं, वैसे तो अधिकार था, तब ये मंत्री थे, टेबल तोड़ तालियां, आपने कहा पेट्रो कैमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, 1,40,000 लोगों को रोजगार, वह कहां है? आपका यह रीजन कहां है, 1,40,000 का?

वर्ष 2022-23 के पैरा 173 में सनराइज सेक्टर, क्या हुआ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी इस रिफाइनरी का शुभारम्भ तो होगा, मैं बड़बोला नहीं, अध्यक्ष महोदय, कभी मेरा स्वभाव ही नहीं रहा, पर इस कमल छाप के लोग इस रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। यह मैं आज सदन में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब ये कितने गम्भीर हैं, बजट में घोषणा करें और उन बजटीय घोषणाओं को पलट कर भी नहीं देखें। पर्यटन के बारे में, पर्यटन राजस्थान का मेरुदण्ड है। आपने 2021-22 में पर्यटन विकास कोष बनाया, हमने स्वागत किया। पर्यटन विकास कोष 100 करोड़ का बनाया। 2022-23 में बजट पैरा 104 में, उसको 1,000 करोड़ कर दिया। अभी 14 मार्च को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या का एक प्रश्न था। उन्होंने पूछा था कि तीन वर्षों में आपने पर्यटन विकास कोष से कितना खर्च किया? उत्तर आया 1,000 करोड़ में से 116 करोड़। यह 116 करोड़ भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को ऋण दिलाया है।

मैं यह बात इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं, मैंने बजट पढ़ा है, इस बजट का हश्र वही होगा, जो पर्यटन विकास कोष, 1,000 करोड़ के कोष का हुआ, तीन साल बाद 166 करोड़, वह भी लोन लेकर। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? यहां बहुत बड़ी बातें हुईं यहां बड़ी-बड़ी बातें चलीं, मुख्य मंत्री जी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष जी, मुझे अगर संरक्षण किसी का है न, तो सिर्फ आपका है, वरना ये लोग हमें बोलने दें? यह तो डेमोक्रेसी में आप ही संरक्षक हो, आपसे बड़ा आदमी कौन है, इस धरती पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय, इससे मुझे कोई असर नहीं होता है। पांच बजे मतलब पांच बजे, आपके पास पांच मिनट का समय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी ई.आर.सी.पी. पर मुख्य मंत्री जी का भाषण होगा। मुख्य मंत्री जी, एक बात आपने बड़ी सच्चाई से बोली। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर, बजट पर पैरा 170 में यह कह दिया कि इस ई.आर.सी.पी. का कार्य 2051 तक पूरा करोगे। इस बात को मैं मान ही गया, आपकी सच्चाई को। आपने 13,000 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की है। पिछली बार आपने 2022-23 के पैरा 140 में 9,600 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था। आपका ही आंकड़ा है, मेरा नहीं है, 1,284 करोड़ रुपया व्यय किया है। आप मुझे यह बता दें कि ई.आर.सी.पी. का आपको करना है या इस मुद्दे को जिंदा रखना है? देखिए, साहब, यह धरती नीचे से चली जाती है न, राजनीतिक रूप से, वह इन मुद्दों से नहीं आती है। मैं निवेदन करूं, योजना हमने बनाई, यह जो आप 13 जिलों की जीवनदायिनी कह रहे हो, राजस्थान के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि धौलपुर में 72,500 हैक्टेयर, सवाई माधोपुर में 1,29,000 हैक्टेयर, उसके अलावा पूरे अलवर जिले में 9,402, भरतपुर में 1,165 और दौसा में 534 हैक्टेयर, यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पता लग जायेगा न कि इन बाकी जिलों में तो कुछ भी नहीं है। साहब, मेरा खुद का गांव है न, उसके जितना एरिया भी नहीं आयेगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि आपकी सरकार थी, जिस बात को लेकर आप कोसते हो, वाटर डिपेंडेबिलिटी को लेकर, दिनांक 11.11.1975 में योजना आयोग, 21.09.2004 में जल संसाधन, 31.07.2003 में योजना आयोग, अब तक 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं बनी हैं, एक में भी 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी के अलावा बनी हो तो बताओ।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह जो प्रधान मंत्री जी कहकर गये हैं न, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मुख्य मंत्री जी, आप जैसा बड़ा आदमी, आप नाराज क्यों हो जाते हो? मुख्य मंत्री जी, मुझे पहले बताओ। आज आप मुझे कारण जरूर बताओ। यह जो प्रधान मंत्री जी कहकर चले गये, इंटरलिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिन्ध-चम्बल लिंक परियोजना पी.के.सी. में ई.आर.सी.पी. के साथ जोड़कर, जो एस.सी.आई.एल.आर. की 20वीं बैठक में, जो 13 अक्टूबर, 2022 को निर्णय हुआ, मुख्य मंत्री जी, इसको मान लो, वहां पानी भी आ जायेगा, 90 परसेंट राशि केन्द्र सरकार देगी, 10 परसेंट आप देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोकें, उससे पहले, आपका महात्मा गांधी से बहुत प्रेम है। आपने बजट 2023-24 में 1,000 स्कूल खोलने की बात कर ली, पहले भी 2021-22, 2022-23, 2023-24 में खोलीं। आपने स्कूल तो बहुत खोल दिये, पर इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पांच रुपये तो देते, महाराज। मानव संसाधन के लिए कुछ पैसे तो देते, एक जगह एक कमरा बना हो तो बताओ। 10 हजार टीचर्स के लिए आपने कहा था कि हम अलग कैडर बनायेंगे, उसका क्या हुआ और ये बच्चियों के साथ तो मजाक मत करो। साहब, इस बार फिर कह दिया कि 560 करोड़ रुपये की ड्रेस देंगे। दो साल पहले वाली घोषणा को तो आप देख लें।

अध्यक्ष महोदय, आप नाराज नहीं हों, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये बजटीय घोषणाएं, मुझे अगर आप दें तो मैं निवेदन करूं, पर मैं एक प्रोसिजरल काम के लिए आपको जरूर कहूंगा कि ये 'धाणका' और 'धानका' शब्दों के कारण से दो साल से इनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

'नायका' और 'नायक' के लिए नहीं बन रहे, इनके बारे में आप निश्चित तौर पर सोचें।

आपसे आज वह किसान पूछ रहा है, जिस किसान को आपने कहा था कि हम वन टाइम सेटलमेंट करके उसका कर्जा माफ कर देंगे। विधान सभा में सवाल आ गया, 6,000 करोड़ का कर्जा है, 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते डिफाल्टर हो गये हैं, अब आप कब तक इन्तजार करोगे? आपने क्यों नहीं लिखा अपने घोषणा पत्र में कि भारत सरकार हमें अनुमति देगी, तभी किसान का कर्जा माफ होगा?

आपने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल खरीदेंगे, उसका क्या हुआ? पशुधन के लिए आसान ऋण उपलब्ध करायेंगे, क्या हुआ पशुधन बीमा का?

आपने अभी जलवायु नीति लाने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, आज के अख़बार में रियल टाइम एयर पोल्यूशन एजेंसी ने कहा कि विश्व के सबसे चार, 100 शहरों में राजस्थान है, कहने को बहुत था, पर मैं और सबकी नाराजगी सहन कर सकता हूं, आपकी नहीं, आपने मुझे समय दिया...

मुख्य मंत्री जी, आप यह जो फाइनेंस बिल लेकर आये हो। इस फाइनेंस बिल के माध्यम से आप जो यह स्टाम्प एक्ट, 1998 की धारा 59 में और इसके शिड्यूल 33 में संशोधन लेकर आये हो, आप तो कह रहे थे कि मैंने टैक्स नहीं लगाया, इसमें आप टैक्स की राशि को बढ़ा रहे हो, मैं समझता हूं कि यह नहीं बढ़ाओ तो ज्यादा ठीक है। यह जो इस स्टाम्प ड्यूटी पर कोरोना का सैस लगाया था 10%, आज कोरोना को गये हुए काफी टाइम हो गया, इसको आप वापस करें। मुख्य मंत्री जी, मेरी शुभकामनाएं हैं, अपन फिर मिलेंगे, नये हालात में मिलेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे और आपके पड़ोस में मैं आऊंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर आज दिन भर चर्चा हुई और हमारे माननीय सदस्यों ने, पक्ष-विपक्ष ने अपनी बात रखी। अभी नेता, उप नेता, नेता-उप नेता, नेता हैं नहीं, जो मैंने देखा कि बहुत अनुभवी हैं, उस ढंग से वे अपनी बात कहेंगे और ट्रेनिंग भी आपने ली हुई है शेखावत साहब से, पर अब आपको यह भी मालूम

(श्री अशोक गहलोत)

है कि ओवरड्राफ्ट में और आपके स्पेशल ड्राइंग फैसेलिटी में अन्तर है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि जो कुछ हम करते हैं केन्द्र सरकार की एडवाइज पर ही कर सकते हैं। कर्जा लेना है बिना एफ.आर.बी.एम. एक्ट के, उसके अन्तर्गत ही ले सकते हैं। शायद आपको यह जानकारी नहीं होगी तो प्रधान मंत्री जी ने खुद ने हमारे सामने जे.पी.सी. के अन्दर और उसके बाद में फोलो अप के अन्दर जो छूट दी थी, उसके अन्तर्गत ही कर्जे ज्यादा लिए गये। उनकी परमिशन से और पूरे देश के राज्यों को कोविड को ध्यान में रखते हुए स्पेशल छूट दी थी एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत, उसके आधार पर कर्जा लिया गया। मैं समझता हूं कि यह जो आपने कहा कि आपने कर्जा ले लिया, मैं आपको बताऊं कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज क्या है, क्यों बिना मतलब का विपक्ष इसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके अन्तर्गत हम लोगों ने 38,542 करोड़ और 81,000 करोड़ के कर्जे दो बार लिये हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि यह हमारा वित्तीय प्रबन्धन था, जिसके कारण से हमारी बचत हुई ब्याज के अन्दर।

राज्य के द्वारा आर.बी.आई. में किया गया निवेश जो होता है जो राज्य सरकारें निवेश करती हैं एक्स्ट्रा पैसा आर.बी.आई. में, उसका 95% हम वापस ले सकते हैं। वह कर्जा इसलिये लिया गया, हम अगर मार्केट से बोरोइंग करते तो ज्यादा ब्याज देना पड़ता। यह बहुत कम ब्याज के आधार पर कर्जा मिलता है। टेम्परेरी लोन होता है वह, उसके आधार पर जो निवेश किया गया हमारे द्वारा उसमें 95% तक टेम्परेरी लोन, जो कम दर पर मिलता है, इस सुविधा का लाभ उठा करके यह कर्जा लिया गया और दीर्घकालीन ऋण को डेफर कर विकास कार्य हेतु कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋण से आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं। यह बुरा नहीं है। इसका कमेंट सुनिये आप। आर.बी.आई. कमेंट कर रही है इसके लिए, आर.बी.आई. ने भी कहा कि स्पेशल ड्राइंग लिमिट फैसिलिटी, यह जो सुविधा दी गयी है सब राज्यों को है। एस.डी.एफ. का उपयोग करने को उचित ही नहीं, बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है, आप सब देखिए, बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है तो बुद्धिमानी के साथ वित्तीय प्रबन्ध करेंगे तभी तो इतना शानदार बजट पेश कर पायेंगे, लागू कर पायेंगे। कृपा करके आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे मालूम है, पर उसके बावजूद भी यह अकाउंटिंग के जो सिस्टम हैं, ये कुछ अलग तरह के हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

आपने कहा कि पिन अकाउंट सिस्टम, जो केन्द्र सरकार में लागू है, यह जो अभी सिलसिला चला, कुछ आलोचना भी हो रही है उसमें कोई दम नहीं है। यह हमने खाली प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव क्या दिया, जब केन्द्र सरकार जो सिस्टम अपना रही है, वही सिस्टम आई.टी. बेस्ड गवर्नेंस होने लग गयी है। अब जरूरत नहीं है पोथे-पानड़ों की लम्बे-चौड़े, इसलिये जान बूझ-कर यह हमने प्रपोजल दिया है, परन्तु बिना केन्द्र सरकार के अनुमोदन के वह स्वीकृत नहीं हो सकता है तो, सी. एंड ए.जी. को डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर फैसला होगा तो और राज्य मांग रहे होंगे, एक साथ फैसला होगा और केन्द्र सरकार में जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम लागू करना चाहते हैं, इसलिये यह हम लोगों ने प्रस्ताव उनको दिया था और मैं जैसा कह रहा हूं कि बिना केन्द्र सरकार के अनुमोदन यह नहीं हो सकता है इसलिये ट्रेजरी सिस्टम जो है, और पिन अकाउंट सिस्टम के बारे में अलग-अलग बात है। ट्रेजरी सब जगह हमारी है। इसलिये मैंने कहा कि इस सिस्टम के आधार पर हम लोगों ने इसका प्रपोजल किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार बजट आया है। मैं उम्मीद करता था कि अब तो यह मेरा वित्त मंत्री के रूप में दसवां बजट था। दसवां बजट है, इतना अनुभव तो मुझे हुआ होगा, थोड़ा-बहुत तो, कि मैं अपने हिसाब से मेहनत करके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, इन पर मैं किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैंने करने का प्रयास किया और प्रदेश की जनता ने उसको एप्रिशिएट किया है। आप करो या नहीं करो, आपकी मर्जी है। आप भी, प्राइवेटली आप लोग कहीं करते हैं, मुझे मालूम नहीं, पर हो सकता है कि आप लोगों को तकलीफ हो रही हो बोलने में, और वाजिब बात भी है आप कैसे बोलेंगे, हाउस के अन्दर कैसे बोल सकते हैं, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मैं आपको विशेषताएं बताता हूं जो हमने प्रयास करके अनाउंसमेंट भी किये हैं।

2023-24 में अभी इस बजट में हमने 1,018 घोषणाएं की हैं। अभी बजट पास आप करेंगे आज सदन के माध्यम से, पर हमने एडवांस के अन्दर ही 250 स्वीकृतियां जारी कर दीं। इतना फास्ट हम चल रहे हैं। हम आपकी चिन्ता को यहां रखते हैं, विपक्ष की चिन्ता को। हम कोई दिल्ली की सरकार की तरह नहीं हैं, जो विपक्ष की परवाह ही नहीं करे। माइक बंद कर देते हैं, बोलने देते नहीं हैं। आज तो हद ही कर दी कि पूरी प्रोसिडिंग बंद कर दी।

(श्री अशोक गहलोत)

इसलिये हम बार-बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, यह देश कहां जायेगा, कोई नहीं जानता है। इस लोकतंत्र का क्या होगा, कोई नहीं जानता, हालात ये हैं। वह बहस का विषय अभी नहीं है, इसलिये मैं नहीं बोलना चाहता, पर हालात बड़े गम्भीर हैं। आप भी और हम भी सब जो हैं, उद्देश्य हम सबका एक है, इसलिये थोड़ी चिन्ता आपको भी होनी चाहिये, स्थितियां अच्छी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करने के बाद में मैंने तमाम सचिवों को बुला करके इंस्ट्रक्शंस दे दिये। ए, बी, सी मैंने कैटेगरी बनवा दी, उसी ढंग से फैसले शुरू भी हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में जो वादे हमने किये थे वे 80% वादे हमने पूरे किये, जन घोषणा पत्र के और 16% प्रगतिरत हैं। हर बजट की शानदार चर्चाएं देश में भी हुई हैं, प्रदेश में भी हुई हैं। चार साल बिना टैक्स का बजट पेश किया है मैंने। यह पांचवां बजट भी बिना टैक्स का है और कोविड के बावजूद भी हमारा रेवेन्यु कलेक्शन बढ़ रहा है। हम अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। इसलिये हम कहते हैं कि राजस्थान मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। इसमें आपको भी खुशी होनी चाहिये, सबको। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पांच सौ रुपये के सिलेण्डर की बात हो, इन्दिरा शहरी रोजगार गारंटी देश में कहीं नहीं है, राजस्थान में लागू की हमने। उड़ान योजना की मैं समझता हूं कि आपकी भागीदारी भी होनी चाहिये, सबकी होनी चाहिये। आपने ही शुरू की थी पहले इसको। ओ.पी.एस. सामाजिक सुरक्षा, बड़े तरकीब से आपने ओ.पी.एस. को समर्थन की बात कह दी, क्योंकि आपको अपने चूरू की चिन्ता भी सता रही होगी। कर्मचारी वहां भी हैं। पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। आखिर में चुनाव के पहले-पहले प्रधान मंत्री जी को कुछ फैसला करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा के अन्दर सब जगह धरने चल रहे हैं। समझ जाओ, यह मानवीय दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है। आप गिनते हो कि बाद में 2025 में, 2030 में क्या होगा, तो 65 साल तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ.पी.एस. रही देश के अन्दर। 65 साल में जब सूई नहीं बनती थी, हम बार बार कहते हैं, बिजली क्या होती है, लोग समझते नहीं थे, वहां से कांग्रेस ने शुरुआत की और आज देश को कहां पहुंचा दिया। आधुनिक भारत, जिस पर मोदी जी गर्व करते हैं दुनिया में जाकर, आधुनिक भारत की निर्माता कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रहे हैं, और कोई नहीं रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि थी, उन्होंने आत्म निर्भरता की नींव शुरू-शुरू में ही

(श्री अशोक गहलोत)

पक्की रख दी। उसका लाभ आज हम सबको मिल रहा है, बिजली में, पानी में, सब जगह। इसलिए आप निश्चिंत रहें।

ओ.पी.एस. का लागू करना, मैं समझता हूं अभी भी समय है कि अगर 65 साल में हम यहां पहुंच सकते हैं तो यही तो कर्मचारी थे, यही ओल्ड एज पेंशन थी, तो कोई क्राइसिस नहीं हुआ, अब आप क्यों काल्पनिक क्राइसिस बनाते हो? हमने सोच-समझकर किया होगा। हम समझाने के लिए तैयार हैं, जो समझना चाहे। अखबारों में पढ़ते हैं कि कई राज्यों की टीमें यहां आ रही हैं, देखते हैं, बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सोशल सिक्योरिटी में हमने एक के बाद एक कई घोषणाएं की हैं और मैं समझता हूं कि यह आवश्यक भी है। प्रधान मंत्री जी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो पहला काम आप यह करवा दीजिए, अभी कैलाश मेघवाल जी ने छुआछूत की बात उठाई, यह सबको पीड़ित करती है, दिल में दर्द होता होगा। यह आज भी मानवता पर कलंक है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि समाज में कितना छुआछूत है, मानव और मानव के बीच में जिस रूप में भेदभाव किया जाता है, उसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग भावुक हो जाते हैं। यह स्थिति है और उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, न हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं। सामाजिक स्थिति ऐसी है, इसमें क्रांति होनी चाहिये, इसमें लोगों को आगे आना चाहिये। उस जमाने में फ्रीडम फाइटर थे, तब मंदिर में प्रवेश करवाते थे, आंदोलन करते थे, फ्रीडम मूवमेंट में वह जज्बा भी था। हमने सामाजिक सुरक्षा को एक मुद्दा बनाया है। मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है, जैसा मैंने पिछली बार हाउस में वादा किया था, कि आप कृपा करके जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में जो कानून बनाये थे, वैसे ही सामाजिक सुरक्षा के लिए देश में कानून बनें, यह मेरा मानना है।

कामधेनु पशु इंश्योरेंस, मैंने पिछली बार आपको कहा, यह भी एक अभिनव है, दुधारू पशुओं को इंश्योरेंस मिल रहा है।

मैंने एफ.आई.आर. कम्पल्सरी की थी। आप कानून-व्यवस्था की बात करते हो, पर यह नहीं कहते कि वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक कदम था वह। देश में कहीं एफ.आई.आर. कम्पल्सरी नहीं है, हमने कम्पल्सरी की। वहां पर स्वागत कक्ष बनाये। उनका स्वागत हो सके, यह माहौल बनाने का काम हमने

(श्री अशोक गहलोत)

किया। उसके लिए मैंने आपको कहा, 156(3) के अंतर्गत पहले जो एफ.आई.आर. आती थी, आदेश आते थे, वह 33 परसेंट से 13 परसेंट हो गये, अब कोई आते ही नहीं, क्योंकि एफ.आई.आर. लॉज हो रही है। अनुसंधान का समय 2017-18 में आपके वक्त में 274 दिन लगते थे, अब सिर्फ 68 दिन अनुसंधान में लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस से 25 लाख वाली जो चिरंजीवी योजना हमने लागू की है, उसको हम पूरे प्रदेश में लांच कर रहे हैं, यह जानकर आपको खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमें दु:ख इस बात का है कि हमें विपक्ष का सहयोग नहीं मिलता। हम कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन कांस्टिट्यूशन के आधार पर बनता है और वह तय करता है कि राज्यों को क्या मिलना चाहिये। यह समझ से परे है, उसके बावजूद भी तरीका निकाल-निकालकर केन्द्र सरकार द्वारा आप राज्यों को टाइट क्यों करते हैं? पेट्रोल-डीजल में जो डिविजिबल पूल था, उसको लगभग जीरो के आस-पास कर दिया, जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था। अध्यक्ष महोदय, उसमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और सैस लगा दिया। हमारी 76,035 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। 2019-20 में 10,000 करोड़ के लगभग, 2020-21 में 13,000 करोड़, 2021-22 में 12,000 करोड़ से ज्यादा, 2022-23 में 17,000 करोड़ से ज्यादा और 2023-24 में 21,266 करोड़ की कटौती हुई है। आप बताइए, किसी गवर्नमेंट को पांच साल में केन्द्र से 76 हजार करोड़ कम मिले, जो हमारा हक है, तो वह एक्साइज का एक तरफा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और जो डिविजिबल पूल था, जिसमें राज्यों के बीच में डिविजिबल होता था, उसको लगभग समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई चर्चा नहीं करता कि 14वें फाइनेंस कमीशन द्वारा जो राज्यों को 32 परसेंट के बजाय 42 परसेंट हिस्सा देने का निर्णय किया, इतना सा तो आपको मालूम ही है, उसका लाभ राज्यों को मिलना चाहिये था, उसके बजाय आपने सी.एस.एस. की योजनाओं में बढ़ा दिया। पहले 90:10 था, 80:20 था, 60:40 था, अब आप करीब-करीब सब में 50:50 लेकर आ गये, तो राज्यों को जो फायदा मिलना था, वह अब मिल नहीं रहा। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? स्थिति यह बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, कर्ज की बात की जा रही है। आपने भी सरकारें

(श्री अशोक गहलोत)

चलाई हैं। आप तो मुख्य मंत्री के काशंस कीपर थे, आप तो उनके सलाहकार थे। आप बताइए, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि आपके वक्त में 2008-09 तक जी.डी.पी. का 36.38 परसेंट कर्जा लिया गया। हमारी सरकार बन गई, हम उस कर्जे को कम करते-करते 23.58 परसेंट पर ले आये। 2014 में आपकी पुन: सरकार आ गई, फिर आपने क्या किया, पहले 36.38 परसेंट था, अब आपने 34.16 परसेंट बढ़ा दिया। मतलब 50 परसेंट कर्जा बढ़ गया। हमने जो 2009-10 से 2012-13 तक कर्जा लिया, उसका 50 परसेंट कर्जा आपने बढ़ा दिया 34.16 परसेंट पर। वर्तमान सरकार के पांच साल होने जा रहे हैं, आप देखिए, हम 36.78 परसेंट पर रहेंगे, मतलब आपसे तुलना करें तो करीब 10 परसेंट कर्जा बढ़ेगा। कर्ज की बात आपके सामने है कि किस प्रकार आपके वक्त में 50 परसेंट की वृद्धि हुई और हमारे वक्त में 10 परसेंट की वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, नेता, उप नेता कैपिटल आउटले की बात कर रहे थे, इन्फ्रास्ट्रक्चर की, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आपके शासन में पांच साल में 80,629 करोड़ रुपये आपने कैपिटल आउट ले रखा। इसीलिए हमने यह सड़कें बनवाई हैं, ये सब काम हो रहे हैं। मैं इसमें 1,20,437 करोड़ के आउट ले रख रहा हूं, कहां कमी है, बताओ? अध्यक्ष महोदय, आपसे यह आउट ले लगभग दोगुना है।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं पिछले वक्त में बोल चुका हूं कि हमने हर क्षेत्र में, शिक्षा व खेल कला में 74 परसेंट आपसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, 94,728 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य परिवार कल्याण में आपसे 87 परसेंट ज्यादा 38,926 करोड़ रुपये खर्च किया। पानी व स्वच्छता में आपसे 48 परसेंट ज्यादा 35,194 करोड़ खर्च किया। सामाजिक सुरक्षा में आपसे 103 परसेंट ज्यादा 53,000 करोड़ खर्च किया। सड़क में आपसे 45 परसेंट ज्यादा पैसा खर्च किया। इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि लगभग 2,26,000 करोड़ इन पर खर्च हुए हैं। कैपिटल आउट ले में भी कोई कमी नहीं रखी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के कामों में भी हम आपसे बहुत आगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बार-बार विरोध कर रहे हैं, प्रधान मंत्री जी स्वयं भी और वित्त मंत्री, भारत सरकार, यहां आकर बोलकर गये कि हम वापस कोई पैसा देने वाले नहीं हैं। वह तो हमने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जायेंगे, यह अलग बात है। उसके बावजूद भी

(श्री अशोक गहलोत)

ओ.पी.एस. रुकने वाली नहीं है, यह मैं आपको कह सकता हूं। पैसा मिले या नहीं मिले, जो दिल्ली के अन्दर ट्रस्ट बनाकर रखा गया है, आप ट्रस्ट का मतलब समझते हैं कि क्या होता है? ट्रस्टी होता है, केन्द्र सरकार वाले मालिक थोड़े ही हैं। ट्रस्टी आपको वापस पैसा क्यों नहीं देंगे? आपका पैसा जमा है। कर्मचारियों का पैसा वहां पर जमा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि क्या हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट पर छोड़ दें? उनके ऊपर डिपेण्ड कर दें कि उस वक्त में जैसी स्थिति बनेगी, देखा जायेगा, पेंशन तब तय होगी। मैम्बर आफ पार्लियामेंट, एम.एल.एज. और हम लोग पेंशन बढ़ाते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं। प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि नया कानून पास करें। पूरे देश की पार्लियामेंट के मैम्बर हों, चाहे एम.एल.एज. हों, सब अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा कर्मचारियों की तरह कटवाएं और पैसा शेयर मार्केट में जमा करवाएं, म्युचुअल फंड में जमा कराएं। आप उनको कहें कि उस पर डिपेण्ड करेगा कि आपको कितनी पेंशन मिलती है? कर सकते हैं? जब हम खुद नहीं कर सकते हैं तो उनको उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? अडानी जी के शेयर ध्वस्त हो गये, धड़ाम गिर गये। आप बताइये। वे गिर गये तो सबके पैसे डूब गये। पता नहीं किसका क्या डूबा, वह तो टाइम बतायेगा। आप बताइए कि शेयर मार्केट पर कैसे छोड़ दें? आपने ठीक कहा कि राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन किया था। हमने भी किया था, सबने किया। अनुभव क्या कहता है? ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है। सी. एंड ए.जी. कहता है कि इसके कोई नियम-कायदे नहीं बने। जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम लागू नहीं करेंगे। अब स्थिति क्या बन गयी है? अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बन गयी है कि हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज तो लेंगे ओ.पी.एस., लोअर कोर्ट के जजेज एन.पी.एस. लेंगे, राजस्थान को छोड़कर। यहां तो हमने उनके लिए एलान कर दिया। आर्मी, नेवल, एयरफोर्स में ओ.पी.एस., बी.एस.एफ., इंडो-तिब्बत पुलिस, ये जितने भी पैरामिलिट्री हैं, उनमें एन.पी.एस.। क्या मतलब है? यह भेदभाव क्यों हो रहा है? सबको एक साथ देते, आपको मालूम पड़ता। मैं यह जो बार-बार बोलता हूं, यह मेरी पीड़ा भी है कि हमारे खिलाफ बहुत आर्टिकल ओ.पी.एस. को लेकर आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसका जवाब यह है कि आज तक देश ओ.पी.एस. के माध्यम से चला है, अब वित्तीय प्रबन्धन क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग क्यों नहीं इस पर विचार कर रहे हैं और पूरे देश में ओ.पी.एस. लागू कर रहे हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बजट को युवाओं को समर्पित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने नौकरियां दी हैं। करीब 1,45,000 की नौकरी लग चुकी है। एक-सवा लाख का प्रोसेस चल रहा है और एक लाख की घोषणा मैंने फिर की है। एक के बाद एक हमने...। अभी रफीक जी, एम.एल.ए. साहब कह रहे थे कि 500 स्टूडेंट्स को हम फोरेन की यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं। यह बड़ा फैसला है। इसके पीछे यह भी मंशा है कि राजस्थान के नौजवान यदि दुनिया के मुल्कों में जायेंगे, अगर अमीर लोग जा सकते हैं, और उनको चांस मिलेगा तो राजस्थान के लोग मानव संसाधन हासिल करेंगे। इस बात को लेकर हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया है। इस प्रकार से हमने कई कदम उठाये हैं, वे मेरे बजट स्पीच में आ चुके हैं। मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो यूनिवर्सिटी और कालेज खोले गये हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में और एजुकेशन के अन्दर जिस प्रकार से राजस्थान ने जम्प किया है, उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। 2018 तक 250 कालेज थीं और 47 कालेज गर्ल्स की थीं। इन पांच सालों में अभी हाल ही में मैंने बजट में घोषणा की है, कुल मिलाकर, 250 तो थीं 75 साल में और 282 कालेज पांच साल में। उनमें 122 गर्ल्स कालेज भी हैं। 2019 तक 12 कृषि कालेज थीं। आज हम लोग देख रहे हैं कि चार साल में 42 कालेज खोल दी हैं और 7 की मैंने इस बजट में घोषणा की है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी राजस्थान के अन्दर हैं। एविएशन यूनिवर्सिटी, जिसमें आने वाले वक्त में पायलट, इंस्ट्रक्टर, एयर होस्टेज, होस्टेज सब बनेंगे। एविएशन यूनिवर्सिटी जैसे कि अमेठी के फुर्सतगंज में है। जब मैं सिविल एविएशन का केन्द्रीय मंत्री था, उस समय वह बनी हुई थी। मुझे खुशी है कि राजस्थान में एविएशन यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। उसको हम लागू करवायेंगे। आपको कोई मौका नहीं देंगे कि पिछली बार की तरह, आप लोगों ने हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय को बंद कर दिया, जो कि पत्रकारिता का था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बंद कर दी। बंद क्या कर दी, कागजों में रख दी। उसे लोग अभी तक भी भूले नहीं हैं। किन कारणों से आपने लॉ-यूनिवर्सिटी बंद कर दी, समझ में नहीं आता। हिन्दुस्तान के इतिहास में एक बार यूनिवर्सिटी खुलने के बाद कोई बंद नहीं हुई है। सिर्फ आपने ही यह काम किया है और किसी ने नहीं किया है। माइनिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, दिव्यांगों के लिए जयपुर और जोधपुर

(श्री अशोक गहलोत)

में इसी सत्र से खुल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि देश में राजस्थान में इतनी प्रीमियर संस्थाएं हैं, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स, आई.आई.आई.टी., एम.एन.आई.टी., निफ्ट, एफ.डी.डी.आई., मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कालेजेज, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स, लॉ, पुलिस यूनिवर्सिटी, जैसे सब संस्थान यहां पर मौजूद हैं। अब हमारे छात्रों को महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बहुत बड़ा कदम हमने उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20-22 साल पहले जब आप भी मंत्री थे, उस वक्त में जो फैसला हुआ, उसका परिणाम आज है कि आज देश के अन्दर राजस्थान में जाल बिछ गया है, तमाम उन प्रीमियर संस्थाओं के बनने से। लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज से वोट नहीं मिलते हैं। हम खाली वोटों की चिंता नहीं करते, हम राजस्थान के युवाओं का भविष्य भी देखते हैं। भविष्य कैसे सुधरेगा, यह हमारी ड्यूटी होती है।

अध्यक्ष महोदय, ई.आर.सी.पी. के बारे में आप लोग कितनी बार कहलायेंगे। आपका कोई कमिटमेंट ही नहीं है। सरकार आपकी, योजना आपने बनायी है, उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। यह कमी है, वह कमी है। मुझे आप बताइए, आपने योजना बनायी, हम आगे बढ़ा रहे हैं। कभी तो केन्द्र सरकार मना करती है, काम को रोक दो। प्रधान मंत्री जी ने आकर नया फार्मूला दे दिया। मैं प्रधान मंत्री जी से उम्मीद करता था कि दौसा के अन्दर वे घोषणा करके जायेंगे। कोई घोषणा नहीं हुई। कोई जवाब है? आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखियेगा, कावेरी नदी विवाद चल रहा है। आप सबको मालूम है। वहां 60 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन दे दी। आप वहां अगर परियोजना को छूट दे सकते हैं तो राजस्थान में छूट क्यों नहीं मिलती है। कर्नाटक में ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट, जिसकी लागत करीब 21,450 करोड़ है, उससे राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग उन्होंने की? दर्जा नहीं दिया तो कम से कम 5,300 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया, पर राजस्थान के लिए कुछ नहीं। हमने इस बार 13,500 करोड़ रुपये उस योजना के लिए रखे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर पक्ष-विपक्ष सब मिलकर ही चल सकते हैं। या तो आप हमें समझा दीजिये या हम आपको समझा देंगे, पर भारत सरकार में जाकर तो बात एक-सी कर सकें, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कई राज्य ऐसा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि कुछ घोषणाएं

(श्री अशोक गहलोत)

बाकी रह गयी हैं। हमारे माननीय सदस्य मुझसे बराबर मांग करते रहते हैं। यह तो मैंने उचित समझा है कि कुछ घोषणाएं मैं अनाउंस करूं और कुछ को मैं टेबल पर रखूं, वरना बहुत टाइम लग जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं एक प्रार्थना करना चाह रहा था कि आप गांधीवादी हो। यह सड़कों वाला जो मामला है, इसके अन्दर आपने हमारे लोगों को जो सड़कें दी हैं, 10-10 करोड़ की, उसके लिए भी कह दें, सारे मैम्बर समान हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बिल्कुल आप निश्चिंत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपको एक वादा करता हूं कि हम आपकी परम्परा को कायम रखेंगे। हम आ रहे हैं, आपकी परम्परा को कायम रखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप गांधीवादी नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप गांधीवादी नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी काम्पीटेंट हैं। मलिंगा जी, नीचे बैठें। यह गलत परम्परा है। राठौड़ साहब, आपकी परम्परा गलत है। माननीय मंत्री जी की परम्परा भी गलत है। माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, उसके बीच में अपन इंटरवीन करें? आप बाद में बोल सकते हैं, गलत परम्परा न डालें। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गांधीवादी, गांधीवादी, तीसरी बार बोल चुके हैं। गांधीवादी लोग शराब छुड़वाते हैं। क्या मेरी बात आप मानने को तैयार हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे अंतरंग जीवन में इतना झांकने की अनुमति किसने दी?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): भैया, कभी-कभी मित्रों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट के अंदर। उनके इंटरेस्ट में झांकना ही पड़ता है क्योंकि मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताएं बहुत करता हूं।

रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से कमेंट किये हैं, वे बहुत दुखद हैं। मुझे बहुत दुख है कि हाउस के अंदर इस प्रकार का कमेंट भी हो सकता है। क्या-क्या मेरे बारे में, क्या-क्या सुधीर भंडारी के बारे

(श्री अशोक गहलोत)

में बोला गया, आप सोच सकते हो। आपने कहा कि उनकी फैमिली ने आपको फोन किया और कहा कि आपका मित्र जाने वाला है। ये कहने का आपका मकसद क्या है? रतनगढ़ से आने वाले सदस्य यहां बैठे हैं या नहीं बैठे, मुझे पता नहीं, वे आज हमारे बीच में हैं। भगवान उनको लम्बी उम्र दे। ये कालीचरण सराफ जी बैठे हुए हैं। इनको और इनकी पत्नी का वही इलाज हुआ, जो उनका हुआ था। ये दोनों बच गये और वे भी बच गये। उसको लेकर आपने जिस प्रकार के कमेंट किये यहां पर, वह अनफोरच्यूनेट है। मैं समझता हूं कि मैंने पूरी जांच करवाई है उसकी। जांच के अंदर ये स्थिति थी, पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम लग जायेगा। मैंने आपके आरोपों की पूरी जांच करवाई, जिससे इस सदन के सामने सच्चाई आ सके। जब आपका इलाज चल रहा था तो आई.एल. 6 टेस्ट की वेल्यू 73.5 से अधिक आयी, जिससे साइटोकाइन स्ट्रोक आ सकता है। इसी स्ट्रोक से कोविड के अधिकांश मरीजों की मृत्यु हुई। इसी पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए टोसीलीजुबेम इंजेक्शन लगाया गया। अब बताइए, क्या कसूर किया उन्होंने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नोट अलाउड।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप बताइए कालीचरण सराफ जी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मेरे बारे में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप नीचे बैठिए। मिस्टर राजेन्द्र राठौड़। Not allowed. Mr. Rathore, I will not allow it. He is on legs. I will name him and will throw him out. नीचे बैठिए प्लीज। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): शर्म कीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका काम नहीं है। ये मेरा काम है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं।Hon. Chief Minister is on his legs. आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इस तरह नहीं है। अभी नहीं बोलेंगे। I will throw him out. Mr. Rathore, I will not tolerate it. He has a right to speak, but he has no right to intervene in between the Chief Minister. आप अपने सदस्य को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए

(श्री अशोक गहलोत)

मैंने बात उठाई, क्योंकि मैं खुद पूरे कोविड काल के अंदर, एक तरफ तो हमें फख्र है कि हमने राजस्थान में, हमने सबको साथ लिया, आपको भी साथ लिया, सबने मिलकर कोविड की लड़ाई लड़ी। धर्मगुरु थे, एन.जी.ओ. थे, पब्लिक थी, सबने मिलकर के, कोई भूखा नहीं सोये, हमने आह्वान किया। उसको सबने निभाया। इलाज शानदार हुआ। आक्सीजन के लिए हमने चाहे केन्द्र से लड़ाई लड़ी हो, परन्तु आक्सीजन की कमी नहीं आने दी। कालीचरण जी सराफ और इनकी पत्नी जब ठीक हुए तो इन्होंने धन्यवाद उन्हीं डाक्टर को दिया, मिस्टर सुधीर भंडारी को कि आपने अच्छा इलाज किया। हमारे अभिनेश महर्षि जी ने लिखकर दिया। लिखकर गये हैं, इनका लिखित में जो पेपर है, वह मेरे पास में है। आप कहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं? मैं 10/09/2020 को आपके अस्पताल में भर्ती हुआ था। अब मैं पूर्णतया स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। हालांकि मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट अभी नेगेटिव नहीं आयी है, जिसके लिए आज दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पुन: सैम्पल भिजवा रहे हैं। मैं 14 दिन मेरे घर पर अलग से क्वेरंटाइन में रहूंगा। किसी के सम्पर्क में नहीं आऊंगा। मैं छुट्टी लेकर घर जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। जयपुर एड्रेस 243, गुरु जम्बेश्वर नगर ए, लेन नम्बर 7, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर। अब बताइए। ये इनके हस्ताक्षर हैं।

मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राजस्थान के डाक्टर्स ने, नर्सेज ने काम किया, राजस्थान भर के अंदर और जिस प्रकार एस.एम.एस. और आर.यू.एच.एस. में काम हुआ, कितने लोग आये यहां बाहर से इलाज कराने। बेड नहीं मिल रहा था, दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद के अंदर। अभिनेश महर्षि के भाई भी आये थे, डाक्टर हैं, मैं उनको जानता हूं, दिल्ली के अंदर, वे भी आये जब भर्ती हुए थे। इस प्रकार डाक्टर या किसी पर कमेंट करना, मुख्य मंत्री पर कमेंट करना, बताइए, ये मुझे थोड़ा लगा, इसलिए मैंने बात बोल दी।

घोषणाएं:

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत बजट तथा दिनांक 16 फरवरी, 2023 को बजट बहस के जवाब में की गयी घोषणाओं के माध्यम से जहां हमने अल्प आय वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग को भी महंगाई से राहत देने का प्रयास किया, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए आधारभूत

(श्री अशोक गहलोत)

ढांचे को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया। इसी क्रम में अब मैं, नवीन घोषणाएं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं-

शिक्षा एवं युवा विकास:

2. वर्ष 2022-23 के बजट में मेरे द्वारा जयपुर में JLN मार्ग पर Education Hub बनाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, कामर्स कालेज और राजस्थान कालेज के upgradation हेतु 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जायेंगे।

3. हमारे द्वारा कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस वर्ष कक्षा VIII तक के विद्यार्थियों के लिए Bridge Courses चलाये गये थे। इनकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष भी 75 करोड़ रुपये व्यय कर Bridge Courses चलाया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

4. स्कूल शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय/विषय प्रारम्भ किये जायेंगे।

5. विशाला-बाड़मेर, भुसावर-भरतपुर, तालचिड़ी-दौसा, फलसुण्ड-जैसलमेर, बिसाऊ (मंडावा)-झुंझुनूं, कुचामनसिटी, खजवाना, रियांबड़ी-नागौर एवं सूरौठ (हिण्डौन सिटी)-करौली में राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।

6. शाहबाद (किशनगंज)-बारां, समदड़ी-बाड़मेर, बज्जू (कोलायत)-बीकानेर, छारेडा-दौसा, आमेर-जयपुर, झालामण्ड (लूणी), जैसला (घंटियाली)-जोधपुर एवं बर-पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

7. नारेडा (दूदू)-जयपुर में शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय एवं नावां-नागौर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय खोले जायेंगे।

8. प्रदेश में शिक्षण सुविधा विस्तार हेतु विभिन्न विद्यालय, छात्रावास, आई.टी.आई. खोले जाने, विद्यालयों/महाविद्यालयों के क्रमोन्नयन, नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

(श्री अशोक गहलोत)

9. प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन-अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से-

I. शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी दो सेट नि:शुल्क यूनिफार्म उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

II. शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैराटीचर्स) के 6,843 पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा करता हूं।

10. राज्य के युवाओं/विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में NCC की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए एनसी.सी. ग्रुप मुख्यालय, जोधपुर में प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जायेगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

खेल:

11. युवाओं का खेलों की ओर रूझान बढ़ाने तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक्स का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार पंचायत से राज्य स्तर तक होने वाली खेल गतिविधियों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए सम्भाग स्तर पर खेल प्रबन्धक तथा जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबन्धक के नवीन पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

12. चूरू व पाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किये जायेंगे।

13. खेल प्रतिभाओं को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए उठाये गये कदमों की कड़ी में खेल अकादमी, स्टेडियम, Indoor Halls आदि के निर्माण/ विकास कार्य करवाये जायेंगे, जिसका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

14. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को वृहद् रूप देते हुए काकलियर इम्प्लांट के replacement एवं Type I diabetes mellitus (T1DM) से प्रभावित रोगियों हेतु Insulin Pumps के पैकेज को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

15. प्रदेश में राजकीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना के अंतर्गत विभिन्न दवाइयों की उपलब्धता को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए Rajasthan Drugs and Pharmaceutical Limited (RDPL) कम्पनी को राजकीय कम्पनी (State PSU) के रूप में पुनर्जीवित किये जाने की घोषणा करता हूं।

16. प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, ट्रोमा सेन्टर, ब्लड बैंक आदि खोले/क्रमोन्नत किये जाने के साथ-साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

17. सवाई मानसिंह चिकित्सालय/महाविद्यालय, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु -

I. 'Stroke Intervention Lab' स्थापित की जायेगी।

II. दवा वितरण केन्द्र एवं सैम्पल कलेक्शन हेतु 15 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा।

III. बढ़ते रोगीभार एवं आमजन की सुविधा के दृष्टिगत सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में 75 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग सुविधा विकसित की जायेगी।

सड़क सुरक्षा:

18. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों/स्कूलों के निर्धारित प्रशिक्षण वाहनों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा:

19. विशेष योग्यजन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रतिष्ठित NGOs के माध्यम से प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर मानसिक विमंदित महिलाओं हेतु पुनर्वास गृह संचालित करने तथा प्रत्येक जिले में मानसिक विमंदित मूक बधिर, नेत्रहीन श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

20. 80 परसेंट से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित सभी प्रकार के विलेखों पर स्टाम्प डयूटी नि:शुल्क किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दस्तावेज पर भी स्टाम्प डयूटी नि:शुल्क की जाएगी।

21. प्रदेश में महिलाओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष प्रथम चरण के रूप में नगरीय क्षेत्र के बाजारों एवं Public Places पर महिलाओं के लिए सुलभ संस्था के माध्यम से 500 स्थानों पर toilets बनाये जाने के साथ ही 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क़स्बों में भी महिलाओं के लिए toilets एवं स्नानागार काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

22. 01 नवम्बर, 1962 से विभिन्न युद्धों एवं आपरेशनों में पदकों से अलंकृत प्रदेश के शूरवीरों को देय सुविधाओं में विसंगतियों को दूर किये जाने के साथ ही तटरक्षक (coast Guard) मेडल से अलंकृत सैनिकों के लिए भी आवश्यक प्रावधान किये जाएंगे। साथ ही, नगी (श्री करणपुर) श्री गंगानगर में भारत-पाक सीमा पर स्थित वार मेमोरियल सेन्टर में विकास कार्य करवाये जाएंगे।

23. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने तथा योजना की अवधि को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करता हूं।

आधारभूत सुविधाएं

24. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पुल व ROB आदि के निर्माण एवं उन्नयन कार्य 2,600 करोड़ से अधिक की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें।)

25. माननीय विधायकगण द्वारा वर्ष 2011 के बाद घोषित राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग को देखते हुए मेरे द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में 500 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गयी थी। आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिस्थिति को

(श्री अशोक गहलोत)

देखते हुए अब मैं इन क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से जोड़ना प्रस्तावित करता हूं।

26. आमजन की सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न टोल सड़कों पर Toll Collection हेतु फास्टैग (FASTag) सुविधा लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

27. किशनगढ़-अजमेर की हवाई पट्टी (Air Strip) के विस्तार में पहाड़ी क्षेत्र के कारण उत्पन्न बाधा को दूर कर Commercial Airport के रूप में स्थापित करने हेतु DPR बनायी जायेगी।

28. आमजन को और अधिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष माह अप्रैल से प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इसी अभियान में शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभान्वितों (beneficiaries) के Registration का कार्य भी किया जायेगा, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति/परिवार योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाए। इसी के साथ इन अभियानों में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित पूर्व में किये जाने वाले कार्यों के साथ ही अधिक राहत दी जायेगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-06 देखें।)

29. प्रदेश के सुनियोजित विकास हेतु 189 शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाये जा चुके हैं। इसी कड़ी में नवगठित 44 नगरपालिकाओं तथा इस बजट में घोषित नगरीय निकायों के मास्टर प्लान भी तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, निकाय सीमाओं की समीक्षा कर विस्तार किया जायेगा।

30. सरकारी/सामुदायिक परिसम्पत्तियों/भूमियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए MLA LAD योजना में बाउंड्रीवाल के साथ-साथ तारबंदी को भी अनुमत करना प्रस्तावित करता हूं।

31. अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत राज्य के 29 शहरों में सीवरेज के कार्य कराये जायेंगे। इस हेतु 4,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जायेंगे।

32. जयपुर हैरिटेज क्षेत्र की पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण सीवरेज लाइनों को बदलने का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इन पर 296 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

33. प्रदेश में सीवरेज व ड्रेनेज सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे, जिनकी सूची सदन की पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-07 देखें।)

34. डोल तालाब-बारां का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, श्री गलता पीठ-जयपुर में वर्षा जल संचय कर कानोता बांध तक ले जाने एवं कियारा बांध की मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनायी जायेगी।

पेयजल:

35. माननीय सदस्यों के माध्यम से कई स्थानों की पेयजल सम्बन्धी समस्या की जानकारी प्राप्त हुई है। अतः आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल तक लगवाये जाना प्रस्तावित करता हूं।

36. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिलों के 8 कस्बों व 1,473 गांवों के लगभग 3 लाख परिवारों हेतु 4,674 करोड़ रुपये व्यय कर घर-घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित हैं।

37. प्रदेश में पेयजल सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-08 देखें।)

उद्योग:

38. वर्तमान समय में Retail के साथ-साथ e-Commerce का भी प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अतः इन Sectors के विकास की दृष्टि से Rajasthan Retail Policy तथा Rajasthan e-Commerce Policy लायी जायेगी।

39. प्रदेश में विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए Retail Sectors में प्रतिष्ठित Private Partners के माध्यम से 1.000 Franchisees खोली जायेंगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को Training कराने के साथ ही प्रति Franchisee एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

40. राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्थानों पर नदियों में 100 हैक्टेयर आकार तक के प्लाट बनाकर पिट माउथ पर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर बजरी उपलब्ध कराने वाले निविदादाताओं को खनन पट्टे आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

41. बाड़मेर स्थित Petro-Zone के औद्योगिक विकास को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने हेतु इसे RIPS-2022 के अन्तर्गत Area Category-2 से परिवर्तित कर Area Category-3 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

42. RIPS-2022 के अन्तर्गत नवीन निवेश हेतु चूंकि 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है। तद्नुरूप किसी उद्यम के 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की स्थिति में भी योजनान्तर्गत विस्तार हेतु परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

43. कोटा, जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर सम्भाग में कत्तिन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किये गये Training Centres में खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

44. प्रदेश में Ease of Doing Business (EoDB) की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC) की प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ-साथ शुल्क को Rational करते हुए Automated स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, सिनेमा लाइसेंस एवं नवीनीकरण (Renewal) प्रक्रिया का आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सरलीकरण किया जायेगा

ऊर्जा:

45. प्रदेश में 31 मार्च, 2019 के पश्चात् 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर' (सौभाग्य) योजना समाप्त होने के उपरान्त लगभग 2 लाख परिवार (Households) घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रह गये थे। हमारे द्वारा लगातार केन्द्र सरकार से इन परिवारों हेतु CSS योजनान्तर्गत प्रावधान करने का आग्रह किया जाता रहा है, किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा हमारे आग्रह को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया है। अतः अब मैं आगामी 2 वर्षों में इन सभी वंचित 2 लाख परिवारों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

46. कृषि श्रेणी के नियमित अथवा कटे हुए तथा गैर कृषि श्रेणी के अन्तर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों हेतु 31 दिसम्बर, 2022 तक देय विलम्ब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि 30 सितम्बर, 2023 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इससे 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

47. ऊर्जा तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणी के जी.एस.एस. स्थापित करने के साथ-साथ विद्युत कार्यालय खोले जायेंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-09 देखें)

वन एवं पर्यावरण:

48. वन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों, पौधारोपण तथा वन्य जीवों की देखभाल से सम्बन्धित कार्य हाथ में लिये जायेंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:

49. जयपुर स्थित गोविन्द देवजी के मंदिर में सम्पूर्ण प्रदेशवासियों की असीम आस्था है। इसके दृष्टिगत मैं गोविन्द देवजी मंदिर का महाकाल, उज्जैन की तर्ज पर वृहद् विकास करने की घोषणा करता हूं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण (Pushkar Development Authority) के गठन की घोषणा भी करता हूं।

50. प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए Rajasthan Smart Tourist Pass प्रारम्भ किया जायेगा। इस Pass के द्वारा सिटी ट्रांसपोर्ट एवं रोडवेज की बसों में यात्रा के साथ-साथ समस्त पर्यटन स्थलों व स्मारकों में प्रवेश की सुविधा hassle free उपलब्ध हो सकेगी।

51. पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से Tour Operators Associations (IATO/RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित पर्यटक लग्जरी कोचों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

52. सांवलिया सेठ-चित्तौड़गढ़ में जलझूलनी एकादशी मेले को भी 50 प्रतिशत बस किराया छूट योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

53. बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर के समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करते हुए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

54. धार्मिक पर्यटन विकास की दृष्टि से विभिन्न पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

55. प्रदेशवासियों की विभिन्न मंदिरों में अगाध आस्था को देखते हुए त्रिपुरा सुन्दरी माता मंदिर, बांसवाड़ा; करणी माता-बीकानेर, कैलादेवी, गोवर्धन पर्वत-भरतपुर, सालासर-चूरू, सांवलिया सेठ-चित्तौड़गढ़, मेहन्दीपुर बालाजी-करौली, खोले के हनुमानजी, शाकम्भरी माता (सांभर)-जयपुर, रामदेवरा, तनोट माता मंदिर-जैसलमेर, श्रीनाथजी (नाथद्वारा)-राजसमन्द, वीर तेजाजी-नागौर, खाटूश्यामजी-सीकर, एकलिंगजी-उदयपुर सहित अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में पेनोरमा/आधारभूत सुविधाओं का समग्र विकास किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की लागत से डी.पी.आर. बनायी जायेगी।

56. अजमेर में पृथ्वीराज, बीकानेर में राव बीकाजी, आसीन्द-भीलवाड़ा में बगडावत सवाईभोज, शाहपुरा-भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारहठ, चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय, दौलतपुरा-चित्तौड़गढ़ में अमरा जी भगत, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले व शिवदासपुरा-जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, जोधपुर में महर्षि नवल स्वामी, जालौर में वीरमदेव कान्हड़ देव चौहान, गोगुन्दा-उदयपुर में राणा पूंजा, पोकरण-जैसलमेर में इन्दिरा महाशक्ति भारत एवं करौली में कैलादेवी के पेनोरमा बनवाये जायेंगे।

57. देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग-रोगन एवं मरम्मत आदि कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर एक समान 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।

58. लोक कला मण्डल, उदयपुर के उन्नयन की डी.पी.आर. बनायी जायेगी। साथ ही, कला एवं मार्बल नगरी किशनगढ़-अजमेर में Art Gallery तथा साइंस पार्क, नवलगढ़-झुंझुनूं में display infrastructure विकसित किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

59. मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में Publication cum Museum Block का निर्माण किया जायेगा।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र:

60, Site Specific Nutrient Management एवं फलदार पौधों की जल मांग की सटीक जानकारी के लिए 10,000 किसानों को New Generation Technology Auto Sensors एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए अनुदान दिया जायेगा।

61. इसके अतिरिक्त 10,000 किसानों को उठी हुई क्यारी बनाने हेतु Ridge Bed Planter यंत्र भी अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

62. प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने एवं Non-Agriculture Season में आय के विकल्प प्रदान करने के लिए ट्रैक्टरों के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एकबारीय शुल्क को 6,000 से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, नियमित फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, Inspection Fees व ग्रीन टैक्स को 2,300 रुपये से घटाकर 200 रुपये किया जायेगा।

63. कृषि मंडियों में देय कृषक कल्याण शुल्क पर मौजूदा 50 प्रतिशत छूट को 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, समस्त कृषि मंडियों में व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापार भवन हेतु डी.एल.सी. की 25 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी।

64. गंगापुर-भीलवाड़ा एवं गोगुन्दा-उदयपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे।

65. चांधन-जैसलमेर एवं मारवाड़ जंक्शन, पाली में मिनी फूड पार्क विकसित किये जायेंगे।

66. बेगूं-चित्तौड़गढ़ में सब्जी-फूल मंडी तथा सावर-अजमेर, मण्ड्रेला (पिलानी)-झुंझुनूं, साहडोली (रामगढ़)-अलवर, बागौर (मांडल)-भीलवाड़ा व जमवारामगढ़-जयपुर में कृषि उपज मण्डी खोली जायेगी। साथ ही, गौण कृषि उपज मण्डी लोहावट-जोधपुर को कृषि उपज मण्डी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

67. प्रदेश में पंजीकृत 3,636 गोशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार थ्री फेज ट्यूबवैल स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु आगामी वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

68. पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने तथा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पशु चिकित्सा संस्थान/केन्द्र खोले जाने के साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जायेंगी, जिनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

69. आगामी 3 वर्षों में धौलपुर Community Lift Irrigation Scheme के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा व सेपऊ के 28,800 हैक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जायेगा। इससे 15,000 किसान लाभान्वित होंगे।

70. मेरे द्वारा 16 फरवरी, 2023 को प्रदेश में 100 एनिकटों के निर्माण/जीर्णोद्धार व 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में माननीय सदस्यगण एवं प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से कार्य की महत्ता को देखते हुए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अतः मैं एनिकटों के निर्माण/जीर्णोद्धार व नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित की गयी 400 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

71. प्रदेश में सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न विकास के कार्य करवाये जायेंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

72. बारां जिले की परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अटरू के 17, अंता के 10 व मांगरोल के 10 वंचित गांवों को शामिल करने हेतु डी.पी.आर. बनायी जायेगी। साथ ही, सरदारशहर-चूरू के 58 वंचित गांवों के रकबों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना में शामिल किया जायेगा।

73. बांधों एवं नहरों के सुचारु संचालन हेतु गेज रीडर, आपरेटर ग्रेड-III आदि 3,000 कार्मिकों की भर्ती की जायेगी।

कानून व्यवस्था:

74. प्रदेश में आपराधिक गैंग्स की गतिविधियों तथा पड़ोसी राज्यों से अपराधियों के आवागमन पर नियन्त्रण की दृष्टि से हम 'राजस्थान संगठित अपराध का नियन्त्रण कानून ला रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 अतिरिक्त कमाण्डो प्लाटून स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

75. राजस्थान पुलिस अकादमी-जयपुर में Centre of Cyber Crime Investigation स्थापित किये जाने के साथ-साथ सिन्थैटिक एथलेटिक्स ट्रैक का भी निर्माण करवाया जायेगा। इन पर 19 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

76. राज्य में शहरों एवं कस्बों में सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव की स्थिति में सुगम यातायात व्यवस्था कायम किये जाने हेतु Traffic Police को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 500 पुलिस कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल एवं उपनिरीक्षक स्तर के पद सृजित किये जाने प्रस्तावित हैं।

77. प्रदेश की कानून-व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु पुलिस कार्यालय एवं न्यायालय खोले जाने के साथ-साथ विभिन्न सुविधाएं विकसित की जायेंगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

सुशासन:

78. आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा कार्यालयों में होने वाली Work Processing को IT के माध्यम से Online करने में आज प्रदेश सम्पूर्ण देश में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित IT Softwares का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रदेशवासियों को मिल सके, इस हेतु मैंने ग्राम विकास अधिकारी/पटवारी, तहसीलदार/विकास अधिकारी से लेकर जिला प्रमुख/कलेक्टर आदि तक Tablet देने का निर्णय किया था। अब इसी क्रम में, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को राजकीय कार्यों एवं दायित्वों के बेहतर निष्पादन हेतु Laptop/ Tablet दिया जाना प्रस्तावित है।

79. माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रदेश के इस विकसित IT तंत्र का लाभ घर बैठे प्राप्त करने हेतु सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से मैंने गत बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को Smart Phone मय Internet Connectivity उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस निर्णय के पश्चात् अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर Smart Phone/Automobiles में प्रयोग किये जाने वाले Chipset की Crisis उत्पन्न हो गयी थी। इस कारण Smart Phone की उपलब्धता की समस्या के

(श्री अशोक गहलोत)

साथ ही कीमतों में भी वृद्धि हो गयी। फिर भी हम इस कार्य को अब चरणबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे।

प्रथम चरण के रूप में आगामी वर्ष बहन-बेटियों के पावन पर्व 'राखी' से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालय/ITI/ Polytechnic) में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजनान्तर्गत यह Smart Phone उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस प्रकार प्रारम्भिक चरण में लगभग 40 लाख लाभान्वितों को यह Smart Phone प्राप्त हो सकेंगे।

80. प्रदेश में कुशल वित्तीय व बजटीय प्रबन्धन के साथ-साथ कर प्रणाली के सरलीकरण हेतु Integrated Financial Management System (IFMS 3.0) तथा Integrated Tax Management System (ITMS) लागू करने के साथ ही, सरकारी खरीद प्रक्रिया हेतु नवीन राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम/नियम (RTPP Act/Rules) तथा वित्तीय लेखांकन व सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी Integrated Rajasthan Financial Accounting Rules बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

81. हमारे द्वारा IFMS के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए कार्मिकों एवं पेंशनर्स को भी अपने GPF खाते पर पूरा नियन्त्रण, पेंशन स्वीकृति के लिए Service Book की बाध्यता समाप्त करना एवं Salary/Pension का Auto Payment जैसे नवाचार कर राहत दी गयी है। इसके उपरान्त भी वर्तमान में कार्मिकों को रिटायरमेंट के समस्त पेंशन परिलाभ प्राप्त होने में महीनों का समय लग जाता है। अब कार्मिकों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से माह मई, 2023 से रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी किये जाने की घोषणा करता हूं।

82. हमने राजकीय कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरान्त सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सभी के लिए OPS लागू करने का प्रावधान किया। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब मैं 75 वर्ष से अधिक (80 वर्ष की आयु तक) आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में

(श्री अशोक गहलोत)

बेसिक पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त Allowance उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।

83. राज्य के कार्मिकों को उनके द्वारा 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिये गये विकल्प के कारण वेतन में हो रही हानि को देखते हुए इन नियमों में पुनः विकल्प दिया जाना प्रस्तावित करता हूं। इससे उनके वेतन में वृद्धि हो सकेगी।

84. कार्मिक अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं। आकस्मिक आवश्यकता होने पर भी कार्मिकों को वेतन लाभ मिल सके, इसके लिए अनुपातिक आधार पर माह के बीच में भी अग्रिम वेतन आहरण (Advance Salary Withdrawl) की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।

85. राजकीय कार्मिकों को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को Special Allowance/Increment दिया जाना प्रस्तावित है।

86. कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं की दक्षता में वृद्धि सतत रूप से किया जाना अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से प्रदेश के Apex Capacity Building Institute हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) के उन्नयन के साथ ही संस्थान के अन्तर्गत Civil Services Officers Institute की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

87. राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत में Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal की स्थायी पीठ, जोधपुर में भी खोलने की घोषणा करता हूं।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरणः

88. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक इकाइयां/कार्यालय खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह लास्ट पैरा है। यह पैरा अपने आप

(श्री अशोक गहलोत)

में बहुत महत्व रखता है क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे माननीय सदस्य मुझसे मांगते-मांगते थक जायेंगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा। यह मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस भावना का फायदा उठाते हुए जिले की मांग कर लेंगे। मैंने सोचा सड़क, पानी, बिजली, नगरपालिका की मांग करेंगे। आप तो जिलों की मांग करने लग गये। मैंने पूरी एक्सरसाइज की है। मैं आपके सामने रख रहा हूं।

89. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गत 4 वर्षों में प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर, आमजन व जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ-साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध करा, प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया है। प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन देना हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे द्वारा जन घोषणाओं एवं बजट घोषणाओं के माध्यम से एक के बाद एक लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गयी हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ ढाणी-ढाणी, मगरे-मगरे में बसे जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचे, इसके लिए जिला स्तर पर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई जिले ऐसे हैं, जहां जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जिला अपेक्षाकृत छोटा होने से प्रशासन प्रबन्धन व कानून-व्यवस्था पर निगरानी/नियन्त्रण सहज व सुगम हो जाता है। देश के विभिन्न राज्य नये जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं। वहां पर जिलों की संख्या दुगुनी-तीन गुनी हो गयी है। अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमसे छोटे राज्य पश्चिम बंगाल ने भी 7 नये जिलों की घोषणा की है।

इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों से नये जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों व प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की

(श्री अशोक गहलोत)

संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरान्त अब मैं प्रदेश में नये जिले बनाने की घोषणा करता हूं। जो इस प्रकार हैं-

1. अनूपगढ़,

नम्बर 2, मदन प्रजापत के यहां। इनको चप्पल तो पहनाओ। इसमें तो आप साथ देओ। जिले कोई एक पक्ष के थोड़े ही हैं। सबका जिला है। जिलों के लिए सबकी ताली एक साथ बजनी चाहिए। तब मजा आयेगा जिले बनाने का।

2. बालोतरा,
3. ब्यावर,
4. डीग,
5. डीडवाना-कुचामन,
6. दूदू,
7. गंगापुरसिटी,
8. जयपुर उत्तर,
9. जयपुर दक्षिण,
10. जोधपुर पूर्व,
11. जोधपुर पश्चिम,
12. केकड़ी,
13. कोटपूतली-बहरोड़,
14. खैरथल
15. नीम का थाना,
16. फलौदी,
17. सलूम्बर,
18. सांचौर एवं
19. शाहपुरा।

इस प्रकार 19 नये जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जायेंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से सम्पर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबन्ध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नये सम्भाग-बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर बनाने की भी घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों (जिलों एवं सम्भागीय मुख्यालयों) को अविलम्ब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 2,000 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप हाउस में हैं। कहीं सभा में बैठे हुए हैं क्या? विधान सभा और पब्लिक मीटिंग में कोई अंतर है? माननीय सदस्य, बिराजें।

घोषणा

सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में वर्ष 2022 व 2023 हेतु क्रमशः श्री अमीन खां व श्रीमती अनिता भदेल की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 15 मार्च, 2023 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से 15वीं राजस्थान विधान सभा की अवधि में निम्नांकित विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है:-

1. श्री अमीन खां, वर्ष 2022
2. श्रीमती अनिता भदेल, वर्ष 2023

माननीय विधायकों को 20 तारीख को सम्मानित करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023. प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.11 बजे सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फुलेरा में भू-रूपान्तरण

271. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भू-रूपान्तरण करने का अधिकार तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर व राज्य सरकार को है? यदि हां, तो किस -किस अधिकारी को कितनी आवासीय वाणिज्यिक भू-रूपान्तरण करने का अधिकार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी भूमि का किस प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(1) के तहत भूमि रूपान्तरण का अधिकार तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार को प्राप्त है। अधिसूचना दिनांक 29.06.2021 की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक भूमि रूपान्तरण किये गये हैं। तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर द्वारा उक्त अवधि में किये गये भूमि रूपान्तरण प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

खींवसर में विवादित आम रास्ते के लम्बित प्रकरण

272. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खींवसर, नागौर, मेड़ता की ग्राम पंचायतों में खेतों में से आम रास्ते (251 अ) के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उप खण्ड क्षेत्र नागौर के कुल 60 प्रकरण लम्बित हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	कुल लम्बित प्रकरण	वर्ष	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1.	सथेरण	6	2014	1
			2020	1
			2022	4
2.	धूंधवालों की ढाणी	2	2015	2
3.	जोधियासी	3	2022	3
4.	भदाणा	5	2022	3
			2020	1
			2015	1
5.	बासनी	1	2022	1
6.	ताउसर	4	2021	3
			2023	1
7.	भवाद	4	2017	1
			2020	1
			2021	2
8.	बरणगांव	1	2021	1
9.	गोगेलाव	1	2018	1
10.	भाकरोद	2	2020	1
			2021	1
11.	टाकला	2	2018	1
			2021	1
12.	बालवा	2	2019	1
			2020	1
13.	चूंटीसरा	1	2020	1
14.	चाउ	1	2021	1

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**वर्ष**	**लम्बित प्रकरणों की संख्या**
15.	श्यामसर	3	2020	1
			2021	1
			2022	1
16.	गगवाना	1	2022	1
17.	सींगड	4	2020	1
			2023	1
			2022	1
			2019	1
18.	रोहिणी	1	2022	1
19.	मकोडी	1	2023	1
20.	अलाय	1	2020	1
21.	अमरपुरा	6	2022	4
			2015	1
			2020	1
22.	सेवडी	3	2021	1
			2022	2
23.	श्रीबालाजी	1	2022	1
24.	अठियासन	1	2021	1
25.	मुण्डासर	1	2018	1
26.	दुकोसी	1	2017	1
27.	खारीकर्मसोता	1	2019	1
कुल योग		**60**		**60**

(राजस्व मंत्री)

उप खण्ड क्षेत्र खींवसर के कुल 26 प्रकरण लम्बित हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**वर्ष**	**लम्बित प्रकरणों की संख्या**
1.	भावण्डा	1	2021	1
2.	पांचला	3	2021	1
			2022	2
3.	खोडवा	1	2021	1
4.	नागडी	2	2021	1
			2022	1
5.	लालावास	1	2021	1
6.	पांचौडी	3	2021	3
7.	बेराथल	1	2021	1
8.	भोमासर	1	2021	1
9.	भेड	1	2021	1
10.	माडपुरा	1	2022	1
11.	पापासनी	1	2022	1
12.	बेरावास	1	2022	1
13.	खींवसर	2	2022	1
			2023	1
14.	करणू	1	2022	1
15.	बिरलोका	1	2022	1
16.	ढींगसरा	1	2022	1
17.	खटोडा	1	2022	1
18.	डहरू	1	2022	1
19.	लालाप	2	2022	2
कुल योग		**26**		**26**

(राजस्व मंत्री)

उप खण्ड क्षेत्र मेड़ता के कुल 107 प्रकरण लम्बित हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**ग्राम पंचायत**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**वर्ष**	**लम्बित प्रकरणों की संख्या**
1.	मेड़ता	9	2012	1
			2013	1
			2018	1
			2019	1
			2020	1
			2021	1
			2022	2
			2023	1
2.	दधवाडा	4	2012	2
			2018	1
			2021	1
3.	मोकलपुर	2	2013	1
			2022	1
4.	बडगांव	3	2012	1
			2020	1
			2021	1
5.	नोखा चांदावता	5	2013	1
			2017	1
			2021	1
			2022	2

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कुल लम्बित प्रकरण	वर्ष	लम्बित प्रकरणों की संख्या
6.	टुकलिया	2	2014	1
			2022	1
7.	छापरी कलां	2	2015	1
			2022	1
8.	टालनपुर	2	2015	1
			2022	1
9.	जारोडा	2	2017	1
			2019	1
10.	सोगावास	12	2017	1
			2019	2
			2021	2
			2022	7
11.	डांगावास	3	2017	1
			2019	1
			2022	1
12.	गोटन	2	2022	2
13.	भाटीयों की ढाणी	2	2018	1
			2020	1
14.	सातलावास	3	2018	1
			2020	1
			2021	1

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कुल लम्बित प्रकरण	वर्ष	लम्बित प्रकरणों की संख्या
15.	रियांश्यामदास	4	2022	3
			2023	1
16.	रेण	6	2018	1
			2019	2
			2021	2
			2022	1
17.	धनापा	3	2018	1
			2021	1
			2022	1
18.	खाकडकी	1	2022	1
19.	कुरडाया	5	2019	2
			2021	1
			2022	2
20.	पूंदल	6	2019	1
			2021	2
			2022	3
21.	खेड़ूली	1	2019	1
22.	कात्यासनी	3	2019	1
			2021	1
			2023	1

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	**ग्राम पंचायत**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**वर्ष**	**लम्बित प्रकरणों की संख्या**
23.	मेड़ता रोड	2	2020	1
			2022	1
24.	इन्दावड	3	2021	2
			2022	1
25.	गगराना	1	2020	1
26.	हरसोलाव	1	2022	1
27.	मोररा	2	2020	2
28.	औलादन	1	2020	1
29.	लाम्बाजाटान	2	2021	1
			2022	1
30.	ढावौ	2	2021	1
			2022	1
31.	धांधलास उदा	5	2021	1
			2022	4
32.	नेतड़िया	2	2021	1
			2022	1
33.	गंठिया	1	2022	1
34.	कड़वासड़ों की ढाणी	1	2022	1
35.	बीटन	1	2022	1
36.	कलरू	1	2022	1
	कुल योग	**107**		**107**

हनुमानगढ़ में पटवारियों के रिक्त पद

273. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल कितने पटवार सर्कल हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्तमान में कितने पदों पर पटवारी कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल 295 पटवार सर्कल (मण्डल) हैं। विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	पटवार सर्कलों की संख्या
1	हनुमानगढ़	48
2	पीलीबंगा	65
3	संगरिया	66
4	नोहर	56
5	भादरा	60
	कुल	**295**

(2) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में पटवारी के स्वीकृत 326 पदों के विरुद्ध 316 पटवारी कार्यरत है व 10 पद रिक्त हैं। तहसीलवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	तहसील का नाम	कार्यरत पटवारी	रिक्त
1	हनुमानगढ़	56	03
2	पीलीबंगा	37	04
3	संगरिया	32	01
4	टिब्बी	36	01
5	रावतसर	26	-
6	पल्लू	16	-
7	नोहर	57	01
8	भादरा	54	-
9	जिला कार्यालय	02	-
	कुल	**316**	**10**

(राजस्व मंत्री)

उक्त कार्यरत पटवारियों में 06 पटवारी निलम्बित चल रहे हैं।

(3) जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित 38 सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होने के उपरान्त यथासंभव पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्रीगंगानगर की गौशालाओं को सीएसआर फण्ड से अनुदान

274. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण हेतु गौशालाओं को अनुदान राशि दी गई है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में जिला श्रीगंगानगर में कौन-कौनसी गौशालाओं को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण हेतु सी.एस.आर. फण्ड से गौशालाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो सी.एस.आर. फण्ड की राशि सहित गौशालावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 के अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौशालाओं में भरण-पोषण हेतु सहायता राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में श्रीगंगानगर जिले की गौशालाओं को दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सी.एस.आर. फंड से सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कम्पनियों द्वारा गौशालाओं को उपलब्ध करवाये गये सी.एस.आर. फंड की सूचना इस प्रकार है:

1. कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि. द्वारा पदमपुर में गौशाला समिति के शेड हेतु रु. 2.5 लाख व राशि रु. 63,000 का गुड़ उपलब्ध करवाया गया।
2. सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ द्वारा बालाजी गौसेवा समिति, सोमासर, पंचायत समिति सूरतगढ़ के शेड निर्माण हेतु 5 लाख रु. उपलब्ध करवाये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में सरस दुग्ध डेयरी प्लांट का संचालन

275. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में सरस दुग्ध डेयरी प्लांट संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 तक मालपुरा में सरस दुग्ध डेयरी प्लांट प्रारम्भ हो जायेगा। वर्तमान में प्लांट में वाटर ट्रायल टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

माण्डलगढ़ में किले व तालाब का सौन्दर्यीकरण

276. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की माण्डलगढ़ नगरपालिका में स्थित ऐतिहासिक किले व जालेश्वर तालाब का पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की माण्डलगढ़ नगरपालिका में स्थित दुर्ग माण्डलगढ़ पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक घोषित है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में माण्डलगढ़ दुर्ग के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु राशि रु. 100.00 करोड़ स्वीकृत कर किले में मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य करवाये गये हैं, जिन पर राशि रु. 79.34 लाख का व्यय किया गया है। साथ ही नगरपालिका, माण्डलगढ़ द्वारा वर्ष 2021-22 में किले पर सड़क निर्माण व जालेश्वर तालाब पर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का कार्य किया गया है।

विभाग में वर्तमान में माण्डलगढ़ किला व जालेश्वर तालाब का पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर आंकलन कर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

भीलवाड़ा में जन सहभागिता योजना के तहत स्वीकृत कार्य

277. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जन सहभागिता योजना के तहत कब्रिस्तान, श्मशान हेतु कोई कार्ययोजना संचालित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में जिला भीलवाड़ा में कब्रिस्तान, श्मशान हेतु कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में जन सहभागिता के तहत कब्रस्तान, श्मशान हेतु महात्मा गांधी जन सहभागिता योजना संचालित है। योजना के दिशा-निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत जिला भीलवाडा में कब्रिस्तान, श्मशान हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

करौली में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास

278. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में विगत तीन वर्षों में इन्दिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कितने आवास स्वीकृत किये गये? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत आवासों के निर्माण की द्वितीय किश्त की राशि का हस्तान्तरण होना शेष है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवास योजनाओं में स्वीकृत कार्यों की राशि हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अधिकतर कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला करौली में विगत 3 वर्षों में इन्दिरा आवास योजना

(ग्रामीण विकास मंत्री)

संचालित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 20,689 आवास स्वीकृत किये गये, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**स्वीकृत आवासों की संख्या**
2019-20	7146
2020-21	6176
2021-22	7367
योग	**20689**

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत किये गये आवासों में से 1,909 आवासों में लाभार्थी द्वारा आवास का दासा स्तर तक निर्माण नहीं करने के कारण द्वितीय किश्त जारी होना शेष है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है।

लाभार्थी द्वारा दासा स्तर तक का निर्माण पूर्ण कराने पर लाभार्थी के खाते में द्वितीय किश्त का हस्तानान्तरण किया जा सकेगा।

(3) वर्तमान में इन्दिरा आवास योजना संचालित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में स्वीकृत आवासों में से 1,909 आवासों की लाभार्थी द्वारा आवास का दासा स्तर तक निर्माण नहीं करने के कारण तथा 2,336 आवासों की लाभार्थी द्वारा छत डालने का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कुल 4,245 आवास अपूर्ण/प्रगतिरत हैं। उक्त प्रगतिरत आवासों के लाभार्थियों से आवास निर्माण पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

मण्डावर (महवा) को पंचायत समिति बनाने की कार्ययोजना

279. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2022-23 में मण्डावर को पंचायत समिति बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषणा को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में मण्डावर को पंचायत समिति बनाये जाने की घोषणा की गई थी।

उक्त घोषणा की क्रियान्विति हेतु जिला कलेक्टर दौसा को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-10 एवं 101 की कार्यवाही कर, अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ15(14)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/2022/620, दिनांक 25.05.2022 के द्वारा अधिकृत किया गया था (परिशिष्ट-क)।

जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 628 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा मण्डावर को पंचायत समिति बनाये जाने के प्रस्ताव भिजवाये गये थे (परिशिष्ट-ख), जो निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण पुन: निर्धारित मानदण्डानुसार प्रस्ताव चाहे गये थे।

जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा पत्र क्रमांक पंचायत/2023/66, दिनांक 13.03.2023 के द्वारा पंचायत समिति महवा व बैजूपाड़ा का पुनर्गठन कर मण्डावर को नई पंचायत समिति बनाये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं (परिशिष्ट-ग), जिनके परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नोहर की गोचर भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

280. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोहर व हनुमानगढ़ के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार जो वर्ष 1961 से 1970 में सेटलमेंट के दौरान राजकीय भूमि को बिना किसी आबंटन के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीधे ही राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नोहर क्षेत्र की गोचर भूमि पर बसी आबादी को आबादी क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1961-70 के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान राजस्व विभाग की मिसल बन्दोबस्त तैयार करते समय हनुमानगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र नोहर की तहसील नोहर की 2,059 हैक्टेयर तथा तहसील पल्लू की 2,937.5,043 हैक्टेयर राजकीय भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया।

विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ की सूचना शून्य है।

हनुमानगढ़ जिले में सेटलमेंट विभाग द्वारा दर्ज गैर खातेदारान को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने बाबत नियमों में संशोधन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त तद्नुसार यथोचित निर्णय लिया जाकर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(2) चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा पालिसी दिनांक 27.12.2021 जारी की गयी है।

उल्लेखनीय है कि चरागाह भूमि के सम्बन्ध में मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) नम्बर 326/2022 उनवान श्री राजस्थान गौ सेवा समिति बनाम राज. सरकार विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री वर्क फ्रोम होम योजना से लाभान्वित महिलाएं

281. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वर्क फ्रोम होम जोब वर्क की कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितनी राशि व्यय की गई व कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में महिलाओं से क्या-क्या कार्य करवाये जाने के प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री वर्क फ्रोम होम - जॉब वर्क योजना दिनांक 26.08.2022 को प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत निजी नियोक्ता फर्मों द्वारा 1,164 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत नियोक्ता

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

को प्रति महिला 3,000 रुपये प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। आज दिनांक तक किसी भी नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि का दावा नहीं किया गया है, इसलिए व्यय राशि शून्य है।

लाभान्वित महिलाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है

(2) योजनान्तर्गत सरकारी व निजी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा घर से ही किये जाने वाले कार्य करवाये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत सी.ए. आडिट, प्रोग्रामिंग, सोफ्टवेयर डिजाइनिंग, डाटा एनालिसिस, वेब डिजाइनिंग, टेलीकॉलर, हस्तशिल्प से सम्बन्धित कार्य, ई-मित्र आबंटन में महिलाओं को प्राथमिकता देना, स्कूल ड्रेस की सिलाई, पैकेजिंग, वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित कार्य, महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों से आनलाइन परामर्श सेवा, जैम्स एण्ड ज्वैलरी, इनकम टैक्स फाइलिंग, आभूषण निर्माण, पैकेजिंग इत्यादि कार्य करवाये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरतगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

282. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र सरकारी व निजी भवनों में संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वर्तमान में बाल विकास परियोजना सूरतगढ़ के अधीन 319 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना अनूपगढ़ के आंशिक क्षेत्र में 38 आंगनबाड़ी केन्द्र सहित कुल 357 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्थिति निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परियोजना का नाम	**विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र**	**किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र**	**अन्य भवनों (सरकारी विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र व नि:शुल्क भवन) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र**	**कुल योग**
सूरतगढ़	59	09	251	319
अनूपगढ़	14	01	23	38
योग-	**73**	**10**	**274**	**357**

इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर (पूर्व) में रामपुरा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण

283. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में रामपुरा रेलवे ओवर ब्रिज व रानी बाजार अण्डर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब प्रारम्भ किया गया व कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पवनपुरी, नागणेची मन्दिर के पास रेलवे अण्डर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रामपुरा ओवरब्रिज का निर्माण आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा अप्रैल, 2019 में प्रारम्भ किया गया था। रेलवे भाग में कार्य करने की अनुमति समय पर नहीं मिलने के कारण तथा रामपुरा साइड में अतिक्रमण व चाटा फैक्ट्री साइड पर माननीय सिविल न्यायाधीश, बीकानेर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(राजस्थान) के स्थगन आदेश एवं यही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में लम्बित होने के कारण इस क्षेत्र में कार्य नहीं किया जा सका। स्थगन आदेश निरस्त होने एवं अतिक्रमण हटने के पश्चात् लगभग एक वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

रानी बाजार अण्डरब्रिज का निर्माण नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा दिसम्बर, 2021 में शुरू किया गया था एवं कार्य अप्रैल, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) वर्तमान में पवनपुरी नागणेची मंदिर के पास रेलवे अण्डरब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अण्डरब्रिज का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

आसीन्द में अमरतिया से बालापुरा सड़क का डामरीकरण

284. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में अमरतिया से बालापुरा तक सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अमरतिया से बालापुरा सड़क, जो कि हुरड़ा बनेड़ा सड़क से अमरतिया के नाम से है, वर्तमान में क्षतिग्रस्त (नॉन पेचेबल) डामर सड़क है, जिसकी लम्बाई 4.00 किमी. है। इस सड़क का नवीनीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

राणासर (आनन्दपुरा) में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण

285. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आनन्दपुरा के राजस्व ग्राम राणासर में मेगा हाईवे से किसान नगर तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क का निर्माण राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्तों के अनुसार ही किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाता संख्या 361 के खसरा नम्बर 51 व 63 के मध्य स्थित रास्ते पर रिकार्डानुसार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मेगा हाईवे से खाता संख्या 361 के खसरा नम्बर 51 व 63 के मध्य सीधा निमोद तक जा रहे रास्ते पर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आनन्दपुरा के राजस्व गांव रानासर में मेगा हाईवे से किसान नगर तक मनरेगा योजना के तहत डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य को मनरेगा श्रमिकों की उपलब्धता अनुसार पूर्ण करवा दिया जायेगा।

(2) अभी तक इस सड़क का निर्माण 1600 मीटर में किया गया जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते के अनुसार ही किया गया है।

(3) राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाता संख्या 361 के खसरा नम्बर 51 व 63 के मध्य उप खण्ड अधिकारी कुचामन द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा की अनुपालना में सड़क निर्माण बंद है। स्टे हटने के उपरान्त राजस्व विभाग से पत्थरगढ़ी करवाकर शेष निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा।

(4) खसरा सं. 51 से 63 के मध्य स्थित रास्ता निमोद गांव तक जा रहा है जिसकी लम्बाई लगभग 5.00 किमी. है, परन्तु वर्तमान में केवल 2.50 किमी. तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क की स्वीकृति प्राप्त है। निमोद तक शेष 2.50 किमी. में सड़क निर्माण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु तहसील स्तर पर छात्रावास की स्थापना

286. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गिर्राज सिंह)

क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए तहसील स्तर पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विभाग में वर्तमान में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रत्येक तहसील स्तर के नवीन छात्रावास खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012" के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर ही छात्रावास स्वीकृत किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जेलों में हुई मृत्यु के प्रकरणों की जांच

287. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में माह जनवरी, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक जेलों व पुलिस हिरासत में कितने लोगों की मृत्यु हुई? क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में हुई मृत्यु का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु**
2021	80
2022	79
कुल	**159**

उक्त 159 बंदियों के मृत्यु के सम्बन्ध में 176 सीआर.पी.सी. के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। 52 प्रकरणों में न्यायिक जांच पूर्ण हो चुकी है, जिसमें किसी भी जेल अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं माना गया है। शेष 107 प्रकरणों में जांच शेष है।

(जेल मंत्री)

उक्त अवधि में पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु
2021	04
2022	06
कुल	**10**

पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी में नवीन कृषि उपज मण्डी खोलने की कार्ययोजना

288. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में नवीन कृषि उपज मण्डी व सब्जी मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्ड तथा राज्य सरकार द्वारा इनकी उपादेयता, औचित्यता व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आंकलन एवं विश्लेषण उपरान्त नई मण्डियों की स्थापना की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कृषि उपज मंडी व सब्जी मंडी खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।

तूंगा कृषि उपज मण्डी में दुकानों का आबंटन

289. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी, तूंगा में दुकानें व गोदाम बनाये गये हैं? यदि हां, तो कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों के आबंटन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या पात्रता रखी

(श्री गोपाल लाल मीना)

गई है तथा किन-किनको उक्त दुकानों व गोदामों का आबंटन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, बस्सी के गौण मण्डी यार्ड, तूंगा में दुकान व गोदाम नहीं बनाये गये हैं।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, बस्सी के गौण मण्डी यार्ड, तूंगा में दुकान व गोदाम नहीं बनाये गये हैं तथापि गौण मण्डी यार्ड तूंगा में चिन्हित 216 भूखण्डों का अचल सम्पत्ति आबंटन नीति, 2005 के प्रावधानों अन्तर्गत 99 वर्षीय लीज पर आबंटन किये जाने हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 09.11.2022 को आबंटन विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। चिन्हित 216 भूखण्डों के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 27.12.2022 तक कुल 1,795 आवेदन फार्म प्राप्त हुए हैं, जिनके आबंटन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ जिले में होमगार्ड की ड्यूटी

290. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार होमगार्डों के वेतन में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला प्रतापगढ़ में कितने होमगार्ड पंजीकृत हैं? उक्त में से विगत एक वर्ष में किस-किस होमगार्ड की ड्यूटी कब-कब, कहां-कहां पर लगाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई होमगार्ड की ड्यूटी कई दिनों तक नहीं लगाई जाती है व कइयों को नियमित ड्यूटी पर लगाया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 160.00 के तहत आदेश दिनांक 01.03.2023 (संशोधित आदेश,

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा)

दिनांक 09.03.2023) द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रतापगढ़ जिले में गृह रक्षा स्वयंसेवकों की पंजीकृत नफरी 330 एवं ऑनरोल नफरी 284 है।

प्रतापगढ़ जिले में विगत एक वर्ष में होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। मांगकर्ता एजेन्सियों की मांग अनुसार कुछ एजेन्सियों में नियमित रूप से स्वयंसेवक नियोजित किये जाते हैं, एवं कुछ स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी मिलती है।

गृह रक्षा संगठन एक स्वयं सेवी संस्था है जिसकी मूल भावना रोजगार (जीविकापार्जन) उपलब्ध कराना नहीं है। भारत सरकार की नीति अनुसार गृह रक्षा स्वयंसेवकों को मांगकर्ता विभाग/एजेन्सी मांग के अनुसार नियोजित किया जाता है। वर्तमान में गृह रक्षा विभाग में आन रोल नफरी अधिक है तथा ड्यूटी नियोजन के अवसर कम होने के कारण सभी सदस्यों को ड्यूटी का समान अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके लिये स्वयंसेवकों को विभागीय रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी दी जा रही हैं। सभी होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आदर्शनगर में मजदूर डायरी से लाभान्वित मजदूर

291. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में कितने मजदूरों की मजदूर डायरी बनी हुई है व कितनों की शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में मजदूरों को मजदूर डायरी से क्या-क्या लाभ दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में श्रमिकों के स्वीकृत एवं लम्बित पंजीयन आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मंडल द्वारा लागू योजनाओं में पात्रतानुसार एवं

(राज्य मंत्री, श्रम)

नियमानुसार लाभ दिया जाता है। मण्डल द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु लागू योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर में जे.सी.टी. मिल कालोनी के लोगों को आवासीय पट्टों का आबंटन

292. श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में JCT मिल बन्द हो गयी है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत 50-60 वर्षों से JCT मिल कालोनी में रहने वाले लोगों को उनके आवास के पट्टे अब तक जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी के पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनी में पट्टों को लेकर उच्च न्यायालय में वाद चल रहे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जे.सी.टी. मिल श्रीगंगानगर में हड़ताल/तालाबंदी के चलते दिनांक 02.07.2007 से उत्पादन कार्य बंद हो गया था।

(2) जे.सी.टी. मिल श्रीगंगानगर की वर्तमान में कोई कालोनी अस्तित्व में नहीं है, अपितु औद्योगिक आवास योजना, श्रीगंगानगर के तहत निर्मित 250 आवासों में से 38 आवासों के मालिकाना हक देते हुए पट्टे जारी किये गये। शेष पट्टे मिल प्रबंधन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेने की स्थिति में जारी नहीं किये जा सके।

(3) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गई रिट याचिका 3846/2005 में माननीय न्यायालय के निर्णय उपरान्त तदानुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी हां। उक्त आवासीय कालोनी में पट्टों को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका 3846/2005 लम्बित है, जिसकी सुनवाई दिनांक 03.03.2023 को नियत है।

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र के 2021-22 के सर्वे में बीपीएल-एपीएल कार्डधारकों को अपात्र घोषित किया जाना

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में BPL-APL कार्ड धारकों के वर्ष 2021-22 में एक सर्वे में कई पात्र लोगों को अपात्र घोषित किया गया। जिस व्यक्ति के पास 2 बीघा भी जमीन नहीं थी, उस व्यक्ति की 5 एकड़ जमीन बताकर उस व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया। इस तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पक्का मकान 5 एकड़ जमीन एवं गाड़ी बताया गया, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। फिर भी इस आधार पर कई लोगों को अपात्र किया है। पूरे उदयपुर सम्भाग के जिलों की आवास प्लस में जिनको अपात्र माना है और जिन आधारों पर अपात्र माना है, वे समस्त आधार गलत हैं। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र के समस्त वर्गो के गरीब अपात्र लोगों के साथ कुठाराघात हुआ है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उदयपुर सम्भाग की समस्त आवास प्लस में जिन्हें अपात्र माना है, उनका दुबारा सर्वे करके पात्र लोगों को आवास से लाभान्वित करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

ओलावृष्टि, तेज अंधड़ व बेमौसम बरसात से हुए फसल खराबे की विशेष आर्थिक पैकेज के तहत किसानों को मुआवजे की प्रदायगी

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 4 मार्च से अब तक जालौर जिले सहित पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि, तेज अंधड़ एवं बेमौसम बरसात से किसानों की खेतों में खड़ी पकी हुई फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में भी किसानों की जीरा, अरण्डी, रायडा, तारामीरा, ईसबगोल, गेहूं की फसलें पूरी तरह खराब हो गई है, जिससे किसानों को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। फसल बीमाधारक किसानों को नियमानुसार बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 1800 209 5959 पर 72 घंटे में कॉल करना आवश्यक है, परन्तु बीमा कम्पनी का टोल फ्री नम्बर हमेशा व्यस्त आता है

और अगर कभी गलती से लग जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि अब शिकायत दर्ज नहीं होगी, आप कल कॉल करें। इसी प्रकार गैर बीमित किसानों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष गिरदावरी के आदेश के बावजूद कई गांवों में सरपंच और पटवारी राजनीतिक द्वेषता के चलते कई किसानों की फसल की गिरदावरी नहीं करते, जिससे उन्हें आपदा राहत विभाग से मिलने वाले मुआवजे से वंचित होना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने पर किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजे के रूप में 17 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर दिया जाता है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि जीरा, ईसबगोल जैसी फसलों की लागत ही करीब 30-35 हजार प्रति हैक्टेयर आती है। अबकी बार फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकार विशेष आर्थिक पैकेज जारी करके किसानों को प्रति हैक्टेयर न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा दे।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष आर्थिक पैकेज जारी करके किसानों को न्यूनतम 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (नोखा)

राज्य में विभिन्न संवर्गों के शिक्षको की सेवा संबंधी समस्याओं का निराकरण

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि शिक्षकों की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय आंदोलनरत है। विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों के निराकरण, सांवत एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक करते हुए वेतन विसंगतियों को दूर करने राज्य कर्मचारियों को 8.16.24.32 वर्ष पर ए.सी.पी. देने, शिक्षकों के जी.पी.एफ. 2004 के खाता नम्बर तत्काल जारी करवाने, सम्पूर्ण सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार एक वर्ष की करते हुए नियमित वेतन श्रृंखला में फिक्सेशन के समय परिवीक्षा अवधि को भी जोड़ने, शिक्षा विभाग में संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने, राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय तीन सौ उपार्जित अवकाशों की सीमा को समाप्त करने तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् 65,70,75 वर्ष की आयु पूर्ण पर क्रमश: 5,10,15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि करने, तृतीय श्रेणी अध्यापक संवर्ग के स्थानान्तरण नीति बनाकर स्थानांतरण करने, बी.एल.ओ. सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त

करने, तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार पीछे रखने के बाद उनकी मूल वरिष्ठता पुनः बहाल करने, डीपीसी उपरान्त रुके पदस्थापन करवाने, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन करते हुये विद्यालयों में पद आबंटन में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आबंटन प्रक्रिया अपनाने को लेकर आंदोलित है। उक्त सभी मांगों पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार कर समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों को ठेका प्रथा से मुक्त कर दूसरे प्रदेशों की तरह विभाग में समायोजित किया जाना चाहिए।

गत दिनों रा.उ.प्रा.वि. कुन्नासर (पाचू) को क्रमोन्नति की मांग को लेकर तालाबदी हुई है। इस विद्यालय को क्रमोन्नति की मांग लम्बे समय से की जा रही है और क्रमोन्नति हेतु निर्धारित सभी मापदण्ड पूर्ण करता है। इसलिए इस विद्यालय को तत्काल क्रमोन्नत कर छात्रों व ग्रामवासियों की मांग को पूर्ण किया जाए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)

पचपदरा में नवीन विद्यालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के दो पंचायत समितियों की 69 ग्राम पंचायतों के 268 राजस्व ग्रामों के रहवासियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु वर्तमान में 268 प्राथमिक, 212 उ.प्रा.वि. एवं 98 उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं। बाड़मेर-जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति मरुस्थलीय, भारत-पाक सीमावती, छितराई ढाणियों में बसावट की परम्पराओं एवं अन्य प्राकृतिक एवं सामाजिक कारणों से प्रदेश के अन्य जिलों के भिन्न है। अतः यहां नई स्कूलों को खोलने और उनके खोलने के नियम घनी आबादी के जिले से भिन्न होने चाहिए इसलिए सरकार को नियमों में शिथिलता बरतते हुए विधान सभा पचपदरा की दूरदराज की ग्रामीण जनता को शिक्षित करने हेतु मेकरणा में नवीन प्राथमिक विद्यालय, सिन्धियों की ढाणी नेवरी, दईजी विश्नोईयों की ढाणी कुडी, परालिया धामट मूल की ढाणी सहित 34 प्राथमिक विद्यालयों को उ.प्रा.वि. में एवं बागुण्डी, बादू का बाडा, श्रीयादे मन्दिर, पिण्डारण, चारलाई खुर्द एवं मैकरणा सहित 14 उ.प्रा.वि. को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की नितान्त आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को आग्रह कर चुका हूं। मेरा पुनः आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र बालोतरा में उक्त मांग अनुसार विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत कर राहत प्रदान करावें, साथ ही विद्यालयों में चल रहे अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरें।

परिशिष्ट-02

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 08 में उल्लिखित विवरण

I. छोटी सरवन-बांसवाड़ा एवं फलौदी-जोधपुर में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे। इस पर 46 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. वैर-भरतपुर में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय तथा विराटनगर-जयपुर में देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय खोले जायेंगे।

III. कुंठवा (खमनौर)-राजसमन्द में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

IV. जालौर में जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

V. कामां-भरतपुर, जेतडासर (बाप)-जोधपुर एवं नाचना (पोकरण)-जैसलमेर में अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय तथा सरवाड़-अजमेर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

VI. लक्ष्मणगढ़-सीकर में स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

VII. छोगा का खेड़ा व उरियो की भागल-राजसमन्द संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

VIII. रायथल-बूंदी, खानवास (लवाण)-दौसा, गुरदह (मंडरायल)-करौली एवं लुहावद (इटावा)-कोटा में 50-50 क्षमता के बालिका छात्रावास खोले जायेंगे।

IX. कस्बा थाना, देवरी (शाहबाद) व भंवरगढ़ (किशनगंज)-बारां में तीन सहरिया बालिका छात्रावास तथा शाहबाद-बारां में अन्य जनजातियों हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। इन पर 12 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

X. बहरावण्डा (सिकराय)-दौसा में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास, तलैया (बिछीवाड़ा)-डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में जनजाति बालक आश्रम छात्रावास, गडामोरैया-डूंगरपुर तथा कुराबड़-उदयपुर में जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास खोले जायेंगे।

XI. दामोलाई मय राणेर (खाजूवाला)-बीकानेर, ओसियां-जोधपुर, फलसुण्ड (पोकरण)-जैसलमेर एवं उनियारा-टोंक में अम्बेडकर छात्रावास खोले जायेंगे।

XII. दूदू-जयपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोला जायेगा। साथ ही, मानसरोवर-जयपुर स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 की जायेगी।

XIII. 33 जनजाति छात्रावासों में 605 अतिरिक्त विद्यार्थियों के प्रवेश; बालिका छात्रावास समरानियां-बारां में 50; कन्या महाविद्यालय छात्रावास, शाहबाद-बारां में 75 तथा सागवाड़ा-डूंगरपुर व हरेंगजी का खेड-बांसवाड़ा के आवासीय विद्यालयों में 120 अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए क्षमता वृद्धि की जायेगी। इस पर 18 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

XIV. राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापोल-जयपुर में उर्दू विषय शुरू किया जायेगा।

XV. उच्च शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से कन्या महाविद्यालय-चूरू, हनुमानगढ़, मगरा पूंजला-जोधपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, किशनपोल-जयपुर; विधि महाविद्यालय, सिरोही एवं लक्ष्मणगढ़-सीकर व भीम-राजसमन्द के महाविद्यालय सहित 30 विभिन्न स्नातक (UG) महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर (PG) महाविद्यालयों में क्रमोन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, सीमलवाड़ा-डूंगरपुर में कला संकाय, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द एवं ब्रह्मपुरी-जयपुर में विज्ञान संकाय सहित 50 महाविद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला के संकाय/विषय प्रारम्भ किये जायेंगे।

XVI. सिरोही महाविद्यालय में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा।

XVII. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालयों का Assessment एवं Accreditation करवाये जाने हेतु आवश्यक आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु आवेदन किये जाने पर 10 लाख रुपये तथा ग्रेड/आधारभूत संरचना के upgradation के लिए प्रति महाविद्यालय अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जायेगी। इस पर 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

XVIII. राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर-अजमेर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहनलाल शर्मा के नाम पर किया जाना प्रस्तावित है।

XIX. फुलवारा (सेवर)-भरतपुर, रामगढ़ पचवारा (लालसोट)-दौसा एवं गागरिया (शिव)-बाड़मेर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोले जायेंगे।

परिशिष्ट-03

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 13 में उल्लिखित विवरण

I. डीडवाना-नागौर में कबड्डी अकादमी शुरू की जायेगी।

II. चांदोली (उमरैण)-अलवर, तारानगर-चूरू, मनियां-धौलपुर, रोजदा (जालसू)-जयपुर, पाल (लूणी)-जोधपुर, परसरामपुरा (नवलगढ़)-झुंझुनूं, देवली-टोंक एवं जसवंतगढ़ (गोगुन्दा)-उदयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।

III. अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा-जोधपुर को स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जायेगा।

IV. राजगढ़-चूरू एवं जैसलमेर में Indoor Halls का 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

V. पोलो ग्राउण्ड (माउंट आबू)-सिरोही का 18 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण करवाया जायेगा। साथ ही, उदयपुर में पोलो ग्राउण्ड एवं डबल ट्रैप शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

VI. सीकर में सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जायेगा।

VII. लक्ष्मणगढ़ एवं नेछवा-सीकर के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जायेंगे।

VIII. राज्य में फुटबाल एवं हाकी के अन्तरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में Astroturf, फ्लड लाइट, पैवेलियन, सिटिंग चेयर आदि अत्याधुनिक सुविधाएं 10 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जायेंगी।

परिशिष्ट-04

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 16 में उल्लिखित विवरण

I. सम्मो की ढाणी (दूद्राबेरी), आदर्श बस्ती नांद, रेवाडा (पचपदरा)-बाड़मेर, जाणियों की ढाणी (सांचौर)-जालोर, बोलादरा-डूंगरपुर, सैनिक नगर (खींवसर)-नागौर, फूसखाणी (मण्डावा)-झुंझुनूं सहित 500 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

II. रिजर्व पुलिस लाइन/बटालियन हेतु 20 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

III. बांदरसिंदरी (किशनगढ़)-अजमेर, द्वारापुर (थानागाजी)-अलवर, जैतगढ़ (बदनोर), छापडेल (कोटड़ी), टीटोडा जागीर (जहाजपुर)-भीलवाड़ा, पाटिया गलिया-बांसवाड़ा, फुलवारा (सेवर), सलेमपुर खुर्द (वैर)-भरतपुर, मूंदीताल (राजगढ़)-चूरू, शादी-चित्तौड़गढ़, धनावड, रलावता (बांदीकुई), बिशनपुरा-दौसा, मछरिया (राजाखेड़ा)-धौलपुर, शाहपीनी (संगरिया)-हनुमानगढ़, बूड़थल, रूपाहेडी कलां (बस्सी), गाड़ोता (दूदू), नांगल भारड़ा (शाहपुरा)-जयपुर, रामा (फतेहगढ़), जालूवाला, पदमपुरा (पोकरण)-जैसलमेर, संतोड़ा खुर्द (ओसियां), बुडकिया (भोपालगढ़), नौसर (लोहावट), कृष्णनगर कलां-जोधपुर, चुडेला (अलसीसर)-झुंझुनूं, आकेली (मेड़ता), खारिया (लाडनूं)-नागौर, सिन्दरू (सुमेरपुर), माण्डावास (रोहट)-पाली, सेमल (देलवाड़ा)-राजसमन्द, पनिहारवास (खण्डेला), पुरोहित का बास (पिपराली), शाहपुरा (धोद)-सीकर, चैनपुरा (निवाई)-टोंक तथा गतराली (खेरवाड़ा)-उदयपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

IV. मेवदा कलां, स्यार (केकड़ी)-अजमेर, जगता बसई (किशनगढ़बास), टिटपुरी, गारू, सौंख (कठूमर), नयाबास (बानसूर)-अलवर, बागावास (पाटौदी), छोटू, लूणवा जागीर (गुडामालानी), उण्डखा-बाड़मेर, जारोली, मोरौली कलां (सेवर)-भरतपुर, दांथल (सुवाणा)-भीलवाड़ा, दिवड़ा बड़ा, नया गांव (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, भीमसर (मण्डावा), सौंथली (नवलगढ़)-झुंझुनूं, आकोदा (फुलेरा), मुहाना मंडी-जयपुर, जाटी भांडू (शेरगढ़), झालामण्ड (लूणी)-जोधपुर, शंखवाली (आहोर)-जालौर, नया गांव, नीदर

(सपोटरा)-करौली, भदलिया (डीडवाना), तंवरा (जायल)-नागौर, सोजत-पाली तथा करड (दांतारामगढ़)-सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

V. हरसानी (गडरा रोड), परेऊ (गिड़ा)-बाड़मेर, मोकमपुरा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, मुकाम (नोखा), बरसिंहसर-बीकानेर, शक्करगढ़ (जहाजपुर)-भीलवाड़ा, गुढालिया (बांदीकुई)-दौसा, सुरेवाला (संगरिया)-हनुमानगढ़, साईवाड़ (विराटनगर)-जयपुर, बारा कलां (ओसियां), जाम्बा (बाप)-जोधपुर, अजाड़ी कलां-झुंझुनूं झारेड़ा (हिण्डौनसिटी)-करौली, सांजू (डेगाना), कसनाऊ (जायल)-नागौर, शिशोदा कलां (नाथद्वारा)-राजसमन्द, बाय (दांतारामगढ़), फागलवा (धोद)-सीकर, जैतसर (सूरतगढ़)-श्रीगंगानगर तथा नासिरदा (देवली-उनियारा)-टोंक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

VI. सिवाना-बाड़मेर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर चिड़ावा-झुंझुनूं एवं किशनगढ़ रेनवाल, चौमूं, फुलेरा-जयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा।

VII. पोकरण-जैसलमेर के उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

VIII. बानसूर--अलवर में ट्रोमा सेन्टर खोला जाएगा।

IX. अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर-अजमेर में नवीन भवन का निर्माण करवाया जाएगा।

X. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर में सुपर स्पेशियलिटी विभागों-Gastroenterology, Neuro Surgery, Pediatric Cardiology ya Pediatric Nephrology एक-एक यूनिट स्थापित की जाएगी।

XI. मसूदा-अजमेर व रावतभाटा (बेगूं)-चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग महाविद्यालय तथा नावां नागौर में बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाएगा।

XII. कुचामनसिटी-नागौर में Special Newborn Care Unit (SNCU) एवं Maternal and Child Health (MCH) विंग खोली जायेंगी। साथ ही, बगरू-जयपुर व तिजारा-अलवर में MCH विंग शुरू की जाएगी।

XIII. शेष रही 38 पंचायत समितियों में भी BCMHO कार्यालय खोले जाएंगे।

XIV. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीकटला-जयपुर में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र तथा श्वसन रोग निदान केन्द्र का 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जाएगा।

XV. जिला चिकित्सालय कुचामनसिटी-नागौर में बेड क्षमता 150 से बढ़ाकर 300; सेटेलाइट अस्पताल मोती डूंगरी रोड-जयपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 150, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतड़ी-झुंझुनूं एवं भीनमाल-जालौर में बेड क्षमता 75 से बढ़ाकर 100 बेड तथा टपूकड़ा (तिजारा)-अलवर, बडाऊ-झुंझुनूं, गुढ़ाचन्द्रजी-करौली व रामगढ़ शेखावाटी-सीकर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाएगी।

XVI नवलगढ़-झुंझुनूं, नोहर-हनुमानगढ़ एवं जायल-नागौर में ब्लड बैंक स्थापित किये जाएंगे।

XVII. सिन्दरू (सुमेरपुर)-पाली में आयुर्वेद चिकित्सालय खोला जाएगा।

XVIII. यूनानी चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु भरतपुर में Centre of Excellence in Regimental, Hijama Therapy खोला जाएगा।

XIX. दंत चिकित्सा महाविद्यालय-जयपुर में 180 आवासीय क्षमता के महिला छात्रावास का 20 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

XX. समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में IT based अध्ययन-अध्यापन के लिए Smart Classrooms बनाये जायेंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

परिशिष्ट-05

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 24 में उल्लिखित विवरण

I. सड़क एवं पुलों के कार्य -

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
1.	जोबनेर में जोबनेर महल सड़क से शुरू होकर जोबनेर फुलेरा सड़क एवं जयपुर-जोबनेर नागौर को (एसएच-90) के क्रॉस करते हुए जोबनेर बाईपास निर्माण (फुलेरा) (8.3 किमी.)-जयपुर	46 करोड़ रुपये
2.	सरिपिपली से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुल निर्माण (बड़ी सादड़ी)-प्रतापगढ़	4 करोड़ रुपये
3.	बधाल सीमा से जुनसिया-ईटावा, नाड़िया से रायसिंह का बास, लोहरवाड़ा से देवपुरा एवं विमलपुरा से आलीसर सड़क (जयपुर)	2 करोड़ 37 लाख रुपये
4.	घटियाली से गणेशपुरा, जोताया से रघुनाथगढ़, भाटोलाव से सोहनपुरा, मीणों का नया गांव से बोगला, चकवा चकवी से मुख्य सड़क, सरवाड से जडाना चापडवाले बालाजी, जडाना से माता बखियारानी, जोताया से जावला एवं सलारी से बघेरा सड़क (केकड़ी) (अजमेर)	9 करोड़ 43 लाख रुपये
5.	झुंवासा हेड (बड़ून्दा) से ऐबरा तक सड़क (6.5 किमी.) (बूंदी)	4 करोड़ 62 लाख रुपये
6.	मण्डलनाथ जंक्शन-जोधपुर पर 4 लेन फ्लाई ओवर एवं आरओबी का निर्माण (जोधपुर)	80 करोड़ रुपये
7.	नीमकाथाना-कोटपूतली (38 किमी.) 2 लेन स्टेट हाईवे को 4 लेन (सीकर-जयपुर)	178 करोड़ रुपये
8.	शाहपुरा में भीलवाड़ा-देवली रोड के मध्य बाईपास का निर्माण (भीलवाड़ा)	10 करोड़ रुपये
9.	किशनगढ़बास-खैरथल-कोटपूतली पर रेलवे क्रोसिंग पर पुलिया निर्माण (आरओबी) (किशनगढ़बास, अलवर)	50 करोड़ रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
10.	हाई लेवल पुल-अनास नदी पर ग्राम पाटिया, (आनंदपुरी, बांसवाड़ा)	49 करोड़ रुपये
11.	भाण्डारेज-सराय रास्ते पर खारंडी नदी पर पुलिया (सिकराय, दौसा)	12 करोड़ रुपये
12.	ग्राम टोंटरी, पुरा मदारी के पास पार्वती नदी पर पुलिया (बाड़ी, धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
13.	बावलवाड़ा स्थित सोम नदी पर पुल (खेरवाड़ा, उदयपुर)	5 करोड़ 50 लाख रुपये
14.	जसाई से राणीगांव सनाडा (25 किमी.) (बाड़मेर)	22 करोड़ 50 लाख रुपये
15.	धौरीमन्ना गुड़ा किमी 8 से उडासर-बांड-बुडिया नाडा-अणदाणियों की ढाणी-अर्जुन की ढाणी-मंगले की बेरी-नोखड़ा (49 किमी.) (गुड़ामालानी, बाड़मेर)	33 करोड़ 50 लाख रुपये
16.	निम्बाहेड़ा से मंगलवाड 2 लेन हाईवे को फोर लेन हाईवे (41 किमी.) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	150 करोड़ रुपये
17.	गोलसर से मेगा हाईवे तक वाया नांगला जोहड़ तक (6 किमी.) (सरदारशहर, चूरू)	2 करोड़ 10 लाख रुपये
18.	मेघवाल बस्ती से हरीराम बाबा के मंदिर तक बोबासर-बीदावतान (3.2 किमी.) (सुजानगढ़, चूरू)	1 करोड़ 50 लाख रुपये
19.	कोटवालो का बास से रलावता तक (3.5 किमी.) (बांदीकुई, दौसा)	1 करोड़ 30 लाख रुपये
20.	भाण्डारेज से रलावता तक (6 किमी.) (सिकराय, दौसा)	2 करोड़ 40 लाख रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
21.	करमेला घाटी से श्मशान घाट व कुण्डीफला तक (5 किमी.) (चौरासी, डूंगरपुर)	2 करोड़ रुपये
22.	रेंटा मुख्य से श्मशान घाट से वाणियावाडा तक (3.5 किमी.) (चौरासी, डूंगरपुर)	1 करोड़ 60 लाख रुपये
23.	कालाखाईया से महुडी फला तक (3 किमी.) (डूंगरपुर)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
24.	घेऊ से मलसीसर (9 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
25.	सागड़ा से बांडाहेडी (7.9 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	3 करोड़ 16 लाख रुपये
26.	बालाजी हनुमान मन्दिर से नहर की पटरी होते हुए 26 आडी हैड तक, ग्राम हरीपुरा, संगरिया (3.5 किमी.) (हनुमानगढ़)	1 करोड़ 40 लाख रुपये
27.	खेलना बागावास से शनि महाराज तक (19.75 किमी.) (विराटनगर, जयपुर)	20 करोड़ 55 लाख रुपये
28.	आकोडिया गांव से बीआरओ तक (7 किमी.) (सांचौर, जालौर)	2 करोड़ 60 लाख रुपये
29.	पिलानी ब्लाक में विभिन्न सड़कों के कार्य (25 किमी.) (पिलानी, झुंझुनूं)	8 करोड़ 50 लाख रुपये
30.	धोरेरा-दरगमा वाया सीतापुरा (3 किमी.) (सपोटरा, करौली)	1 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र.	सड़क का नाम	लागत
31.	भाडोती-खिरनी-बौंली-लाखनपुर-दतवास (लाखनपुरा बंधा) से शीशोलाव बपूई वाया रामविलास-मूलचंद ढाणी बेनाड ढाणी (10 किमी.) (बामनवास, सवाई माधोपुर)	6 करोड़ 50 लाख रुपये
32.	जटलाव-गुगडोद-मझेवला-मित्रपुरा (16 किमी.)	9 करोड़ 50
33.	भाडोती खिरनी रोड से खिरनी तेजाजी मंदिर वाया धोला भाटा ढाणी-बडागांव कहार-जटवाडा से नींदरदा-भारजा गद्दी (बालाजी) से शेषा में पानी की टंकी तक सुनारी से पुरानी जीएसएस से जोलाश्यामपुरा गांव से श्रीफूल की ढाणी, रईथा कलां पर पुलिया निर्माण, एम.डी.आर.-111 पर झरेटी नाले पर पुलिया निर्माण, शेरपुर व खिलचीपुर के बीच नाले पर पुलिया निर्माण (22 किमी.) (सवाई माधोपुर)	15 करोड़ रुपये
34.	चारोडा धाम खण्डेला से चामुण्डा माता मन्दिर तक (2.5	3 करोड़
35.	जाजीम मोहल्ला पुल से बल्लुपुरा होते हुए रामपुरा सीमा	3 करोड़ 20
36.	पांचू खरकडा से डूंगा की नांगल वाया बंदरी की ढाणी	2 करोड़ 75
37.	रजवास से जिला सीमा जयपुर तक वाया सीदड़ा, खणदेवत, वनस्थली, चतुर्भुजपुरा, प्रतापपुरा, राहोली तक (20 किमी.) (टोंक)	10 करोड़ रुपये
38.	मुख्य सड़क से जाखड़ों की ढाणी तक, लालावास	40 लाख
39.	रोहट से जालौर सड़क के 23 किमी. भाग का नवीनीकरण (पाली, जालौर)	10 करोड़ रुपये
40.	एनएच-325 (गंगावा) से मण्डाला तक (7 किमी.) (जालौर)	3 करोड़ 20 लाख रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
41.	इन्दावड से आकेली ए होती हुए ग्राम धनेरिया तक (15 किमी.) (मेड़ता, नागौर)	9 करोड़ रुपये
42.	लीलया से आकेली ए होते हुए मेड़ता तक (25 किमी.) (मेड़ता, नागौर)	15 करोड़ रुपये
43.	रैगरों के मोहल्ले से पथवारी स्कूल, चौकीदारों (मालियों) की ढाणी होते हुए भूडला सीमा तक, माधोगढ़, (3 किमी.) (तूंगा, जयपुर)	1 करोड़ 20 लाख रुपये
44.	सोनगरों की खेड़ी से नेगडिया-लक्ष्मीपुरा-सोनगर-जयसिंहपुरा-मेघपुरा तक (12 किमी.) (चित्तौड़गढ़)	4 करोड़ 80 लाख रुपये
45.	पचेरी-भालोट हरियाणा सीमा तक (12 किमी.) (पिलानी, झुंझुनूं)	16 करोड़ रुपये
46.	खण्डवा-सांतोर-निहालोठ हरियाणा सीमा तक (14 किमी.) (पिलानी, झुंझुनूं)	19 करोड़ रुपये
47.	बर्र से धूलकोट (4 किमी.) (सोजत, पाली)	1 करोड़ 40 लाख रुपये
48.	देवगढ़ शहर में बाईपास सड़क (11 किमी.) (भीम, राजसमन्द)	25 करोड़ रुपये
49.	दलपतपुरा बाईपास (5 किमी.) (नीमकाथाना, सीकर)	5 करोड़ रुपये
50.	केकड़ी ब्लाक में विभिन्न सड़कों का निर्माण (15 किमी.) (केकड़ी, अजमेर)	9 करोड़ 40 लाख रुपये
51.	अमरगढ़ से मरडावाला, अखेराम खेड़ा से मधुपुरिया तक वाया हणुतिया बालाजी (9 किमी.) (जहाजपुर, भीलवाड़ा)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
52.	बडला से सवाईपुर तक (4 किमी.) (भीलवाड़ा)	1 करोड़ 80 लाख रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
53.	शिव मंदिर निंदौला से गोरों की ढाणी वाया सामौतों की ढाणी निदौंला (1.7 किमी.) (शाहपुरा, जयपुर)	80 लाख रुपये
54.	बिणजारीदर्रा, धारोला, सावनभादो (नयागांव), रानीपुरा, याकूबपुरा, ज्ञानपुरा (रघुनाथपुरा), तुम्बीपुरा, भीमगंज (20 किमी.) (देवली उनियारा, टोंक)	13 करोड़ 50 लाख रुपये
55.	बिडदपुरा से खण्डाच वाया कालानाडा (7.75 किमी.) (किशनगढ़, अजमेर)	3 करोड़ 30 लाख रुपये
56.	बुबकाहेड़ा से ग्वाल्दा वाया निम्बाहेड़ी उबाराका (7 किमी.) (तिजारा, अलवर)	3 करोड़ 20 लाख रुपये
57.	बाछला से गंगापुरा होते हुए कोटतिलाण जालौर सीमा तक (19 किमी.) (चौहटन, बाड़मेर)	13 करोड़ 30 लाख रुपये
58.	सेडवा से वाया कारटिया, आकल, सोमारडी से कोट तिलाण तक (37 किमी.) (चौहटन, बाड़मेर)	25 करोड़ 90 लाख रुपये
59.	भाडखा से गिरल (16 किमी.) (शिव, बाड़मेर)	12 करोड़ 80 लाख रुपये
60.	गारोली से मुढेरा वाया नगला देशवाल तक (6 किमी.) (नगर, भरतपुर)	2 करोड़ 60 लाख रुपये
61.	बीकानेर से कानासर तक (10 किमी.) (खाजूवाला, बीकानेर)	2 करोड़ 50 लाख रुपये
62.	मेगा हाईवे (एस.एच.-25) से अलवर जिला सीमा तक वाया बसवा, उपरेडा, सबडावली, कुकरवाडी, बनापुरा, झोपड़ी पेसेरान, लिलोज व केशुपुरा (16 किमी.) (बांदीकुई, दौसा)	8 करोड़ 83 लाख रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
63.	स्टेट हाईवे-78 दौसा-कठूमर सड़क (8.5 किमी.) (दौसा)	12 करोड़ रुपये
64.	जगदीश चौराहे से भागीरथपुरा तिराहा एनएच 123 धौलपुर (सैपऊ) रोड (6.5 किमी.) (धौलपुर)	13 करोड़ रुपये
65.	धौलपुर से नगर वाया मोरोली सहरोन (18 किमी.) (धौलपुर)	18 करोड़ रुपये
66.	सुलताना से लोयल (10 किमी.) (झुंझुनूं)	6 करोड़ रुपये
67.	चनाना से भटीवाड (5 किमी.) (झुंझुनूं)	3 करोड़ 50 लाख रुपये
68.	राहिर सड़क (22 किमी.) (सपोटरा, करौली)	11 करोड़ रुपये
69.	गोठ, रातगां से रोल-मूण्डवा तक (30 किमी.) (जायल, नागौर)	21 करोड़ रुपये
70.	एनएच-58 से साडोकन-ईनाणा-फिडोदा-चिमराणी-बासनीसिंगड-गोगानाडा-थंलाजू-डेरवा-कालडी-केडली जिला सीमा तक (53 किमी.) (नागौर)	31 करोड़ रुपये
71.	कूण से मालागुढ़ा, सरगना तलाई (6 किमी.) (लसाड़िया, उदयपुर)	3 करोड़ 50 लाख रुपये
72.	कालीभींत से अमरपुरा (8 किमी.) (लसाड़िया, उदयपुर)	6 करोड़ रुपये
73.	भादरा शहर में रेलवे क्रोसिंग सी-65 पर अंडरब्रिज (भादरा, हनुमानगढ़)	5 करोड़ रुपये
74.	नगर निगम ग्रेटर-जयपुर के वार्ड संख्या 1 से 42 में नॉन पेचेबल तथा मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण	2 करोड़ रुपये
75.	सांवलोदा पुरोहितान से परडोली छोटी (3.5 किमी.) (सीकर)	1 करोड़ 5 लाख रुपये
76.	किफायत नगर से सजन का पार (6 किमी.) (शिव, बाड़मेर)	2 करोड़ रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
77.	मण्डलनाथ जंक्शन से नागौर रोड वाया करवड़ (जोधपुर)	9 करोड़ 24 लाख रुपये
78.	किशनपुरा बंदा सड़क पर पुलिया निर्माण (अटरू, बारां)	6 करोड़ रुपये
79.	भैंसासुर बाणगंगा नदी पर पुलिया निर्माण (किशनगंज, बारां)	42 करोड़ रुपये
80.	ढीगाल-मण्डावा सड़क पर आरओबी निर्माण (मण्डावा, झुंझुनूं)	45 करोड़ रुपये
81.	एसएच-62 सुमेर पर पुलिया निर्माण (मारवाड़ जंक्शन-पाली)	2 करोड़ 50 लाख रुपये
82.	पावा से भाचुन्दा नदी पर सड़क मय पुलिया निर्माण (7 किमी.) (सुमेरपुर, पाली)	6 करोड़ 50 लाख रुपये
83.	माण्डवी-पारसोला रोड से सकीखेड़ा सड़क पर सुकली नदी पर पुलिया निर्माण (धरियावद, प्रतापगढ़)	4 करोड़ रुपये
84.	महुडी से धनोरा मीठी लिमड़ी वाया फुटी भेमखोज मुख्य सड़क एवं मेन रोड मीठी लिमड़ी से राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक डामरीकरण (4 किमी.) (चौरासी, डूंगरपुर)	3 करोड़ रुपये
85.	आमली फला से खरवेण्डा के बीच मोरन नदी पर पुलिया एवं खरवेण्डा नई बस्ती सड़क से कुणीया वाली माता होते हुए विरी सीमा तक सड़क मय रिंगवाल निर्माण (4 किमी.) (चौरासी, डूंगरपुर)	5 करोड़ रुपये
86.	घोऊ से मलसीसर सड़क (9 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
87.	नाचना मुख्य सड़क से साकडिया तक सड़क (7 किमी.) (पोकरण, जैसलमेर)	2 करोड़ 60 लाख रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
88.	पीर दरगाह-गांगियासर रोड (7.5 किमी.) (मण्डावा, झुंझुनूं)	3 करोड़ रुपये
89.	कोटडी-चकुण्डा-पंचेवा-निनोर-दलोट-लालखेड़ी-भमेडी-मोटिया-आम्बीरामा-ठिकरिया-अन्धारियावडला-नयाटापरा-अचलपुरा-रायपुर (35 किमी.) (प्रतापगढ़)	10 करोड़ रुपये
90.	सलूम्बर ब्लाक में विभिन्न सड़कों का निर्माण (10 किमी.) (उदयपुर)	4 करोड़ रुपये
91.	अक्षरधाम मंदिर से चीना का बाडिया वाया पचकुण्डा सड़क तक चार लेन सड़क का निर्माण (4 किमी.) (जोधपुर)	13 करोड़ 44 लाख रुपये
92.	पहाड़ी (कामां)-भरतपुर में बाईपास निर्माण (5.5 किमी.)	10 करोड़ 50 लाख रुपये
93.	रामगढ़ शेखावाटी-सीकर में बाईपास सड़क (8 किमी.)	14 करोड़ 40 लाख रुपये
94.	अनूपगढ़ ब्लाक की विभिन्न मिसिंग लिंक सड़क (10 किमी.) (श्रीगंगानगर)	3 करोड़ रुपये
95.	घनियासर से बीन्झासर तक वाया मालासर व कुलचासर (15 किमी.) (नोहर, हनुमानगढ़)	6 करोड़ 50 लाख रुपये
96.	बरखेड़ा (एनएच 27) से अंता-सांगोद सड़क मय पुलिया (2 लेन से फोरलेन) (1.5 किमी.) (अंता, बारां)	15 करोड़ रुपये
97.	सोरसन में बह्माणी माताजी सड़क का सिंगल लेन से 2 लेन सड़क (2.25 किमी.) (अंता, बारां)	4 करोड़ रुपये
98.	भडसुई से नहर पर होते हुए घींसरी वाया फतेहपुर तक सड़क (10 किमी.) (अटरू, बारां)	10 करोड़ रुपये
99.	स्टेट हाईवे 61 पर काली घाटी में सड़क (8 किमी.) (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	10 करोड़ रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
100.	सदीनसर-तिहावली-विहाय-भाखरवासी-ठिमोली का सुदृढ़ीकरण (16 किमी.) (फतेहपुर, सीकर)	7 करोड़ 20 लाख रुपये
101.	नवरंगपुरा से गुढ़ारामदास सड़क, दतवास से भगवतपुरा, वनस्थली जोधपुरिया रोड से सुरिया वाया सुनारा सुनारी (22.5 किमी.) (निवाई, टोंक)	6 करोड़ 20 लाख रुपये
102.	कूकस-छापरेडी सड़क (7.10 किमी.) (जयपुर)	4 करोड़ 50 लाख रुपये
103.	बालोतरा शहर रेलवे फाटक नं. 3 व 4 पर रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण (बाड़मेर)	10 करोड़ रुपये
104.	चक 81 जी.बी. के रेलवे पिलर संख्या 73/0 से 73/1 के मध्य आर.यू.बी. निर्माण (अनूपगढ़ से सूरतगढ़) (श्रीगंगानगर)	6 करोड़ रुपये
105.	मण्डोर चौकी से अंबाला बेरा, राखीदड़ा रोड पर रेलवे अण्डर ब्रिज का निर्माण (जोधपुर)	5 करोड़ 10 लाख रुपये
106.	एनएच-8 से बांदरसिंदरी रोड तक (2 किमी.) (किशनगढ़, अजमेर)	1 करोड़ 50 लाख रुपये
107.	उदयपुरवाटी में सम्पर्क/मुख्य लिंक सड़कों का निर्माण (52 किमी.) (झुंझुनूं)	20 करोड़ रुपये
108.	स्टेट हाईवे 90-बान्दरियों की ढाणी-ईनाणा-खेण-खारडा-बिठवाल-असावरी-हरसोलाव-गोठन सड़क (64 किमी.) (नागौर)	30 करोड़ रुपये
109.	नागौर-गोवाखुर्द-बरणगांव-बुठी-(अर्जुनपुरा)-टांकला-आंकला-जोगीनाडा-बेराथल-जगरामपुरा-आचीणा (62 किमी.) (नागौर)	30 करोड़ रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
110.	मानेवाला से 5 एम.एन.डब्ल्यू. एम. मिसिंग लिंक रोड (4 किमी.) (सूरतगढ़)	1 करोड़ 40 लाख रुपये
111.	सेवकी खुर्द से चंगावड़ा से बुडकिया से पीपाड़ रोड (21 किमी.) (भोपालगढ़, जोधपुर)	8 करोड़ रुपये
112.	बीकानेर शहर में सांखला फाटक रेलवे क्रोसिंग के समीप रेलवे अण्डरपास व कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज का निर्माण (बीकानेर)	35 करोड़ रुपये
113.	बायतु, अकदड़ा, जाजवा, सवाउ पदमसिंह, सुथला फांटा, सवाउ मूलराज सड़क (44 किमी.) (बायतू, बाड़मेर)	41 करोड़ रुपये
114.	जोधपुर नगर निगम (उत्तर) की सड़कों की मरम्मत व री-कारपेटिंग कार्य (जोधपुर)	40 करोड़ रुपये
115.	आलूखेड़ा-सवना-सिंहाड-कुराबड सड़क का चौड़ाईकरण (वल्लभनगर, उदयपुर)	18 करोड़ रुपये
116.	जवाहर नगर कच्ची बस्ती में टीला नं. 7 से रोटरी सर्किल तक एलिवेटेड रोड निर्माण की डी.पी.आर. (जयपुर)	5 करोड़ रुपये
117.	बुर्ज ग्राम पंचायत से बागड़ियों की ढाणी होते हुए नीमूचाना रोड तक (5 किमी.) (बानसूर, अलवर)	1 करोड़ 70 लाख रुपये
118.	मांगरोल, सीसवाली, अन्ता, सांगोद सडक एनएच-51 ए पर सिंधपुरी से एनएच-2 तक अन्ता बाईपास का टूलेन (अंता, बारां)	35 करोड़ रुपये
119.	ईश्वरपुरा से चौकी, मूण्डला वाया भटवाडा गणेशजी एवं सीसी सड़क निर्माण मय पुलिया (सिंगल लेन से टू लेन में चौड़ाईकरण का कार्य) (अंता, बारां)	14 करोड़ 50 लाख रुपये
120.	सांखली फान्टा से तरडेरी कला पंचायत तक, शिव (9 किमी.) (बाड़मेर)	3 करोड़ रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
121.	मेन रोड बसेड़ी (कोट पुलिया) से मासलपुर की ओर, बयाना (12 किमी.) (भरतपुर)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
122.	राजेड़ू से सोनियासर (15 किमी.) (डूंगरगढ़, बीकानेर)	15 करोड़ रुपये
123.	सिंहपुरा संगरिया मार्ग से 25 ए.एम.पी., 23 ए.एम.पी., 21 ए.एम.पी. होते हुए किशनपुरा तक, संगरिया (10.25 किमी.) (करणपुर, गंगानगर)	3 करोड़ 50 लाख रुपये
124.	19 ए.एम.पी. सादुलशहर संगरिया मार्ग तक वाया 18 -20 ए.एम.पी. व 10-13 पीटीपी तक, संगरिया (7.5 किमी.) (करणपुर, गंगानगर)	2 करोड़ 50 लाख रुपये
125	6 एसपीएम से सरदापुराजीवन (4.5 किमी.) (सादुलशहर, गंगानगर)	1 करोड़ 70 लाख रुपये
126.	एनएच-95 से पनिवाली-जोगीवाला-रोटनवाली (10 किमी.) (गंगानगर, सादुलशहर)	10 करोड़ रुपये
127.	ग्राम गारडू से कचनारिया वाया लापोडिया, सिनोदिया (13 किमी.) (दूदू, जयपुर)	8 करोड़ रुपये
128.	नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में मिसिंग लिंक व सम्पर्क सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य-(25 किमी.) (नवलगढ़, झुंझुनूं)	9 करोड़ रुपये
129.	ग्राम झाडेली-ऐवाद-डेह-जिन्दास-गोरचियों की ढाणी-जीवण बेरा-गंठीलासर-गोरेरा-श्यामसर-बोसेरी-लालगढ़ सड़क (73 किमी.) (जायल, नागौर)	29 करोड़ रुपये
130.	सीकर नागौर सीमा से श्यामगढ़, मारोठ, नावां (24 किमी.) (नावां, नागौर)	22 करोड़ रुपये
131.	एन.एच. 11 बलोद बड़ी-ठेडी कायमसर-ताखलसर-ढाकास सड़क-(19 किमी) (फतेहपुर, सीकर)	6 करोड़ रुपये
132.	एनएच 52 ठिकरिया पशु चिकित्सालय के सामने से गौरिया तक वाया बाजियों की ढाणी, रामदास का बास, हंगुनियां जोहडा, सामोता का बास, उदयपुरा, बावलियों की ढाणी, खण्डेला (13 किमी.) (खण्डेला, सीकर)	4 करोड़ रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
133.	गढ़ी खानपुर से बालाजी नगर वाया बालवाड, खण्डेला (6 किमी.) (सीकर)	1 करोड़ 80 लाख रुपये
134.	टांक मोड़ एस.एच. 83 से दुल्हेपुरा तक टांक मोड़ व होद (जंक्शन निर्माण सहित) (2.5 किमी.) (खण्डेला, सीकर)	3 करोड़ रुपये
135.	दादिया से कटराथल वाया दिनापुरा, झीगर तक (10 किमी.) (सीकर)	3 करोड़ रुपये
136.	कोलिडा तारपुरा सड़क से एस.एच. 8 वाया पालड़ी बेरी स्टैण्ड बेरी गोरू मील बसावा तिराहा, केमरी की ढाणी, बालाजी का नाडा तक (18.5 किमी.) (सीकर)	5 करोड़ रुपये
137.	बुटोली स्टैण्ड से श्यामगढ वाया हरिपुरा, उनवाड़ा जोहड़ा, पकोड़ी प्याउ, जे के भट्टा, गुढ़ा नाथूराम व अमीचन्द की ढाणी, अभयपुरा मोड़, राजपुरा, यादवों की ढाणी, राजपुरा मोड़ केरवालों की ढाणी तक (16.9 किमी.) (सीकर)	4 करोड़ 50 लाख रुपये
138.	जुराठड़ा से अभयपुरा मोड़ वाया देवनारायण जी के मन्दिर तक (5.5 किमी.) (सीकर)	1 करोड़ 70 लाख रुपये
139.	करौली मासलपुर सीमा से उत्तर प्रदेश सीमा तक वाया बाजना (11 किमी.) (बयाना, भरतपुर)	16 करोड़ रुपये
140.	रूद से बारू, कोदियाखेड़ी, सिंहपुर, छापरी, जितिया, रेवलिया, सुरपुर, जयपुरा होते हुए भादसोड़ा तक, कपासन (42.5 किमी.) (कपासन, चित्तौड़गढ़)	23 करोड़ रुपये
141.	बुधवाली से राजियासर तक, रतनगढ़ (5 किमी.) (चूरू)	1 करोड़ 80 लाख रुपये
142.	सूरत से नरपुरा सड़क (नदी पर रपट सहित) वाया सारणेश्वर मंदिर (3 किमी.) (जालौर)	2 करोड़ 50 लाख रुपये
143	लबाना में मोदी के क्रेशर पुलिया से बी.एस.एफ. कैम्पस तक सड़क निर्माण (3 किमी.) (जयपुर)	1 करोड़ 42 लाख रुपये

क्र. स.	सड़क का नाम	लागत (करोड़ों में)
144.	बैनाड़ रेलवे स्टेशन की पूर्व दिशा से जे.डी.ए. स्कीम रजत विहार तक (सैक्टर रोड जयपुर)	15 करोड़ रुपये
145.	अमरपुरा स्कूल से वली तक, ग्रा.पं. अमरपुरा (4 किमी.) (उदयपुर ग्रामीण)	2 करोड़ रुपये
146.	चौसला बस स्टैण्ड से गुढ़ा रेलवे स्टेशन वाया ग्राम कुणी (8.5 किमी.) (नावां, नागौर)	8 करोड़ 50 लाख रुपये
147.	सागवाड़ा से पूंजपुर, आसपुर (23 किमी.) (आसपुर, डूंगरपुर)	23 करोड़ रुपये
148.	अलवर ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य (15 किमी.) (अलवर)	6 करोड़ रुपये
149.	मुकाम मुख्य गेट से समराथल धौरा तक सड़क (3 किमी.) (नोखा, बीकानेर)	1 करोड़ 20 लाख रुपये
150.	जेगला से सोवा वाया रासीसर-सुरपुरा (23 किमी.) (नोखा, बीकानेर)	9 करोड़ 20 लाख रुपये
151.	धोद में बाईपास सड़क का निर्माण (5 किमी.) (सीकर)	10 करोड़ रुपये
152.	वाण (थलिया स्कूल) से अन्दौर (5 किमी.) (शिवगंज, सिरोही)	2 करोड़ 10 लाख रुपये
153.	मडिया से पावटी जिला सीमा जालौर तक (5 किमी.) (सिरोही)	2 करोड़ 10 लाख रुपये
154.	महलाना से चंगई (6 किमी.) (तारानगर, चूरू)	1 करोड़ 80 लाख रुपये
155.	डाबड छोटी से छीरवास छोटा तक (6 किमी.) (तारानगर, चूरू)	1 करोड़ 80 लाख रुपये
156.	रडसाना बास से अमरपुरा तहसील राजगढ़ तक (4 किमी.) (तारानगर, चूरू)	1 करोड़ 20 लाख रुपये

II. ROB के कार्य-

क्र. स.	आर.ओ.बी. का कार्य	लागत
1.	अलवर सिटी में एलसी 111ए पर चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य (अलवर)	62 करोड़ 86 लाख रुपये
2.	सोडावास-मुण्डावर-कोटकासिम सड़क (एसएच 86) में एलसी 86 हरसोली में आर.ओ.बी. का निर्माण (अलवर)	36 करोड़ 31 लाख रुपये
3.	पहाड़ी-नगर-खेड़ली-छोंकरवाड़ा सड़क (एस.एच. 22) में एलसी 67 पर खेडली गांव के पास आर.ओ.बी. का निर्माण (अलवर)	44 करोड़ 43 लाख रुपये
4.	भरतपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में एलसी 38 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (भरतपुर)	50 करोड़ 14 लाख रुपये
5.	बीकानेर बाईपास में कानासर गांव के पास एलसी 147 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (बीकानेर)	45 करोड़ 1 लाख रुपये
6.	सादुलपुर-झुंझुनूं सड़क (एसएच-41) में सादुलपुर के एलसी 144 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (चूरू)	36 करोड़ 57 लाख रुपये
7.	पड़िहारा-तालछापर मेगा हाईवे (एसएच 7) में पड़िहारा गांव के पास एलसी 14ए पर आर.ओ.बी. का निर्माण (चूरू)	41 करोड़ 17 लाख रुपये
8.	एनएच लेफ्ट आउट भाग में चूरू शहर में एलसी 165 एसपीएल पर आर.ओ.बी. का निर्माण (चूरू)	55 करोड़ 43 लाख रुपये
9.	सांचौर-रानीवाड़ा-मण्डार सड़क (एसएच 11) में रानीवाड़ा कलां के पास एलसी 114 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (जालौर)	41 करोड़ 97 लाख रुपये
10.	मेड़ता सिटी से मूण्डवा सड़क (एसएच 39) में मेड़ता रोड गांव के एलसी 101 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (नागौर)	37 करोड़ 37 लाख रुपये
11.	नीमकाथाना बाईपास (एसएच 37बी) में नीमकाथाना में एलसी 80 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (सीकर)	60 करोड़ रुपये

क्र. स.	**आर.ओ.बी. का कार्य**	**लागत**
12.	हनुमानगढ़ से अनूपगढ़ सड़क (एसएच 94) में रंगमहल सूरतगढ़ के पास एलसी 91 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (श्रीगंगानगर)	68 करोड़ 83 लाख रुपये
13.	निवाई झिलाई सड़क (एसएच 117) में निवाई शहर के एलसी 36 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (टोंक)	46 करोड़ 29 लाख रुपये
14.	एनएच लेफ्ट आउट भाग पर निवाई शहर में एलसी 41 पर आर.ओ.बी. का निर्माण (टोंक)	47 करोड़ 27 लाख रुपये

परिशिष्ट-06

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 28 में उल्लिखित विवरण

I. राजस्व शिविरों में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन भी किया जायेगा।

II. नगरीय क्षेत्रों के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थित ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि में कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय) उपयोग होकर 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व भूखण्ड पर निर्माण हो चुका हो, ऐसी स्थिति में 30 सितम्बर, 2023 तक की अवधि के दौरान 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के लिए प्रीमियम दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रीमियम दर के अनुसार 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर फ्री-होल्ड पट्टे जारी किये जायेंगे।

III. साथ ही, इस अवधि में नगरपालिका सीमा में कृषि भूमि पर ऐसे भूखण्ड, जो पुरानी आबादी क्षेत्र के पास 2 मई, 2012 से पूर्व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होकर बिखरे हुए निर्मित भूखण्ड के रूप में विद्यमान हैं, उनको फ्री-होल्ड पट्टे दिये जाने हेतु 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्ड पर 501 रुपये एकमुश्त तथा उक्तानुसार निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि ली जाकर पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है।

IV. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्वामित्व योजना' के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आवासीय भूमि धारकों को नियमानुसार पट्टे दिये जा रहे हैं। इस क्रम में, 30 जून, 2023 तक की अवधि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अधीन ली जाने वाली दरों में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

परिशिष्ट-07

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 33 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	सीवरेज/ड्रेनेज कार्य	लागत
1.	सूंथली एवं कूकडोद (मकराना)-नागौर में बारिश के पानी की निकासी हेतु डीपीआर	25 लाख रुपये
2.	बहादुरपुर-अलवर में सीवरेज लाइन	25 करोड़ रुपये
3.	बालोतरा-बाड़मेर में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज कार्य	35 करोड़ रुपये
4.	बीदासर-चूरू में सीवरेज कार्य	25 करोड़ रुपये
5.	हरमाड़ा, भडारणा एवं वीकेआई 17 नम्बर रोड-जयपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज लाइन की डीपीआर	6 करोड़ रुपये
6.	धौलपुर में सैपऊ मुख्य चौराहे से भरतपुर रोड, बसई नवाब रोड, बाड़ी रोड सालेपुर रोड में नाला निर्माण कार्य	5 करोड़ रुपये
7.	रामगढ़ शेखावाटी-सीकर में बरसाती पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज कार्य	5 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-08

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 37 में उल्लिखित विवरण

I. बगरू-जयपुर व 31 ग्राम पंचायतों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

II. शेरगढ़-जोधपुर में गगाड़ी से ढाढणिया आगोलाई पेयजल योजना हेतु 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. जायल मातासुख परियोजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत जायल-नागौर के अरवड एवं धारणा गांवों में उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 2 उच्च जलाशयों का निर्माण एवं 200 ढाणियों को जल उपलब्ध करवाने हेतु 35 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

IV. रावतसर-हनुमानगढ़ शहरी जलयोजना के संवर्धन कार्यों हेतु 45 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

V. श्याम नगर-जयपुर में बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 13 करोड़ 26 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

VI. जोधपुर के लूणी क्षेत्र में पेयजल योजना हेतु 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

VII. गुड़ा विश्नोईयान (लूणी)-जोधपुर में बड़ा तालाब के पास फिल्टर प्लांट का कार्य किया जायेगा।

VIII. सिद्धमुख-चूरू के आपणी योजना के अन्तर्गत अन्तिम छोर पर स्थित 26 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भाखड़ा नहर परियोजना की सिद्धमुख फीडर के भिरानी हैड से पेयजल उपलब्ध कराने की डीपीआर बनायी जायेगी।

परिशिष्ट-09

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्‌बोधन के पैरा संख्या 47 में उल्लिखित विवरण

I. पातलीसर (सरदारशहर)-चूरू, करसाना-चित्तौड़गढ़ एवं बेरी (नवलगढ़)-झुंझुनूं में 220 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

II. देवरी (शाहबाद), सहरोद-बारां, लूणवा जागीर (गुडामालानी)-बाड़मेर, बरखेड़ा (बयाना)-भरतपुर, अम्बिका (राजाखेड़ा)-धौलपुर, पिथला फांटा, बांधेवा (पोकरण)-जैसलमेर, तरनाऊ (जायल)-नागौर, खुईया (नोहर)-हनुमानगढ़ एवं वोपारी (मारवाड़ जंक्शन)-पाली में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. मनोहरपुरा (किशनगढ़)-अजमेर, जामडोली (रैणी), बधीन (मुण्डावर), बंजीरका (रामगढ़), परसा का बास (उमरैण)-अलवर, अमीमोमद शाह की बस्ती, मिठडी (चौहटन), बिसू खुर्द (शिव), केरली नाडी (सिणधरी), नवातला (पाटोदी)-बाड़मेर, बंधाला (नोखा), सियासर चौगान (खाजूवाला)-बीकानेर, तुलसा, माल बमोरी, मियाड़ा (अंता)-बारां, कपूरा मलूका, बसई (रूपवास), फुलवारा, मोरौली कलां (सेवर)-भरतपुर, डेलाना (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, ढाणी स्वामियान (सुजानगढ़), मेहरासर उपाधियान-भानीपुरा (तारानगर)-चूरू, बिनायका (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़, समेलकलां (बांदीकुई), पावटा (महवा)-दौसा, जोधपुरा-डूंगरपुर, नीमला-थिराना, उदासर छोटा (नोहर)-हनुमानगढ़, नाहरसिंघानी (नवलगढ़)-झुंझुनूं, बिलाड़ा, पीपाड़ सिटी, लालसागर (ओसियां)-जोधपुर, भीकमपुरा (हरनगर)-करौली, रोण (इटावा), निमाना, फतेहपुर गुण्डी (रामगंज मण्डी)-कोटा, गोदन (खींवसर), गेलासर (मकराना)-नागौर, कोला की नांगल (नीमकाथाना)-सीकर, वाण, सिलदर-सिरोही एवं सीतापुरा (देवली-उनियारा)-टोंक में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

IV. साथ ही, Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) योजना के अन्तर्गत 33 केवी के 63 जीएसएस भी स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

V. सीकरी (ग्रामीण)-भरतपुर में कनिष्ठ अभियंता एवं पायला कलां

(गुडामालानी)-बाड़मेर, हदां (कोलायत)-बीकानेर, सुजानगढ़ ग्रामीण-चूरू, धमोतर-प्रतापगढ़, चंडावल (सोजत)-पाली एवं पाटोदा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर में सहायक अभियंता तथा गंगापुर-भीलवाड़ा, सीमलवाड़ा-डूंगरपुर, गुढ़ा गौड़जी-झुंझुनूं एवं उच्चैनभरतपुर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे।

परिशिष्ट-10

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 48 में उल्लिखित विवरण

I. युवाओं को वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रेकिंग, कैम्पिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए तारागढ़ अजमेर, चूहड़सिद्ध-अलवर, रामगढ़ क्रेटर-बारां, ब्रज चौरासी क्षेत्र-भरतपुर, हमीरगढ़ व मंगरोप-भीलवाड़ा, हथिनी औदी व मेनाल वाटरफाल क्षेत्र-चित्तौड़गढ़, मेढ़ा व गोलमेन-दौसा, दमोह-धौलपुर, बुचारा व कचरावाला-जयपुर, मातरमाता-सिरोही, बोलेश्वर-सीकर, धूणीमाता व कमलेश्वर महादेव-प्रतापगढ़ तथा नाल सांडौल-उदयपुर में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

II. राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर (Birds Shelter Home) बनाये जायेंगे।

III. बीकानेर एवं अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर जन्तुआलय (Zoo) को पक्षी विहार, बीकानेर जन्तुआलय (Zoo) को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में 20 करोड़ रुपये व्यय कर विकसित किया जायेगा। साथ ही, वन्य जीवों को समय पर रेस्क्यू करने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, बेहतर निरीक्षण, वन सुरक्षा एवं वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ।

IV. गोडवाड देसूरी-पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जायेगा। साथ ही, संरक्षित वन क्षेत्र वाडा खेड़ा-सिरोही में विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

V. नर्सरियों में सुधार एवं नवीन नर्सरियों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

परिशिष्ट 11

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 54 में उल्लिखित विवरण

I. खाटूश्यामजी-सीकर में श्रद्धालुओं के मन्दिर तक पहुँचने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से Dedicated Corridor का निर्माण करवाया जायेगा।

II. रोजदा (जालसू)-जयपुर में स्थित श्री गोपाल जी मंदिर, ढीपरी चम्बल (खातौली)-कोटा स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर, पीपल्दा समेल (सुल्तानपुर)-कोटा स्थित प्राचीन शिव मंदिर तथा ककरावदा (इटावा)-कोटा स्थित प्राचीन श्री चमलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।

III. ज्वाला माता मंदिर, जोबनेर-जयपुर में यात्रियों हेतु विश्राम स्थल का निर्माण करवाया जायेगा ।

IV. श्री चारभुजा मंदिर- राजसमन्द, टॉडगढ़-अजमेर व बिग्गा जी धाम (डूंगरगढ़)- बीकानेर में विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।

V. लोहागढ़ किला एवं सुजानगंगा नहर-भरतपुर के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु DPR बनवायी जायेगी।

VI. विभिन्न धार्मिक स्थल ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ-अजमेर, नाकोड़ा जैन मंदिर-बाड़मेर, जैन मंदिर (रणकपुर)-पाली, गुरूद्वारा-हनुमानगढ़, बुड्ढा जोहड़-श्रीगंगानगर के विकास कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

VII. जयपुर स्थित ईदगाह का वक्फ बोर्ड के माध्यम से विकास कार्य करवाये जायेंगे।

परिशिष्ट-12

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 68 में उल्लिखित विवरण

I. किशनगढ़-अजमेर, फिरोजपुर (राजगढ़)-अलवर, बुधवाली (रतनगढ़)-चूरू, श्रीपुरा (रावतभाटा)-चित्तौड़गढ़, जैतपुर (राजाखेड़ा)-धौलपुर, सांउ सीरा, राजपुरावास (जमवारामगढ़)-जयपुर, एकां भाटियान, बीठडी, कलरां (फलौदी), दुगर (बालेसर)-जोधपुर, धुंधला (मारवाड़ जंक्शन)-पाली तथा बिलासपुर (उनियारा), गांवडी (देवली)-टोंक में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जायेंगे।

II. प्रागपुरा (रैणी)-अलवर, लखनपुर दौसा, तेजरावा (फतेहगढ़). तनोट-जैसलमेर, नरसिंहपुरा बिरानी-श्रीगंगानगर एवं निम्बड़ी कलां (डेगाना), राजोद (जायल)-नागौर के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. जिलिया (नावां)-नागौर व भगवानपुरा(मांडल)-भीलवाड़ा के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)-पाली में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

V. लालसोट-दौसा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जायेगा।

VI. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का नामकरण श्री गुरु जम्भेश्वर के नाम पर किया जाना प्रस्तावित है।

VII. बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अजमेर में Indoor Ward एवं पशुपालकों के लिए Dormitory की सुविधा विकसित की जायेगी।

VIII. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने तथा दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु बस्सी-जयपुर में Centre for Sustainability Support to Milk Producers (CSSMP) स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50 हजार दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे।

परिशिष्ट-13

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्‌बोधन के पैरा संख्या 71 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1	सिद्धमुख वितरिकाओं से निकलने वाले रेजड़ी, ढाणी बड़ी, गदरा, टूण्डाखेड़ी व सिद्धमुख माइनर के अन्तिम छोर तक सिंचाई जल हेतु नहर वितरिकाओं के जीर्णोद्धार व खालों के कार्य (चूरू)	30 करोड़ रुपये
2	भांखरा माइनर तथा बावलवाड़ा माइनर (खेरवाड़ा)-उदयपुर का जीर्णोद्धार का कार्य	3 करोड़ रुपये
3	छोटी उदेई सिन्दूरा तालाब (गंगापुर सिटी)-सवाई माधोपुर की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	4 करोड़ रुपये
4	मण्डावा के मलसीसर-झुंझुनूं के खारे पानी के गांवों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए सर्वे व डीपीआर	1 करोड़ रुपये
5	दूदू-जयपुर के छापरवाड़ा बाँध उत्तरी नीची नहर के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य	22 करोड़ 50 लाख रुपये
6	रिस्का की नाल (झौथरी)-डूंगरपुर में एनिकट का निर्माण	5 करोड़ रुपये
7	राताघाटा (झौथरी)- डूंगरपुर में बाँध निर्माण	4 करोड़ रुपये
8	राजीकावास बाँध-जालौर के जीर्णोद्धार कार्य	20 करोड़ रुपये
9	भोराव बाँध (एकलिंगपुरा)- उदयपुर का निर्माण कार्य	5 करोड़ रुपये
10	बिलियाकलां में बनास नदी पर एनिकट (सहाड़ा), भीलवाड़ा	9 करोड़ रुपये
11	कालीसोत तालाब की नहरों का जीर्णोद्धार (किशनगंज), बारां	5 करोड़ रुपये
12	खाजूवाल की नहरी खालों के मरम्मत कार्य (बीकानेर)	50 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-14

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्बोधन के पैरा संख्या 77 में उल्लिखित विवरण

I. पुलिस कार्यालय एवं अन्य सुविधाएं-

(a) उच्चैन (नदबई)-भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जायेगा

(b) गढ़ी-बांसवाड़ा, रूपबास (बयाना)-भरतपुर, नांगल राजावतान-दौसा, फागी (दूदू)-जयपुर, शिवगंज-सिरोही तथा चित्तौड़गढ़ ग्रामीण-चित्तौड़गढ़ में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

(c) बहरोड़-अलवर में सदर पुलिस थाना खोला जायेगा।

(d) नान्ता-कोटा सहित अजमेर, जयपुर एवं जोधपुर के विकास प्राधिकरणों में पुलिस थाने खोले जायेंगे।

(e) साकेत नगर (ब्यावर)-अजमेर, विजयमंदिर-अलवर, गहनौली मोड़ (उच्चैन), खेड़ली मोड़ (वैर), जालूकी (नगर)-भरतपुर, बालाहेड़ी (महुवा) दौसा, कोटडी, जलोदा जागीर एवं केसरियावाद-प्रतापगढ़, जैतपुर (रोहट)-पाली, सुदरासन (लाडनूं)-नागौर, झिराना (निवाई)-टोंक एवं कूण (लसाड़िया), बड़गांव-उदयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

(f) केकड़ी-अजमेर, मानगढ़ धाम (बागीदौरा)-बांसवाड़ा, खंडप (सिवाना)-बाड़मेर, बडेश्वर महादेव मंदिर (कुम्हेर), पीपला-भरतपुर, रायपुर, मोखूंदा (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, कक्कू (नोखा)-बीकानेर, अभयपुरा-चित्तौड़गढ़, मेघाना (नोहर)-हनुमानगढ़, नीमला (जमवारामगढ़), तिगरिया (शाहपुरा)-जयपुर, अरणाय (सांचौर)-जालौर, कानपुर (खेरवाड़ा), मीठानीम (वल्लभनगर)-उदयपुर एवं लालासी, बऊ (लक्ष्मणगढ़)-सीकर में पुलिस चौकी खोली जायेंगी।

(g) पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन उपलब्ध कराने हेतु 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(h) पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड, वेलफेयर फण्ड, स्पोर्ट्स फण्ड, उत्सव फण्ड एवं स्टेशनरी हेतु 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

(i) पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य का सम्मान कर प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक एवं मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक एवं राजस्थान पुलिस सेवा पदक दिये जाने प्रस्तावित हैं।

II. न्यायालय-

(a) रामगढ़-अलवर एवं बालेसर-जोधपुर में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जायेंगे। साथ ही, विजयनगर-श्रीगंगानगर में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट खोला जायेगा।

(b) कैम्प कोर्ट कुम्हेर-भरतपुर, रावतसर-हनुमानगढ़ एवं जायल-नागौर को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय में परिवर्तित किया जायेगा।

(c) जोबनेर-जयपुर, बागीदौरा-बांसवाड़ा तथा सीकरी-भरतपुर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जायेगा।

(d) सिणधरी-बाड़मेर, मौजमाबाद (दूदू)-जयपुर एवं सायला-जालौर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

(e) कोटपूतली जयपुर में एस.सी./एस.टी. न्यायालय खोला जायेगा।

(f) हनुमानगढ़ में एन.आई. कोर्ट खोला जायेगा। साथ ही, भादरा-हनुमानगढ़ में 10 करोड़ रुपये की लागत से कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जायेगा।

परिशिष्ट-15

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उद्‍बोधन के पैरा संख्या 88 में उल्लिखित विवरण

I. श्रीगंगानगर व अंता-बारां में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जायेगा।

II. बापिणी (लोहावट)-जोधपुर एवं किशनगढ़ रेनवाल व रामपुरा डाबड़ी-जयपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे।

III. कुण्डल-दौसा, बसई नवाब-धौलपुर, ओबरी-डूंगरपुर, चामू (शेरगढ़)-जोधपुर, चेचट (रामगंज मंडी)-कोटा, फलासियां, घासा (मावली)-उदयपुर को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. हरसौरा (बानसूर)-अलवर, सवाउ पदमसिंह (गिड़ा), पादरू (सिवाना), लीलसर (चौहटन), भियाड़ (शिव)-बाड़मेर, छोटी सरवा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, रेलावन-बारां, दामोलाई मय राणेर (खाजूवाला)-बीकानेर, अंटाली (हु रडा)-भीलवाड़ा, सरोदा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, कोलारी-धौलपुर, पीलवा (देचू)-जोधपुर, शेरपुर करौली, खासरवी (चितलवाना)-जालौर, गोटन (मेड़ता सिटी), पांचौड़ी (खींवसर), मिठड़ी (लाडनूं)-नागौर, धमोतर-प्रतापगढ़, खेरोदा (भीण्डर), कनबई (खेरवाड़ा)-उदयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

V. कठूमर, मुबारिकपुर (रामगढ़)-अलवर, केलवाड़ा (किशनगंज), सीसवाली-बारां, भाण्डारेज (सिकराय)-दौसा, पोख (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं दलोट-प्रतापगढ़, गोलूवाला-हनुमानगढ़, वजीरपुर (गंगापुरसिटी)-सवाई माधोपुर, आसपुर, सीमलवाड़ा-डूंगरपुर, घाटोल-बांसवाड़ा को नगरपालिका बनाया जायेगा।

VI. नगरपालिका केकड़ी-अजमेर, बाड़ी-धौलपुर, पावटा-प्रागपुरा (विराटनगर)-जयपुर एवं खण्डेला-सीकर को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. नगरपालिका सरदारशहर-चूरू को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VIII. नारायणपुर (बानसूर)-अलवर, सिद्धमुख-चूरू एवं हदां (कोलायत)-बीकानेर को पंचायत समिति बनाया जायेगा। साथ ही, खातोलाई (विराटनगर)-जयपुर को ग्राम पंचायत बनाया जायेगा।

IX. किशोरी (थानागाजी)-अलवर, उच्चैन- भरतपुर, लालसोट-दौसा, अमरसर (शाहपुरा)-जयपुर, देलवाड़ा-राजसमन्द एवं डेह-नागौर में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय खोला जायेगा।

X. कोलायत-बीकानेर, वैर, नदबई-भरतपुर, बेगूं-चित्तौड़गढ़, जोबनेर-जयपुर, नवलगढ़-झुंझुनूं, जायल-नागौर एवं खण्डेला-सीकर में अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, कुचामनसिटी-नागौर में अधीक्षण अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) का कार्यालय खोला जायेगा।

XI. बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर, लालसोट-दौसा व लक्ष्मणगढ़-सीकर में अधिशाषी अभियंता एवं कोटपूतली-जयपुर में अधीक्षण अभियंता (सार्वजनिक निर्माण) के कार्यालय खोले जायेंगे।

XII. गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर में अधिशाषी अभियंता (जल संसाधन) तथा सिद्धमुख-चूरू में सहायक अभियंता (जल संसाधन) के कार्यालय खोले जायेंगे।

XIII. सुजानगढ़-चूरू एवं डेगाना नागौर में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के कार्यालय खोले जायेंगे।

XIV. लालसोट-दौसा में उप परिवहन कार्यालय खोला जायेगा। साथ ही, कुचामन-नागौर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा व नोहर-हनुमानगढ़ में बस डिपो एवं बहरोड़-अलवर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सिरोही रोडवेज बस स्टैण्ड में मरम्मत व विकास कार्य करवाये जायेंगे।